राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या : 21

मंगलवार

3 अप्रैल, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-272

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री दाताराम गुर्जर

शिक्षा मित्र योजनान्तर्गत अस्थाई नियुक्तियां

273. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) एवं **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मित्र योजनान्तर्गत अनुभवी लोगों को अस्थाई नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने लोगों को नियुक्तियां दी गईं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त शिक्षा मित्र योजना पर गत एक वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि परीक्षा की निकटता के बावजूद सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को हटाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र योजना के नाम से योजना संचालित न होकर विद्यार्थी मित्र योजना इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ की गई। इस वर्ष विद्यार्थी मित्र योजना के तहत लगाये गये अध्यापकों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) माध्यमिक शिक्षा में उक्त योजना के अन्तर्गत लगभग 6.25 करोड़ रुपये एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लगभग 11.00 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

(3) माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी मित्र योजना दिनांक 28.02.2007 तक के लिए तथा प्रारम्भिक शिक्षा में 31.03.2007 तक के लिए रिक्त पदों के परिणामस्वरूप छात्रों के अध्यापन में व्यवधान नहीं हो, को मद्देनजर रखते हुए उक्त योजना लागू की गई थी। चूंकि, 10वीं बोर्ड की परीक्षा 30 मार्च, 2007 एवं 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च, 2007 को समाप्त हो चुकी है तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 02 अप्रैल, 2007 को समाप्त होगी अतः विद्यार्थी मित्र योजना के तहत दिनांक 31.03.2007 पश्चात् विद्यार्थी मित्र लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विद्यार्थी मित्र योजना के बावजूद विभिन्न स्तर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रही? यदि हां, तो क्यों? और दूसरा, मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसी भी शिकायतें मिली थीं कि विद्यार्थी मित्र योजना के इच्छुक लोगों के आवेदन के बावजूद भी उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गयीं? यदि हां, तो क्यों?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक माध्यमिक शिक्षा में 4661 पद व्याख्याता के रिक्त थे, 6930 पद वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त थे और 2118 रिक्त पद अध्यापकों के थे। इसके लिए हमने 2104 व्याख्याता, 2897 वरिष्ठ अध्यापक और 911 अध्यापकों के पद लगाये लेकिन यहीं तक हम सीमित नहीं रहे। हमने शैक्षिक व्यवस्था के तहत माध्यमिक से माध्यमिक और प्रारम्भिक से माध्यमिक भी हमने अध्यापकों को लगाया जिसमें 1707 व्याख्याता, 2595 वरिष्ठ अध्यापक और 352 अध्यापक लगाकर इस प्रकार से 509, ... (व्यवधान) 12 तो विद्यार्थी मित्र और 4654 हमने शैक्षिक व्यवस्था के तहत अध्यापक लगाये। इस तरह सारी शैक्षिक व्यवस्था पहली बार काफी हद तक हम लोग ठीक कर पाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। यह बीच में कैसे पूछने लग जाते हैं? अभी मैं पूछ रहा हूं और उससे पहले ही यह ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपका सत्र शुरू होता है जुलाई महीने में और 86 हजार पद खाली पड़े हुए थे और 6 महीने आपने निकाल दिये और एक भी विद्यार्थी मित्र आपने नहीं लगाया पूरे छह महीने में। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भी प्रश्न है यह। पहले उन्हें पूछ लेने दें, फिर आप पूछिएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जी, ठीक है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो परीक्षाएं मार्च में प्रारम्भ हुईं तो फरवरी में ही यह विद्यार्थी मित्र योजना बंद क्यों कर दी गयी और इसके लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

दूसरा यह है कि अगले सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सरकार व्याख्याता, सैकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की नियुक्तियों के संबंध में क्या विचार रखती है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ लूं मैं भी आपकी आज्ञा हो तो?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक बार इनका उत्तर दे दूं, आप बाद में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 8वीं की परीक्षा बोर्ड की 6 मार्च को शुरू हुई, 10वीं की 15 मार्च को शुरू हुई और 12वीं की 8 मार्च को शुरू हुई। साधारणतया परीक्षाएं शुरू होने के सात दिन पहले, दस दिन पहले प्रिपरेशन लीव हो जाती है, अतः माध्यमिक शिक्षा में 28 फरवरी के बाद अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जहां तक आगामी वर्ष के लिए है, आगामी वर्ष में सरकार माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापकों की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रारम्भिक में 31433 पद आर.पी.एस.सी. भरने जा रही है और सैकण्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने 2500 पद आर.पी.एस.सी. को भेजे हैं और 3062 पद डी.पी.सी. से भरने वाले हैं। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड के भी 1407 पद हमने भेजे थे। 990 पद भर दिये हैं। हिन्दी के 309 पद हम बहुत जल्दी ही भरने जा रहे हैं। इसके अलावा 3670 पद डी.पी.सी. से भरे जाएंगे। इसके साथ ही इस बार बजट में 12500 नये पदों को भरने की घोषणा की गयी है जिसमें जो नये स्कूल क्रमोन्नत होंगे, हमने अभी

(श्री वासुदेव देवनानी)

से उसकी व्यवस्था की है। उसमें 3600 पद व्याख्याता के हैं, 600 प्रधानाचार्य के हैं, 900 प्रधानाध्यापक के हैं और 3000 पद सैकिण्ड ग्रेड के हैं। इस तरह हम बहुत बड़ी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति कर पाएंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, आपको भी देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में जब भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य के एक सवाल पर चर्चा हुई थी तब शिक्षा मंत्रीजी ने यह आश्वस्त किया था कि जो कमियां और खामियां शिक्षकों की कमी, गैस्ट फैकल्टी का वह अरेंजमैंट नहीं कर पाये हैं, अगले सत्र में जुलाई महीने से ही हम यह व्यवस्था कर देंगे लेकिन पूरे छह महीने निकल गये। एक भी विद्यालय के अन्दर आपने विद्यार्थी मित्र नहीं लगाये। जबकि 86 हजार पद खाली पड़े हुए थे। तो शिक्षा मंत्रीजी, आपकी घोषणा के बाद भी आपके विभाग के अधिकारियों ने उसकी पालना नहीं की, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। उसमें थर्ड ग्रेड के 2 लाख 17 हजार 955 अध्यापक हैं और सैकिण्ड ग्रेड के 23465 पद हैं। चूंकि साधारणतया स्कूल क्रमोन्नत होते हैं, कुछ रिटायर होते हैं तो यह 15 से 20 परसेंट अध्यापकों की उसमें कमी हमेशा रहती है और इसमें प्रारम्भ से ही रही है इसलिए हमने तो उसको भरने का प्रयत्न किया और 86 हजार नहीं है, आपका आंकड़ा गलत है। मेरा पहले आप जवाब सुनिये। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बताइये कि आपने किस महीने से ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले जवाब सुनिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने यह पूछा ही नहीं है। यह आंकड़े सब मेरे पास हैं। कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, यह सब मेरे पास है। आप तो यह बताइये कि विद्यार्थी मित्र आपने किस महीने से लगाये, यह बताइये आप तो ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): विद्यार्थी मित्र हमने 1 जनवरी से लगाये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर पूरे छह महीने क्यों निकाले आपने? जब शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा कर दी? क्या राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको राज दिया हुआ है? 86 हजार पद, शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। पूरे छह महीने आपने निकाल दिये हैं। एक भी पद नहीं... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने तो राजस्थान के छात्रों के भविष्य की चिंता की है। आपने तो एक भी पद नहीं भरकर राजस्थान के छात्रों के साथ अन्याय किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो महीने के लिए आपने मात्र 18 करोड़ रुपये खर्च करके लीपापोती करने की कोशिश की है। राजस्थान के बच्चों का भविष्य बरबाद करने का काम आपने किया है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने तो भविष्य बनाया है। बरबाद तो पांच सालों में आपने किया है। हमने तो उस बरबादी को घटाने के लिए काम किया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):... (व्यवधान) आपने विधान सभा में आश्वासन देने के बाद भी ... (व्यवधान) छह महीने के बाद आपने कार्यवाही की। छह महीने तक एक भी शिक्षक आपने नहीं लगाया। एक भी टीचर नहीं लगाया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): एक भी मत लगाओ, भविष्य बन जाएगा क्या? ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): शिक्षा मंत्रीजी, आपकी घोषणा है। आप खड़े होकर बोलिये कि छह महीने तक शिक्षक, विद्यार्थी मित्र भर्ती क्यों नहीं किये? यह जवाब तो मंत्रीजी आप खुद दीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपकी जिम्मेदारी थी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलिये, आप खुद बोलिये। आप बताइये। आपको विद्यार्थी मित्र ... (व्यवधान) आपका स्टेट मिनिस्टर असेम्बली में जवाब देने के लिए ही है? बाकी के लिए नहीं है? (व्यवधान) आप जवाब दीजिए। आप खाली जवाब दिलाना चाहते हो मंत्रीजी से यहां। ओन नहीं करना

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहते हैं। आप स्वयं की घोषणा है, आप स्वयं की घोषणा है। छह महीने तक नहीं लगे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह बताइये आप तो कि ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपने अपने पांच साल में क्या किया वह तो देखो। यह पांच साल में क्या किया वह तो देखो ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह यूनेस्को पुरस्कार के मिल जाने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। किसी भी प्रक्रिया में समय लगता है। उस प्रक्रिया में ही विद्यार्थी मित्र यह हमारी ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शिक्षा मंत्रीजी, यह यूनेस्को पुरस्कार के गीत गाने से काम नहीं चलेगा। आप राजस्थान की जनता को जवाब दो कि आपने घोषणा करने के बाद भी छह महीने तक विद्यार्थी मित्र क्यों नहीं लगायें आपने? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हमारी सरकार ने विद्यार्थी मित्र लगाये हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने घोषणा की इसलिए घोषणा की पालना करने के लिए ... (व्यवधान) हमने यह पद भरने शुरू किये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने तो बरबाद करने का, राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में रहने वाले उस बच्चे के भविष्य को बरबाद करने का काम आपने किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं खड़े होंगे। आप बीच में खड़े नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कटारिया साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कटारिया साहब, आप सिरोही आये थे उस कोर्ट का उद्‌घाटन करने, कितने बच्चे आपके सामने आकर तख्ती लेकर बैठ गये थे? हमें मास्टर साहब चाहिए। नहीं बैठे थे क्या? सैकड़ों की तादाद में जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुए शिक्षकों की कमी की वजह से और आपने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में अध्यापकों की बड़ी संख्या में कमी थी उनको हमने भरने का प्रयत्न किया। किसी भी घोषणा होने का, उसमें प्रक्रिया लगती है। हमने प्रकियाधीन,... (व्यवधान) भरे हैं। कुछ आर.पी.एस.सी. को भेजे। आर.पी.एस.सी. का अपना एक समय होता है। उसके अलावा विद्यार्थी मित्र योजना भी पहली बार हमने लागू की है। इसके पहले किसी भी सरकार ने लागू की हो तो बताइये? हमने इतने सारे स्कूल खोलकर अध्यापकों की नियुक्ति की है। केवल सदन में यह कह देना कि ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार ने विद्यार्थी मित्र की घोषणा की थी, घनश्यामजी, आप तो ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वास्तविकता तो यह है ... (व्यवधान) हमने तो प्रयत्न करके छात्रों के हितों की रक्षा की है। आप लोग तो केवल, ऐसा भाषण तो दिया जा सकता है पर ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमने भी लगाये थे। क्या बात कर रहे हैं? गैस्ट फैकल्टी हमने लगायी है। यहां पर बातें कर रहे हैं। गैस्ट फैकल्टी हमारी सरकार ने लगायी है। (व्यवधान) नाम बदलकर नहीं होता है। (व्यवधान) गैस्ट फैकल्टी हमने लगायी है। (व्यवधान) मालूम तो है नहीं और यहां पर भाषण दे रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): क्या भाषण दे रहा हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारी सरकार ने लगायी है गैस्ट फैकल्टी और यहां खड़े होकर बोल रहे हैं आप। गैस्ट फैकल्टी का कंसेप्ट कांग्रेस के शासन में लागू हुआ और आप बातें करते हैं, मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): गैस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट ने बंद कर दी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बातें कर रहे हैं खामख्वाह । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछले छह महीने से आर.पी.एस.सी. के मैम्बर नियुक्त नहीं किये और वहां पर रिक्वीजिशन भेज देते हैं। जब आपके पास आर.पी.एस.सी. के मैम्बर नहीं हैं तो रिक्वीजिशन कैसे पूरा होगा ? सदन को बार-बार आप गुमराह कर रहे हैं। आप जो रिक्वीजिशन

(डा. सी.पी. जोशी)

आर.पी.एस.सी. में भेज रहे हैं, आपकी आर.पी.एस.सी. का कोटा पूरा नहीं होने से वह रिक्वीजिशन पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है ? छह महीने से आर.पी.एस.सी. के मैम्बर की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं आप, हमने रिक्वीजिशन भेज दिया। जब आपके आर.पी.एस.सी. में मैम्बर नहीं हैं तो उस रिक्वीजिशन को कौन पूरा करेगा ? यह सरकार जिम्मेदार है जो आर.पी.एस.सी. के मैम्बर को नोमीनेट नहीं कर रही है और रिक्वीजिशन भेजकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । इसका जवाब दें कि सरकार ने छह महीने से मैम्बर के पद को खाली क्यों रख रखा है ?

एक माननीय सदस्य : आप अपने समय की देखो। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): शिक्षा मंत्रीजी, एक सवाल, क्या आने वाली जुलाई से आप शिक्षा मित्र योजना के अन्तर्गत भर्ती करेंगे, जो खाली जगह हुई है, यह भी साथ में बता दें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं सबको जवाब देता हूं, विराजो । अध्यक्ष महोदय, यह विवाद की बात नहीं है कि अध्यापकों की कमी है। निश्चित रूप से इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है और हमने उसको पूरा करने का प्रयत्न किया है। यह भी सही है कि मैंने विधान सभा में यह कहा था कि जुलाई से हम इस बात की व्यवस्था करेंगे। लेकिन तीन कारणों से इसमें अवरोध आया। पहला कारण था कि गैस्ट फैकल्टी पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया कि गैस्ट फैकल्टी में आप टीचर्स को नहीं लगा सकते, इसके कारण से विलम्ब हुआ। उसके बाद में हमने उनको जो छूट मिली कि केवल आप रिटायर्ड आदमियों को लगा सकते हो तो पहले हमने रिटायर्ड के लिये निकाला तो रिटायर्ड में हमारे पास पर्याप्त आदमी नहीं थे। उसके बाद में हमने बी.एड., बी.एस.टी.सी. को इसमें लगाने के लिये निकाला, लेकिन चूंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के कारण से जितने भी बी.एड., बी.एस.टी.सी. के लोग थे, वह सारे परीक्षा की तैयारी में लग गये और हमको वह टीचर्स भी उपलब्ध नहीं हुए । उसके बाद में हमने उसमें छूट करके जो भी उपलब्ध हुए एम.ए; बी.ए. पास लड़के चाहे बी.एड., बी.एस.टी.सी. नहीं हों, उनको भी लगाया जाये और इसके कारण से हमने कुल मिलाकर 27 हजार विद्यार्थी मित्र के रूप में दोनों जगह लगाये, लेकिन इस पीरियड में हमने कुछ शैक्षणिक व्यवस्थाएं कीं । कुछ अध्यापकों को हमने दो-दो जगह ड्यूटी पर लगाया कि आप यहां भी पढ़ायेंगे, वहां भी पढ़ायेंगे। इसको मानने में मुझे कोई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपत्ति नहीं है कि निश्चित रूप से इसमें कुछ विलम्ब हुआ है और विलम्ब कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण से, कुछ अनुपलब्धता के कारण से । यह भी सही बात है कि आर.पी.एस.सी. को इसको भर्ती करने में समय लगा है, उसके कारण से हुआ है। लेकिन अब मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को, कि एक प्रतिशत अध्यापकों के पद भी खाली हों तो राजस्थान में शिक्षा में 20-30 प्रतिशत पद हमेशा खाली बने रहेंगे, उनको एक निश्चि‍त प्रक्रिया द्वारा भरने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि विद्यार्थी मित्र की आप अगली जुलाई से बात कर रहे हैं, अभी 31 हजार वह और 2500 सैकण्ड ग्रेड के अध्यापकों की डायरेक्ट भर्ती का विज्ञापन अगले कुछ दिनों में आर.पी.एस.सी. से निकल जायेगा। हम कोशिश यह करेंगे कि जुलाई का सत्र प्रारम्भ होने से पहले-पहले हम इन सब लोगों को नियुक्ति दे दें। इसी प्रकार से 12,500 पद हमने इस बार घोषित किये हैं, उनको भी हम एक सिस्टम बदलकर प्रावधान कर रहे हैं कि यह भर्ती में समय लगता है और सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में अध्यापकों की आवश्यकता है तो हम एक समय का प्रमोशन की स्कीम में छूट देकर जो हमारे वर्तमान अध्यापक कार्यरत हैं, उनको हम एक बार सबको प्रमोट करके 12,500 पद वहां भरना है, फिर इन सारी वेकेन्सीज को हम थर्ड ग्रेड में इकट्ठी करके अगली साल फिर तीसरी आर.पी.एस.सी. में वेकेन्सी निकाल कर, उसको जुलाई में ही निकाल कर हम इसको पूरा करना चाहते हैं और हमारी जो स्कीम इस समय भारत सरकार के पास है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो हमारे 75 और 25 का रेशो अटका हुआ था, पहले 50-50 का था, वह 75 और 25 हो। यू.पी.ए. की संचालन समिति, जिसकी सोनियाजी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यह सिफारिश की है कि यह 50-50 नहीं होना चाहिये, यह 75-25 होना चाहिये और 10-11 तारीख को शिक्षा मंत्रियों की दिल्ली में मीटिंग है, उसमें भी हम सब शिक्षा मंत्री इस बात की मांग कर रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सर्व शिक्षा अभियान सीनियर सैकण्डरी तक बढ़ गया है, उसमें जो 50-50 का रेशो है, उसके बजाय 75-25 का रेशो होना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह मांग स्वीकार हो जायेगी और कोशिश पूरी करेंगे कि राजस्थान में अध्यापकों की जो कमी है, अगले सत्र में अध्यापकों की कमी नहीं रहे। इसका बेहतर प्रबन्धन करने की कोशिश करेंगे। हां, मैं यह मानता हूं कि 2-3 महीने के लिये विविध कारणों से इसमें विलम्ब हुआ। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): एक स्कूल में सात-सात अध्यापक लगे हुए हैं। मेरा पूरक प्रश्न है कि शहरों के अंदर छात्र कम हैं और टीचर ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं न। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): शिक्षा मंत्रीजी का उत्तर बहुत विस्तृत है और उसके बाद में कुछ बचता नहीं है, लेकिन भरना आपके हाथ की बात नहीं है। आप तो आर.पी.एस.सी. को लिख रहे हैं। राज्य मंत्री ने कहा हम आर.पी.एस.सी. को भेज रहे हैं। आप भी कह रहे हो हम आर.पी.एस.सी. को भेज रहे हैं तो आर.पी.एस.सी. तो किसी के हाथ में नहीं है, उसमें कब होंगे ? इसका कोई सोल्युशन निकालें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह बता रहा हूं, माननीय नेता।

श्री अध्यक्ष: पहले बात कम्प्लीट करने दीजिये मंत्रीजी इनको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सर्व शिक्षा अभियान का आप कह रहे हो बदलने वाला है 75 और 25 होने वाला है। 75-25 होने वाला है भारत सरकार से बात चल रही है। भारत सरकार को दूसरे मामलों में तो आप गाली निकालते हो और आप यहां उनसे याचना कर रहे हो। आपके संबंध बहुत मधुर हैं, आपके खुद के। (व्यवधान) चेयरमैन हैं जब ही तो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह तो मूंछों वालों की कृपा से है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं माननीय नेता, एक सैकण्ड बोल दूंगा। आपका भी बोल दूंगा। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : एक स्कूल में सात टीचर हैं और पास की ही स्कूल में आठवीं के तीन टीचर हैं। यह समानीकरण की व्यवस्था तो सही करवा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सैकण्डरी एजुकेशन के चेयरमैन हैं, यह जो फीगर आपने दिये 6 हजार टीचर्स की शार्टेज हैं। सैकण्ड ग्रेड और लैक्चरर की जो फीगर मंत्रीजी ने दिया है If I am correct आप अगली बार 1500 स्कूल खोल रहे हैं। आपने कहा हम और ज्यादा खोल देंगे 3000 खोल देंगे। भारत सरकार से पैसा मिल रहा है आपको। जब आपको यह तथ्य मालूम हैं कि अगली बार सैकण्डरी खोलने के लिये हमें इतने सैकण्ड ग्रेड और लैक्चरर के पद चाहेंगे तो आप इस व्यवस्था को करने के लिये क्या सदन को आश्वस्त कर सकते हैं ? आर.पी.एस.सी. नोट सोल्युशन । आर.पी.एस.सी. में आपने मैम्बर बनाये नहीं। आर.पी.एस.सी का जो रिक्वीजिशन है उसको भेजकर

(डा. सी.पी. जोशी)

इंटरव्यू कराना आपके हाथ में नहीं है। आप हमें यह आश्वस्त करें कि अगली जुलाई में जो स्कूल खोल रहे हैं और जिन सैकण्डरी स्कूल में पद खाली हैं, उनकी व्यवस्था क्या आप जुलाई में कर देंगे, बात खतम हुई। अन्त में, आपने हमारे पर तो आरोप लगाया था कि आठवीं पास पढ़ा रहे हैं। आपने बिना एस.टी.सी. और बी.एड. किये लोगों को लगाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, लगाया है। लगाया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उसमें कोई आरोप नहीं है। इस सरकार ने आठवीं पास वाले लगाये और राजीव गांधी पाठशाला में तीन हजार आठवीं पास लगाये तो हल्ला कर दिया आपने। आज आपकी सरकार बिना बी.एड. और बिना एस.टी.सी. के टीचर लगा रही है उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। इससे बड़ी विचित्र स्थिति और क्या बन सकती है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं बताता हूं। एक मिनट रुको गोविन्दजी। आप दुबारा पूछ लेना। मैं यह कह रहा था एक तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आर.पी.एस.सी. में मैम्बर नहीं है, आप कैसे करेंगे ? आर.पी.एस.सी. ने 31 हजार लोगों का रिजल्ट निकाल दिया और 30 मार्च तक की उनको डेट दी है, 30 मार्च तक वह करेंगे, उसके बाद हमने काउंसलिंग का टाइम तय कर दिया है। एक डिप्टी सेक्रेट्री सरकार का जायेगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी आर.पी.एस.सी. का बैठेगा और लगातार काउंसलिंग चलेगी और पूरा प्रयत्न करेंगे कि जुलाई के महीने के पहले तक यह पद भर जायें। दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि आप नये स्कूल खोल रहे हो और जुलाई तक, मैंने इसका जवाब दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से इन पदों की पूर्ति 12 महीने तक नहीं हो सकती, इसलिए प्रमोशन की नई स्कीम लगाकर जो वर्तमान में एग्जिस्ट हमारे सारे टीचर्स हैं, उनको एक साथ सीनियरिटी के आधार पर सब्जैक्टवाइज देकर हम इन 12,500 पदों को भी इसी से भरना चाहते हैं ताकि स्कूल खुलने के साथ अध्यापकों की समस्या का समाधान हो जाये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सम्भव नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप डिस्क्रिपेंसी पैदा कर देंगे । जो टीचर थर्ड ग्रेड के हैं जनरल, सब्जैक्टवाइज

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं, उसमें आपको केवल मात्र अंग्रेजी गणित उसमें आपका सब्जैक्टवाइज है, बाकी थर्ड ग्रेड में रिक्रूटमेंट नहीं है तो वह टीचर बिना साइंस और गणित है, वह तो तीन साल में लेक्चरर बन जायेगा और जो टीचर सिविक्स और हिंदी का है वह 25 साल तक लेक्चरर नहीं बनेगा, यह डिस्क्रिपेंसी आप पैदा कर देंगे। मैं समझता हूं कि कोई आदमी लिटिगेशन में जायेगा, सम्भव नहीं होगा। इसलिए आप सदन में वही बातें कहें जो नियम और कानून की पालना करते हुए सम्भव हो सके। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं तीनों साल, आपने एक साल नहीं मंत्री बनने के बाद इस सदन को आश्वस्त किया है कि जुलाई में टीचर लगा दूंगा और तीनों साल बिना टीचर लगाये हुए आपने स्कूल चलाये, छह छह महीने तक अब भगवान के लिये आपका आखिरी साल है, मेहरबानी करके यह एश्योर कर लीजिये कि हम अगली जुलाई में कम से कम टीचर, दो साल तो भगवान पर हैं, इसलिये आखिरी साल तो हवा में निकलता है। आपका आखिरी साल है उसमें पूरे टीचर लगावें और जो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो वाहवाही ले रहे हैं, उसको एजुकेशन के अचीवमेंट में वाहवाही लें । स्कूल खोलकर मास्टर लगाकर तो आपने वन मोद फेदर गेदर कर लिया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके होते हुए कम से कम जुलाई में यह जो आप बातें कह रहे हैं, यह प्रेक्टिल पोसिबिल नहीं है। कटारियाजी आपके पास बैठे हुए हैं। वह शिक्षा मंत्री रहे हैं। यह इस बात को जानते हैं कि यह सम्भव नहीं है। न आर.पी.एस.सी. में आप मैम्बर लगा रहे हो और आर.पी.एस.सी. की जो व्यवस्था है, उसमें अगले नवम्बर तक आप लेक्चरर और सैकण्ड ग्रेड टीचर की भर्ती नहीं कर पाओगे । इसलिए मेहरबानी करके आप जो कुछ भी कहो, उसको जुलाई तक कर देना, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं पुनः एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, पिछले साल भी मैंने कहा था और 15 हजार से अधिक अध्यापकों का प्रमोशन हमने किया है। इस बार यह बात सही है कि आर.पी.एस.सी. में दो मैम्बर हैं, लेकिन हमने जो परीक्षा की पद्धति निकाली है, उसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें सिर्फ आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के आधार पर मैरिट पर सलैक्शन होता है इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और 2500 जो सैकिण्ड ग्रेड अध्यापक हैं उनकी भी डाइरेक्ट भर्ती हो जायेगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपको पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जुलाई में अधिकांश अध्यापकों की जिनकी 31 हजार, यह 33 वो, जो विडो कोटे के अन्तर्गत भर्ती हो रहे हैं वो और 2500 जो सेकण्ड ग्रेड में आर.पी.एस.सी. में आ रहे हैं वो और बाकी जिनका प्रमोशन होना है वो, वो करके हम निश्चित रूप से जुलाई में अधिक से अधिक अध्यापकों को लगाकर इसका पूरा प्रयत्न करेंगे।

एक दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य, आपने पूछा, यह बात सही है, हमने एक सूची बना ली है और सूची बना कर 1500 टीचर्स शहरों में सरप्लस हैं, जो अपने पद से ज्यादा हैं उन 1500 टीचर्स को भी इस साल हमने यह घोषणा की थी कि जिनके रिजल्ट सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में बोर्ड के एवरेज से कम होंगे, बोर्ड के एवरेज से जिन सरकारी स्कूलों के रिजल्ट कम होंगे उनका स्थानान्तरण उन खाली स्थानों पर किया जायेगा जो दुरस्त हैं। तीन साल तक हमने कोई स्थानान्तरण इस प्रकार का नहीं किया लेकिन पहली बार जो रिजल्ट खराब हैं, जिनका रिजल्ट खराब है उनके स्थानान्तरण किये जायेंगे इसलिए यह जो समस्या है समानीकरण वाला, उसका भी समाधान हो जायेगा।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शिक्षा मंत्रीजी, रिजल्ट की तो आप बात ही मत करो।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): एक मिनट, माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैरिट आती है, मैरिट में सरकारी स्कूल का नाम बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। देख लो आप उठा कर के दो साल की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ऐसा है कि जो शहरों में बैठे हैं वर्षों से, यह सबसे बड़ी प्राब्लम है कि शहर में छात्र संख्या है 40 और शिक्षक संख्या है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं एक जुलाई से, राजस्थान में अभी 16 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): हमारा आपसे आग्रह है कि जब तक शहरों के टीचर्स को, आप इसको रिजल्ट से नहीं जोड़ करके और जो शहरों में टीचर्स बहुत लम्बे समय से बैठे हैं उन लोगों को आप गांवों में लगाने का काम करें।

श्री अमराराम (धोद): सत्र आपका 16 अप्रैल से शुरू हो जाता है और आप पूर्ति करने की बात कर रहे हैं एक जुलाई से। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): हमारे यहां एक और गड़बड़ है कि शहर में जो टीचर लगते हैं उनको मकान का भत्ता ज्यादा दे रहे हैं और जो गांव में, दूरदराज जो टीचर काम कर रहा है उसको हम लोग सुविधा कम दे रहे हैं इसलिए प्रत्येक टीचर लगने के बाद में वो शहर जाने के लिए आतुर होता है।

श्री अमराराम (धोद): शिक्षा मित्र योजना में लगे ...(व्यवधान) 16 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र डेढ़ महीने तक चलेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल है। भाषण देने के लिए नहीं, प्रश्न काल है, प्रश्न पूछिये कुछ पूछना हो तो। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण दे रहे हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): नहीं, मेरा आग्रह है कि जो शहर में टीचर बैठे हैं लम्बे समय से उनको आप गांव में लगाने का कष्ट करें। जो शहर में बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपकी सुन लो, आपकी बता देता हूं। आपने यह कहा है कि शिक्षा सत्र तो आपने प्रारम्भ कर दिया है, अभी अप्रैल में शुरू हो जायेगा और आप टीचर्स लगायेंगे जुलाई में। यह बात ठीक है, शिक्षा सत्र हमारा उन कक्षाओं के लिए 17 अप्रैल से शुरू हो जायेगा लेकिन टीचर्स की व्यवस्था हम जुलाई में ही कर पायेंगे इसलिए जो कर पा रहे हैं वो इस सदन में मैंने आपको बताया।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, आपने जो लगाया उनको हटा क्यों रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 16 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जायेगा और उनको आप मार्च में हटा रहे हैं तो जब नया सत्र शुरू हो जायेगा तो हटा क्यों रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वो हमारे पास इतने पर्याप्त टीचर्स हैं कि शुरू में वो काम चला लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली क्षेत्र के क्षतिग्रस्त जल स्रोतों की मरम्मत/नवीनीकरण

274. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2006 की बाढ़ के दौरान कौन-कौनसा बांध, तालाब, एनीकट, नहरें व आवक फीडर्स क्षतिग्रस्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन क्षतिग्रस्त बाँध, नहरों, आवक फीडर्स, तालाब व एनीकट की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी लागत के प्रस्ताव कब प्राप्त हुए? प्रत्येक बांध, नहरें, तालाब, एनीकट, आवक फीडर्स का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार को प्राप्त उक्त नवीनीकरण/ मरम्मत प्रस्तावों के अनुरूप स्वीकृतियां जारी नहीं होने से इनकी मरम्मत/ नवीनीकरण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं या अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बाढ़ में क्षतिग्रस्त उक्त बांध, नहर, तालाब, एनीकट, आवक फीडर्स के मरम्मत/नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप शीघ्र स्वीकृतियां जारी कर कार्य कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2006 की अतिवृष्टि के कारण जल संसाधन विभाग के आठ बांध, नहरें एवं 26 एनीकट/सरफेस बेरीयर्स इत्यादि क्षतिग्रस्त हुए। विवरण क्रमशः प्रपत्र 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) क्षतिग्रस्त कार्यों को मरम्मत करवाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 22.08.2006 एवं दिनांक 31.08.2006 को प्राप्त हुए जिनका विवरण क्रमशः प्रपत्र 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की आवश्यकता/ प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र-'अ' में अंकित कार्यों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। प्रपत्र-'ब' में अंकित कार्यों के लिए आवश्यकता

(श्री सांवर लाल)

एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियां जारी किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि लगभग आठ बांध और लगभग 26 एनीकट क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ एनीकट तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये, कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। उसमें ज्यादा एनीकट आंशिक रूप से आपके क्षतिग्रस्त हैं। उसमें दो लाख, तीन लाख रुपये की आवश्यकता है और जो बांध हैं उसमें आपने 19 लाख रुपये दिये 34 लाख के ऊपर।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस बांध पर सरकार तीन से चार करोड़ रुपये खर्च करती है और मामूली पर चार, पांच लाख रुपये देने पर अगर उसको अपन वापस मेन्टेन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह आगे जाकर के बहुत, अभी जैसे कोट बांध का आपके कार्यकाल में ढाई करोड़ रुपये दिये ...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): और आज हमें उस पर आठ लाख रुपये की आवश्यकता है, आपने मात्र तीन लाख 90 हजार दिये, अगर यह पाइपिंग आज वापस चालू हो जाए तो यह चार, पांच करोड़ का बांध वापस क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना ...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जितना आपसे एस्टीमेट मांगा है, कम से कम बांध और नहरों पर विशेष ध्यान रखते हुए 34 लाख रुपये मांगे हैं तो उनको 34 लाख पूरा दें, उसकी मेन्टीनेन्स वापस पूरी हो जाए। नहीं तो इतना बड़ा जो जल संसाधन है वो खराब बहुत जल्दी, ज्यादा बरसात होने से वापस फूट सकते हैं।

दूसरा, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ...

श्री अध्यक्ष: अब आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछिये, भाषण तो ना दें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 2001 में लाटाड़ा बांध क्षतिग्रस्त हो गया, आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या आप उसको वापस बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां के जो किसान हैं वो काफी दुःखी हैं।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है मंत्री महोदय से कि जो बाँध, जिसके ऊपर लाखों रुपये गवर्नमेंट के खर्च हो चुके हैं और अतिवृष्टि के कारण उनमें खर्चा आ गया, मेरे क्षेत्र में भी कम से कम आठ, दस एनीकट ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपये खर्चा किया गवर्नमेंट ने, अब उनमें पी.टी. अमाउण्ट का खर्चा है और वहां से जवाब यह आता है कि यह कैचमेंट में आता है। अब कैचमेंट में आया, पहले बनाया क्यों? इसलिए मेरा निवेदन है इसके लिए कि उनको रिपेयर कराएं वरना सामने जितनी भी जमीन हैं, खाली उन काश्तकारों को इतना भारी नुकसान हो रहा है कि जिसकी भरपाई अपन नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको भी ठीक करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्षः हां, हां ठीक है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल माननीय सदस्यों की चिंता ठीक है। अतिवृष्टि और बाढ़ से जो 1994, 1995, 1997, 1998 में जो नुकसान हुआ उस समय सी.आर.एफ. में प्रावधान था और उस टाइम में जब मैं रिलीफ मिनिस्टर था तो उस टाइम 50, 60 करोड़ रुपये हमने इर्रिगेशन को दिये थे उसके बावजूद भी कई टूटफूट रह गयी। वो आज तक कई क्षतिग्रस्त हैं।

आजकल जो परम्पराएं रहीं पिछले वर्षों में, मैन्टीनेन्स और टूटफूट के लिए बजट प्रावधान पर्याप्त नहीं है। नये काम के लिए तो विविध प्रकार से सोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं पर जो स्ट्रैक्चर एक बार खड़ा हो गया उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए इसके ऊपर प्राथमिकता के आधार पर सी.आर.एफ. से जो राशि मिलती है वो तो केवल इतनी मिलती है जिससे आप तुरन्त ही टाइम पर उसके ऊपर काम में ले सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। जिस लेवल तक डैमेज हुआ उसके लिए बंद कर दिया फिर भी राज्य सरकार की तरफ से हम कोशिश करेंगे।

जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया कोट बांध के लिए आठ लाख की मांग की है तो चार लाख हमने दिये हैं और अगर यह जरूरत होगी कि बरसात से पहले-पहले चार लाख और खर्च करने पड़ेंगे तभी वो सुरक्षित रहेगा तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसको हम ठीक करा देंगे।

इसके अलावा जो एनीकट की लिस्ट दी है मैंने अभी कुछ एनीकट की

(श्री सांवर लाल)

जो हमने शर्तें चैंज कर दी थी कि दो रैनी सीजन में अगर क्षतिग्रस्त हो जायेगा तो चो ठेकेदार को आगे ठीक करवाना पड़ेगा। इनके चार-पाँच एनीकट तो ऐसे हैं कि जो ठेकेदार की लायबिलिटी हैं, वो ठीक करायेगा बाकी इन एनीकट के लिए विशेष नुकसान नहीं है, साइड बैस ऐसा ही हुआ बाकी इनमें पानी सारा भरा रहा है।

तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार भी रिपेयर के लिए काफी बजट प्रावधान दिया, इस बार भी दिया तो जितना हो सकेगा कोशिश करके जो भी प्राथमिकता से आवश्यक काम होंगे उनको करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाटाड़ा बांध के लिए भी मंत्रीजी कहें। लाटाड़ा बांध के लिए भी कहें, 2001 से वहां क्षतिग्रस्त है, वहां के किसानों को ...

श्री अध्यक्ष: कह दिया न उन्होंने कि अब मैं प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा। कह तो दिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इस लाटाड़ा बांध के लिए नहीं, कोट बांध के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष: कह तो दिया इन्होंने कि प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा।

प्रश्न संख्या-275

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखें)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामरतन बैरवा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, पूछने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय मंत्रीजी, स्टेट टाइम के जो बांध हैं और जो काफी क्षतिग्रस्त हैं उनको आप मरम्मत के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं करना। हां, मंत्रीजी, जवाब दें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ×××

शाहपुरा क्षेत्र (भीलवाड़ा) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

276. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी): जी नहीं। वर्तमान में शाहपुरा (भीलवाड़ा) में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावना का आकलन कर यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): 'क्या तारीफ करूं बजट ए इन्तजाम की, राजस्थान का विकास करने चली महारानी राजस्थान की।' (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महारानी शब्द पर आपत्ति है हमारी।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): क्यों आपत्ति है आपको?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई महारानी, वाहरानी नहीं है अब राजस्थान के अन्दर। प्रजातंत्र है अब यहां। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको तो आप अलाऊ करते हैं जो शेरो-शायरी कर रहे हैं सदन में और जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनको आप अलाऊ नहीं करते। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आप नहीं करते हैं क्या, आपको क्या आपत्ति हो रही है ...(व्यवधान) क्यों मिर्ची लग रही है आपके ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रजातंत्र में सब महाराजा और सब महारानियां हैं, पूरा हिन्दुस्तान ही महाराजा और महारानी है ...(व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): सोनिया गांधी को क्या बोला था ...(व्यवधान) विदेशी महिला को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महारानी वह स्वयं कहें तो ...(व्यवधान) कोई और कहे तो क्यों एतराज है।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा की धरती भक्ति और शक्ति का प्रतिबिम्ब है। (व्यवधान) वहां पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। एक क्रांतिकारी का मैं स्टेटमैंट देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब कोई महारानी नहीं हैं।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरे एक दो प्रश्न हैं। क्या पूर्व में मुख्यमंत्री ने वहां किसी फैक्ट्री का उद्‌घाटन किया है क्या ? किया है तो किस तारीख को ? या पूर्व में रीको एरिया घोषित हुआ कांग्रेस शासन में? यह तीन प्रश्न हैं मेरे।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से 45 किलोमीटर दूर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे बात नहीं करें। प्रतिपक्ष के नेता स्वयं ही बात करते हैं, किसी और को क्या कहूंगी मैं ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता घूमा मत करो, जिससे जरुरत हो बात करने की उसे ही बुला लिया करो, अच्छा नहीं लगता आप ऐसे पीठ किये हुए ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो बहुत धीरे-धीरे बोल रहा था।

श्री अध्यक्ष: बोल तो आप धीरे ही रहे होंगे लेकिन जब आप पीठ करके बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं टेढ़ा बैठा था।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष का नेता आसन की तरफ पीठ करे यह अच्छा नहीं लगता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपकी तरफ नहीं की।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष का नेता आसन की तरफ पीठ करे, उचित नहीं लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर झुन्झुनूं के अन्दर तो पीठ ही रहेगी इनकी आपकी तरफ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ तो पीठ हो ही नहीं सकती मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पीठ आपको ही नहीं, पीठ किसी को ही नहीं दिखायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अच्छी बात है।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मंत्री महोदय, बताइये किन-किन मुख्यमंत्रियों ने कब-कब, किन-किन तारीख को किन-किन फैक्ट्रियों का उद्‌घाटन किया ?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा, जहाजपुर रोड पर जहाजपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जो 1982 में 30.50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया। यह अभी तक अनसैचुरेटेड श्रेणी में है। कुल 44 नियोजित भूखण्डों में से 31 भूखण्ड आबंटित किये गये। गत चार वर्षो में 2003 से 2007 तक केवल तीन भूखण्ड आबंटित हुए, शेष तेरह भूखण्ड रिक्त हैं। इन इकाइयों पर अभी भी जितने भी भूखण्ड, इसमें अस्सी रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यह भूखण्ड आबंटित किये गये थे, अनसैचुरेटेड हैं, अभी भी भूखण्ड खाली हैं। इसलिए नया क्षेत्र वहां पर कोई अभी स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जहां तक जिस मंत्री के बारे में आप कह रहे हैं, यह प्रश्न का भाग नहीं है इसलिए मैं अभी उत्तर दे नहीं पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मुख्यमंत्री क्यों कह .....

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष: सबका जवाब दे दिया, आपने सुना ही नहीं, समझे नहीं आप।

श्री खुशवीर सिंह।

खाटू बड़ी (नागौर) के खसरा नम्बर 1148 में नियम विरुद्ध जारी क्वारी लाइसेंस

277. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(1) क्या यह सही है कि बिना डेलीनियेशन के क्वारी लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के लागू होने के पश्चात 1986 के पूर्व की डेलीनेटेड बाउन्ड्रियों की सीमा के बाहर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के क्वारी लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम खाटू बड़ी जिला नागौर का खसरा नम्बर 1148 क्वारी लाइसेंस देने हेतु डेलीनियेटेड किया गया है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर 1148 में बिना डेलीनियेशन के क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियम विरुद्ध आबंटन हेतु कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या उक्त खसरा में जारी लाइसेंस के लिए खनिज अभियन्ता ने अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति ली है ? यदि हां, तो किस-किस मामले में किन-किन अधिकारियों ने किन नियमों के तहत अनुमति दी ? नियम विरुद्ध अनुमति के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): (1) जी हां । राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1977 एवं 1986 के संबंधित नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 22(1) के परन्तुक के तहत जिला नागौर के खसरा नम्बर 1148 में बिना डेलीनियेशन के क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं। नियमों की पालना के सन्दर्भ में जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(5) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 22(1) के परन्तुक के तहत स्वीकृतियां दी गई हैं और क्वारी लाइसेंस प्रकरण में सक्षम अधिकारी खनिज अभियंता स्वयं हैं। निदेशालय, उदयपुर से एक

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

प्रकरण और अतिरिक्त निदेशक, खान, जोधपुर से 27 प्रकरणों में अनुमति प्राप्त की गई है। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। नियमों की पालना के सन्दर्भ में जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, नियम 22(1) के तहत राज्य में आज भी बिना डेलीनियेशन के खानें क्या मंत्री महोदय स्वीकृत हो रही हैं? भविष्य में इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 के नियम 22(1) के तहत बिना डेलीनियेशन और बिना नोटिफिकेशन के क्वारी लाइसेंस जारी नहीं किये जा सकते परन्तु नियम 22 (1) में एक प्रोवीजो रखा है, उस प्रोवीजो के तहत रैंट कम रॉयल्टी लीज ग्रांट जो हो चुकी है और क्वारी लाइसेंस में परिवर्तन कर दिया गया है। उनमें एम. एम. सी. आर. 1986 नियम 22(1) के प्रोवीजो के तहत जो 1986 के बाद में इस प्रकार की बिना डेलीनियेशन किये, बिना नोटिफिकेशन किये अगर इस प्रकार के क्वारी लाइसेंस जारी किये हैं तो निश्चित रूप से यह गम्भीर विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच कराने की आपको यहां घोषणा करता हूं और मेरे डिप्टी सेक्रेटरी को आदेश देता हूं कि एक माह के अन्दर-अन्दर इसकी जांच करें और इस जांच में जो निश्चित रूप से दोषी पायेंगे and they will be penalized.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह क्वारी लाइसेंस की स्वीकृति हेतु जो अधिकृत अधिकारी हैं वह अभियन्ता और सहायक अभियन्ता हैं। आपके नियम 22 के तहत क्या यह सही है कि राजस्थान में बापी पट्टे सिस्टम आज भी लागू है और वह सोजत में, खाटू में, मकराना में, धौली खान राजसमंद और कहां-कहां हैं?

दूसरा, यह कि यह जो डेलीनियेशन है यदि किसी भी जो खनिज सम्पदा है उसको छोटे-छोटे प्लाट में विभक्त करने का यह काम जियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। क्या राजस्थान में जो बापी खानें हैं उनका जियोलॉजिस्ट द्वारा आज तक कभी डेलीनियेशन कराया गया है ? यदि कराया गया है तो कहां-कहां कराया गया है ?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो क्वारी लाइसेंस जारी किये हैं, क्या इनको जारी करने से पहले निदेशक खान विभाग, उदयपुर और अतिरिक्त निदेशक, जोधपुर से भी इसकी स्वीकृति ली गयी है क्या? और अगर आप जांच करायेंगे तो क्या निदेशक और अतिरिक्त निदेशक जिन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी है, वह भी जांच के दायरे में आयेंगे? कृपया इसका जवाब दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 22(1) एम. एम. सी. आर. 1986, प्रोवीजो पढ़ रहा हूं ''Provided that no such notification shall be necessary for the areas in respect of which rent-cum-royalty leases have been granted earlier and have been converted into quarry licences in accordance with these rules.'' इनके अन्दर जो पहले बापीदार, सरफेस राइट और जो थे, जब राजस्थान स्टेट बनी और उसके अन्दर आर. सी. आर. एल. के तहत जो क्वारी लाइसेंस के बिना नोटिफिकेशन क्वारी लाइसेंस के पट्टे इश्यु किये गये और 1986 के इस प्रोवीजो परन्तुक के अन्दर उनको रेगुलराइज करने की व्यवस्था थी और इसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका डेलीनियेशन होता है और डेलीनियेशन होता है उसका अंकन होता है, प्लाट का नम्बर होता है, एस. टी. एस. सी. का रिजर्वेशन होता है। जिस हिसाब से इस 22(1) के प्रोवीजो का जो दुरूपयोग किया गया है और निश्चित रूप से एस. सी. एस. टी. के लिए यह अभी का नहीं है, यह लगातार 1986 से जिस हिसाब से बिना डेलीनियेशन क्वारी लाइसेंस को रेगुलराइज किया गया नागौर के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि में तत्कालीन कलैक्टर ने कइयों में एन. ओ. सी. इश्यु कर दी, कइयों में गोचर भूमि में एन. ओ. सी. नहीं दी गयी और जो खातेदारी भूमि थी, खातेदारी भूमि के अन्दर अगर कोई है तो चार हैक्टेयर के अन्दर भूमि का अलॉटमैंट होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पंचायतों के प्रस्ताव पर दी है।

श्री अध्यक्ष: आप अलग से पूछें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पंचायतों ने प्रस्ताव किया है, उनके ऊपर कलेक्टर ने एन. ओ. सी. दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): चार हैक्टेयर गवर्नमैंट को सरेण्डर की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, मैंने आपसे आपने चैप्टर थर्ड ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप पूछ लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्थान माइनर मिनरल कंस्ट्रक्शन रूल्स 1986 का 22 का उदाहरण दिया। आपने केवल तीन लाइनें पढ़ीं, आप इसको पूरा पढ़ें इससे अपने आप साबित हो जाएगा ग्रांट आफ क्वारी लाइसेंस 22 Restriction on grant of quarry licences:- (1) No quarry licence shall be granted for any mineral deposit unless it is notified in the Rajasthan Gazette or at least one daily newspaper having wide circulation in the State as well as one newspaper having wide circulations in the locality nearest to the area in question, by the Mining Engineer/Assistant Mining Engineer after due approval of the Director. Such notification shall be made after delineating the plots of quarries..." यह डायरेक्टर से निर्देश लेकर के उसके बाद जारी किये हैं।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने निवेदन किया था कि जो बापी खानें हैं। बापी खानों का मतलब होता है जो बपौती से बाप दादाओं से चली आ रही हैं। जागीरदारों के टाइम में एरिया निश्चित नहीं होता था और उस वक्त के ठिकानेदार और जागीरदार जो पूरा एरिया होता था वह दे देते थे कि आप इसके अन्दर माइनिंग करें। आप यह बतायें कि वह जो बापी पट्टे हैं उनमें आज तक राजस्थान में कहीं डेलीनियेशन हुआ है क्या ? हुआ है तो कहां-कहां हुआ है ? वह बताइये। केवल एक ही जगह डेलीनियेशन की आप बात कर रहे हैं। तीसरा, मैंने आपसे यह सवाल किया था कि आप कह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): एक प्रश्न है मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जांच करायेंगे लेकिन यह जो कलक्टर ने गोचर भूमि में एन.ओ.सी. दी। पंचायतों के प्रस्ताव हैं। पंचायत ने प्रस्ताव दिये उसके बाद दी और उसमें एन.ओ.सी. दे दी उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। अगर इसने गलत दिया आप जांच कराइये, हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन डायरेक्टर से अप्रूवल ली है। एडिशनल डायरेक्टर से अप्रूवल ली है एम.ई. ने तो आप उनको भी जांच के दायरे में शामिल करिये। यह मेरा निवेदन है। केवल एक छोटा अधिकारी जिसने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन पूछिये। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आप पूछिये

ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऊपर के निर्देश से जांच लेकर कर दी। आप उसको चाहे जांच करके उसके ऊपर तलवार लटका दें और जो निदेशक और अतिरिक्त निदेशक हैं जिनका एन.ओ.सी. देने और जिनकी स्वीकृति देने के बाद यह काम हुआ है उसको भी सुनें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह डेलीनियेशन में जो-जो भी डिफैक्टस, जो-जो भी गलतियां हुई अधिकारियों से उसकी जानकारी आपको इस प्रश्न लगने के बाद हुई या इससे पहले हुई ? अगर पहले हुई तो आपने क्या-क्या कार्यवाहियां की ?

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले सदस्य कन्फ्यूज हो रहे हैं। मैंने स्वयं ने पहले कहा था कि आर.सी.आर.एल. और जो बापी पट्टेदार थे उनके लिये ही 22(1) के अन्दर प्रोविजो रखा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "Provided that no such notification shall be necessary for the areas in respect of which rent-cum-royalty leases have been granted earlier and have been converted into quarry licences in accordance with these rules." यह उनके लिये ही बना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि यह माइनिंग इंजीनियर को अधिकार, पर माइनिंग इंजीनियर को डेलीनियेटेड किये बिना क्वारी लाइसेंस ग्रांट करने का कोई अधिकार नहीं है। है तो 1986 और 1977 के इस प्रोविजन में है जो बापीदार पट्टे थे या यह जो आर.सी.आर.एल. के जो पट्टेधारी थे उनको देने का प्रावधान था। जो आप गोचर भूमि में कलक्टर की बात करते हो कि एन.ओ.सी. पंचायत द्वारा दी गयी, एक जानकारी और देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो खातेदार, जिन खातेदारों को इस हिसाब से इस कानून को बरगलाने के लिये, इसको डाइल्यूट करने के लिये 22(1) को उन्होंने गवर्नमेंट को वह भूमि सरेण्डर कर दी। जब गवर्नमेंट को वह भूमि सरेंडर कर दी है गवर्नमेंट की भूमि हो गयी उसमें डेलीनियेशन आवश्यक है। डेलीनियेशन नहीं किया गया चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे माइनिंग इंजीनियर और डायरेक्टर ... (व्यवधान) अब सुनिये एक मिनट। बैठिये आप। माइनिंग इंजीनियर ने मार्गदर्शन मांगा है एडिशनल डायरेक्टर से और डायरेक्टर से और डायरेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट से 65 में रिलेक्सेशन मांगने चाहिये और 65 में रिलेक्सेशन की अनुमति राज्य सरकार

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

से प्राप्त होती है इसलिये निश्चित रूप से मैं डिप्टी सेक्रेटरी से और एक महीने के अन्दर इसकी जांच कराऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे निश्चित है वह पैनलाइज होंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरी बात का जवाब नहीं आया। मेरी बात का जवाब नहीं आया ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो यह था कि डेलीनियेशन जियोलॉजिस्ट करता है। जियालॉजिस्ट यह देखता है कि यहां कितना खनिज भण्डार है, कितनी गहराई पर है, कितना है? डेलीनियेशन एम.ई. नहीं करता। कहीं भी असिसटेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं करता, जियालॉजिस्ट करता है।

दूसरा मैंने सवाल आपसे स्पेसिफिक यह पूछा था कि राजस्थान में जो बापी पट्टे हैं। पांच जगह के नाम भी बताये उनमें कहीं एक भी जगह डेलीनियेशन हुआ है क्या ? अब भी विदाउट डेलीनियेशन वहां माइनिंग हो रही है और बापी पट्टों पर काम हो रहा है तो यह काम केवल आप एक ही जगह खाटू में लागू करना चाहते हैं या इन बापी पट्टों का हर जगह डेलीनियेशन करा कर पूरे राजस्थान में कहीं भी हो उन सबको इस चक्रव्यूह में लेना चाहते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने जो प्रश्न किया था ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप उस संदेह के घेरे में आ रहे हो क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं नहीं हूं। जांच करा लीजिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): तो फिर ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जांच करा लीजिये। यह बैठे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। फकीर आदमी हूं। आपके दर्द नहीं होना चाहिये। मैं तो बात कर रहा हूं कानून की। समझ में आ गयी बात। यह जो पूरे राजस्थान के जहां-जहां बापी पट्टे हैं उसका सवाल है। केवल एक जगह का नहीं है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो समझ पाया हूं कि आपने कलक्टर ने गोचर भूमि को भी किया, यह भी किया तो आप एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से कलक्टर की भी जांच

करवायेंगे ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, देखो आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको यदि जांच करवानी है। आपकी मंशा है जैसा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तीन साल तक आप मंत्री रहे। तीन साल तक आपको यह जानकारी में आ जाना चाहिये था किस तरह से स्थिति बनी हुई है। यदि आपको जांच करवानी है तो चीफ सेक्रेटरी लेवल से जांच कराइये तब इसकी जांच होगी। आप चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जांच क्यों नहीं देते ? इन्होंने कोट किया है कि आपका जो डेलीनियेशन प्लान बनता है इसको अखबार में निकालना पड़ता है। डायरेक्टर, माइन्स की अप्रूवल होनी चाहिये। डायरेक्टर, माइन्स को 65 रूल है, लेने चाहिये। यह आप सब बता रहे हो। इसका मतलब जो अधिकार है 65 के अन्दर सरकार को था। 65 तो एप्लीकेशन नहीं हुआ और डायरेक्टर ने अपने लेवल पर यह पट्टे दे दिये। इतनी बड़ी गड़बड़ मानते हैं तो आप इसकी जांच चीफ सेक्रेटरी लेवल से कराइये Why for at Dy. Secretary level? बताइये हमको इस बात की। इसका क्या उपाय है। बताइये आप।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 108/04/16.6.2004 को एक केस दायर हुआ था मांगलियावास पुलिस स्टेशन पर। इसमें सैक्शन 379 आई.पी.सी. के थ्रू और एम.डी.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4.21 के अन्तर्गत साढ़े सात करोड़ की रिकवरी इसमें निकली है लेकिन आज तक इस केस में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका कारण बतायें मुझे।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रष्टाचार के अन्तर्गत काफी लोग सम्मिलित हैं तो अभी तक पुलिस केस ही हुआ है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भाषण नहीं दें।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसका कारण क्या रहा ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका भी यह जवाब दें। मैंने यह पूछा था कि क्या इस बात की जानकारी आपको यह प्रश्न लगाने के बाद हुई ? और अगर इसकी जानकारी आपको पहले थी तो अब तक आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

महोदय, मैं अभी क्लीयर कर रहा हूं कि 22(1) प्रोविजो के अन्दर जो नगर से आने वाले सदस्य ने कहा है 22(1) प्रोविजो में जो आर.सी.आर.एल. और बापी पट्टेदार हैं उनके लिये डेलीनिएशन का नहीं रखा था प्रोविजन और उनको जो 77 और उसके पहले जिनको बिना क्वारी लाइसेंस इश्यू किये गये थे। बिना डेलीनिएशन और बिना बाउण्ड्री के उन लोगों को रेगुलराइज का प्रावधान 22(1) प्रोविजो में रखा है और 22(1) के अन्दर नोटिफिकेशन होता है, बाउण्ड्री तय होती है। नक्शे बनते हैं। प्लाटिंग होती है। उसमें माइनिंग इंजीनियर को अधिकार है परन्तु बिना नोटिफिकेशन, बिना डेलीनिएशन, बिना गजट में दिये माइनिंग इंजीनियर ने इस प्रकार का कृत्य किया है। जैसे ही जानकारी मिली, आपने यह देखा होगा, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न का उत्तर, प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात को तय करवाया कि मैं इसकी जांच करूंगा। मेरे ख्याल से आज तक प्रश्न के उत्तर में कंसीड करने का आज तक नहीं हुआ है। यह पहली बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और यह आज के कार्यकाल के नहीं है यह 1986 से लगातार हो रहा है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, जायल के अन्दर लगातार कई लोगों को इस हिसाब से वायलेशन करते हुए, 22(1) के प्रोविजन का वायलेशन करते हुए डेलीनिएशन की कार्यवाही बिना डेलीनिएट किये गये इनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ है। इसी बात पर मैं आज कहता हूं कि निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किससे जांच करवा रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपका खेल ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच डिप्टी सैक्रेटरी से करवाऊंगा। अगर जांच में उच्च स्तर के जिला कलक्टर और अधिकारी हुए हैं तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच

करवाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। श्री हेमराज मीणा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जब रिकार्ड पर बात आ गयी थी कि जिला कलक्टर ने एन.ओ.सी. दी है तो डिप्टी सैक्रेटरी जांच कैसे करेगा यह समझाइये हमको ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जांच करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): डिप्टी सैक्रेटरी तो आर.ए.एस. है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह ... (व्यवधान) सही लगता है। यह मंत्रीजी की मिलीभगत है। (व्यवधान) जब आप डिप्टी सैक्रेटरी से जांच करवा सकते हो ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 22(1) के प्रोविजन का जो वायलेशन किया है इसकी जांच डिप्टी सैक्रेटरी करेगा और इसमें जिला कलक्टर ... (व्यवधान) स्तर के अधिकारी से जांच करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खसरा नम्बर 1148 के अन्दर रियासत-काल के समय से, जागीरदारों के समय से इसमें खनिज हो रहा है। तब की एन.ओ.सी. दी हुई है। आपका जवाब है यह ... (व्यवधान) आज थोड़े ही दिये गये हैं। इस पर आपका जवाब 2006 में ... (व्यवधान) यह 1148 खसरा नम्बर है। जो गैर मुमकिन गोचर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। श्री हेमराज मीणा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। श्री हेमराज मीणा। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: तो फिर ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 22(1) के प्रोविजो की जांच कह रहा हूं, डिप्टी सैक्रेटरी ... (व्यवधान) 22(1) के इसमें जो दोषी होंगे कलक्टर स्तर के ... (व्यवधान) इसमें जांच करवा देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री हेमराज मीणा।

बारां जिले की आंवला फसल का विपणन

278. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बारां जिले में आंवले के बगीचे लगाये गये थे। यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने बीघा में। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आंवले के बगीचों पर अनुदान दिया गया था। यदि हां, तो कितना।

(3) क्या यह भी सही है कि इन आंवलों के बगीचे से सैकड़ों टन आंवले का उत्पादन जिले में हो रहा है। यदि हां, तो इनको विक्रय करने की सरकार द्वारा क्या योजना है।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी): (1) बारां जिले में काश्तकारों द्वारा अनुदान पर आंवले के बगीचे लगाये गये हैं। ग्रामवार सूची संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: बातें नहीं करें ...(व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): (2) जी हां। बारां जिले में आंवले के बगीचों की स्थापना पर अब तक 27.03 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

(3) बारां जिले में आंवले का उत्पादन लगभग पचपन सौ क्विंटल हो रहा है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: 5 हजार 500, पंच सौ नहीं, 5 हजार 500 .

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): 5 हजार 500, पचपन सौ, एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष: आपने 5 हजार 500 लिखा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): 5 हजार 500, पचपन सौ क्विंटल हो रहा है, राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1959 के अंतर्गत अघोषित कृषि अनुसूची में आंवला सम्मिलित है। बारां जिले के अन्तर्गत कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए बारां, अटरू व छबड़ा कृषि उपज मंडी समितियां स्थापित की हुई हैं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हार्टिकल्चर के द्वारा बारां जिले में ही नहीं सारे राजस्थान में आंवले की पौध लगायी गयी है।

श्री अध्यक्ष: सारे राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): बारां जिले में ही नहीं सारे राजस्थान में है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, हां, बोलो ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सारे राजस्थान में हार्टिकल्चर के द्वारा आंवले की पौध लगायी गयी है।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): बारां जिले में 27 लाख का अनुदान है और पूरे राजस्थान में तो करोड़ों का अनुदान दिया होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इससे आंवले का उत्पादन तो शुरू हो गया और लगभग 4-5 साल पहले से आंवले की पौध लगायी जा रही है, बगीचे लगाये जा रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था अभी तक सरकार ने की नहीं है और मार्केटिंग

(श्री हेमराज मीणा)

की व्यवस्था क्या होगी।

दूसरा, सवाल यह करना चाहूंगा कि इन्होंने राजस्थान कृषि उपज विपणन बोर्ड के अधिनियम के अनुसार बारां, अटरू और छबड़ा में मंडी को बताया है, अभी तक वहां पर आंवले का ऑक्शन होता ही नहीं है। वहां पर कोई खरीददार मिलता ही नहीं है तो आंवले का उत्पादन तो राजस्थान में शुरू हो गया, बारां जिले में भी शुरू हो गया लेकिन उस उत्पादन की मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी। काश्तकार उस आंवले को लेकर के कहां जायेगा। काश्तकार उस आंवले को लेकर के मारा-मारा फिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार ने इसकी क्या नीति बनाई है और इसका क्या उपयोग होगा इसके बारे में मंत्रीजी जानकारी दें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि आंवले के क्षेत्रफल और उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्वि पिछले दो सालों में हुई है। जब हमारा शासन आया तो मात्र 730 हैक्टेयर में आंवले के बाग़ थे और उत्पादन मात्र 6347 क्विंटल था, दो साल में यह क्षेत्रफल बढ़कर हमने 11657 हैक्टेयर कर दिया और उत्पादन 150552 क्विंटल हो गया। निश्चित रूप से जो उत्पादन बढ़ा है इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था खड़ी करना सरकार का धर्म है और बहुत ईमानदारी से सरकार ने प्रयास इसके संबंध में किये हैं। सबसे पहला प्रयास किया इसकी प्रोसेसिंग की यूनिट बनाने का पहले प्रचलन नहीं था, पहले 50 हजार मात्र इसकी सब्सिड़ी थी, अब दस लाख तक कोई भी इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगायेगा तो उसकी सब्सिड़ी 50 प्रतिशत कर दी, पांच लाख हम सब्सिडी देंगे। इस कारण से बहुत से लोगों ने इसमें रूचि दिखायी है। अब बारां, अटरू सहित चार जगह यह प्रोसेसिंग प्लांट खुले हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो मार्केटिंग की व्यवस्था करें, यह तो ठीक है, सब्सिडी तो बढ़ा दी आपने।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): मार्केटिंग की व्यवस्था में आ गया ना, मार्केटिंग की व्यवस्था में हमने चौमूं में आंवले की विशेष मंडी स्थापित की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): उस मंडी में पैक हाउस

भी बन रहा है, उस मंडी में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): वह वहां से बेचने आयेगा आंवला ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सुन तो लें।

श्री अमराराम (धोद): यह तो 12 बज रहे हैं वहां ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नहीं, आप बीच में मत बोलें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): क्या बात कर रहे हैं, 12 तो आपके बजा दूंगा एक मिनट में, सुन लें।

श्री अध्यक्षः आप सुनें बात उनकी ...(व्यवधान) आप मिड डे मील में कुछ न कुछ आंवले की प्रिपेएशन दें ...(व्यवधान) ताकि उसकी मार्केटिंग हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं ...(व्यवधान) मैं इसी पर आ रहा हूं। आप सुन लें, आंवले की खपत में जो प्रमुख सोर्सेज हैं, इसका पाउडर आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है। इसके अंदर प्रयास होने चाहिए, तेल बनता है ...(व्यवधान) सुनें तो सही ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मेरा एक सवाल है, चार साल में इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो बात है वह बतायें ना ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अब बारां की बात कर रहे हैं और चौमूं में पैकिंग करा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सारे प्रदेश की बात हो रही है ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक सवाल है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आंवले का पाउडर बनाकर के मिड डे मील में डलवा दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान) आप बैठें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अब बारां की बात कर रहे हैं, बारां की सुन लें आप ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आंवले का पाउडर बनाकर के मिड डे मील

में डलवा दें ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय कृषि राज्य मंत्रीजी आप विवेक से जवाब दें। हालांकि 12 बजे के आसपास प्रश्न किया है। मगर आप विवेक नहीं खोयें ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): बैठ जायें आराम से, आपके बज जायेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किसानों की बात है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, आप ऐसा करो, मंडी तो नहीं लगा सकते लेकिन इसका पाउडर बनवा लें और उसको मिड डे मील में डलवा दें तो बच्चे खायेंगे और क्या करेंगे ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अध्यक्ष महोदय, बारां में हमने जो मंडी स्थापित की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, हर बार खड़े हो जाते हैं आप, मैं कह रही हूं बैठ जायें ...(व्यवधान) बैठिये आप।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैं तब का ही हाथ खड़ा कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, मंत्रीजी क्या कह रहे हैं, हाथ उठाने से कुछ नहीं होता है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अध्यक्ष महोदय, बारां में हमने इसी बजट में फल-सब्जी मंडी की घोषणा की है और वहां फल-सब्जी मंडी के लाइसेंस जारी हो चुके हैं और उनके माध्यम से आंवले की खरीद का काम भी शुरू हो जायेगा। इसके साथ-साथ बारां में हमने प्रोसेसिंग के लिए एक किसान को सब्सिडी दी, वह जगदीश नाम का है, अलीपुर पंचायत समिति, अंता में, इसने मुरब्बा बनाने का काम शुरू किया और इसका मुरब्बा 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। ऐसे एक नहीं है, उदयपुर में हेमराज, भिंडर पंचायत समिति में कल्याण कृषि फार्म, धरियावद प्रियंका नाम की महिला ने और इसी प्रकार कैलाश चौधरी, कीर्तिपुरा, जयपुर में, इसी प्रकार पवन पुत्र नर्सरी सीकर में जो हजारों क्विंटल पैदावार करने लग गये हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट हम लाये हैं उसमें महिला समूह हम बना रहे हैं। उसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दे

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

रहे हैं, दस हजार फंड दे रहे हैं, वह भी आंवले का मुरब्बा बनायें, जूस बनायें, तेल बनायें, पाउडर बनायें। हम गम्भीरता से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में पूरा प्रबंध करेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मूल प्रश्नकर्ता पूछेंगे, आप बिराजें, स्थान ग्रहण कर लें। मूल प्रश्नकर्ता हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल यह था कि ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, अब यह स्वाद आंवले का मुंह में आ गया। इन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी, अब कैसे बैठे रहें चुपचाप ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आंवला किसके काम में आयेगा और आंवला किस-किस उपयोग में आयेगा यह तो बता दिया लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया है। अभी तो मंडियों में कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है ...(व्यवधान) मार्केटिंग की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कहा है ना, मंडियां खोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): काश्तकार का जो आंवला है वह बेचेगा कहां ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंडियों में खरीदेंगे कहा है ना ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): डेढ़-डेढ़ रुपये किलो बेचने के लिए मजबूर हैं। हजारों बीघा जमीन में आंवले की पौध लगी हुई है और लगातार प्रोडक्शन आ रहा है। इसकी मार्केटिंग की उचित व्यवस्था ही माननीय मंत्रीजी ने अभी तक नहीं की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सुनते तो हो नहीं मंत्रीजी को और खड़े हो जाते हो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आंवला पैदा करने वाले किसानों का आंवला खरीदने का सरकार इरादा रखती है तथा क्या कीमत उन्होंने तय की है और कब तक खरीदेंगे, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: कीमत अभी तय नहीं की है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय से कि राजसमंद जिले को बागवानी मिशन से जोड़ने का विचार रखते हैं, यदि रखते हैं तो कब तक। बागवानी मिशन इससे ही संबंधित है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। मंत्रीजी को सुनें ...(व्यवधान) कृपया मंत्रीजी को सुनें ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी एक मिनट, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आंवलों के फार्म हाउस को विकसित करने के लिए आपने यह तय किया है कि हमारे अधिकारी/कर्मचारी आंवले के विकसित ग्राफ्टेड पेड़ तैयार करायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हजार ग्राफ्टेड पेड़ देने थे, उनकी जगह दो सौ ग्राफ्टेड पेड़ दिये और आठ सौ फर्जी पेड़ दिये जिन पर आंवले नहीं लगते और लगते भी हैं तो बहुत छोटे। क्या माननीय मंत्रीजी, इसकी जांच करवाने का आश्वासन देंगे?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सम्माननीय अध्यक्षजी, जहां तक आंवले के उत्पादन की खपत करने की बात है, मार्केटिंग की बात है, डाबर कम्पनी और वैद्यनाथ कम्पनी से हमारी बातचीत चल रही है और उनको हमने इन्वाइट किया है कि आप यहां आकर राजस्थान में आंवला खरीदें और जो सुविधाएं आप चाहते हैं वह हम आपको सरकार से दिलवाएंगे। इसी तरह से मैसर्स जैन इर्रिगेशन, जलगांव से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने हमसे कहा है कि अगली बार से हम उत्पादन जितना है उसके अंदर खरीद शुरू करेंगे। ...(व्यवधान) इसी तरह से जो मैंने आपको कहा, पैक हाउस बनाएंगे ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गिड़गिड़ाने से खरीद करने वाला नहीं है, क्या सरकार यह विचार रखती है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त हुआ, माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप भी स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए

(श्री अध्यक्ष)

कृपया आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति

माननीय सदस्यगण,

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भोमाराम चौधरी एवं श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

भोमाराम चौधरी, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री भोमाराम चौधरी का जन्म नागौर जिले के विजयपुरा बैरी कलां ग्राम में हुआ। श्री चौधरी लगभग 80 वर्ष के थे। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री चौधरी पांचवी राजस्थान विधान सभा के लिए डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

आप वर्ष 1941 में सेना में भर्ती हुए तथा आपने वर्ष 1952 में सैन्य सेवा से अवकाश ग्रहण किया। श्री चौधरी वर्ष 1960 में ग्राम पंचायत, डावडा के सरपंच तथा वर्ष 1999 से 2004 तक डीडवाना पंचायत समिति के प्रधान रहे। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री चौधरी जनता मोर्चा से भी जुडे रहे।

श्री भोमाराम चौधरी का दिनांक 30 मार्च, 2007 को निधन हो गया।

चन्द्रवीर सिंह भाटी, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी का जन्म 30 मार्च, 1949 को जैसलमेर में हुआ। आपने अजमेर के मेयो कालेज तथा गवर्नमेंट कालेज में अध्ययन किया।

श्री भाटी वर्ष 1980 में सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप पुस्तकालय समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री भाटी पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास, भू-जल, अन्त्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री भाटी अपने सार्वजनिक जीवन में जैसलमेर मास्टर प्लान

(श्री अध्यक्ष)

परामर्शदात्री समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास कार्यक्रम हेतु गठित मोनिटरिंग कमेटी के सदस्य रहे।

अजमेर क्लब के सदस्य रहे श्री भाटी संगीत, स्वीमिंग, बिलियर्ड, घुड़सवारी, स्क्वैश और क्रिकेट में भी काफी रुचि रखते थे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी का दिनांक 31 मार्च, 2007 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।)

ओम शांति, शांति, शांति।

सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए अर्थात् बारह बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.05 बजे, 12.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(12.20 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: मैं प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमावली के नियम 307 के अन्तर्गत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए आज जीरो आवर सस्पेंड कर रही हूं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिला रही हूं कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे सूचनाएं अब तक जितनी यहां पेण्डिंग हैं सारी की सारी सरकार को भिजवा रही हूं और उन सबका जवाब माननीय सदस्यों को मिल जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पढ़ा हुआ मान लो आप।

श्री अध्यक्ष: यहां पढ़ा हुआ मान लिया गया इसीलिए भिजवा रही हूं, राज्य सरकार को भिजवा रही हूं, राज्य सरकार उन सबका समय पर जवाब दे देगी, भिजवा देगी।

मैं इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों को यहां भी निवेदन करना चाहूंगी कि राष्ट्रपतिजी जब आये थे तो वे अपना एक मैसेज देकर गये थे और उन्होंने कहा था कि इस मैसेज को आप विधान सभा में पढ़कर सुनाना, क्योंकि वह सब माननीय सदस्यों को एड्रेस्ड है। उन्होंने कहा था, वह अभी कहां है? ...(व्यवधान) मेरे आफिस में है, अभी आ रहा है, आप मंगवा लो। ..(व्यवधान)... वह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी उससे पूर्व अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखें। श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था। उस स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

ऊर्जा विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि.54 दिनांक 2.9.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड और संबंधित मामले) (पंचम् संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/रेगु./55 दिनांक 12.1.2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञप्ति की शर्तें) विनियम, 2004 (द्वितीय संशोधन) विरचित किये गये है ।
3. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनियम/56 दिनांक 20.11.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञापत्रधारी की ऊर्जा क्रय तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं ।
4. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./57 दिनांक 21.11.2006

(श्री गजेन्द्र सिंह)

जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

5. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनियम/58 दिनांक 27.12.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुले अभिगमन हेतु निबन्धन व शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

6. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./59 दिनांक 12.1.2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क) विनियम, 2005 (तृतीय संशोधन) विरचित किये गये हैं।

7. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./60 दिनांक 17.1.2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राज्य भार प्रषण केन्द्र द्वारा शुल्कों एवं प्रभारों का उदग्रहण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2007 विरचित किये गये हैं।

8. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./61 दिनांक 22.1.2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड और संबंधित मामले) (षष्ठम् संशोधन) विनियम, 2007 विरचित किये गये हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी, 295 की व्यवस्था दी है। जबकि आरक्षण का मसला है, पूरे राजस्थान की पिछड़ी जाति ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव के बारे में ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप पहले विराजिए। जब मैंने यह कह दिया कि मैं अपने विशेष अधिकारों का नियम 307 में प्रयोग करते हुए आज जीरो ऑवर को सस्पेंड करती हूं उसमें सब बात आ गई। (व्यवधान) अब क्या?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप बैठें तो मैं बोलूं। आप स्थगन प्रस्ताव का भी कह दें कि मैं राज्य सरकार को भेज रही हूं। 295 जैसे राज्य सरकार को भेजा है।

श्री अध्यक्ष: 295 को भेज रही हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): स्थगन प्रस्ताव भी भेजिए आप।

श्री अध्यक्षः भेज रही हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी जबकि यह पिछड़ी जाति का मामला है। राजस्थान की पिछड़ी जाति उद्वेलित है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्षः अब आप अधिकारों के हनन की बात छोड़िए। जितने स्थगन प्रस्ताव आज पेश हुए हैं उनको भी मैं राज्य सरकार को भिजवा देती हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पढ़कर तो सुना दीजिए कौन-कौन से हैं? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मंदिर की जमीन पर ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वह जीरो ऑवर का थोड़े ही है। आपकी जो व्यवस्था की बात है 127 में दिया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): 131 में।

श्री अध्यक्षः 131 का आप चेम्बर में बात करिएगा। वेश्म में आकर बात करिएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह राज्य सरकार के पास भेज दो।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पर्ची के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। मैं अनुरोध करूंगा पर्ची के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जब कोटड़ा पधारे थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आसन पांवों पर है और आप बात कर रहे हैं। पर्चियों को भी भिजवा दूगी। जो पर्चियां हैं उन सबको राज्य सरकार को भिजवा दूंगी। (व्यवधान)

उन्होंने हिन्दी और इंग्लिश दोनों में दिया है। कौन से में पढ़कर सुनाऊं।

अनेक माननीय सदस्यः हिन्दी में।

संदेश

महामहिम राष्ट्रपति का राजस्थानवासियों के नाम संदेश

श्री अध्यक्षः राजस्थान के लिए संकल्पना

''सुन्दर परिवेश में सद्विचार जन्म लेते हैं।

सद्विचारों से सृजनात्मकता जन्म लेती है''

राजस्थान के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान की समृद्धि के बारे में अपने विचार आपके साथ बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। काव्यात्मक भाषा में राजस्थान को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। वर्ष 1949 में राजस्थान राज्य बना, तब से यह निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सबके माध्यम से मैं सम्पूर्ण राजस्थानवासियों को एक गौरवमय भविष्य के लिए अपनी शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूं।

राजस्थान और मैं,

राजस्थान राज्य में चहुंमुखी खुशहाली और समृद्धि लाने के मिशन में आपकी सफलता की कामना करता हूं। आज जबकि आप सब राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं, मुझे भी राजस्थानवासियों के साथ मेरे संबंध और काम करने का अनुभव याद आ रहा है। राष्ट्रपति का पदभार सम्भालने के बाद मैंने ग्रामीण इलाकों सहित राजस्थान की पांच यात्राएं की हैं। इन यात्राओं में मुझे राजस्थान की संस्कृति, कला, इतिहास और इन सबसे अधिक राजस्थानियों की उदारता देखने को मिली। इस मौके पर राजस्थान के साथ अपने बहुत निकट संबंध दर्शाने वाली एक घटना मुझे याद हो आई है। इस क्षेत्र में मेरा वह एक अविस्मरणीय अनुभव था। उन दिनों मैं रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार था। उन दस वर्षों के दौरान मैंने अपना सर्वाधिक समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यह राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र पोखरण था। यह क्षेत्र मेरी, मेरे दल तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की कर्मभूमि था। हमने इस क्षेत्र में लगातार कई महीनों तक, विशेषकर मई के महीने में जब दोपहर में तापमान 53 डिग्री सेलसियस से भी अधिक हो जाता था, दिन-रात अथक कार्य किया था। परन्तु हमें इतनी अधिक गर्मी का अहसास भी नहीं हुआ क्योंकि हम सभी पूर्ण निष्ठा से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन पर कार्य कर रहे थे। 11 और 13 मई, 1998 को हमारा मिशन पूरा हुआ था। मिशन की सफलता के साथ ही हमारा देश एक परमाणु अस्त्र

(श्री अध्यक्ष)

सम्पन्न राज्य बन गया था। राजस्थानवासी बहुत वर्षों तक हमारे इस मिशन में हमें सहयोग देते रहे थे और वे इस मिशन के विभिन्न चरणों में हमारे बहुत उपयोगी साथी थे। इन्हें उस समय यह मालूम नहीं था कि हम क्या काम कर रहे हैं, पर वे यह जरूर जानते थे कि हम किसी महत्वपूर्ण और उपयोगी मिशन पर कार्य कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इस विषय पर चुप्पी साधे रखी। मिशन के सफल निष्पादन के लिए यह समय की मांग भी थी। इस दौरान मुझे राजस्थान के मरुस्थल में पूर्णिमा की अनेक रातें देखने का अवसर मिला था। वे रातें विशेष खूबसूरत थी जब चमकती रेत पर पूरे चांद की किरणें पड़ती और कहीं-कहीं पर हिरनों के झुण्ड भी दिखाई देते थे, वे दृश्य बहुत मनोरम होते थे।

राजस्थान के लिए संकल्पना

प्रिय विधायकों, गत 58 वर्षों से आप सभी एक साथ मिलकर लगातार राजस्थान की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सोच रहा था कि इस विशेष अवसर पर मैं आपके साथ किस विषय पर चर्चा करूं। राजस्थान में 40,000 गांव हैं और इसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इन 40,000 गांवों का विकास और उन्नयन हो। यह विकास कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्र तथा शहरी विकास के अलावा राज्य में 'पुरा' योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना) के तहत 450 पुरा ग्रामीण समूह स्थापित करके किया जा सकता है। आइए, मैं आपको बताऊं कि मैंने वर्ष 2017 में कैसे राजस्थान की संकल्पना की है?

1. राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की वर्तमान 16 प्रतिशत संख्या लगभग शून्य हो जाएगी और समृद्धि का आविर्भाव होगा।
2. राज्य की प्रति व्यक्ति आय रुपये 17500 से बढ़कर रुपये 75000 तक हो जाएगी।
3. शिशु मृत्यु दर वर्तमान 67 प्रति हजार शिशु से घटकर केवल 10 प्रति हजार रह जाएगी। राज्य पानी से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो जाएगा और सभी नागरिकों को उच्च स्तरीय सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
4. वर्तमान 62 प्रतिशत साक्षरता दर बढ़कर शत प्रतिशत हो जाएगी और मानव विकास इण्डेक्स 5 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा।

(श्री अध्यक्ष)

5. सभी राजस्थानवासी खासकर महिलाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार क्षमताओं से सशक्त बनाया जाएगा।

राजस्थान में विशाल भूभाग, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज व पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां पर्यटन आकर्षण के बहुत से स्थान हैं और यहां सूखे जैसी घोर प्राकृतिक विपदा का भी सामना करने वाले दृढ़ इच्छा और साहस से युक्त पारम्परिक बहादुर लोग भी हैं। इंदिरा गांधी नहर वास्तव में राजस्थान को प्राप्त एक बेहतर जल संसाधन है और वाष्पीकरण से बचाने के लिए इसे पाइपों और सीमेंट से बनायी गयी नहर के जरिये जल के परिवहन के संयोजन से और बढ़ाया जाना है। विश्वभर में यह माना जाता है कि सभी रेगिस्तानी क्षेत्र तेल व गैस प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न हैं और हमें उनका पूरी तरह अन्वेषण और विदोहन करना चाहिए। राज्य में लिग्नाइट की उपलब्धता से विद्युत शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी। इन सभी संसाधनों में राजस्थान को 2017 से पहले ही एक समृद्ध राज्य बनाने की क्षमता है। अब समय है जब राजस्थान को एक दस वर्षीय संकल्पना बनानी चाहिए ताकि राजस्थान के लोग राज्य के विकास मिशनों पर ध्यान दे सकें और उनके लिए कार्य कर सकें। राजस्थान के लोग वास्तव में ऐसी चुनौतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय विधायकों, आपके लिए यह एक महान अवसर है कि आप अपनी समझ, अनुभव और दूरदर्शिता से राज्य के लिए एक दीर्घकालिक संकल्पना तैयार करने हेतु एक दल के रूप में कार्य कर उस संकल्पना को समयबद्ध तरीके से साकार करने के लिए नेतृत्व प्रदान करें। आइए, अब मिल कर जानें कि पुरा मिशन क्या है।

पुरा मिशन

पुरा समूहों (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना) का निर्माण राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। पुरा में ग्रामीण भारत में समृद्धि लाने के लिए समेकित संयोजन की संकल्पना की गयी है। ये हैं – बेहतर सड़कों व परिवहन के माध्यम से ग्राम समूहों का भौगोलिक संयोजन, नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने वाली उच्च वैंडविड्थ फाइबल ऑप्टिक तार युक्त दूरसंचार और इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से विद्युत संयोजन, और किसानों, कारीगरों व हस्तशिल्पियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान संयोजन। इन तीन

(श्री अध्यक्ष)

संयोजनों और बैंकों, लघु ऋणों और उत्पादों के विपणन की सहायता से स्थापित उद्यमों से आर्थिक संयोजन हो पाएगा।

प्रत्येक पुरा समूह रेगिस्तान क्षेत्र में लगभग एक लाख आबादी वाले 50 से 100 गांवों को जोड़ेगा। इसके लिए धन निजी क्षेत्र की भागीदारी के अलावा भारत निर्माण कार्यक्रम और राज्य विकास कार्यक्रमों से आएगा। निर्माण आदि के दौरान शुरुआती अल्पकालिक रोजगार के बाद हमें पुरा समूह के सभी रोजगार योग्य लोगों के लिए कृषि प्रसंस्करण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय उद्यमों के अन्तर्गत नियमित और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कार्य शुरू करने की योजना बनानी चाहिए। पुरा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास प्रदान करेगा।

पुरा प्रणाली द्वारा सृजित ग्रामीण समृद्धि के अलावा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न क्षमता के अतिरिक्त, नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की सहायता से 2000 मेगावाट लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्रों, 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा कार्यों और 1000 मेगावाट सौर तापीय विद्युत संयंत्रों से राजस्थान अधिक विद्युत उत्पादन वाला राज्य बन जाएगा। यह विशेषकर जस्ता, सीसे, स्वर्ण और अन्य दुर्लभ धातुओं के खान में एक अग्रणी राज्य बन जाएगा। राजस्थान प्रतिवर्ष देश को एक करोड़ टन कच्चे तेल का योगदान देगा। राजस्थान सबसे आकर्षक पर्यटक गंतव्य स्थल बन जाएगा। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक सेवाओं और बी.पी.ओ. क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। राज्य में पूर्ण पारदर्शी नागरिक केन्द्रित प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में कार्य करने वाली शासन प्रणाली होगी। राज्य देश का एक आदर्श राज्य होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान की समृद्धि के लिए मिलकर कार्य कर सकने वाले छह करोड़ लोगों की संख्या राजस्थान की मुख्य विशेषता है। समाज को प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल के साथ संगठित करने, उसे नैतिक मूल्य प्रणाली और विरासत के साथ जोड़ने और राज्य के लोगों, विशेषकर तीन करोड़ युवाओं को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने में विधायकों की सक्षमता निश्चित रूप से राजस्थान को समृद्ध बनाएगी। ऐसा करते समय राजस्थान को जल प्रबंधन से संबंधित विशेष पहलुओं को ध्यान में रखना होगा ताकि हम जल के

(श्री अध्यक्ष)

वाष्पीकरण के प्रभाव को कम कर सकें और जल की उत्पादक उपलब्धता बढ़ा सकें। सइके साथ-साथ राजस्थान को शुष्क कृषि और बागवानी क्षेत्र प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी बनना चाहिए। परिवहन, आवास, पर्यटन आतिथ्य, अनुसंधान आधारित पर्यटक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाकर तथा राज्य की प्रमुख क्षमता प्रदर्शित करने वाले विशेष हस्तनिर्मित शिल्प की व्यवस्था के माध्यम से पर्यटन विकास किया जा सकता है। ऐसे समन्वित कार्य सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों जैसी आर्थिक उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों जैसा शांतमय जीवन होगा तथा दोनों क्षेत्र बहुत ही समृद्ध होंगे। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी व्यवसाय, आयु, विशेषज्ञता या राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो, राजस्थान को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के मिशन में योगदान देने योग्य बनना चाहिए। अब, मैं राजस्थानवासियों को एक सात सूत्री शपथ दिलाना चाहूंगा।

58वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थानवासियों के लिए शपथ

1. मैं अपने घर में अथवा घर के आसपास कम से कम पांच पेड़ लगाऊंगा और जल संचयन द्वारा जमा किए गए बरसात के पानी से उनका संरक्षण करूंगा।
2. मैं राजस्थान के विकास और समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।
3. मैं स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अपना परिवार छोटा रखूंगा।
4. आज से मैं कम से कम पांच निरक्षर लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा।
5. पानी हमारी सम्पति है, मैं पानी की हरेक बूंद की बचत करूंगा। मैं ग्रामवासियों की सहायता से अपने गांव के अथवा अपने क्षेत्र के कम से कम एक तालाब को उपयोग में लाने योग्य बनाऊंगा।
6. अतिथि देवो भव ! मैं राज्य में आने वाले पर्यटकों की यात्रा सफल और सुखद बनाने के लिए पूर्ण सहयोग दूंगा।
7. मैं राजस्थानी संस्कृति से प्राप्त सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा और अपने बच्चों का आदर्श बनूंगा।

58वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान विधान सभा के कार्यों के माध्यम से सभी राजस्थानवासियों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं।

(श्री अध्यक्ष)

ईश्वर की आप सब पर कृपा रहे।

यह था उनका संदेश।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 157 में एक विशेषाधिकार हनन 23 तारीख को आपके सम्मुख रखा था।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने आपको कहा था न कि आप गृह मंत्रीजी को और आपकी आमने सामने बातचीत कराऊंगी।

श्री अमराराम (धोद): नहीं आप रखने की इजाजत दें। अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो, मैंने कह दिया न आपको।

श्री अमराराम (धोद): मैंने आपके सामने उस समय 18 अक्टूबर को रखा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं तो, कल भी गृह मंत्रीजी मिले नहीं थे मुझे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के मामले में जब तक आप स्वयं कोई निर्णय नहीं करें तब तक आपकी बिना अनुमति के उठाया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह मैंने कह दिया इनको। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे रखने की इजाजत दें। गृह मंत्रीजी, जवाब देंगे जो भी तथ्य उसमें।

श्री अध्यक्ष: मैं अपने चैम्बर के अन्दर और उनको दोनों को बुलाकर और बात करूंगी।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में नहीं, हाउस में रखने के लिए मैंने दिया है, आप अगर सहमति दें तो मैं आपके समक्ष रख दूं, गृह मंत्रीजी भी अपना वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, विशेषाधिकार पर ऐसे थोड़े ही चर्चा होती है उसको तो पहले मैं फैसला करूंगी, विशेषाधिकार बनता है कि नहीं बनता है तब जाकर होगी चर्चा उस पर, ऐसे थोड़े ही हो जाएगी।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, पेश तो करने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो बुलाकर बात करूंगी न दोनों को, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप बिठा कर चर्चा कर लें फिर आपको लगे तो रखवा दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस पर चर्चा हुई थी उस रोज आपकी चर्चा हुई थी। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह हाइलाइट का मामला है, बाकी कोई विशेषाधिकार के हनन की बात नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो माननीय सदस्य को चार घंटे थाने में बिठाये रखा तो उस रोज आपने कह दिया था कि मेरे चैम्बर में आकर के गृह मंत्री और इनकी बात करा दूंगी, आज उस बात को तो काफी टाइम हो गया। उसके बाद तो आप पाकिस्तान जाकर भी आ गई हैं, हफ्ता भी उस बात को गुजर गया, होम मिनिस्टर भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं तो बात करके इसका कोई हल निकालें तो फिर इनको मूव करने दीजिए।

श्री अध्यक्षः जब गृह मंत्रीजी यहां होते हैं तो यह नहीं होते हैं और जब यह यहां होते हैं तो वह नहीं होते हैं, क्या करूं ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों और आप सब होते हो यहां। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, हाइलाइट करने की बात है, परमिशन दे दें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, कालेज टीचर्स एसोशिएशन के लोग भारी संख्या में बाहर आए हुए हैं, आज जीरो आवर है नहीं, उन्हें भी बुला कर माननीय शिक्षा मंत्री जी को बात करनी चाहिए और उनकी जो वाजिब समस्या है उनका हल करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः चले गये मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मिल चुका हूं उनसे मैं। मेरे से मिल गये हैं, मैं उनकी समस्या से मुझे ज्ञात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका क्या ध्यान हो गया अब ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि जिन्होंने संवैधानिक प्रावधान के अधीन मंत्री पद की शपथ नहीं ली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में बात हो गयी थी, मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में यह सारी बात ले आए थे।

श्री अध्यक्ष: तो मुख्य मंत्रीजी कह देंगी, क्या दिक्कत है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी कह देंगी।

श्री अध्यक्ष: कह देंगी वह, क्या दिक्कत आ रही है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जी, हां फरमाइए, फरमाइए।

शासकीय वक्तव्य

विधायक कोष की राशि के उपयोग पर लागू प्रतिबंध की समाप्ति

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह चर्चा के दौरान आपने जो विषय मेरे सामने रखा था और जिसके ऊपर चर्चा की थी, उसके ऊपर मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि उसमें जो भी संशोधन करने की जरूरत होगी, वह संशोधन अपन करवा लेंगे, एक। दूसरी बात हमारे एक ध्यान में लाया गया था, माननीय सदस्य कुछ मिले थे कि जो एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर हमने जो रिप्लाई दिया था उसमें घोषणा की थी, जो विधायक कोष है जिसको हमने 60 लाख से बढ़ा कर 80 लाख कर दिया है उसमें हमने यह तय किया था कि 15 लाख रुपये पीएचईडी के लिए विधायक कोष से अलग से देंगे, वह राइडर लगाया था, अब मैं कहना चाहती हूं हाउस के अन्दर, उस राइडर को हम विदड्रा कर लेते हैं, 80 लाख रुपये जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो आपने महामहिम का जो पढ़ा है यहां पर, मेरा एक सजेशन है छोटा सा कि सभी माननीय विधायकों को उसकी एक-एक कॉपी मिल जाए।

श्री अध्यक्ष: हां, भिजवा दी जाएगी आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि हमारी तरफ से माननीय सदन की तरफ से आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद भी दें कि उन्होंने राजस्थान के सुखद भविष्य की कल्पना की है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और हमें उत्साहित किया है। हम उनके इस प्रेरणादायी पत्र से अपने आपको हर्षित और उत्साहित महसूस करते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन मुख्य मंत्रीजी, संशोधन के बारे में, किसमें संशोधन करेंगी आप? आपने खाली कहा है कि संशोधन कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी लिखेंगे और क्या संशोधन था। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो इश्यू था कि जिसमें...

श्री अध्यक्ष: कह दो न कि आगे प्रभारी के साथ मंत्री नहीं लिखेंगे, बस खतम हो गई। आप कह दो ना मुख्य मंत्रीजी। क्या दिक्कत है उसमें?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं माफी चाहता हूं. There are two issues. मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में लाये हैं, एक प्रभारी मंत्री वाला था और दैन सैकण्ड वॉज पार्लियामेंट सैक्रेटरी का। These are two issues जिनके सम्बन्ध में आप दिखवा लें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैंने यही कहा कि यह जो बात हुई है अध्यक्ष महोदय के साथ, उसके ऊपर पूरी तरह से देखकर तय करके और जो संशोधन करवाने की जरूरत है वह संशोधन अपन करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो भविष्य के अन्दर जो मंत्री नहीं हैं उसे मंत्री नहीं लिखेंगे। यह कहने में क्या आपत्ति है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...प्रभारी बनाकर के बोर्डों के चेयरमैनों को भी भेजेंगे, संसदीय सचिवों को भी भेजेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज ही अख़बार में आया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब इस चीज को फिर ओपन किया जा रहा है। आपके वैश्म में सारी बात हो गई थी और तद्नुसार संशोधन कर लेंगे। अब इस इश्यू को वापस... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ... इनको प्रभारी बनाया जाएगा तो प्रभारी क्या है जिले में? बिना मंत्रियों के प्रभारी बन जाएंगे तो फिर अध्यक्ष महोदय, यह तो उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दे दिये, आपके निर्देशों की पालना हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आसन ने दे दी न व्यवस्था। श्री वीरेन्द्र मीणा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वित्त विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)एफडी/इएक्स/2007 दिनांक 1.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(62)एफडी/इएक्स/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)एफडी/इएक्स/2007 दिनांक 1.4.2007 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंस) (एमेंडमेंट) रूल्स, 2007 विरचित किये गये है ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006

श्री अध्यक्ष: श्री युनूस खान, प्रतिवेदन रखें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बाड़ी से गोमना गांव तक 14 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने बाबत

I निम्बाहेड़ा उप खण्ड के बाड़ी मानसरोवर सिंचाई परियोजना में आरक्षित जल से बाड़ी से गोमाना गांव तक 14 गॉवों को पेयजल उपलब्ध कराने बाबत ; एवं

बागदरी (छोटी सादडी) लघु सिंचाई परियोजा की स्वीकृति बाबत

II तहसील छोटी सादड़ी की प्रस्तावित बागदरी लघु सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करने बाबत ।

श्री अध्यक्ष: श्री केशर देव बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में औद्योगिक विकसित करने बाबत

I तहसील लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत ; एवं

लक्ष्मणढ़ (सीकर) में पेयजल व्यवस्था करने बाबत

II लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में पेयजल व्यवस्था करने बाबत ।

श्री अध्यक्ष: श्री तगाराम चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में उल्लेखित दो याचिकाएं...

श्री अध्यक्ष: एक ही याचिका है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी याचिका किस सम्बन्ध में है यह बताइये जरा।

तिलक नगर बस स्टेण्ड (बाड़मेर) के पास ओवर ब्रिज चलाने बाबत

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बाड़मेर शहर स्थित तिलक नगर बस स्टेण्ड के पास विवेकानन्द चौराहा एवं बाड़मेर-जैसलमेर रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर ओवर ब्रिज बनाने बाबत 10 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

गंगरार के विभिन्न बांधों व नहरों की मरम्मत कराये जाने बाबत

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गंगरार स्थित विभिन्न बांधों की नहरों की मरम्मत कराये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर सुरेश चौधरी।

भादरा की नजूल सम्पत्ति के निस्तारण बाबत

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी अनुमति से भादरा कस्बे के मध्य स्थित नजूल सम्पत्ति के निस्तारण बाबत् 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

सूचना

श्री अध्यक्ष: राज्य में बिजली एवं अकाल की स्थिति पर विचार।

अध्यक्ष महोदय की पाक यात्रा के संस्मरण

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम आये तो उन्होंने सब को भेजा है कि यह स्थिति है। आप पाकिस्तान जाकर के आये हैं तो आप अपने अनुभव कम से कम इस सदन को ही बतायें कि हम बिना यात्रा किये ही देख सकें। आडवाणीजी जिन्ना की मजार पर जाकर के आये, आप भी वहां पधारीं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आप बिजली और अकाल के ऊपर जो चर्चा होगी, मैं समझती हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पाकिस्तान यात्रा के संस्मरण हैं वे तो मैं आपको चैम्बर में भी सुना सकती हूं लेकिन यहां बिजली और अकाल...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यहां सुनायें साहब, आपके चैम्बर में कैसे आयेंगे सारे। (व्यवधान) एक मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है, कौनसी चर्चा हो रही है? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आडवाणी साहब भी जिन्ना की मजार पर जाकर के आये हैं तो आप भी पधारीं या नहीं, कम से कम...

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं किसी की मजार पर जाकर के नहीं आई। मैं तो वहां पर एशिया रीजन और इण्डिया रीजन के प्रिजाइडिंग आफिसर जितने हैं उनकी कांफ्रेंस थी उसको अटेंड करके आई हूं। मैं किसी मजार पर जाकर के नहीं आई। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमने न्यूज पेपर में आपने संबोधन दिया है वह पढ़ा था तो हम चाहते हैं कि उसके कुछ उद्धरण, कुछ अंश यहां हमको भी तो सुनने को मिले। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी इन्फार्मेशन के अनुसार...

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है या पाइंट आफ आर्डर है?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इन्फार्मेशन है। मेरी जानकारी के अनुसार...

श्री अध्यक्ष: क्या इन्फार्मेशन दे रहे हैं आप?

ओ बी सी के युवकों द्वारा आंदोलन विषयक

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं बता रहा हूं। एक मिनट मुझे इजाजत तो दें। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में जो ओ बी सी के युवक हैं वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जगह-जगह उनमें असंतोष है क्योंकि केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों ओ बी सी को टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण दिया था और उसके कारण सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका गई और उन्होंने उसमें स्टे दे दिया। इसके कारण बहुत जबरदस्त असंतोष है। साउथ के अन्दर आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, साउथ में कई स्टेट्स बन्द हुए, महाराष्ट्र के अन्दर रोड्स ब्लॉक कर दीं। अब राजस्थान में भी ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि ऐसी स्थिति हो रही है कि ओ बी सी के विद्यार्थियों के अन्दर, स्टूडेंट्स के अन्दर, यूथ के अन्दर बहुत ज्यादा असंतोष है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आये उसके पहले ही हमारी भावना केन्द्र सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि वो तुरन्त इस मामले का निपटारा करवायें और आवश्यकता पड़े तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करें क्योंकि कांस्टीट्यूशन की मूल भावना यह थी कि एस सी, एस टी और ओ बी सी के जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज की और राष्ट्र की मुख्य धारा में अतिरिक्त प्रोटेक्शन देकर के कैसे खड़ा किया जाए। इसलिए उस भावना के साथ केन्द्र सरकार ने जो आरक्षण दिया था ओ बी सी के छात्रों को, विद्यार्थियों और युवकों को। उसमें इंटरिम स्टे हो गया है।

श्री अध्यक्ष: यह इन्फार्मेशन आ गई आपकी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसलिए हमारी भावना केन्द्र सरकार को हम पहुंचाना चाहते हैं। ओ बी सी के सारे की भावना सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में केन्द्र

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सरकार कार्यवाही करे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं ताकि कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो। आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): केन्द्र सरकार ने कह दिया कि अपील में जा रहे हैं। कोर्ट का मामला है, क्यों डिस्कशन कर रहे हो यहां पर? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कोर्ट में क्या है, कोर्ट की पीठ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार स्वयं इस चीज को जानती है। केन्द्र सरकार ने आरक्षण दिया था ओ बी सी को और केन्द्र सरकार अपील में जाएगी, नियमों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो उसकी बात करेंगे लेकिन आज आपने जीरो ऑवर तो खतम कर दिया और उसके बाद यहां पर चर्चा हो रही है। आज अकाल और बिजली पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे क्या? (व्यवधान) आप कर सकते हो तो करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखे नाथूसिंहजी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): केन्द्र सरकार स्वयं चिंतित है इस मामले पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया है यहां पर? बैक-लाग तो आपका पूरा हुआ ही नहीं यहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आपको कोई इन्फार्मेशन देनी थी वह दे दी, बात खत्म हो गई। अब आगे चलिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था उस पर तो कुछ कहा नहीं और उनको अलाऊ कर दिया। यह क्या बात हो गई?

श्री अध्यक्ष: किसको अलाउ किया है। यह पाइंट आफ इन्फार्मेशन थी...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके लिए सारे माननीय सदस्य बराबर हैं। मुझे तो आपने स्थगन प्रस्ताव पर कह दिया कि सरकार को भेजेंगे और टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य की पूरी बात सुन ली। यहां तो आपका बड़प्पन होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका न्याय बराबर होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पाइन्ट आफ आर्डर और पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन के आधार पर ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आप सर्वोच्च आसन पर हैं, जब मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था तो मुझे भी बोलने देते, आप मुझे भी बोलने देते...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैंने पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन दी है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इन्फोर्मेशन से पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है उसी के आधार पर दिया है कि ओ बी सी पूरी उद्वेलित है, ओ बी सी के साथ अन्याय हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर सर्व-सम्मति से प्रस्ताव लिया जाना चाहिए, अन्य राज्यों की विधान सभाओं में भी सर्व-सम्मति से प्रस्ताव लेकर के भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन की यह परम्परा है कि इस सदन में पाइन्ट ऑफ आर्डर और पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के आधार पर यदि कोई माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो वह बात सुनी जाती है, मैंने सोचा कि क्या पता क्या इन्फोर्मेशन देंगे, कोई नई इन्फोर्मेशन लाए हैं, मुझे क्या पता था कि ये ऐसी घिसी-पिटी इन्फोर्मेशन देंगे, मुझे थोड़े ही मालूम था...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घिसी-पिटी इन्फोर्मेशन नहीं है, यह देश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्य की विधान सभाओं ने इस पर सर्व-सम्मति से प्रस्ताव लिए हैं, हमारी विधान सभा भी इस पर सर्व-सम्मति से प्रस्ताव लेकर के भेजे ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, यह हमें बड़ा दुःख है आपने जो प्रतिक्रिया दी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य आपने इन्फोर्मेशन दे दी (व्यवधान) आसन से क्या चाहते हैं आप? आपने इन्फोर्मेशन दे दी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार आश्वासन दे रही है आपको तो केवल यहां से एक प्रस्ताव लेकर के भेजना है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): हमारी विधान सभा से सर्व-सम्मति से प्रस्ताव लिए जाने के लिए आप निर्देशित करें (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) इसको 9वीं सूची में डाला जाए, अगर 9वीं सूची में आ जाता है उसके बाद में सारी व्यवस्था ...(व्यवधान) आपको यह करना चाहिए अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों की विधान सभाओं में इस आदेश के खिलाफ सर्व-सम्मति से प्रस्ताव लिए गए हैं, हमारी भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन में संकल्प पारित करवाने से पूर्व ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) भेजा जाए, उनकी टिप्पणी को आप घिसी-पिटी कहते हो अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घिसी-पिटी का मतलब पुरानी बात है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आखिर इतने विद्वान व्यक्ति हैं ये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें क्या बात है? पुरानी बात है यह...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान के करोड़ों नौजवानों के भविष्य का सवाल है (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे आप घिसी-पिटी नहीं कह सकते ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य का सवाल है और राजस्थान विधान सभा उसी तरह का एक प्रस्ताव अगर जिस तरह का तमिलनाडु और कर्नाटक की विधान सभा ने प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भिजवाया है, भिजवाये, ताकि चाहे इस नियम में हमें संशोधन करना पड़े ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसे संविधान की 9वीं सूची में डालने का प्रस्ताव ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और केन्द्र सरकार जिस भावना के साथ यह ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): संविधान पीठ फैसला नहीं कर सके इसलिए यह प्रश्न सारे सदस्यगण ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें,

(श्री अध्यक्ष)

ऐसा है कि सदन में कोई भी संकल्प पारित करने से पूर्व राज्य सरकार से भी बात करनी चाहिए, ऐसे थोड़े ही संकल्प पारित हो जाता है कि आप पांच आदमी खड़े हो जाए और मैं ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह पांच आदमियों की मांग नहीं है अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कहिए न, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात के लिए...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): पांच आदमियों की बात नहीं है यह देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात की ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, प्लीज स्थान ग्रहण करें, अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें, आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें आप मैं कहती हूं आपसे...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) पारित नहीं होता है यदि आपको संकल्प लाना है तो संकल्प लाते आप, मैं कब मना कर रही हूं, लेकिन पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के आधार पर आप कोई संकल्प पास करवाना चाहते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ×××

श्री अध्यक्ष: किसका?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल आपके पास पूरा दिन था ना ...(व्यवधान) कल इनका दिन था कल क्यों नहीं लेकर के आये, प्राइवेट मेम्बर डे पर ले आते आप ... (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर को सस्पेंड करके उनको सरकार के पास भेज दिया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): देवल साहब, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है एक मिनट, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय इस हाउस के अंदर ऑन-रिकार्ड आप उठाकर देख लीजिए कि इस नाली के अंदर, इस नाली में कुत्ता मर गया उसकी चर्चा यहां पर हुई, इस हाउस के अंदर फला जानवर, फला जगह मर गया इसकी चर्चा हुई और उनको एक्सेप्ट किया गया, मैंने जिस चीज को लेकर के सारा देश उद्वेलित है, पूरा राजस्थान उद्वेलित है, आपने उसको कह दिया घिसी-पिटी इन्फोर्मेशन है....

श्री अध्यक्ष: आप संकल्प लाते, नो-नो....

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर के कि कृपया आपने जो टिप्पणी की है, उस 85 प्रतिशत लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, उस टिप्पणी को आप अगर वापिस ले लें तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। 85 प्रतिशत लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और आप घिसी-पिटी इन्फोर्मेशन बता रहे हो, महाराष्ट्र की सड़कें जाम हैं, तमिलनाडु बंद है, आंध्रप्रदेश के अंदर हंगामा हो रहा है, पूरा साउथ खड़ा हो गया है और राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह इन्फोर्मेशन आज की तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले फैसला दे दिया था, इसलिए जो सूचना बहुत पहले आ गई वह पुरानी सूचना तो है ही...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उस संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं, हम उस संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि जो अंतरिम आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ केन्द्र सरकार कोई कदम... (व्यवधान) कोई न कोई इसका रास्ता निकाले, यह कोई घिसी-पिटी सूचना नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, आप किस पर चर्चा कर रहे हो, न आपको अकाल पर चर्चा करनी है, न आपको बिजली पर चर्चा करनी है, मैं यह मानूं, यह समझूं...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं से मुख्य मंत्रीजी को अवगत भी करा देंगे और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय जो हमारी कार्य समिति है उसका प्रस्ताव पहले से लिया जा चुका है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी को सदन की भावना से अवगत करा दूंगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी आप पहले रखे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी तरफ से मुझे बहुत दुःख है कि अगर सर्वश्रेष्ठ विधायक ऐसे आपका कान्फीडेंस लेकर के चाहे जो बोल देंगे, यह तो बहुत अनुचित है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने अनुमति लेकर के बोला है माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को पहले अवगत करा दिया था कि मैं इस विषय को सदन के अंदर पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन से मैं सदन को अवगत कराऊंगा क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, कई यूनिवर्सिटीज् में, इसलिए आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो कि मैं अध्यक्ष महोदय के विश्वास को तोड़ रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): × × ×

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने नहीं की और उन्होंने वह टिप्पणी की थी, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि हमारा सर्वश्रेष्ठ विधायक इस तरह से स्पीकर साहब के कांफीडेंस को हिलायेगा। यह हमने कल्पना नहीं की थी।

राज्य में बिजली एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अकाल राहत मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): × × ×

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): यह मामले की बात नहीं है यह आप दो के बीच की बात है। मामले की कोई बात नहीं है मामला उठाओ।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): × × ×

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हमने तो आरक्षण लिया है लड़ करके हमने तो आरक्षण लड़ करके लिया है संघर्ष करके और हमने ही कमीशन बैठाया था ऑल इंडिया बेसिस पर और उसी आधार पर आरक्षण जाटों को मिला था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आपने अध्यक्ष महोदय, नाम पुकार लिया इनका।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। बोलें, आप बोलें।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि जब इस विषय पर चर्चा होती है तो प्रतिपक्ष की तरफ से शुरूआत की जाती है, हमेशा यह परम्परा रही है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि पूर्व की भांति आज भी प्रतिपक्ष की तरफ से बुलवाने का क्रम जारी रखें।

श्री अध्यक्ष: अब मैंने नाम पुकार लिया उसके बाद में आपको कह दूंगी। दो आपके बुला दूंगी। ऊपर पर्ची ये पड़ी थी इसलिए उनका नाम हो गया, आपकी पर्ची इसके नीचे लगी थी। (व्यवधान) मैंने नहीं लगायी थी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपको यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बिजली पर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज व्यक्ति के दैनिक जीवन में बिजली का उपयोग बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: इसी क्रम में आयी, पहले इनकी आयी, आपकी बाद में आयी। पहले पर्ची इनकी आयी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पर्ची तो सबसे पहले हमने दी है साहब बोलने की।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह तो सुनने की कृपा करें कि सत्ता पक्ष बिजली पर क्या चर्चा करेगा। सत्ता पक्ष अकाल पर, बिजली पर क्या चर्चा करेगा।

श्री अध्यक्ष: क्यों?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष: क्यों नहीं कर सकता?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आत्मा मरी हुई है इनकी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

ये क्या चर्चा करेंगे। चर्चा आपको करानी है सार्थक तो आप प्रतिपक्ष को मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़ सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इनकी आत्मा मरी हुई है ये क्या चर्चा करेंगे ...(व्यवधान) यह कह रहे हैं कि क्या चर्चा करेंगे इनकी तो आत्मा मरी हुई है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ...(व्यवधान) ये तो प्रशंसा करेंगे हमको समस्या बतानी है यह अंतर है साहब। हम तो अपनी समस्या रखेंगे और ये प्रशंसा करेंगे इसके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है सत्ता पक्ष में तो प्रशंसा ही प्रशंसा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिपक्ष के नेताजी हैं ये क्या बोलते हैं इनको खुद को भी बाद में मालूम पड़ता है। ये क्या बोलते हैं ये इनको बाद में पता चलता है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ये तो खाली प्रशंसा के ढोल पीटेंगे और अपनी समस्या रखेंगे। समस्या रखने वाले को पहले बुलाना चाहिए ढोल पीटने वाले तो बाद में पीट लेंगे।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता आप हो या आप हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): नहीं, ढोल पीटने का तो आज एजेंडा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, पहले पर्ची इनकी तरफ से आयी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी आत्मा तो सोयी हुई है कभी जागती ही नहीं है पूरा सत्र चला गया एक दो बार श्रीमुख से बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आप पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता नेता प्रतिपक्ष।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज आप से ही मार्गदर्शन ले लें आप भी बोलों कुछ। न अकाल पर बोले, न बिजली पर बोले, न अभिभाषण पर बोले, न बजट पर बोले और शिक्षा हमें दे रहे हैं कि उनकी आत्मा मरी हुई है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप बोलने कहां देते हैं आप बोलने दें इधर से। यह प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है न हमारे को बोलने का मौका दो। आप हमारे को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। (व्यवधान) आप पूरी दादागीरी चला रहे हो। ये मीणा साहब तो दादागीरी चला रहे हैं पूरी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नेता प्रतिपक्ष ने जब कभी भी सदन में बोला है ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आत्मा मरती नहीं है आत्मा अमर है। आत्मा तो अमर है कभी मरती नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आत्मा कभी भी मरती नहीं है आत्मा अजर-अमर है। किसी भी आत्मा को मारने का कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अपन भारतीय संस्कृति के अन्दर हैं और भारत में रहते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बात बिलकुल सही है कि इतने वर्षों ...

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह):...(व्यवधान) जो विशेष ज्ञान दिया है मैं समझता हूं कि इसके लिए हम इनके आभारी हैं कि आत्मा मृत होती है। यह विशेष ज्ञान दिया हमको, इसके लिए बहुत आभारी हैं। इनके बहुत आभारी हैं आज तक तो हम समझते आ रहे थे, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है और प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आत्मा मरती है इनके ज्ञान के लिए हम बहुत आभारी हैं इनका जो ज्ञान इन्होंने प्रदर्शित किया सदन में।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मैं इस विधान सभा के सदस्य की हैसियत से बता रहा हूं कि आत्मा जो आपकी जीवित है वो भटक रही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मरी हुई है कि भटक रही है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आत्मा भटक रही है वो अपनी जगह पर नहीं है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा भटक रही है कि मरी हुई है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): इसलिए आप कुछ नहीं बोल सकोगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और यदि भटक रही है तो जिन्दा है ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह शरीर मरता है भारतीय संस्कृति में अपन अजर-अमर हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं और वो ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): भटक रही है तब तो जिन्दा है अध्यक्ष महोदय, मैं एतराज करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इनकी आत्मा मरी हुई है फिर इन्होंने बोला कि आत्मा भटक रही है और यदि भटक रही है तब तो जिन्दा है। अब आपने क्या कहा ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) बातें बोल रहे हो, ढोल पीट रहे हो ऐसा अकाल पड़ा हुआ है। आत्मा मरी हुई है तभी तो ढोल पीटने के लिए बोल रहे हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी मालूम पड़ जाएगा कि मरी हुई है कि जिन्दा है आपको पता चल जाएगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और बिजली जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा होनी है और सदन कितना गम्भीर है आप देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अकाल और बिजली में आत्मा की बात कहां से आ गई? चर्चा करो अकाल की स्थिति पर।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अब राजस्थान में तो किसानों को तो दुःख हो रहा है कि अकाल में लोग मर रहे हैं और सदन में कैसा माहौल है आप देखें।

श्री अध्यक्ष: सदन का माहौल तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने ही आत्मा मार कर कर दिया न क्या करें। (व्यवधान) आत्मा मर गयी इनकी क्या बोलेंगे ये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने बिजली जैसे विषय पर चर्चा प्रारम्भ करवायी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों की बात पर मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारा भी नाम लेना आज।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, नाम पुकार लिया मैंने।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुंझुनूं में अकाल है मेरे को भी बोलने का मौका देना।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति के दैनिक जीवन में हम यह मानें कि बिजली का उपयोग बढ़ा है। चाहे सर्दी का समय हो तो तापमान गिरे हुए को सामान्य करने के लिए बिजली का उपयोग करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से उष्णता के समय में तापमान को गिराने के लिए बिजली का उपयोग करना पड़ता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी यहां आने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना पड़ता है तो बिजली का उपयोग सभी जगह पर है और बिजली का उपयोग इतना बढ़ा है कि आज जैसे महाराष्ट्र में बोम्बे जैसे शहर में पहले बिजली की कमी-कभी भी महसूस नहीं की जाती थी लेकिन आज समाचार पत्रों में आया है कि वहां पर चार सौ मेगावाट बिजली की कमी आ गयी और उस सरकार को भी चिन्ता करने की जरूरत पड़ गयी है कि क्या कटौती करनी पड़ेगी या उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के राजस्थान प्रवास के समय में उन्होंने जो टिप्पणी की उसके लिए मैं आपका ध्यान पुन: आकर्षित करना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया यह कि राजस्थान में जो बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इस दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं यह महसूस किया कि राजस्थान निश्चित रूप से 2008 में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। मैं इसके लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसके लिए स्वयं महामहिम राष्ट्रपतिजी ने इस बात को महसूस किया कि राजस्थान में इस दिशा में राजस्थान सरकार महत्वपूर्ण काम कर रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: ये आप क्या कर रहे हैं मि. रिछपाल सिंह मिर्धा, What are you doing? आप बोलने वाले के बीच से निकल कर आ गये। आप पुराने सदस्य हो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं ... (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय के पास जा रहा था।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य, आप दूसरे की सीट से बोल रहे हैं और गलती कर रहे हैं। दूसरी गलती और कर रहे हैं कि दूसरे की सीट से बोल रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ...(व्यवधान) मैंने तो माफी मांगी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माफी मांगें तो भी अपनी जगह पर जाकर मांगें तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी ये एतराज कर रहे हैं इसका कारण यह है कि जब इनका राज था तो इन्होंने इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किये। किसानों को कनेक्शन देने में इन्होंने आना-कानी की, रोक लगा दी थी और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है इन्होंने किसानों को कनेक्शन देने में बहुत उदारता बरती और यही कारण है कि अभी तीन वर्षों में हमने एक लाख पांच हजार छः सौ नौ कृषि कनेक्शन जारी कर दिये। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिसके लिए पूरा किसान वर्ग हमें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब इनका राज था कांग्रेस का तब इन्होंने किसानों को बिजली की रेट प्रति यूनिट की बढ़ायी । पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पचास पैसे प्रति यूनिट किसान से वसूला जाता था लेकिन इन्होंने बढ़ा करके नब्बे पैसे किया यानी 85 प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिया प्रति यूनिट, यानी कैसे किसानों के हितैषी हैं आप किस प्रकार की बात करते हैं। अब आत्मा किसकी मरी हुई है यह थोड़ा विचार कर लीजिये। किसानों के प्रति किसने चिन्ता जाहिर की।

श्री अध्यक्ष: आप तो अकाल और बिजली की बात करें। आप आत्मा की मत करो बात।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा इनकी आत्मा के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा अध्यक्ष महोदय। अब इनकी आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी लेकिन एक खुशी की बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि हमने बिजली की रेट्स नहीं बढ़ायी ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आत्मा के बारे में क्या बोलेंगे जिनकी मर चुकी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमने बिजली की रेट यथावत रखी। बिजली की रेट को नहीं बढ़ने दिया। चाहे हमें कितनी भी बिजली खरीदनी पड़ी,

(श्री मदन राठौड़)

चाहे कितने ही रुपये खर्च करने पड़े लेकिन हमने बिजली की दरें नहीं बढ़ायी। तीन वर्षों में बिजली की दरें यथावत रखी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए भी वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए और हमने यह भी तय किया अध्यक्ष महोदय, कि हम 2010 तक बिजली की दरें नहीं बढ़ायेंगे। किसानों को 2010 तक उसी रेट पर हम बिजली उपलब्ध करायेंगे इसके लिये भी मैं बिजली मंत्रीजी का और वर्तमान सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, यही नहीं जो ड्रिप इरिगेशन करता है, जो फव्वारा पद्धति से खेती करता है उसके लिये हमने 10 पैसा प्रति यूनिट कम किया है । उस पद्धति को हम बढ़ावा देना चाहते हैं इसके लिये भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा । यही नहीं जो मीटर प्रणाली से कृषि कनेक्शन थे जिस पर पहले 85 रुपया प्रति हार्स पावर प्रतिमाह लिया करते थे हमने 10 रुपये घटाकर 75 रुपये किये इसके लिये भी मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: आपको व्यवधान डालने के लिये मैं क्षमा चाह रही हूं । माननीय सदस्यों से मैं यह कहना चाह रही हूं कि आज जो चर्चा हो रही है वह बिजली और अकाल की समस्या क्या है और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है यह सुझाव सरकार को दें । क्या उपलब्धियां हैं इसके लिये चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं थी । वह तो मंत्रीजी बतायेंगे इसलिए आप यह बताइए कि आपके इलाके में बिजली देने में कोई गड़बड़ है, बिजली पाने में कोई गड़बड़ है या कोई बिलों में है या आपके ट्रांसफार्मर टाइम पर नहीं मिलते। मतलब जो बिजली के संबंध में आपकी समस्या है वह बताइए तो ज्यादा उपयुक्त होगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): समस्या ही नहीं है तो क्या बतायेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिसके कोई समस्या ही नहीं है...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब कभी भी मैं बोलता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आप एक बार सुन लो प्रतिपक्ष के नेता को ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जिसके कोई समस्या ही नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

है वह क्या बतायेगा आपकी भावनओं के मुताबिक, वह तो वह बतायेंगे जो दुःखी है उनको तो आप मौका देती नहीं हैं आपने उनको खड़ा कर दिया ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बहुत बडी समस्या है और वह है माननीय नेता प्रतिपक्ष मुझे बोलने नहीं देते । जब कभी भी मैं खड़ा होता हूं तो यह बीच में टोकने के लिये खडे हो जाते हैं । मैं आपको यह निवेदन करूं कि कल मेरी पर्ची थी तब भी यह +++ मुझे एक वाक्य बोलने नहीं दिया और अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप एक बात महसूस करें कि आज किसान को जरूरत है बिजली की कि उसको कम से कम 8 घंटे बिजली मिले । आज आम उपभोक्ता को जरूरत है कि उसके हमेशा लट्टू जलता रहे, विद्यार्थी को जरूरत है कि पढ़ाई के लिये उसको बिजली उपलब्ध रहे ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, जब इनको बीच में कोई टोकता है तो इनको बड़ा दुःख होता है और अब आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय के लिये कह रहे हैं कि आप +++ +++ शब्द बोला है इन्होंने । प्रतिपक्ष के नेता के लिये इन्होंने कहा कि जब भी मैं बोलता हूं बीच में आप +++ हो । यह बहुत ही गलत शब्द है इसको निकाला जाना चाहिये ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह तो बीच में व्यवधान करने के लिये +++ की जरूरत क्या पड़ गई । शांति से बात करते हैं आपका अवसर आयेगा आप बोलिए । आपको क्या जरूरत पड़ गई बीच में टोकने की। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इनको यह डर है कि कहीं इनकी पोल खुलेगी और इतनी पोल खुलेगी कि यह शर्मसार हो जायेंगे, +++ यह स्थिति इनकी होने वाली है । पता नहीं इनको क्या हो जाता है जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है, कोई बात करता है आप भी जब अवसर आये आप जवाब दे देना ।

श्री अध्यक्ष: आप तो बिजली पर बोलो ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने यह बात कही कि आज आवश्यकता है कि विद्यार्थी को पढने के लिये बिजली मिले लेकिन इन्होंने कभी भी चिंता नहीं की, इन्होंने कभी भी विद्यार्थी की चिंता नहीं की और चिंता की है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है जिन्होंने फीडर रिनोवेशन का काम शुरू किया । यानी बिजली की छीजत को कम करने के

(श्री मदन राठौड़)

लिये जिस किसी भी क्षेत्र में जहां 15 प्रतिशत छीजत रह जायेगी उस क्षेत्र को 24 घंटे बिजली मिलेगी और इस दिशा में जो वर्तमान सरकार ने सराहनीय प्रयास किये हैं उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। इससे आपको दर्द होता है, इसके कारण आपके पेट में मरोड़े उठते हो तो उसका तो इलाज मेरे पास है नहीं । यहां पर व्यवस्थाएं भी हैं कि आप उसका इलाज वहां जाकर करवा दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी ओलावृष्टि हुई । ओलावृष्टि में किसानों को रबी की फसल पैदा करने में जो चार महीने लगते हैं उन चार महीनों के बिजली के बिल माफ करने की जो घोषणा की है, यह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और इसके लिये मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: जिन मंत्रियों को आज बोलना है, जवाब देना है वह प्लीज माननीय सदस्यों से डिस्कस नहीं करें । मंत्रीजी आज आप सबसे कहें कि आपको डिस्टर्ब न करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने कभी भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की । इनका पांच वर्ष का कार्यकाल भी निकाला होगा इन्होंने कभी भी ओलावृष्टि या किसी भी तबाही के समय में किसानों को राहत देने की कोई कोशिश नहीं की । अध्यक्ष महोदय, अभी जो एक व्यवस्था हुई है कि एक किसान अपने खेत में यदि उसके दो कुए हैं तो एक कनेक्शन से दो कुए चला सकता है, यह कोई कम बात नहीं है यह बहुत अच्छी बात है और इसकी प्रशंसा तो करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आज आप माननीय सदस्यों से कहें कि वह आपको डिस्टर्ब नहीं करें, आप सुने कौन क्या कह रहा है आपको जवाब देना है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक किसान अपने खेत में एक कनेक्शन से दो कुए चला सकता है यह बात पहले किसी के समझ में नहीं आई यह इन्होंने व्यवस्था की है और यही नहीं उसके खेत में एक से अधिक कनेक्शन वह लेना चाहे, एक कुए में पानी कम है और दूसरी जगह उसने और कुआ खुदवा दिया और वहां पर भी वह कनेक्शन लेना चाहे तो एक खेत में दो कनेक्शन भी ले सकता है । यह दोनों बातें बहुत सराहनीय हैं और इसके लिये निश्चित रूप से सराहना की जानी

(श्री मदन राठौड़)

चाहिये। यह बहुत जरूरत थी किसानों को, इसकी बहुत आवश्यकता थी किसानों को ।

श्री अध्यक्ष: एक कनेक्शन से दो कुए चलायेंगे यह बात मेरे समझ में नहीं आई ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक कनेक्शन से दो कुए वह चला सकता है ।

श्री अध्यक्ष: कैसे चलायेगा ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वहां पर हार्स पावर की व्यवस्था होती है जैसे तीन हार्स पावर की यहां लगाई, तीन हार्स पावर की वहां लगाई इस प्रकार की व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष: आप खेती करते नहीं आपको नहीं मालूम । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां बैठे हैं थोडा वैरीफाई कर दो यह क्या कह रहे हैं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं कह रहा हूं तो वह जवाब दे देंगे आप थोडा धैर्य तो रखो । जो बात मैंने कही है कि एक कनेक्शन से ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने जो बात कही है फिर आपसे अध्यक्षजी ने स्पष्टीकरण मांगा है वह आप दे ही नहीं पा रहे हो ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बोल रहा हूं ना ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप नहीं दोगे तो फिर वह देंगे । आप समझा दो अध्यक्षजी को ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दो पम्प चला सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, लोड एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): Load extension is another thing.

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दो ना क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आई कि एक से दो कुए कैसे चलायेंगे ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्षजी तो ऊर्जा मंत्री रही हैं स्वयं और राजस्थान की सफल ऊर्जा मंत्री रही हैं ।

श्री अध्यक्ष: और मैं काश्तकार भी हूं ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अगर एक खेत में एक कुआ हो और उपभोक्ता एक और कुआ खुदवाना चाहे तो वह लोड एक्सटेंशन करके सैकिंड कनेक्शन भी ले सकता है ।

श्री अध्यक्ष: वह अलग बात है, लेकिन वह एक कनेक्शन से दो कुए कैसे चला सकता है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मतलब एक कनेक्शन से दो कुए वह चला सकता है, दो पम्प लगा कर, लोड एक्सटेंशन के लिये वही मैंने निवेदन किया था ।

श्री अध्यक्ष: कैसे चलायेगा एक कनेक्शन से दो कुओं को समझ में नहीं आई बात ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं । मैं यही निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: ठीक है आगे बढ़िए आप ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, क्या एक बार हम कनेक्शन ले लेते हैं तो उससे दो कुओं पर चला सकते हैं क्या। मंत्रीजी हमारे माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनकी भावनाओं को आप क्लियर क्यों नहीं करते ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): लोड बढाने की फाइल लगानी पड़ेगी, आपको पेमेंट देना पड़ेगा और फिर उससे लोड़ बढा सकते हैं ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): वह तो अलग बात है, माननीय राठौड साहब जो बता रहे हैं इसके मुताबिक आपकी क्या भावना है ।

श्री अध्यक्ष: राठौड साहब को पूरी तरह से ज्ञान नहीं है ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने बोल दिया लोड एक्सटेंशन के बारे में । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो कुए कैसे चलायेगा एक कनेक्शन से ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बता दिया ना, दो पम्प चला सकता है ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह जानते नहीं है .. (व्यवधान) लोड बढ़ जायेगा उसमें चाहे दो कुए चले चाहे चार कुए चले, बिल आ जायेगा ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बिल एक आयेगा दो पम्प चला सकते हैं।

(श्री मदन राठौड़)

आपको समझना है तो और समझ लो वैसे अपन सब को मिला है उसमें यदि आप थोड़ा अध्ययन कर लेते तो शायद यह प्रश्न यहां दुबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । क्योंकि अपन उसमें से पढ़ते तो है नहीं, तैयारी कर के आते नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब उसके पढ़ने से ही काम चल जायेगा तो आप काहे को बोल रहे हो, पढ़ लेंगे ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं बोल रहा हूं उसमें तो आप टोक रहे हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): पढ़ने के बाद समझ कर आयेंगे और भाषण शानदार दे रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो नहीं था मेरे मित्र मदनजी को डिस्टर्ब करूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमको डिमांड में और चर्चा में फर्क तो समझना पड़ेगा । आज बजट की डिमांड नहीं है जिसमें उपलब्धि भी बताएं और कमियां भी बताएं । आज राज्य में बिजली की स्थिति और सूखे व अकाल की स्थिति पर चर्चा है । उस चर्चा में अपनी-अपनी जो समस्याएं हैं कि हमारे यहां यह होना चाहिये वह अगर बतायेंगे तो सरकार की तरफ से समाधान होगा और फिर आप चार बजे कह दो कि आज महामहिम राज्यपाल महोदय आ रही हैं वह बेस्ट विधायकों वाला हो जायेगा तो मैं समझता हूं दो घंटे में कैसे यह चीज हो पायेगी । इसलिए कोई आप एक प्रक्रिया तय कर लें । मदनजी अपनी बात कन्टीन्यू रखें अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो काम चलेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ।

श्री अध्यक्ष: पांच नहीं साढ़े चार बजे ही बंद हो जायेगा ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बोलने तो दीजिए। (व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मैंने आपको नहीं रोका (व्यवधान) आप टाइम फिक्स करो।

श्री अध्यक्ष: किसी भी वक्ता को दस मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, कम से कम टाइम फिक्स करो, सब को मौका मिले बोलने का।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने मुझे कहा, एक मिनट तो बोलने दिया नहीं।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सब अपनी समस्या सुना सकें, कम से कम टाइम तो फिक्स कीजिए।

श्री अध्यक्ष: किसी भी वक्ता को दस मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाता हूं। मैं बोलना शुरू करता हूं और यह टोकना शुरू करते हैं, फिर दर्द भी महसूस करते हैं और मित्र भी बनते हैं, बनते हो तो मित्रता निभाने की तो कोशिश करो। आप मित्र बन रहे हो और बीच में टोक रहे हो। अध्यक्ष महोदय, बीच में टोक रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मित्र कैसे बनाए इनके अंदर की बात आप बाहर कर देते हो। आपको प्राइवेट बात बताते हैं वह बाहर कर देते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जिसकी प्राइवेट लाइफ ठीक नहीं है उसकी सार्वजनिक लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो नरभक्षी है यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको नरभक्षी कह रहे हैं। (व्यवधान) यह कहा है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतकजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके लिए कहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको टैस्ट करने के लिए कह रहे होंगे, हक है उनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह उन्होंने कहा, जो आपने बताया ना उसका नाखून आपके गले में आ गया था। बताया था इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि कई ढाणियां अविद्युतीकृत रह गई और उसका कारण यह रहा कि जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू है वह हमारे पाली जिले में लागू नहीं थी। हमने बहुत कोशिश की कि यह वहां भी लागू हो जाए, इस प्रकार के बहुत प्रयास किए। राजस्थान के कई जिलों में वह लागू थी लेकिन पाली जिले को उससे वंचित रखा गया, इसमें निश्चित रूप से इनकी दोहरी नीति थी। इन्होंने पाली जिले के साथ में, जब कांग्रेस का राज था इन्होंने भेदभाव किया क्योंकि वहां आठ में से आठ विधायक बीजेपी के जीतते थे। अभी छह विधायक जीतकर आए, सांसद हमारा है, जिला प्रमुख हमारा और सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते इसलिए पाली जिले को इन्होंने वंचित रखा।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान की वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और वसुन्धरा राजेजी सिंधिया को जिन्होंने दिल्ली तक संघर्ष किया। हमारे मंत्रीजी ने भी चिट्ठियां लिखी और चिट्ठियां लिखकर अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ पाली जिले को मिल रहा है। इसके कारण निश्चित रूप से अब हमारी जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं, अनुसूचित जनजाति की ढाणियां हैं वह भी अब विद्युतीकृत हो जाएंगी। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं होने दी लेकिन अब होगी इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ट्रांसफार्मर जलते थे और ट्रांसफार्मर जलने के काफी लम्बे समय तक यह परवाह नहीं करते थे लेकिन हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 72 घंटे में, यानि सूचना मिलते ही 72 घंटे में निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे। मैं इसके माध्यम से आपसे निवेदन करूं कि हमने तीन वर्षों में 107030 ट्रांसफार्मर बदले, यह कोई कम बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह जवाब मंत्रीजी देंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, जब विषय आएगा तो बोलना तो पड़ेगा। मेरे यह समझ में नहीं आया मैं काई भी बात बोलूं, मैं बोल तो रहा हूं, जब राजीव गांधी की बात कही तब तो इनको बहुत अच्छा लगा कि राजीव गांधी का नाम ले रहा है लेकिन जब मैं कोई यह बात बोलूं कि यह आपने नहीं किया हमने किया है तो इनको और दर्द होने लग जाता है और एतराज करना शुरू कर देते हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी तो बोल देंगे लेकिन मुझे

(श्री मदन राठौड़)

तो अपनी बात कहने दें। फीडर इनोवेशन के काम करवाने हैं और इसके लिए थोड़ी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता, तो फीडर इनोवेशन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने कितने मिनिट बोला आप देख लें।

श्री अध्यक्ष: आपने 1.06 बजे शुरू किया था अब 1.23 हो रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, उसमें टोका टोकी में कितना गया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान हुआ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह मेरे साथ हमेशा होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके व्यवधान हुआ है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): व्यवधान का समय तो दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको 18 मिनिट इसीलिए दिए हैं कि आपके व्यवधान हुआ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यूं तो मेरा विषय पूरा ही नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: अब तो आप कृपा करो ना मेरे पर। थैंक्यू वेरी मच, थैंक्यू। श्री बी.डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आज विद्युत और अकाल के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। राजस्थान में प्राय: इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए 60 प्रतिशत पैसा खर्च किया जाता रहा है लेकिन पिछले 3 वर्ष 4 महीने में वर्तमान सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए जिसमें प्रमुख विद्युत, सिंचाई दूसरा है, विद्युत के लिए इतनी राशि खर्च नहीं की जिसके कारण 3 वर्ष 4 महीने में जितना विद्युत का उत्पादन होना चाहिए वह उत्पादन नहीं हुआ।

मैं केन्द्रीय सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बरसिंहसर पलाना लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो वर्षों से लंबित था उस योजना को स्वीकृत करके पश्चिमी राजस्थान के उस इलाके में 125 X 2 मेगावाट के दो संयंत्र लगाने का निर्णय लिया और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उसका शिलान्यास भी हो चुका है। उससे पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों को जो एरिड और सेमी एरिड जोन में आते हैं उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): गलत बात बोल रहे हैं कि खर्च कम किया। बिजली खरीदने में कितना खर्च किया और उत्पादन में कितना खर्च किया यह थोड़ा पढ़ लेते तो फिर नहीं बोलते। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने उत्पादन की बात की है यह खरीदने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उत्पादन के बारे में भी आपने गलत जानकारी दी है। (व्यवधान) आप मुझे नहीं बोलने देते हो तो फिर आप कैसे बोलेंगे यह सब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो एक बार भी खड़ा नहीं हुआ आपके बीच में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ऐसा कहना उचित नहीं है। (व्यवधान) आपके भाषण के दौरान मिस्टर बी डी कल्ला एक बार भी न बोले न खड़े हुए और आप..। हर व्यक्ति को यहां आजादी है वह चाहे वह बोले और उस पर न कहीं कोई कार्यवाही हो सकती है, न कोई कोर्ट में जा सकता है। अब वह बोल रहे हैं, अब कौन कितना सही बोलता है, कितना गलत बोलता है, सब आंकते हैं इस बात को। सब आकलन हो रहा है। आप क्यों बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, आप बोलने दें Let him speak.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरे समय में क्या हुआ अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसके राज में काम हो रहा सब जानते हैं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आपको कहने की क्या जरूरत है यह बात । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा जहां तक ख्याल है इनको गलतफहमी हो रही है। कल्ला साहब की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। कृपया करके आप इधर पधार जाओ। नजदीक आ जाओगे तो सुन लोगो तो जवाब भी ठीक ढंग से दे पाओंगे, आप मेहरबानी करिये। नीचे कील है क्या कि आप बार-बार चिल्लाते हो (व्यवधान) एक लीडर बोल रहे हैं। एक लीडर बोल रहे हैं,

थोड़ा उसमें रहा करें। आप ही विधायक नहीं हो यहां।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप क्यों खड़े हो गए, आप तो बैठो, दूसरों को हुकम देते हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था प्रधानमंत्रीजी के हम आभारी हैं कि उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में पलाना बरसिंहसर लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरूआत की और उससे राजस्थान के उन 12 जिलों को, जो एरिड और सेमी एरिड जोन में आते हैं, उनको लाभ मिलेगा। एक बार प्रोफेसर सी एस क्रिश्चियन सन 1959 में यहां पर एक टीम लेकर आए थे यू एन ओ उसमें उन्होंने राजस्थान की एक्स्ट्रीम एरिडिटी जहां पर सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है टेम्परेचर का वेरीएशन, बरसात की कमी और एक्स्ट्रीम एरिडिटी यानि मरूस्थल को देखते हुए वहां के वनस्पतियों का ध्यान रखते हुए 12 जिलों को एरिड और सेमी एरिड जोन में विभक्त किया। जिसमें खासतौर से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, झुन्झुनू, सीकर, चूरू और यहां तक सिरोही तक का इलाका आता है। 12 जिलों को एरिड और सेमी एरिड जोन में बांटा। झुन्झुनू, सिरोही यह सेमी एरिड जोन में हैं और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जहां एक्स्ट्रीम एरिडिटी है उनको उन्होंने एरिड जोन में विभक्त किया। इन 12 जिलों को इस बिजली के कारखाने से बिजली मिलेगी।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 250 मेगावाट बिजली पैदा हुई और राज्य को लगभग साढे बारह सौ मेगावाट बिजली मिली। कुल मिलाकर पिछले पांच वर्ष में यानि 98 से 2003 तक हमने राजस्थान में लगभग 1750 मेगावाट बिजली राजस्थान को पैदा करके दी जिससे किसानों के खेतों में बिजली पहुंची। किसानों को लगभग आठ घंटे बिजली मिली। किसान खुशहाल हुआ। मैं जानना चाहता हूं 3 वर्ष और 4 महीने में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आप यह बताएं कि आपने कितनी बिजली किस-किस संयंत्र से पैदा की, केन्द्रीय ग्रिड से आपको कितनी बिजली मिली और खासतौर से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का 60 प्रतिशत पैसा डवलपमेंट करने के लिए आप खर्च करते हैं उसमें आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर और खासतौर से बिजली के ऊपर कितना खर्च इन 3 वर्ष 4 महीने में किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता आपसे चाहती है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने सन 98 से लेकर 2003 तक बिजली की छीजत को रोकने के लिये 11 के.वी., 33 के.वी. और उसके बाद में 120 के.वी., 220 के.वी. और खास तौर से 11 के.वी. और 33 के.वी. का तो जाल बिछा दिया था और उससे बिजली की छीजत भी कम हुई। लेकिन आज बिजली की छीजत बढ़ रही है जिसके कारण आज बिजली की छीजत बढ़ने के कारण बिजली कम्पनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैं यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने परिवर्तन यात्रा शुरू की, आज की मुख्य मंत्री उस समय भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष थीं, उस समय दो बातें किसानों के सामने रखीं, एक तो यह कहा कि बिजली के बिल में करण्ट आ रहा है, हम जब सत्ता में आएंगे तब बिजली का करण्ट कम करेंगे। अब किसान भाइयों से जाकर पूछो, आम उपभोक्ताओं से पूछो कि बिजली का करण्ट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। 950 करोड़ रुपये की वृद्धि बिजली के बिलों में कर दी, प्रतिवर्ष। और उसके साथ-साथ आज बिजली मात्र साढे तीन से चार घण्टे आ रही है। आठ घण्टे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार ने आज किसानों को मात्र साढे तीन-चार घण्टे बिजली दी है। जिसके कारण वह त्राहि-त्राहि कर रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस किसान के खेत में पानी खत्म हो गया है वह चाहता है कि दूसरे रकबे पर वह कुआं खोदकर कनेक्शन लेना चाहे तो उसको कनेक्शन नहीं मिलता है। कई बार किसानों का मीटर जल जाता है, मीटर जलने के बाद, अध्यक्ष महोदय, उस मीटर को बदलने के लिये पैसे लिये जाते हैं। किसान की तो कोई गलती नहीं, बिजली में फ्लक्चुएशंस आने के कारण मीटर जल गया, लेकिन किसान को बार-बार मीटर जलने पर उसकी राशि जमा करानी पड़ती है। और उसमें भी, राशि जमा कराने के बाद दो महीने से लेकर चार महीने तक मीटर बदला नहीं जाता है। इससे भी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसको ठीक किया जाना चाहिए। गांव में जो बिजली की लाइनें पड़ी हुई हैं, वह बिजली की लाइनें इतनी ढीली हैं कि उसके कारण कई बार ट्रक टकरा जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिये गांवों में जो विद्युत लाइनें डाली हुई हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है, दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि खास तौर से बकाया कितना है राज्य में और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उसके लिये आपने 3 वर्ष और 4 महीने में क्या अभियान चलाया। मैं जानना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जो विद्युत के बिलों का बकाया है, वह खास तौर से बड़े लोगों का बकाया है। उस बकाया की वसूली के लिये आपने क्या-क्या प्रयत्न किये और कितनी-कितनी वसूली की और अब कितना बकाया है। उसके लिये आपके पास क्या योजना है, उसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे, राज्य का हजारों करोड़ रुपया जो बिजली का बकाया है वह वसूल होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप चाहते हो ना वसूली करें हम।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, मैं चाहता हूं वसूली हो, बकाया की वसूली हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभियान चलाएं, किसान का कनेक्शन काटें। किसान के कनेक्शन काटकर वसूली करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मना कर रखा है कि टोका टाकी न करें, पर कह क्या रहे हैं, यह रिकार्ड पर जा रहा है। कल्लाजी, आपकी पार्टी के लोग ही नहीं छोड़ेंगे आपको।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): किसानों के तो आप कनेक्शन ही काटोगे। राठौड़ साहब, किसान के तो कनेक्शन ही काट देंगे, वसूली हो जाएगी। बड़े लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं, उनसे सरकार मिली हुई है, लाखों करोड़ों रुपया जिनके बिल बकाया हैं, उनकी बात है।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): बड़े लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उन किसानों को कौन छोड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनके मुंह से निकली हुई बात, कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के मुंह से निकली हुई बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो चाहेंगे वह कहेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, बड़े लोगों का बकाया है और यह किसानों पर आ गये। यह बात को डाइवर्ट करने के मास्टर हैं। मैं कह रहा हूं बड़े लोगों के बकाया हैं और आप आ गये किसान पर।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): किसानों को तो कौन छोड़ेगा वहां पर।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी मास्टरी कम करो थोड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने कह दिया तो अब चुप रहेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बात को ट्विस्ट करने का यह इन्होंने अपने पुराने नेता से सीखा है, बात को ट्विस्ट कैसे करना। लेकिन हमारे मुंह में आप अपने शब्द नहीं डाल सकते । हम किसान के हितैषी हैं, आप लोगों की सरकार, किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों के प्रति संवेदना हीन हैं आप लोग।

मैं इसके अलावा आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आर.ए.पी.पी. का थर्ड यूनिट, जिसकी ढाई सौ मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती है उसे आपने मध्य प्रदेश को क्यों दे दी। इससे क्या आप ढाई सौ मेगावाट बिजली जो हमेशा राजस्थान को मिलती थी, उसको कहां से लाएंगे।

एक बात जो राजस्थान के हित की महत्वपूर्ण है। हमेशा जब यहां विपक्ष में बी.जे.पी. रहती थी तो इण्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स को हमेशा उठाती थी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने इण्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स के मामले में क्या-क्या किया। आज रावी और व्यास का पानी जहां-जहां से गुजरता है, रिहन्द, थीन डेम, इसके ऊपर हमारा जो भी बिजली का हिस्सा बनता है, उसको लेने में आपने क्या वार्ता की। क्या आपने कभी पंजाब से वार्ता की, आज पंजाब में आपकी सरकार है। आपने उसके बारे में कब-कब कैसी मीटिंग में इन मसलों को उठाया। राजस्थान के हितों की हमेशा बात करने वाले जब आप विपक्ष में थे तो राजस्थान के हितों की बात करते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद आप शिथिल हो जाते हैं। सत्ता में आने के बाद इस प्रकार की कोई बात नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि पंजाब की रावी और व्यास की नदियां, जिनके ऊपर बिजली घर बने हैं उसमें राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिये आपने क्या-क्या प्रयत्न किये और राजस्थान के हितों के बारे में आपने क्या-क्या रक्षा की, इस बारे में आप बतायें।

इसके आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि कोल और पार्वती योजना में भी हमारा हिस्सा था। इस कोल और पार्वती योजना में जो एग्रीमेंट हुआ था

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उस एग्रीमेंट के आधार पर उसमें हमको कम से कम एक हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली मिलती। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कोल और पार्वती योजना, जो अब सेण्ट्रल ग्रिड में चली गयी है उसके लिये आपने क्या प्रयत्न किये, उसमें हमको कैसे-कैसे, कितनी-कितनी बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश के साथ जो हमारे समझौते हैं और चम्बल के ऊपर लगने वाले बिजली घर में हमारा हिस्सा अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसी प्रकार रोपड़ का जो बिजली घर है उसके बारे में हमारा जो विवाद चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। तो इन इण्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स से जो-जो हल होकर, विवाद हल करके हमको बिजली मिलनी चाहिए उस बिजली के बारे में आपको निश्चित रूप से सदन को बताना चाहिए कि हमने तीन वर्ष और चार महीने में यह-यह प्रयत्न किये। मैंने पहले भी इस सदन में जब गवर्नर एड्रेस पर दो साल पहले इन मुद्दों को उठाया था उस समय यह कहा था कि आप इसके लिये एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एक रिटायर्ड आई.ए.एस. अफसर जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का हो, इन तीनों की कमेटी बनाकर हमारे इण्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में पूरी निगरानी रखें और नियमित रूप से वह इसके ऊपर कार्य करेंगे, तब जाकर के हम राजस्थान के हितों की रक्षा कर पाएंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन खास तौर से सजग करना चाहता हूं। कोयले की खरीद में कई बार समाचार पत्रों में यह आरोप लगा है कि कोयले की खरीद में गड़बड़ी हुई है। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो ऊर्जा मंत्रीजी, मैं मानता हूं कि आप स्टेट-फारवर्ड मिनिस्टर हैं, आप इसकी जांच कराएं और जहां किसी ने कोई गलती की है, गड़बड़ की है तो उस जांच को करने के बाद इस सदन के पटल पर उस बात को रखें कि कोयले की दलाली में कहीं किसी ने गड़बड़ की है या नहीं की है। अब मैं आपके सामने अकाल के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। राज्य में निरन्तर....

श्री अध्यक्ष: कब रखेंगे, 6 महीने के बाद होगा अब तो। खत्म हो रहा है, कब रखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अकाल के बारे में बहुत संक्षेप में बताऊंगा। मैं अकाल के जिले से आता हूं। राज्य में प्रति एक वर्ष के बाद और कई बार तो हमारे बीकानेर जैसे जिले में लगातार 5-6 साल से अकाल पड़ा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हुआ है। इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 10649 गांवों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया और अभी एक लिस्ट 1266 गांवों की और निकाली है आपने। मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से, जो यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं, कि अकाल राहत कार्य आपने कहां-कहां प्रारम्भ किये और कब से प्रारम्भ किये। और एक महीने में कितने-कितने लेबर्स को रखा। क्या राज्य में एक भी पशु सेवा शिविर कार्यरत है। आप गायों के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन आज उस गाय को भूखा मरने के कगार पर आपने छोड़ दिया है। गायें भूखी मर रही हैं और उनके लिये राज्य में एक भी पशु सेवा शिविर खोला हुआ नहीं है। चारा डिपो भी नाम मात्र के खुले हुए हैं। और अकाल राहत कार्य टेस्ट-वर्क के रूप में खोले हुए हैं। जब कांग्रेस का राज था उस वक्त हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने अगस्त से राहत कार्य खोल दिये और अगस्त में राहत कार्य खोलने के बाद लगभग 11 महीने तक राहत कार्य चालू रखे, जिसके कारण किसान के घर में अगले वर्ष तक गेहूं की बोरियां पड़ी रहीं और वह उस समय की सरकार को धन्यवाद देता रहा । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना भंयकर अकाल होते हुए भी आपने उन 10649 गांवों में अभी तक काम नहीं खोला है और गांव के सरपंच को कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 के समीप मंजूर किये हैं, वह किसको रखे और किसको न रखे। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में आपको अकाल राहत कार्य, अभी एक अप्रैल से आपको सी.आर.एफ. की नई किश्त मिल गयी है, ऐसे वक्त में धन की आपके पास में कोई कमी नहीं है। आप धन के ऊपर सांप की तरह कुंडली मारकर न बैठकर किसानों के लिये सी.आर.एफ. का पैसा खर्च करें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत दें। अब आप सदन को कह रहे हैं, सुझाव दें, अकाल क्यों पड़ता है, इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बता दो कि क्यों पड़ता है? आप बता दो क्यों पड़ता है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बता रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि रेगिस्तान में तो पेड़ लग रहे हैं और हमारी अरावली की पहाड़ियां आप जाकर कभी देखें तो वह बिलकुल पेड़ विहीन हो रही हैं। सारे पेड़ जो हैं, जंगल बन रहे हैं और पेड़-विहीन जंगल बन रहे हैं। वहां पर आपको कोई झाड़ी भी नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में जब तक हम अरावली की पहाड़ियों को हरा-भरा नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी पर्वत श्रृंखलाओं को हरा-भरा नहीं करेंगे, तब तक राज्य में वर्षा नहीं होगी। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण से भी बरसात की कमी हो रही है तो हमको अपने राजस्थान को हरा-भरा बनाना होगा। पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और राज्य में चारों तरफ खास तौर से तीन-चार वर्ष तक पूरे पहाड़ों को आप चारों तरफ कांटेदार एक तरीके से, वह कांटेदार झाडियों से रोककर अथवा दीवार बनाकर पूरे पहाड़ों को पेड़-युक्त कीजिए तब जाकर बरसात होगी और जैसा कहते हैं न कि- दाता, तरुवर, संतजन, चौथा बरसते मेह, परमारथ के कारणे इण चारों धारी देह। यह परमार्थ के कारण देह धारण करके आये हैं लेकिन वर्षा जब ही होगी जब पेड़ होंगे। पेड़ नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी। राजस्थान में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण आज राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थितियां बनती रहती हैं इसलिए आपको मेरा सुझाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें और अभी राष्ट्रपतिजी ने भी यह भावना व्यक्त की थी कि एक व्यक्ति पाँच पेड़ लगाये। हमारी जनसंख्या करीब 6 करोड़ से ऊपर हो गयी है। 6 करोड़ लोग 5-5 पेड़ लगायें तो 30 करोड़ पेड़ लगाये जा सकते हैं और सरकार लगाना चाहे तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप 200 तो लगा लो पांच-पांच पौधे। यह तो हो जाएंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, लगाएंगे, हम तो लगाते हैं। हम तो उद्‌घाटनों में भी कम से कम 20-25-50 पेड़ तो उद्‌घाटनों में ही लगा देते हैं और वैसे भी लगाते रहते हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): खुद के घर में एक पेड़ नहीं है। क्या बात कर रहे हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): किसके घर में? अभी आप जाकर देखो कि पेड़ है या नहीं? आप चलकर देखो कि पेड़ है कि नहीं मेरे पास में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसे लगाने से नहीं होता है, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसे नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह जयपुर में ही आपको घर में बता दूं कि कितने पेड़ लगा रखे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वर्षा के जल के संचयन से ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हमने यह जल चेतना यात्रा में निश्चित किया था वृक्षारोपण ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मेहरबानी करके आप बोलने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वर्षा के जल के संचयन से पेड़-पौधों को पालो, यह कहा है उन्होंने कि वर्षा के जल के संचयन से पालो, उन्हें लगाओ और फिर पालो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हमने तो जल चेतना यात्रा में बहुत ही सुरक्षित किया था, साहब... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं-नहीं यह तो बात ही नहीं है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष की हैसियत से लगाये हैं। कुछ करके देखा है क्या ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं लगाये माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ... (व्यवधान) इन्होंने तो कुत्ता पाला है, इसके अलावा ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे घर में सात पीढ़ी में कभी किसी ने कुत्ते को नहीं रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) न कोई पशु पाला है, न इन्होंने एक भी पेड़ लगाया है। न एक भी आदमी को साक्षर किया है। आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पत्र के माध्यम से, एक भी काम यह नहीं करते हैं कांग्रेस के अध्यक्षजी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह बिलकुल ऐसा है, मेरे घर में सात पीढ़ी में कभी किसी ने कुत्ता पाला हो तो मैं सदन से, सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। सात पीढ़ी में कभी किसी ने कुत्ता नहीं पाला। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपका पेड़ तो निश्चित मर जाएगा और

कल्लाजी का जिंदा रह जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): छोटा कुत्ता, छोटा वाला कुत्ता। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): छोटा नहीं, कोई पिल्ला भी नहीं है। यह आपने किया है वह काम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): छोटे वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी दिन है वरना मैं उसको लाकर दिखाता। उसका नाम भी बताऊं? उसका नाम भी बताऊं? ममताजी, आप बता दो उसका नाम। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: टोमी-टोमी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई टोमी है, न कोई बोमी है। यह आप अपनी कपोल कल्पना कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है। यह तो ऐसी बात हुई मेरे को अभी किसी, पिछले सत्र में एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज-प्लीज ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप टी.वी. देखते हो? तो मैंने पहले उनसे पूछा कि मैं कहां रहता हूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे पास टी.वी. है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मजाक की है। वैसे ही यह मजाक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी सात पीढ़ी में कभी किसी ने कुत्ता नहीं पाला।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब यह सात पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तीन पीढ़ी का भी पता नहीं। छठी पीढ़ी में कौन था आपके प्रमुख, परिवार का नाम बता सकते हैं?

श्री अध्यक्षः प्लीज डोंट डिस्टर्ब। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप सात पीढ़ी की क्या कह रहे हो? आप तो आजीवन कहो कि मेरी किसी भी पीढ़ी ने नहीं पाला। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उद्धोदासजी कल्ला। छठी पीढ़ी उद्धोदासजी कल्ला थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः उनकी बात का आप जवाब दे रहे हैं, यह जवाब हुआ

क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब मैं यह कैसे एतराज करूं? कुछ भी, उमेश कल्ला बता दो आप तो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको पता नहीं है। ऐसा है उनको पता नहीं है। हम तर्पण करने वाले लोग हैं। हम तर्पण करने वाले लोग हमारी चार-पाँच पीढियों को, 6 पीढियों को हम याद करते हैं। उनको तर्पण करते हैं बराबर। हम ऋषियों को तर्पण करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को तर्पण करते हैं। इनको पता तो है नहीं संस्कृति का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी यह आत्मा की बात कर रहे थे। मैं आत्मा के बारे में भी बता दूं। आत्मा के माध्यम से बुद्धि को नियंत्रित करो और बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित करो और मन के माध्यम से हमारी ज्ञानेन्द्रियों को और कर्मेन्द्रियों को नियंत्रित करो। आत्मा जो है स्वयं की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वाणी को नियंत्रित करो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप ऐसा करते हैं क्या? आप स्वयं करते हैं क्या ऐसा? कथनी और करनी में अन्तर है आपके। अन्तर है आपके कथनी और करनी में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता ने ठीक कहा है। (व्यवधान) आत्मा जिन्दा होकर भी मरी हुई के समान होगी। आत्मा का नियंत्रण बहुत जरूरी है और नहीं तो आत्मा जिन्दा दिल में भी आत्मा नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वाणी का नियंत्रण भी जरूरी है। वाणी का नियंत्रण भी जरूरी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, वह जब होगा, जो मैंने आपको कहा है न आत्मा का बुद्धि पर नियंत्रण, बुद्धि का मन पर नियंत्रण और मन का नियंत्रण कर्मेन्द्रियों पर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह लोग नहीं रखते हैं वाणी पर नियंत्रण। कई माननीय सदस्य नहीं रखते हैं वाणी पर नियंत्रण, इनसे कहो आप ... (व्यवधान) कई

सदस्य नहीं रखते हैं वाणी पर नियंत्रण।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इनसे कहो आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और वाणी जो है वह कर्मेन्द्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा ऐसा करते ही नहीं हैं। ऐसा करते ही नहीं हैं वह कहने वाले ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रहिमन जिह्वा बावरी, रहिमन जिह्वा बावरी कह गयी सरक पाताल, आपुही तो अन्दर भई और जूती खात कपाल।

श्री अध्यक्ष: वाह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए यह जो जिह्वा है न यह ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी है।

श्री अध्यक्ष: आपुही तो भीतर गई, यह है आपुही तो भीतर गयी और जूती खात कपाल ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, आपुही तो भीतर गयी, जूती खात कपाल तो इसलिए जिह्वा को बस में रखने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यहां तो कोई कपाल पर खाने की गुंजाइश नहीं है, जूते खाने की ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, हमारे तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यहां तो नहीं है न?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो इन सब चीजों का ज्ञान रखता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): करेगा जो खाएगा, नहीं करेगा तो कैसे खाएगा? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसके अन्तर्गत पहले 6 जिले थे अब 12 जिले हैं। उनमें माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक भी राहत कार्य नहीं खोला और अभी भी सरकार की कोई योजना नहीं है। उन जिलों में जहां अकाल है, राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्य खोलने चाहिए और उन क्षेत्रों में पशु सेवा शिविर खोलने चाहिए। पहले

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जो डेयरी के माध्यम से जो केटल फीड मिलता था उसके ऊपर सब्सिडी मिलती थी वह सरकार ने बंद कर दी है उसको भी मैं समझता हूं कि उसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए और इसके साथ-साथ कैटल फीड की कीमत राज्य सरकार ने बढ़ाई है उसको अकाल को देखते हुए कम किया जाना चाहिए, इसके अलावा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वह मंत्रीजी नदारद हैं, आप किसको कह रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसके अलावा अभी हाल ही में ... (व्यवधान) कोई मंत्री नहीं है यहां पर, मंत्रीजी सीरियस नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तबीयत खराब है। मैं नोट कर रहा हूं। जवाब आपका, एक-एक चीज का आपका जवाब देंगे हम। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब अभी हाल ही में जो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जवाब भी आप ही देंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, जवाब वह ही देंगे, साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह हरफ़नमौला हैं, यह दे सकते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह हरफ़नमौला हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नहीं, हरफ़नमौला मत कहो, सर्वगुण सम्पन्न कहो आप। यह गलत बात है। सर्वगुण सम्पन्न कहो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह हरफनमौला क्या है? वह उसका ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हरफ़नमौला का भी मतलब यही है कि सब जगह हाथ मार लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नहीं हरफ़नमौला नहीं ... (व्यवधान) नहीं यह गलत बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यह

कहावत है कि- Jack of all trade, master of none. यह कहावत है।

श्री अध्यक्ष: हरफ़नमौला का मतलब ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, वह उसको दूसरी बात कह देते हैं, Jack of all trade, master of none.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अच्छा दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हंसी-मजाक भी होनी चाहिए, कभी कभी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज यह श्रेष्ठ विधायक अपना वह प्रदर्शन कर रहे हैं न ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ठीक है, हंसी-मजाक भी तो होनी चाहिए हाउस में, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो यह ओलावृष्टि हुई, उसमें यह घोषणा की गयी कि जो मृतक परिवार हैं, उनको 51-51 हजार रुपये दिये जाएंगे और इसी प्रकार से उनको इन्होंने पहले 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर, फिर 3000 रुपये प्रति हैक्टेयर और दो हैक्टेयर तक सीमित रखते हुए मुआवजा देने की बात की। मैं इस संबंध में पुनः राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य है। पंजाब भी हमारा पड़ोसी राज्य है। वहां पर आठ हजार रुपये हैक्टेयर से लेकर 12 हजार रुपये हैक्टैयर तक किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है तो इसके ऊपर इनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और अभी आज ही मेरे से, मैं यह ज्ञापन यहां पर सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, उसमें देव गांव भीलों की ढाणी, इसके लोग मुझे मिले। उनको केवल मात्र 800-800 रुपये का मुआवजा दिया गया है जो निश्चित रूप से बहुत ही न्यूनतम राशि है। इसके बारे में भी सरकार को पुनर्विचार करके और किसानों के बिजली के बिल छह महीने के माफ करने चाहिए और कम से कम आठ हजार रुपये प्रति हैक्टेयर से लेकर 12 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से और जितने हैक्टेयर में उन्होंने फसल बोई है उसका पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक केस आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे नोखा तहसील, बीकानेर जिले का है। उसमें बीकानेर की नोखा तहसील के नाथूसर गांव के निवासी सावतराम पुत्र भैराराम की मौत हुए 15 साल बीत

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चुके हैं लेकिन गांव के चारा डिपो ने उनके नाम से 18 सितम्बर, 2006 को चारा वितरण किया गया और चारा वितरण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 23 पर उनके हस्ताक्षर भी किये गये। नोखा तहसील के ही साइसर गांव के बुधराम पुत्र सोनाराम की 5 नवम्बर, 2002 को मौत हो चुकी थी लेकिन चारा वितरण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-4 पर उनके नाम के आगे 3 अगस्त, 2006 को चारा वितरण दर्ज है। उनके नाम के सामने वाकायदा उनके हस्ताक्षर भी किये गये हैं। यानि मृतकों को चारा बांट दिया, यह सारी चीजें जांच का विषय है।

श्री अध्यक्ष: मृतकों को बांटा गया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, मृतकों को बांटा गया है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना कितना चारा दिया गया है? कितना-कितना चारा उठाया गया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सारी चीजें जांच का विषय है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए कि कितना चारा उठाया गया है, उनके नाम से? कितना-कितना चारा, वह भी सदन के पटल पर रखा जाए कि कितना-कितना चारा उठाया गया है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मात्र इस सदन को मिस गाइड करने का है, मान लो भीड़ में दो नाम लिखकर ले गये, यह बिलकुल सही कह रहे हैं एक-एक क्विंटल चारा इनके नाम से उठा है। एक तरफ तो यह लालू जैसे करोड़ों रुपये के (व्यवधान) सरकार चला रहे हैं और एक-एक क्विंटल ले गये हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह मृतक है कि नहीं ? यह जस्टिफाई करें। एक क्विंटल भी किसी ने मृतक के नाम पर उठाया है तो यह बुरी बात है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मैं इसलिये कह रहा हूं वह जानकारी सदन में रखी जाये । मान लो 500 चारा वालों की भीड़ आ रही है तो डिपो होल्डर को ध्यान में नहीं रहा और अपने पिता के साइन करके ले गये, यह बिलकुल सही कह रहे हैं लेकिन वह कितना ले गये क्वांटिटी में, यह भी देखा जाये कि कितना बड़ा गबन हुआ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सदस्य, जब आप बोलें, अपनी बात रख दें। अब हर बात का जवाब दिया जायेगा ...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): मैं यही तो जानना चाहता हूं कि सदन में रखें कितना चारा आया था। पूरी जानकारी दो, फिर अधूरी क्यों दे रहे हो ।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मैं नोखा विधान सभा का हूं इसलिए जुबेर खानजी बीच में बोल रहा हूं कि आप जानकारी रखो तो पूरी रखो न, एक एक क्विंटल ही तो बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्षजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सिद्ध हो गयी कि एक-एक क्विंटल चारा मृतकों के नाम उठ गया। इस संस्था ने 80 ट्रक मंगवाये हैं और इसमें अलग-अलग ट्रक हैं नहीं, कोई और वाहन हैं उसका इन्द्राज हो गया। 80 ट्रक चारा इस संस्था ने वहां पर खरीदा और वहां पर इतना कोई अकाल भी नहीं था, अभाव की स्थितियां नहीं थीं लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वहां चारे की बंदर बांट की गयी और जिस तरीके से चारे का वहां पर दुरूपयोग किया गया और गलत लोगों को वितरित किया गया । इसमें जो गड़बड़ घोटाला हुआ, इसकी जाचं की जाये और जो दोषी लोग हैं, उनको दण्डित किया जाये। धर्मदास स्वामी, जो एस.डी.एम. है, उसने भी कहा है जांच में ऐसे लोगों को चारा वितरित करने का मामला सामने आया है जो गांव में रहते ही नहीं हैं। अब इस मामले की दुबारा जांच चल रही है। मैं चाहता हूं कि जहां-जहां चारा घोटाला हुआ है, उसकी जांच की जाये और जांच करके जो दोषी लोग हैं, उनको दण्डित किया जाये।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि राज्य में तत्काल गर्मी की स्थिति को देखते हुए 40 डिग्री से ऊपर टेम्प्रेचर राजस्थान में हो गया है और पश्चिमी राजस्थान में तो कहीं-कहीं 43-44 डिग्री टेम्प्रेचर हो गया है, ऐसी स्थिति में पीने के पानी की भयंकर कमी है। जिन गांवों में पीने के पानी की कमी है वहां ट्रक के माध्यम से पानी का इन्तजाम, पशु सेवा शिविर का इन्तजाम और उसके अलावा चारा डिपो का इन्तजाम किया जाये और जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पर भी आपको राहत कार्य तत्काल शुरू किये जाने चाहिये। नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि -

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

"दिल की आरज़ू मिट्टी में मिला देती है,
तंगदस्ती हमें जीने की सज़ा देती है,
जीने देती है न मरने की रजा देती है,
कैसी है यह भाजपा की हुकूमत
जो हंस-हसकर सज़ा देती है।"

आपके तीन वर्ष और चार महीने के कार्यकाल में आपने अकाल पीड़ितों को, आपने गांवों के किसानों को पीड़ित ही पीड़ित किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप की सरकार गांव, गरीब और किसान की एक तरह से रक्षा नहीं कर पा रही है। आप उनके प्रति संवेदनहीन हैं, इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में और ओलावृष्टि क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा काम कीजिये, राहत कार्य खोलिये, पशु सेवा शिविर खोलिये और अकाल पीड़ित लोगों की संभाल कीजिये। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज बिजली और अकाल पर चर्चा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिसम्बर, 2003 में जो अपना घोषणा-पत्र जारी किया था, उसमें सबसे ऊपर लिखा है न्याय सभी को, सम्मान सभी को। अंधियारे से उजियारे की ओ र, यह घोषणा पत्र जारी किया था और यह भी कहा था कि हम भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। भय से कैसे मुक्ति मिली है अभी धौलपुर में नकेल डालने का मामला आया और भूख में सहरियों का मामला आया और भ्रष्टाचार तो रोजाना टी.वी. और अख़बार में भरे पड़े हैं। जिस तरह से सरकार के कारनामे और जयपुर के आस पास जिस तरह के जमीनों के घोटाले हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : बिजली और अकाल की चर्चा है, जमीनों का घोटाला कहां से आ गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं बोलते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार ने जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी तो कल्ला साहब ने जिक्र किया था जगह जगह यह बात कही कि बिजली की आठ घण्टे की घोषणा है, आ नहीं रही है

(श्री जुबेर खान)

और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, अध्यक्ष महोदय, उसमें साफ कहा है किसानों को आठ घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। आगे लिखा है 01 नवम्बर, 2003 तक के सभी कृषि कनेक्शन 15 महीने में दे दिये जायेंगे ताकि प्रतीक्षा सूची समाप्त हो सके और इसकी ताईद इस बार विधान सभा का प्रथम सत्र हुआ तो उस वक्त जिनके पास ऊर्जा का विभाग था, माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी ने यह वक्तव्य दिया था, कहा था कि हम 15 महीने के अंदर-अंदर यह प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट एग्रीकल्चर कनेक्शन की खत्म कर देंगे और ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि इधर आवेदन लेकर आइये और इधर बिजली का कनेक्शन लेकर जाइये। यह इस पवित्र सदन में घोषणा की गयी थी। आज 2007 आ गया और दिसम्बर, 2008 में इनको पाँच साल पूरे होने वाले हैं। मैं यह जानना चाहूंगा इस सरकार से कि क्या अन्तरात्मा से अपने जमीर से आप यह कह सकते हैं कि जो आपने घोषणा-पत्र में वादा किया था कि 15 महीने के अंदर-अंदर हर किसान को विद्युत का कनेक्शन दे देंगे । आठ घण्टे बिजली देंगे, क्या आप जमीर से कह सकते हैं कि किसानों को आठ घण्टे बिजली मिली है ? आपके राज में चार पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 01 लाख 13 हजार किसानों को कनेक्शन दिये हैं। जमीर से यह कह सकते हैं आपने पांच साल में जितने लोगों को कनेक्शन नहीं दिये थे, उससे ज्यादा कनेक्शन हमने दिये हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने यह पूछा है सरकार में आने के बाद में क्या किया है ? (व्यवधान) आप यह बता दीजिये ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सरकार बनने के बाद का ही तो बता रहे हैं। ..(व्यवधान) सरकार बनने के बाद में ही तो बताया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आप भी किसान परिवार से आती हैं। आज स्थिति ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इनको जो बताया है, वह सरकार बनने के बाद ही बताया है कि इन्होंने पांच वर्ष में जितने कनेक्शन दिये, उससे अधिक हमने तीन वर्षों में दिये उससे ज्यादा और क्या चाहिये आपको ?

श्री अध्यक्षः प्लीज डोंट डिस्टर्ब। माननीय सदस्य, ट्रांसफार्मर तो 72

घण्टे में बदले जा रहे हैं, यह बात तो सही है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, आपके प्रभाव से लग जाते हैं। हमारी कोई नहीं सुनता। आपकी सुनवाई हो गयी इसका मतलब यह नहीं है कि सबकी सुनवाई हो गयी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हो सकता है आपकी पीड़ा हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में आदिवासियों के कुओं पर विद्युत संबंध, जो रियायती दर पर दिये जा रहे थे, बंद कर दिये गये, उन्हें पुनः चालू कर दिया जायेगा। क्या चालू किये? बिलकुल चालू नहीं किये। इसके लिये हमारे आदिवासी माननीय सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि घरों पर एक बत्ती कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दे दिये जायेंगे। यहां तक कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत जो बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देना है, वह भी कनेक्शन आज तक दिये नहीं जा रहे । स्पष्ट लिखा है 1997 की बी.पी.एल. सूची के आधार पर लोगों को कनेक्शन दिये जायेंगे। आज उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आज स्थिति है कि किसान आवेदन करने का नम्बर आता है डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराता है, डिमाण्ड नोटिस की राशि 70-80 हजार लोगों ने पिछले 9 महीने से जमा की हुई है। मैं अलवर के बारे में दावे से कह सकता हूं 8-9 महीने से डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह बताना चाहता हूं 3 लाख 60 हजार को लाभान्वित किया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे । दो-दो साल से घरेलू कनेक्शनों की फाइल जमा है, उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दिये जा रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पूरी तैयारी है, जवाब दे रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने आपको निवेदन किया बी पी एल के

3 लाख 60 हजार .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : आपकी पोल निकल रही है पोल, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा: और आप अपना इनडायजेशन कम करिये बोलने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें। बोलने दें, जो कुछ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीच-बीच में खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे बस। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके आदेश की पालना करूंगा। मैं तो आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके यहां 72 घण्टे में बदल जाते होंगे, लेकिन स्थिति यह है कि 72 घण्टे तो ए.ईएन नहीं मिलता है लिखाने के लिये, ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट कर दीजिये। किसान से कहा जाता है अपना ट्रांसफार्मर रखकर लाइये और यहां ए.ईएन. आफिस में जमा कराइये, तब हम आपके जलने की रिपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद में एक्स.ईएन. के पास फाइल जाती है, एस.ई. के यहां से आबंटन होता है, फिर किसान से कहा जाता है कि आप कल लेकर आ जाना ट्रैक्टर, आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे। बेचारा दिन भर इंतजार करता रहता है, शाम तक ए.ईएन. दफ्तर में नहीं आता है। दो-तीन दिन तक किसान को डीजल फूंकना पड़ता है, ट्रेक्टर ट्राली लेकर आना पड़ता है तब जाकर उनको ट्रांसफार्मर मिलता है। यह वास्तविकता है और सच्चाई है आप चाहें तो किसी भी माननीय सदस्य से यह पूछ सकते हैं कि अलवर जिले में यह स्थिति चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा .. (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब इन्होंने कहा किसी भी माननीय सदस्य से पूछ सकते हैं तब मैं बोलूंगा। किसी भी माननीय सदस्य से आप पूछने की बात करते हैं तीन वर्षों में 01 लाख 7,030 ट्रांसफार्मर बदले गये। 1 लाख 11 हजार ट्रांसफार्मर खराब हुए थे इनमें से 1 लाख 7030 ट्रांसफार्मर

बदल दिये 72 घण्टे के अन्दर। आप खुद चुनौती देते हो, आप कहते हो ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): यह बिजली मंत्री हैं क्या, साहब। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कहते हो किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है? (व्यवधान) मंत्रीजी क्या करेंगे फिर? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी इन्होंने चुनौती दी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मंत्रीजी जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या है यह? इनको तीन बार कह दिया आपने, चार बार कह दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप काई भी व्यवस्था दे सकती हैं। यह मंत्री हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: यह मंत्री नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार खड़े हो जाते हैं, बैठी का बाल है क्या इनके? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या बोलेंगे? इन *** को रोको, साहब, आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। आप स्थान ग्रहण करें, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण करें, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके घोषणा पत्र की पोल निकल रही है, बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने चुनौती दी सारे माननीय सदस्यों को कि एक भी माननीय सदस्य खड़ा होकर के यह कह दे, तब, उनको आपने चैलेंज किया तब वो खड़े हुए थे। (व्यवधान) आपने क्यों कही यह बात?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने अलवर जिले का कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकलवा लीजिए। मैंने अलवर जिले का कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्री थोड़ी हैं, साहब, यह, जो यह समझायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा एक भी माननीय सदस्य खड़ा होकर के यह कह दे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आठ घंटे के लिए तो मैंने कहा है कि कोई भी माननीय सदस्य ईमानदारी से खड़ा होकर के कह दे ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आठ घंटे बिजली राजस्थान में नहीं दी है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेकिन मैंने अलवर जिले के लिए कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले की बात मैंने कही है क्योंकि मैं वहां से आता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं यह कह रहा हूं ...(व्यवधान) यह शंकर भगवान की बारात को रोको। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शंकर भगवान की बारात का कोई रखवाला भी है क्या? यह माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी क्या करते हैं, आप, अपनी फौज को कंट्रोल करो न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर प्रोजेक्ट की बहुत बात की गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जब तक 20 हजार, 10 हजार की गड्डी कर्मचारियों के जेब में नहीं जाती जब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था दो दो महीने में।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठें। मैं तो यह निवेदन करूंगा, अभी बात चली, इन्होंने कहा कोई खड़ा होकर के, मैं खड़ा होकर के कहता हूं इस सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, ऊर्जा मंत्रीजी, सालभर पहले ट्रांसफार्मर खरीदे, ज्यादा ट्रांसफार्मर की बात हो रही है न, कम कैपेसिटी के थे, ज्यादा पैसे के थे, वो जल जाते हैं, उनका तेल चुराया जाता है, उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। इतना करप्शन है। आपने जांच करायी क्या इसकी? आडिट रिपोर्ट में भी आयी जो, इतना करप्शन हमने कभी नहीं देखा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आपका समय आये जब बोलना आप।

(श्री रामनारायण मीणा)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं सदन में कह रहा हूं इसलिए ऐसी बात नहीं कर सकते। करप्शन पर नहीं जाएं, इस सरकार ने जितना करप्शन किया है किसी सरकार ने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां धौलपुर प्रोजेक्ट की बहुत बात की जाती है सरकार द्वारा अखबारों में भी, सब जगह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): बिजली की व्यवस्था किसानों की इतनी हुई है कि ऐसी कभी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): और अलवर जिले के लिए माननीय विधायकजी कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसानों की बात कर रहा हूं, अलवर जिले की बात कर रहे हो आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो आपका, माननीय सदस्य, जब नम्बर आये जब बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बीच-बीच में, मैं कोई असंसदीय भाषा नहीं बोल रहा, मैं अपने तरीके से अपनी बात कह रहा हूं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आपने अलवर जिले के लिए कहा तो मैं अलवर जिले का ही तो हूं। आपने अलवर जिले के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर की बहुत बात की गयी।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अलवर जिले में 140 हैबिटेशन हैं, आप कौनसी की बात कर रहे हो?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आपको पता ही नहीं है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पता ही नहीं है आपको, आप बताओगे जब पता लगेगा? क्षेत्र में चार घंटे से ज्यादा बिजली आयी नहीं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आप या तो मिड-वे में सोते हैं या जयपुर

में रहते हैं, आप क्षेत्र में जाते ही नहीं ...(व्यवधान) आपको पता ही नहीं है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अच्छा, आप ही रहते हो क्षेत्र में? अब पता लग जायेगा जब क्षेत्र में जाओगे।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जितना मुझे पता है न आपको नहीं पता। (व्यवधान) मैं क्षेत्र में रहता हूं और जिले में रहता हूं और किसान हूं, यह और बता दूं, खुद खेती करता हूं अपने हाथ से। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह असत्य +++ बोल रहे हैं, अलवर जिले में चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आयी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यहां मुख्य मंत्रीजी नहीं बैठी हैं ... (व्यवधान) आप अपनी बात बाद में कह दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह *** करते हैं यहां पर।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): किसान को राजस्थान में अब की बार अच्छी प्राप्त हुई है ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वो तो परीक्षा, 2009 में होगी। यह परीक्षा, 2009 में होगी ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर की बात कही गयी।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जब कांग्रेस राज था, चार दिन, पांच दिन अनशन पर बैठे बिजली की मांग को लेकर। आपको पता नहीं है?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 2008 में बतायेंगे कहां रहोगे। 2008 में मालूम होगा। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): लेकिन अब कोई वो नहीं हुए, इस तरह के वो धरने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर की बहुत बात की गयी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कहां जाते हो और क्या करते हो ... (व्यवधान) परीक्षा, 2008 में होगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर की बहुत बात की गयी लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि धौलपुर के प्रोजेक्ट जो हैं, धौलपुर गैस पावर प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय में इसका

(श्री जुबेर खान)

शिलान्यास हुआ, इसकी स्वीकृति हुई। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि यह धौलपुर प्रोजेक्ट का जो टेण्डर हुआ है उसमें क्या इण्टरनेशनल बीडिंग की गयी है? जब इतना ज्यादा पैसे का खर्च किया जा रहा है तो इण्टरनेशनल बीडिंग ना करके बी.एच.ई.एल. को दे दिया। कह देंगे यह बी.एच.ई.एल., यह भारतीय सरकार का उपक्रम है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा बी.एच.ई.एल. 65 से 68 परसेंट सामान मार्केट से खरीदते हैं, कोई अपना नहीं बनाता है। इससे बाकी यह अपना बनाता है। आपको करना चाहिए था चाहे बी.एच.ई.एल. आये, कोई भी आये आपको इण्टरनेशनल बीडिंग करनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने अपने सब पावर प्रोजेक्ट बी.एच.ई.एल. को क्यों दिये? आपने सब के सब दे दिये, क्यों दिये आपने बी.एच.ई.एल. को?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसका मतलब यह नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने सब क्यों दे दिये?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसका मतलब यह नहीं है कि पहले नहीं किये थे तो आपको तो करने चाहिए थे। तो फिर आप यह मत छपवाते, आपने हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर पूरे-पूरे पेज पर जनता के पैसे से इश्तिहार छपवा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, हम पारदर्शिता से यह काम कर रहे हैं। फिर यह मत छपवाइये अगर आप टेण्डर नहीं करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि क्या जिस दिन यह एग्रीमेंट किया था पावर प्रोजेक्ट उस दिन क्या गैस का आपका एग्रीमेंट हो चुका था? क्या जिस दिन आपने इनसे एग्रीमेंट किया आपके पास गैस का एग्रीमेंट नहीं था, गैस की आपने व्यवस्था की नहीं और आपने एग्रीमेंट कर के ...

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जब आपने सेंक्शन किया था, आपके पास क्या गैस का एग्रीमेंट था? गैस का एग्रीमेंट तो हम लोगों ने किया, आपके पास तो एग्रीमेंट नहीं था, आपने सेंक्शन निकाली विदाउट एग्रीमेंट।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं यह पूछ रहा हूं कि जिस दिन आपने ...

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): था, नहीं था, हमारा गैस का

एग्रीमेंट हो चुका है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, मेरा यह कहना है कि जिस दिन आपने बी.एच.ई.एल. के साथ एग्रीमेंट किया उस दिन आपके पास गैस का एग्रीमेंट नहीं हुआ था।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने बिना गैस के एग्रीमेंट के सैंक्शन कैसे निकाली, यह बताइये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एम.ओ.यू. नहीं था?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी बार-बार यह कहती हैं, अखबारों में छपवाती हैं कि हम तो बहुत ही जल्दी सरप्लस हो जायेंगे बिजली के मामले में। घोषणा-पत्र में भी कहा कि 15 महीने में हर आदमी को कनेक्शन दे देंगे। मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आप यह बताइये, मंत्री महोदय, आपके जवाब में कि आपका कितना कन्जम्प्शन हर साल बढ़ रहा है? राजस्थान में बिजली के कन्जम्प्शन की आवश्यकता हर साल कितनी बढ़ रही है? क्या आप दिसम्बर, 2008 तक उस कन्जम्प्शन के अनुरूप में बिजली पैदाकर के सप्लाई कर देंगे? जो आप कह रहे हैं कि हम तो आत्मनिर्भर हो जायेंगे, जो बात आपने घोषणा-पत्र में तो 2007 तक की कही थी कि आत्मनिर्भर हो जायेंगे, 2007 का अप्रैल शुरू हो गया है, अभी तक आपकी कोई भी यूनिट चलने की स्थिति में नहीं है।

मैं यहां एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी, आप जरा बताएं छबड़ा में जो आप प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं उसमें क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है? कोटा में जो दूसरी नयी यूनिट लगाना है, उसमें आपने क्या-क्या कार्यवाही कर ली? आप जरा जवाब में बताइयेगा। सूरतगढ़ में जो नया प्रोजेक्ट लग रहा है उसके लिए आपने क्या-क्या कार्यवाही कर ली? गिराल, बाड़मेर में जो आपका लग रहा है, उसमें बिजली कब तक बनेगी? कितने दिन से कह रहे थे बन गयी, बन गयी, बन गयी, अब जाकर के कहीं बिजली बनने की स्थिति वहां पैदा हुई है। पिछले तीन साल से यह भाषण आपकी सरकार के और आपके मुख्य मंत्री के अख़बार में पढ़-पढ़ कर हम थक लिये। यह तो आपके कथनी और करनी का अन्तर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह और कहूंगा, मैं स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा, मंत्रीजी अपने जवाब में कहियेगा, इन योजनाओं में से अपने किन-किन को आर्डर प्लेस किये हैं और कब-कब आर्डर प्लेस किये हैं और

(श्री जुबेर खान)

अब तक आप इनमें बिजली बनाने की बात करेंगे? आप खाली बड़ी-बड़ी कम्पनियों से अपनी सांठगांठ करके आर्डर प्लेस करके छोड़ देंगे और आपकी सरकार के चुनाव आ जायेंगे लेकिन जब तक बिजली वहां चालू नहीं होगी। आप बता दीजिए कि जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने किया है इन योजनाओं पर क्या दिसम्बर, 2008 तक आप बिजली लोगों को सप्लाई करना शुरू कर देंगे, यह आप अपने जवाब में जरूर बताइयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता से जो यह आर्डर दिये जा रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं चाहता हूं कि आप जांच करा कर दिखवाइये कि इसमें भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है या नहीं फैलाया जा रहा है? और आप तो यह बता दीजिए, आपकी फाइल आपके कार्यालय और मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में दस-दस दफे तो फाइलें आती-जाती हैं, वो क्या कारण है कि बार-बार फाइल आ रही है और जा रही है? एक बार में ही फाइल क्लियर क्यों नहीं होती है? यह भी आप पूरा प्रकाश डालियेगा। (व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत जोर-जोर से कहती हैं कि बरसिंहसर योजना का काम शुरू करके दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं मंत्री थीं तत्कालीन आदरणीय महामहिम मुख्य मंत्री, भैरोंसिंहजी शेखावत, जो आज महामहिम उपराष्ट्रपति हैं देश के, उनके समय में यह नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से समझौता हुआ था और क्या हुआ था कि 1.25 रुपये पर यूनिट पर बिजली देंगे लेकिन आज इस सरकार ने जो एग्रीमेंट किया है, कितने रुपये यूनिट बिजली खरीद कर इस जनता के खून-पसीने के पैसे को लगायेंगे। आज मेरी जानकारी है लगभग चार रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदने यह जा रहे हैं जो महामहिम उपराष्ट्रपति, भैरोंसिंहजी के समय में 1.25 रुपये में एग्रीमेंट हुआ था।

श्री अध्यक्ष: तब से अब तक कीमतें, हर चीज की कीमत बढ़ गयी है। कोयले की बढ़ गयी, सब की बढ़ गयी।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): महाराष्ट्र में आपकी सरकार 9 रुपये में बिजली ले रही है पूना के अन्दर, आप ही की कांग्रेस की सरकार है। 9 रुपये प्रति यूनिट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, एग्रिकल्चरिस्ट को सस्ती दर पर मिल रही है। ...

(व्यवधान) सबसे सस्ती दर पर। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि लिग्नाइट, जो राजस्थान की धरोहर है और इस सरकार ने भ्रष्टाचार करके बीकानेर के गुढा में जो लिग्नाइट के डिपाजिट्स हैं, वह हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के लिग्नाइट के डिपाजिट्स हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कौनसी क्वालिटी के?

श्री अध्यक्ष: नो, नो, गलत है यह ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसलिए है बढ़िया, मैं क्यों कह रहा हूं इसमें क्लोरोफिक वेल्यू, जलने की जो क्षमता होती है वह सबसे ज्यादा है और इसमें ओवर बर्डन जो मिट्टी होती है वह सबसे कम है, इस तरह का यह डिपाजिट है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार करके क्या किया, अध्यक्ष महोदय, इस धरोहर को मरुधर पावर कार्पोरेशन को जिस हिसाब से बेचने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं दिखवा लीजिएगा कि इसमें भ्रष्टाचार की बू झलकती है। यह तो मंत्री महोदय आपको ज्यादा पता होगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपकी ही सरकार ने उनको क्लियरेंस दिया है। आप ही की सरकार से क्लियर कराकर गये हैं मरुधर पावर प्रोजक्ट, नेवेली लिग्नाइट के थ्रू। (व्यवधान) आप पधारें तो वैल प्रिपेयर्ड तो होकर पधारें आप ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसी तरह से बाड़मेर का गिराल क्षेत्र है, जहां अच्छा क्षेत्र है वह भी इन्होंने जिंदल समूह को दे दिया और उनसे बिजली खरीदने का एग्रीमैंट कर दिया। यह तो बताइये कब तो प्रोजक्ट लगायेंगे, कब आपको बिजली देंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 1996 में आप ही लोगों ने चूज किया था काम्पीटिटिव बीडिंग के थ्रू, आपको मालूम ही नहीं है आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमने क्या चूज किया था ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी आप तो जांच करा लीजिए ... (व्यवधान) आप तो जांच करा लो, आपके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं यहां।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपका मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है उस टाइम भी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नेतृत्व अलग हो सकता है, बहुत से चेहरे मंत्री यहां सामने बैठे

हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके मंत्री के खिलाफ आरोप लग रहे हैं इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, जिंदल को दे दिया, पता नहीं किसको दे दिया ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या लग रहे हैं ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आरोप लग रहे हैं, जांच करवा लो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पहली बार विद्युत उत्पादन निगम का चेयरमैन वह बनाया गया जो राजस्थान की मिट्टी में पैदा नहीं हुआ। क्या राजस्थान में आपको कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं मिला था कि जिसको आप विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष बना सकते, आप उत्तर प्रदेश से उठाकर ले आये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी है बनिस्पत माननीय उप नेता महोदय प्रतिपक्ष को, बाड़मेर में गिराल कहां है और कहां वह ...(व्यवधान) काम कर रहा है, वह अलग-अलग क्षेत्र हैं, श्रीमान् आपको पता ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तगारामजी, जब आप कांग्रेस में थे तब मैंने बाड़मेर जैसलमेर का बहुत दौरा किया ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आप कोयले, बिजली और तेल ... (व्यवधान) मेरे से जान लीजिए कि क्या है वहां का हाल। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): केवल दौरों से समझ में नहीं आएगा, न आपको आएगा, न सोनियाजी को आएगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, गिराल का प्रोजक्ट, तो मुझे आशंका है, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें संदेह है कि यह चल पाएगा ... (व्यवधान) क्योंकि जहां इसका शिलान्यास किया है, फाउण्डेशन जहां हुआ अध्यक्ष महोदय, वहां बैंटोनाइट है अन्दर जो कि नर्म होता है और कल को प्रोजेक्ट लगकर चल गया, वहां नमी है नीचे, अगर वहां कल को यह हो गया, यह धंस गया या खराब हो गया तो कितनी जान और माल की हानि हो सकती है, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मेरे क्षेत्र का मामला है ...(व्यवधान) शिलान्यास इनके कहने से हुआ, उद् घाटन हमने किया।

(श्री जुबेर खान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का भ्रष्टाचार उत्पादन में ही नहीं रुका, इन्होंने प्रसारण में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्ल्ड बैंक का जो फीडर सुधार कार्यक्रम, राजीव गांधी विद्युत ग्रामीण योजना, इसमें जो इन्होंने टेंडर किये हैं, अध्यक्ष महोदय, परम्परा है एल-1, सबसे लोएस्ट जो होता है उसको ठेका दिया जाता है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि कितनी जगह आपने एल-1 को न लेकर एल-2 और एल-3 को आपने काम करने का मौका दिया है ? यह जरा आप बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जब काश्तकार, किसान अगर एक दिन लेट हो जाता है बिजली का बिल जमा करवाने में, उसके ऊपर पैनल्टी लगती है और ब्याज लगता है और यहां अस्सी-अस्सी, नब्बे-नब्बे हजार डिमाण्ड नोटिस के छह-छह महीने तक किसानों के लेकर रखते हैं, क्यों नहीं पहल करती है सरकार कि किसान का पैसा जितने दिन जमा रहेगा, जब तक आप उसको बिजली नहीं दोगे तब तक उसको उसका ब्याज दिया जाएगा। जब आप ले सकते हैं किसान से तो किसान को इतनी बड़ी रकम का ब्याज क्यों नहीं देते?

अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या है जो आपने कर रखी है, एक समय था कि विद्युत विभाग के लोग गांवों में जाते थे, विद्युत लगवा लीजिए, लोग लगवाने को तैयार नहीं होते थे। लोगों ने विद्युत लगवायी है चाहे गैर खातेदारी हो, चाहे सिवाय चक हो, सबने लगवायी है। जो कनेक्शन वहां हो गया और अब वहां पानी सूख गया, लोग दूसरी जगह कनेक्शन लेना चाहते हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप कहते हैं कि गैर खातेदारी में तीस साल पहले कनेक्शन हुआ था, अब इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। माननीय सिंचाई मंत्रीजी कह रहे थे कल गैर खातेदारी से तो खातेदारी ले लीजिए।

हमारे यहां दूसरी समस्या है कस्टोडियन लैण्ड की। जो लोग शरणार्थी आये थे 1947 में, उनको जमीन अलॉट कर दी गयी। एक आध साल बाद स्थानीय किसानों को जमीन वह बेचकर चले गये। अब गैर खातेदारी उनके नाम दर्ज है, खातेदारी भी उन्हीं को ही मिलेगी, गैर खातेदारी भी लेनी है तो वही लेंगे, उनका अता पता नहीं है, कहां हैं, कहीं ढूंढ भी नहीं सकते। कोई दिल्ली जाकर बस गया, कोई बाम्बे जाकर बस गया, कोई चंडीगढ़ जाकर बस

(श्री जुबेर खान)

गया। वह किसान जो बीस तीस साल से बिजली लगाये बैठा है, वहां कुआं सूख गया, ट्यूबवैल सूख गया, कैसे रहेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, सरकार को करनी चाहिए खास तौर से अलवर में जहां-जहां यह कस्टोडियन भूमि का मामला है, वहां यह समस्या है।

एक बात और कहूंगा अन्त में, आपने घंटी बजा दी। घरेलू कनेक्शन, अब आप नई टंकियां दे रहे हैं कि कम से कम एक जगह आठ दस कनेक्शन लेने वाले होंगे तभी आप छोटी सोलह हार्स पावर की टंकी लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी जगह है कि पहले लोगों ने कुओं के कनेक्शन से डोमेस्टिक कनेक्शन ले रखे थे अपने घरों पर, आप जानते हैं गांवों में लोग खेतों पर मकान बना लेते हैं। अब इन्होंने लाइन अलग कर दी। उन लोगों के पास डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, दे रहे हैं लेकिन अब उनके कनेक्शन कट गये और कहते हैं कि आप संख्या बढ़ाइये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण करिये और दूसरी तरफ कहते हैं कि संख्या बढ़ाइये तब आपको ट्रांसफार्मर देंगे। उन लोगों का क्या होगा जो कितने दिन से डोमेस्टिक से कनेक्शन लिये हुये हैं ? उनको डोमेस्टिक कनेक्शन आपने काट दिया फीडर सुधार के नाम से, उनके बारे में भी कुछ सोचिये। अगर किसी ढाणी में दस घर कनेक्शन लेने वाले नहीं हैं तो उनको कनेक्शन से आप वंचित कर दोगे ? एक मेरा यह निवेदन था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपको हमारे रामगढ़ में 132 जी.एस.एस. स्वीकृत किये दो साल हो गये हैं, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। अगर जी.एस.एस. के दो साल पहले स्वीकृत होने के बाद में आज तक भी काम नहीं चले तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस आपके विभाग में हो रही होगी।

मेरा आपसे अन्त में निवेदन है कि आप स्टाफ बढ़ाइये, लोग जाते हैं लाइनमैन मिलते नहीं हैं, कागज लिये फिरते हैं लाइनमैन के पास, मिलता नहीं है। लाइनमैन के पास एक-एक के पास पांच-पांच, छह-छह पंचायत हैं, लम्बा एरिया है। आप चाहे कान्ट्रेक्ट पर लोगों का लीजिये, चाहे रिटायर्ड आदमियों को लीजिये, किसी तरह से इसमें बाकी जनता को सुविधा मिल सके। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे

समय दिया, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना यह कर रहा था कि सवा चार बजे के लगभग दोनों मंत्रियों के उत्तर होकर इन दोनों मांगों के बारे में कन्क्लूड होना है और सोलह माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, दोनों इम्पार्टेंट मांगें हैं इसलिए आपने बड़ी कृपापूर्वक बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को चालीस मिनट दे दिये, इनको पैंतीस मिनट दे दिये।

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के हैं चौदह बोलने वाले और प्रतिपक्ष के हैं दस बोलने वाले...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चालीस- चालीस मिनट आप फरमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तीन हैं इंडिपेन्डेंट्स और दूसरी-दूसरी पार्टियों के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए पांच-पांच मिनट का समय निर्धारित करें, अपनी बात कहें, चालीस-चालीस मिनट का समय दे रहे हैं। तथ्य की बात कोई है नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़ ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बाबूसिंहजी, गागर में सागर भर दो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ हैं इसलिए ?

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट का समय है, चार मिनट के बाद घंटी बजाऊंगी और पांचवें मिनट में आप समाप्त कर देना।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अकाल और बिजली पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले वर्ष संवत् 2062 में राजस्थान में विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में भंयकर अकाल था और उस अकाल को देखते हुए और अकाल के हालात को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी वास्तव में विस्मित हुईं और जो हालात देखे और जो स्थितियां देखीं, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने पहली बार आपदा प्रबन्धन नीति, पिछले वर्ष 2005-06 में सी. आर. एफ. नार्म्स के अन्दर जो काम नहीं आते थे और उसके बगैर काम नहीं हो सकते थे उसके लिए भी अच्छा प्रावधान करते हुये पाँच करोड़ का प्रावधान रखा और राजस्थान राहत कोष बनाया। दूसरा, सूखा प्रबन्धन नीति भी बनायी, राज्य

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

आपदा मार्गदर्शिका भी बनायी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी नीतियां, प्रबन्धन जो बनाया है और जो मार्गदर्शिका बनायी है, जिला स्तर पर इस मार्गदर्शिका को अभी तक अधिकारियों ने देखा नहीं है या शायद पढ़ा नहीं है। मैं यह पहली बार महसूस कर रहा हूं कि जोधपुर जिला मुख्यालय, मैं विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ से आता हूं। जब अकाल के कार्य शुरू होते हैं तो कम से कम जिला स्तरीय एक बैठक होनी चाहिये और बैठक के अन्दर कैसे अकाल राहत के कार्य को कराया जाए उस हिसाब से नीति बनाकर वैसी योजना बनाकर काम होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहेंगे कि लम्बे समय से जब अकाल के कार्य शुरू होते हैं तो कच्चे कार्यों के लिये ज्यादा काम होते हैं। उसमें लेबर कम्पोनेंट अकुशल श्रमिक लगाकर राहत प्रदान की जाती है।

मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि जो कच्चे कार्य होते हैं उसमें ज्यादातर नाड़ियों के काम होते हैं। नाड़ियां खुदाई के काम होते हैं और पुराने समय से जो नाड़ियां बनी हुई थी और जिस प्रकार नाड़ियों में जो रेतीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी थी उस वजह से पानी उसमें रुकता था। अब उस नाड़ी की इतनी खुदाई हो गयी कि वह चिकनी मिट्टी भी उसमें रही नहीं और पानी भी उसमें ठहरता नहीं। राजस्थान की कई नाड़ियों को अगर आप देखें तो उसमें पानी ठहरता नहीं है। कुछ एक नाड़ियां ऐसी हैं जिसमें अच्छा पानी रहता है बाकी सब जगह पानी नहीं रहता। मैंने कई बार ऐसे सुझाव भी दिये कि जो हालात अकाल के बने हुए हैं और उस अकाल का सिर कैसे तोड़ा जाए उस हिसाब से विचार किया जाना चाहिये। इसमें अधिकतर पौधे लगाकर राजस्थान को हरा-भरा करना चाहिये। इसलिये मैंने कई बार यह निवेदन किया और मंत्रीजी से भी निवेदन किया कि आप अगर रिंग पिट बनाएं, गांवों के अन्दर लेबर को रिंग पिट दें तो उससे उसमें पौधे लग सकते हैं और एक रिंग पिट जो खुदता है उसमें छह आदमी, छह श्रमिक मिलकर एक रिंग पिट खोदते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अगर एक रिंग पिट खोदते हैं तो उनको पूरी 73 रुपये की मजदूरी मिलती है। वह रिंग पिट जिसमें दो खाईयां होती है और गहरा भी होता हैं तो उसके अन्दर अगर सारी जगह जो ओरण है, जो गोचर है, जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं। इतनी शानदार और जानदार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनी हैं उन सड़कों के पास अगर रिंग पिट खोद दिया जाए, वह

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

बजट रिंग पिट के अन्दर लगा दिया जाए तो सब जगह आने वाले बरसात के मौसम के अन्दर उसमें पौधे लग सकते हैं और हरियाली आ सकती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके पास मैटेरियल कम्पोनेंट नहीं है तो लेबर से ही आप यह अच्छे काम, सुन्दर काम करा सकते हैं। एक तो खास मेरा इसमें यह निवेदन था।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के कार्य काफी चल रहे हैं। अब इन अकाल राहत कार्यों के अन्दर जो आचार संहिता बनायी गयी है, जो प्रबंध निर्देशिका बनी है उसके अन्दर 1500 लेबर के ऊपर एक कनिष्ठ अभियन्ता नियुक्त करने का इस मार्गदर्शिका में है और 5000 लेबर के ऊपर गाड़ी का प्रावधान भी है जिससे उन अकाल राहत कार्यों को देखा जा सके लेकिन यह हो नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, हालात यह हैं कि 1500 के ऊपर भी एक जे.ईएन. मेरी पंचायत समिति शेरगढ़ में केवल मात्र एक ही जे.ईएन. है। दूसरा जे.ईएन. नहीं लगने से अकाल राहत के काम सही समय पर नहीं लगाये जा सकते। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गाड़ी नहीं होने की वजह से अकाल के सारे जो काम हैं उनका हम सही ढंग से निरीक्षण नहीं कर सकते और कार्यों का सही नाप नहीं आता। नाप नहीं आने की वजह से लेबर को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं मिलता। मैं कहना चाहूंगा कि अकाल राहत के अन्दर जो श्रमिक लगे हैं वह ज्यादातर किसान वर्ग से संबंधित श्रमिक हैं और हालात यह हैं कि..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब किसान वर्ग से लेबर काम कर रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर निर्माण के जो श्रमिक हैं उनके पास औजार भी होते हैं और वह काम करने के अन्दर निपुण भी होते हैं तो जो हमारी टास्क के हिसाब से लेबर आ रही है, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सारे गांव अकाल से प्रभावित हैं और वहां जो टास्क आ रही है वह 30 रुपये से कम आ रही है। 10 रुपये, 12 रुपये वह टास्क आ रही है और जहां 30 रुपये से कम लेबर है वहां पर जिला कलक्टर इसके लिये अधिकृत हैं कि वह इसकी टास्क को बढ़ाते हुए कम से कम 30 रुपये तो उस लेबर को दें। इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार पहली बार केन्द्र सरकार की

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

तरफ से गेहूँ नहीं मिलने की वजह से हालात यह हो गये कि लेबर को रोकड़ के रूप में भुगतान हो रहा है। रोकड़ पैसा मिलने की वजह से सारे दिन जो उनका समय व्यतीत होता है उससे उनका गुजारा नहीं चल सकता। पिछली बार और जब पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे तो उस समय गेहूं की कोई कमी नहीं रही। मैं कहना चाहूंगा कि उस समय बहुत तादाद में गेहूं मिला और गेहूं उस समय 470 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलता था आज भाव 1000, 1100 के हो गये और पैसा मिलता है उससे तो वह गेहूँ भी लाएं तो उनको गेहूँ कम मिलता है। मैं कहना चाहूंगा गेहूँ ज्यादा मिले और पैसे कम मिले इसका भी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं बहुत-बहुत आभारी हूं मुख्य मंत्रीजी का कि पक्की परिसम्पित्तियां बनाने के लिये उन्होंने पिछली बार जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर विशेष तौर से बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के अन्दर बहुत आंधियां चलती हैं और आंधियों की वजह से जो मिड डे मील का कार्यक्रम शुरू हुआ। वहां भोजन अच्छा नहीं मिलने की वजह से आंधियों की वजह से सब जगह रेती आती थी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और खाना सही नहीं पकता था तो इसके लिये मैं आभारी हूं कि आपने 14809 मिड डे मील, 3568 आंगनबाड़ी केन्द्र और 13803 ग्रामीण शौचालय बनाये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिये मैं आभारी हूं। अब इसी में मैं निवेदन यह करना चाहूंगा। 5 मिनट तो दो। ऐसे सुझाव दे रहा हूं दो-तीन मैं। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा है...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और कई आंगनबाड़ी केन्द्र अभी नहीं बने हैं तो वह आंगनबाड़ी केन्द्र भी बनने चाहिये। पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय, घंटी बजा दी। यह 5 मिनट के सुझाव दे रहा हूं और मैं कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 6 मिनट बोल लिये। माननीय सदस्य 5 की बजाय 6 बोल चुके हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सुझाव दे रहा हूं। 5 मिनट। आप सुझाव तो देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: You have taken more than five minutes.

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अकाल के जो सुझाव हैं। अकालग्रस्त क्षेत्र से हम आते हैं, वह सुझाव भी आप देने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया अब समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 35 मिनट बोल गये, 40 मिनट बोल गये, 50 मिनट बोल गये। पहले मदनजी राठौड़ खड़े हुए उनको आपने बोलने नहीं दिया। पिछली बार जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो बोलने दिया नहीं। सुझाव ही तो दे रहा हूं अकाल पर और बिजली पर। वह भी आप देने देते नहीं। यह 5 मिनट में कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बात अपनी कह सकता है तो 2 मिनट का समय तो मुझे भी दे दीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार भी मुख्य मंत्री महोदय ने 50 करोड़ का प्रावधान सामग्री के लिये किया था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के मंत्रीजी ने ही सुझाव दिया है कि 5 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाए तो मैं करूं। उन्होंने ही कहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अब वह अभी हैं नहीं। 5 मिनट आप मेहरबानी करें। आप मेहरबानी कर दो। 5 मिनट में मेरी बात कह दूंगा और मैं निवेदन यह करना चाहूंगा पिछली बार भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बोल चुके हैं 7 मिनट। आपने 2.18 पर शुरू किया था, 2.25 हो गये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सुझाव दे रहा हूं मैं तो। दो-तीन सुझाव तो देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: सब सुझाव दे रहे हैं यहां अपने। ऐसे कोई नहीं बोलता। सब सुझाव ही देते हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं कोई ज्यादा बात तो नहीं कर रहा, मैं कोई मंत्री वाले जवाब तो दे नहीं रहा, मैं तो यही सुझाव दो-तीन दे रहा हूं। 5 मिनट में क्या बोल सकता है कोई ?

श्री अध्यक्ष: सब अपने-अपने समझ से सुझाव देते हैं ... (व्यवधान)

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): या आइंदा से हम बोलना ही बंद करें। 5-5 मिनट में कौन क्या बोल सकता है ? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह यदि माननीय सदस्य मानेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल है आसन के लिये। फिर आसन क्या करेगा ?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अकाल की, बिजली की दो बात भी नहीं कर सकते। 5 मिनट में बात होती है क्या ? 5 मिनट में कोई बात हो सकती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसे मैं कह रही हूं 2.18 पर शुरू किया था। मैंने लिखा है। अब 2.26 हुए हैं ... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सुझाव ही शुरू किये हैं, मैंने प्रशंसा ही नहीं की। सुझाव ही शुरू किये हैं आज तो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा पिछली बार भी सामग्री मद के अन्दर 50 करोड़ का प्रावधान करके लेबर मैटेरियल सरकार की तरफ से मिले थे और कुशल, अकुशल सबको शामिल करते हुए, डोवटेल करते हुए एम.एल.ए. लैड और एम.पी. लैड दूसरी योजनाओं के काम भी डोवटेल करके कराये थे। इस बार भी प्रावधान करना चाहिये और मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिये कि जो हमारे एम.एल.ए. कोटे से, सांसद कोटे से काम हो रहा है या दूसरी योजनाओं में भी काम हो रहा है उनको भी डोवटेल करके काम करायें तो परिसम्पत्तियां ज्यादा बनेंगी। पक्के कार्य ज्यादा होंगे और इससे हमारा काम हो सकेगा। खास तौर से यह मेरा निवेदन था अकाल राहत के अन्दर अच्छे काम हों।

दो सुझाव मैं बिजली के मामले में, ऊर्जा में देना चाहूंगा। अभी राजीव गांधी ग्रामीण वियुतीकरण योजना चल रही है। अब उस राजीव गांधी वियुतीकरण योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पहली बार सन् 1952 के बाद 109 गांवों में बिजली गयी है और 8 ग्राम पंचायतों में पहली बार बिजली गयी है लेकिन उसमें प्रावधान ऐसे जटिल हैं कि 10 परसेंट एक गांव के अन्दर, 10 परसेंट ढाणियों के अन्दर आप कनेक्शन दे रहे हो। केवल मात्र 10 परसेंट। यहां पर 300 ढाणियां हैं, अब 300 ढाणियों में 10 परसेंट कनेक्शन होगा तो 30 ढाणियों में कनेक्शन होगा और 270 ढाणियां तो वंचित रह जायेंगी। इसलिये मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

केन्द्र सरकार से भी प्रयास करेंगे, विपक्ष भी प्रयास करेगा और खास तौर से राजस्थान सरकार की भी नीति आप बनाएं तो जो शेष ढाणियां बच रही हैं उन ढाणियों में भी कनेक्शन हो जाए। अब उन ढाणियों के कनेक्शन के लिये, गांवों में, ढाणियों में, हमारे यहां तो सब ढाणियों में बसते हैं और आपकी एक घरेलू विद्युतीकरण की योजना है जिसमें सौ रुपये मीटर के हिसाब से कनेक्शन...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह भी ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ढाणियों में कनेक्शन नहीं मिल रहे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): थोड़ी कनेक्शन की बात कर दूं। बिजली के कनेक्शन की बात कर लूं आप थोड़ा सा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कनेक्शन के लिये निवेदन ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। जो मैंने कल बात की थी जमीनों के बारे में, उसका आज जवाब आना था। जो मंत्री पर आरोप लगाया था हमने उसका जवाब आ जाए आज ... (व्यवधान) यह और निवेदन है आपसे ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन कहां से आ गया ? आज समय कम है। दो महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है। यहां पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन करके कल की तर्ज पर फिर चालू हो गये ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरी केवल एक ही मिनट की बात थी मंत्रीजी। केवल एक मिनट की बात थी मेरी तो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल की तर्ज पर फिर चालू हो गये ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। मैंने यह कहा था कि कल जो आरोप लगाये थे हमने तो वह मंत्री जवाब दे देवें और

उसमें क्या कह दिया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो सदस्य बैठते नहीं हैं ... (व्यवधान) सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अब नहीं बैठ रहे हैं तो अब क्या किया जाए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह तो बैठ जायेंगे। वह तो आपकी आज्ञा की पालना कर लेंगे। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो आपकी आज्ञा मान लेंगे। अब क्या पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन हुआ ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): केवल बात यह थी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो नहीं बैठ रहे हैं तो अब क्या किया जाए ? सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बार-बार टोकने पर भी जब नहीं बैठें तो क्या किया जाए ?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आइंदा से नहीं बोलने दिया जाए। धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन यह था कि कल जो बात कही थी मंत्री महोदय ने हमको जमीनों के बारे में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने नाम पुकार लिया। बाबूलाल नागर ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जो आरोप लगे थे डी-एक्वीजिशन करने के तो उसका जवाब दे दें वह। आपने कल यह बात कही थी कि व्यवस्था देंगी आप ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि यहां से दो और यहां से दो, बीच में तीसरी, बीच में से एक बोलेंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कहां बोले दो-दो ? एक-एक ही तो बोल रहे हैं। एक-एक ही तो बोले हैं।

श्री अमराराम (धोद): दो इधर से बोल गये, तीन इधर से बोल गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में से कोई बोला नहीं ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस मेरी मांग को आप रिकार्ड पर ले लें माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यहां से बोले हैं बी.डी. कल्ला और जुबेर खान और इधर

से बोले हैं ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कागज पेश कर दूंगा। आप रिकार्ड में ... (व्यवधान) मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं। दस्तावेज को रिकार्ड में लें। खाली दस्तावेज को आप ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मदन सिंहजी और दो बोल गये। बीच में से कोई बोला ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई इधर से नहीं ... (व्यवधान) मदन राठौड़ और बाबूसिंह राठौड़ इधर से बोले हैं। दो ही बोले हैं इधर से। अब यह तीसरे कांग्रेस के हैं और इसके बाद मैं किसी और पार्टी वालों को दूंगी ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बीच में तो बोले हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि यह दो इधर से और दो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप समय बरबाद मत करें ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ इनफार्मेशन यह है कि कल जो बात की थी जमीनों के बारे में, डि-एक्विजेशन की उसके कागज मेरे पास हैं, आप रिकार्ड में ले लें और उसका जवाब दिलवायें आप।

श्री अध्यक्ष: काहे का जवाब।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वह जो कल बात हुई थी जमीनों के डि-एक्विजेशन की, एक्विजेशन की, डि-एक्वायर करने के बारे में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस तरह चलते सदन में कोई अचानक खड़ा होकर के पाइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन के नाम पर सदन का दुरूपयोग करके कागज रख देगा चलते सदन में ... (व्यवधान) बहस किसकी हो रही है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन के दुरूपयोग की बात नहीं है, आप सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं। आप सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने कह दिया पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के द्वारा मैं कागज रखना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारी जिम्मेदारी है आपको रोकने की ... (व्यवधान) आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको रोकने की हमारी

जिम्मेदारी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान) अगर प्रतिपक्ष अकाल में और बिजली में भाग नहीं लेना चाहता है तो वैसे बात कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी एडजोर्न हो जायेगा ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): चर्चा करनी है ...(व्यवधान) उस पर भी चर्चा करनी है अकाल और बिजली पर भी लेकिन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना आवश्यक है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप खड़े होकर के कह रहे थे, लाओ, हम सब कागज लाये हैं, आओ, आओ चर्चा पर।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): चर्चा नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो कि वास्तविकता क्या है, राजस्थान में क्या हो रहा है, आप रखने दीजिये ना ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है, इस आसन का दुरुपयोग करके कोई भी बात कहकर के यहां से चले जाना, कल बात हुई थी, आपके वैश्म में आकर के मैंने तब भी कहा था और मैं आज भी उस बात पर कायम हूं। कल जिन चीजों की चर्चा की थी, आप अपने चैम्बर में इन्हें बुला लें, हमें बुला लें, हम भी सारी बातें रखने को तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप खड़े होंगे, मैं बैठ जाऊंगा, आपके खड़े होते ही मैं बैठ जाऊंगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब, चलिये अभी, किसको कह रहे हैं आप ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम बिलकुल तैयार हैं। आप चलिये चैम्बर में, चलिये चैम्बर में क्या तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलिये, कौन मना कर रहा है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चलिये, चलिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है, आ जायें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हो गयी बात ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह जिस तरह की चुनौती देते हैं उस तरह की चुनौती हमें भी स्वीकार है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, हां, हो गयी बात ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं अभी कागज ले आता हूं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हां, जाइये ले आइये ...(व्यवधान) कितनी देर में ले आयेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं ले आता हूं कागज ...(व्यवधान) मैं कागज ले आऊंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, ले आओ, ले आओ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कितनी देर में।

श्री अध्यक्ष: ले आओ, ले आओ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किस बात पर नाराज हो रहे हैं आप ...(व्यवधान) किस बात पर नाराज हो गये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लाइये तो देखें ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सरकार का दिवालिया होने वाला है। आप भागे मत बैठें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुछ तो गरिमा रहेगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो हमारी भलमनसाहत है कि हम आपके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आपका चेहरा दिखता है, नहीं तो आप कितने क्या हैं, आप जानते हो सारी बात ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपकी बदनामी है यह, आप जान-बूझकर के ऐसा कर रहे हैं ...(व्यवधान) कैसी भलमनसाहत है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बंदर घुड़की मत बतायें, कागज लाइये ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मनुष्यत्व भी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बंदर घुड़की मत बतायें, कागज लायें।

दूध का दूध, पानी का पानी करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, हां ...(व्यवधान) चलिये साहब, नाम पुकारें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बाबूलालजी को बोलने देंगे लेकिन मुझे टोका था बाबूलालजी ने ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं कह रहा हूं बोलें, बाबूलालजी को टोक नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पुकार लिया ना नाम, बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, अकाल प्राकृतिक आपदा है, सरकार का दायित्व बनता है कि अकाल जैसे मुद्दे पर सरकार संवेदनशील रहे।

श्री अध्यक्ष: 2.32 पर शुरू किया है आपने, 2.37 पर खतम।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट ही।

श्री अध्यक्ष: हां, पांच मिनट।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो निवेदन करना यह चाह रहा था कि वर्तमान सरकार जयपुर जिले में राजनीतिक भावना से काम कर रही है। दूदू, फागी और फुलेरा तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां भयंकर अकाल पड़ता है लेकिन इस बार जब सरकार ने अभावग्रस्त गांवों की सूची 05.01.2007 को घोषित की, दूदू विधान सभा क्षेत्र का एक भी गांव अकाल में शामिल नहीं किया। फुलेरा विधान सभा का एक भी गांव शामिल नहीं किया। फागी के मात्र 20 गांव शामिल किये।

अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता का अकाल पीड़ित होने के कारण इतना बुरा हाल है, प्रभारी मंत्रीजी एक बार दूदू आये, सार्वजनिक रूप से सारे जन-प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारियों को पता नहीं किसने निर्देश दिये हैं कि जान-बूझकर शत-प्रतिशत अकाल होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र को अकाल में शामिल नहीं किया। राजनीतिक पार्टियों की भी जहां तक बात करें, हमारे उपखण्ड मुख्यालय के भवन का उद्‌घाटन था, सब जन-प्रतिनिधियों ने एक राय से बात की, फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षजी ने भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग रखी, उसमें प्रभारी मंत्री कटारियाजी से उन्होंने सार्वजनिक रूप से, एक सम्मत रूप से कहा कि कटारियाजी यह बहुत

(श्री बाबूलाल नागर)

बड़ा अन्याय हो गया। हमारे यहां तो 40-50 गांव ऐसे हैं जहां एक भी गांव में एक मुट्ठी अनाज पैदा नहीं हुआ और जहां शत-प्रतिशत खराबा था और यह क्या कारण हुआ कि हमारी पंचायत समिति का एक भी गांव अकाल में नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मिला, 11 जनवरी को मैंने निवेदन किया, मैंने उनसे आग्रह किया कि पहले भी ऐसा 1998 में हुआ था, उस समय सरकार ने दुबारा रिवाइज रिपोर्ट मंगायी। वहां दुबारा गिरदावरी के आदेश हुए कि नहीं हुए, मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन उस समय मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया, दुबारा रिवाइज रिपोर्ट जिला कलक्टर के यहां से आयी और उन्होंने मौके पर जानकारी ली और उसके आधार पर हमारे 30 जनवरी को दुबारा गांव शामिल किये। मेरा निवेदन यह है कि यह सरकार शुरू से ही अकाल के लिए संवेदनशील नहीं है। राजस्थान में 58 साल में से 46 साल अकाल पड़ा है। राजस्थान और अकाल का चोली दामन का साथ है। यह सरकार जब से आयी है राजस्थान में, सवा तीन साल में 7.12.2005 को राजस्थान में अकाल की पिछली बार अधिसूचना जारी की, 10 फरवरी, 2006 को जो सीलिंग रखी थी राजस्थान में, अकाल राहत मंत्रीजी

(समय : 14.37 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो यहां नहीं हैं, 3 लाख 51 हजार सीलिंग रखी लेकिन लेबर इन्होंने 2 लाख 18 हजार 812 लगायी। इसी तरह इन्होंने 20.02 को सीलिंग रखी 3 लाख 51 हजार और लेबर एंगेज की 1 लाख 27 हजार 438, इसी तरह से 28.02 को 1 लाख 84 हजार 362, जब भी कोई अकाल की शुरूआत होती है, अकाल के काम शुरू होते हैं तो धीरे-धीरे सीलिंग बढ़ती है। लेबर की संख्या बढ़ायी जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार कौनसा दावा रोप रही है कि जब शुरू करते हैं उस समय तो एंगेज करते हैं 2 लाख 18 हजार और फिर उसके बाद में 1 लाख 27 हजार हो जाते हैं, फिर उसके बाद में 1 लाख 84 हजार होते हैं। इसी तरह से 20.03.2006 की डेट को इन्होंने रिलीफ की सीलिंग रखी। मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि 48 हजार 370 आदमी रिलीफ में इन्होंने पूरे राजस्थान में लगाये हैं और एक अशोक गहलोतजी का शासन था जब 70-70 हजार आदमी अकेले दूदू विधान सभा में अकाल में

काम करते थे। मुझे ताज्जुब है कि 48 हजार 370 लेबर एंगेज किये मार्च, 2006 में, इसी तरह से निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अशोकजी के समय ही अकाल पड़ता था।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं इंटरप्ट करता नहीं, मंत्री महोदय, किसी को डिस्टर्ब करता नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इसी तरह से 10.04.2006 को सीलिंग रखी रिलीफ में 6 लाख 800 और आपने एंगेज किया इसके लिए 69 हजार 649, इसी तरह से 20.04.2006 को आपकी सीलिंग थी वही 6 लाख 800 और आपने एंगेज की 3 लाख 61 हजार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान) अपने स्थान पर बिराजें ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): यह तो 2006 का फीगर था। अब 2007 के बारे में निवेदन करूं, राजस्थान में इस सरकार ने 5.01.2007 को अकाल की घोषणा की, 11 जनवरी से राजस्थान में अकाल के काम कराने की बात की सरकार ने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके पाँच मिनट समाप्त हो चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात एक मिनट में कह दीजिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हो कि मैं वैसे ही कम बोलता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं ...(व्यवधान) कम बोलने वालों में आप नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, 11 जनवरी को राजस्थान में अकाल की घोषणा की, अकाल के काम चालू किये। इस सरकार ने एक लाख लेबर सीलिंग तय की और इस सरकार ने 20.01.2007 तक की रिपोर्ट बताती है 9 हजार 470 आदमी अकाल पर लगाये। मुझे ताज्जुब होता है कि

यह अकाल राहत में, अकाल पर लगाने में यह सरकार कितनी गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष: काम पर नहीं आ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): एक लाख सीलिंग तय करते हैं और 9 हजार 470 आदमी काम पर लगाते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: काम करने के लिए आ नहीं रहे हैं, वास्तव में काम नहीं करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, 25-25 हजार आदमी जयपुर में आकर इस सरकार को रोये हैं। इस सरकार का ध्यानाकर्षित करने के लिए जयपुर की सड़कों पर, अपने-अपने खर्चे से आकर के रोये हैं कि हम भूख से मर रहे हैं। हमारी बुरी हालत हो रही है। अकाल में हमारे गांव को शामिल करें। एक-एक रोटी के लिए गांव के लोग पलायन कर रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास 31.1.2007 की रिपोर्ट है। जिसमें एक लाख इस सरकार ने सीलिंग करी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जालम सिंह रावलोत। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा आपका, आपको पांच मिनट दिए थे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था मत बिगाड़ो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गई आपकी बात। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपको समय की पाबन्दी माननी पड़ेगी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा आपका।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। अंकित नहीं होगा, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा आपका। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्यों समय खराब कर रहे हो, आपने सब कह दिया, आपकी बात आ गई।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के लोग नहीं मानेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे, आपके कहने से नहीं मानेंगे। (व्यवधान) कौन कह रहा है आप बताओ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: देखा है, 50 हजार में से लेबर लगने वाला एक नहीं था उसमें, मजदूरी करने वाला एक नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए, आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप काहे पर बोल रहे हो, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। यह गलत बात है आपकी, माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। जब सदन में तय हो चुका है कि पाँच मिनट का समय दिया जाएगा। आपका अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके दल का कोई भी माननीय सदस्य आपके इस आचरण से सहमत नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

(माननीय सदस्य, श्री बाबूलाल नागर द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जालम सिंह रावलोत। माननीय सदस्य समय का ध्यान रखकर 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़):×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में सामान्यत: अकाल रहता है। इस बार बाढ़ आई लेकिन राहत विभाग ने माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी की अगुवाई में जो शानदार काम किया है और लोगों को जो राहत पहुंचाई है, मैं उसके लिए इस अवसर पर हमारी सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं। जहां प्रतिपक्ष के लोग अभी बता रहे थे कि अकाल राहत में मजदूर नहीं लगाए गए हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस समय साढ़े तीन लाख मजदूर राजस्थान में अकाल के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एक पशु सेवा शिविर चालू नहीं किया गया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सात जिलों में 2,10,715 पशु शिविर में रह रहे हैं जिनमें 18 रुपए प्रति बड़ा पशु और 12 रुपए प्रति छोटा पशु प्रतिदिन पेमेंट दिया जाता है और अच्छी घास, अच्छा चारा और सारी व्यवस्था इन पशु सेवा शिविरों के माध्यम से करके गौ वंश का संवर्द्धन कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां एक ओर बाड़मेर और जैसलमेर के बाढ़ पीड़ितों के लिए 32 सौ करोड़ रुपए की मांग की जगह केन्द्र सरकार ने केवल सौ करोड़ रुपए दिए हैं। पिछली बार सोनिया गांधीजी जब जैसलमेर आई अकाल के समय और बाढ़ के समय

(डा. जालम सिंह रावलोत)

बाड़मेर आई तो उनको लोगों के जबर्दस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा।

उसके बावजूद उन्होंने केवल राजनीति की, एक पैसा नहीं दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी की इस बात के लिए और उनके साहसपूर्ण निर्णय की सराहना करना चाहूंगा कि हमारे इन दोनों जिलों के लिए और अन्य बाढ़ग्रस्त जिलों के लिए व्यक्तिगत आवास योजना, व्यक्तिगत लाभ योजना प्रारम्भ की जिसके अन्तर्गत एक लाख 30 हजार परिवार बाड़मेर के और 30 हजार परिवार जैसलमेर के, उनको व्यक्तिगत लाभ योजना के तहत मकान निर्माण का लेबर में 25 हजार मकान के लिए साढ़े बारह हजार लेबर का उनको फायदा मिल रहा है और शानदार तरीके से काम चालू हो गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंशिक और गम्भीर क्षतिग्रस्त मकान हैं उनकी मरम्मत के लिए साढ़े बारह हजार रुपये का प्रावधान किया है। साढ़े बारह हजार रुपये मानकर साढ़े छह हजार का प्रावधान किया गया है। वास्तव में स्थिति यह है कि बाढ़ के समय जो मकान गम्भीर क्षतिग्रस्त हुए या आंशिक क्षतिग्रस्त हुए उन सबकी स्थिति ऐसी है कि वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। इसलिए उनको भी जैसा कि पूर्ण क्षतिग्रस्त के लिए प्रावधान है, इंदिरा आवास के लिए साढ़े बारह हजार रुपये देने का वैसे ही साढ़े बारह हजार रुपये का फायदा आंशिक क्षतिग्रस्त और गम्भीर क्षतिग्रस्त के लिए दिया जाना चाहिए ताकि वे गरीब लोग जिनके छत भी नहीं है, खुले आसमान में सो रहे हैं उनको आवास का फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे बिजली क्षेत्र में जो शानदार काम हुए हैं और हमारे क्षेत्र की कुछ विशेष बातें हैं उनकी तरफ माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिसम्बर, 2003 में जब हमने सत्ता सम्भाली थी चारों तरफ बिजली का संकट था, लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बिजली के क्षेत्र में जो शानदार काम किये हैं, उनका जो लक्ष्य है कि 2008 तक बिजली के क्षेत्र में राजस्थान पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने वह केवल नारा नहीं है, उस दिशा में शानदार काम चालू हुए हैं।

28 फरवरी, 2007 का दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए तथा राजस्थान में लिग्नाइट उत्पादन के हिसाब से शानदार दिवस रहा जब केन्द्रीय बिजली राज्य मंत्रीजी ने हमारे सरकार के बिजली क्षेत्र में किये जाने वाले

(डा. जालम सिंह रावलोत)

शानदार कामों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। अभी थोड़ी देर पहले रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि बिजली के क्षेत्र में जो बाड़मेर में काम चालू हुए उनका कब तक उत्पादन होगा, ये फालतू की घोषणाएं हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास करने का काम चाहे पानी का है बिजली का है सड़क का है, कांग्रेस ने किया था। हम जो कहते हैं करके बताते हैं। स्पष्ट रूप से घोषणा की है हम गिरल लिग्नाइट को जून, 2008 तक पूरा करेंगे सैकण्ड यूनिट का और जालिप्पा कपूरडी का काम है 250 मेगावाट दिसम्बर, 2008 तक, जालिप्पा कपूरडी का 375 का 2009 तक और जालिप्पा कपूरडी में जो बचा हुआ 375 मेगावाट है, कुल एक हजार मेगावाट वो 2010 तक पूरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री रामरतन बैरवा।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ये बिजली के क्षेत्र में हमारे काम हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बाकी मंत्री महोदय बताएंगे। श्री रामरतन बैरवा। टाइम पूरा हो गया है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): एक मिनट में मेरे क्षेत्र की बातें हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केवल दो जिले बाड़मेर और नागौर ऐसे जिले हैं जिनको राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गरीब लोगों तक बिजली पहुंचानी चाहिए ऐसा केन्द्र का नारा रहा है। हमारे बाड़मेर, नागौर की फाइलें सैद्धान्तिक स्वीकृति के लिए दिल्ली में अटकी पड़ी हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी और बिजली मंत्रीजी के प्रयत्न के बावजूद भी केन्द्र सरकार की नींद खुल नहीं रही है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली के बारे में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का काम केन्द्र सरकार स्वीकृत नहीं करेगी तो कांग्रेस के नेताओं को बाड़मेर व जैसलमेर में प्रदेश स्तर के नेताओं और केन्द्रीय नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामरतन बैरवा। माननीय सदस्य।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बिजली के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री रामरतन बैरवा। अंकित नहीं होगा। अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप बैठ जाइए, मैंने नाम पुकार लिया दूसरे सदस्य का।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामरतन बैरवा। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मैं तीन मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट के अंदर समाप्त करना है। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तत्कालीन राजाधिराज सर नाहरसिंहजी ने दो बांधों का निर्माण अकाल के दौरान कराया वे तो इस साल बारिश में भर गये। स्वतंत्र भारत में एक बाँध बना खारी नदी पर, मानसी नदी पर, वह बाँध खाली रह गया। वहां तो फसल नहीं बोयी गई और जहां पानी पर्याप्त था दो बांधों के नीचे वहां फसल पर्याप्त नहीं हुई। क्योंकि अभी बारिश आई थी, बारिश में जीरे की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई जिसमें 7-8 पंचायतें हैं उसमें 100 परसेंट जीरे की फसल नष्ट हो गई। जिसमें कनेचन कलां, कनेचन खुर्द, राज्यास, देवरी, खामोर, बचकेड़ा, प्रतापपुरा के आसपास के इलाके में 100 परसेंट जीरे की फसल बर्बाद हो गई वहां अकाल की स्थिति है। वहां सर्वे कराकर उन काश्तकारों को मदद दिलायी जाए यह मेरा आपसे निवेदन है, नहीं तो वहां पयालन करेंगे और इधर-उधर रोजगार की तलाश में फिरेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए और हमारे शाहपुरा की धरती में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। हर गांव में आदमी फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर है जिसकी वजह से युवावस्था में वे वृद्ध नजर आने लगते हैं। ऐसे लगभग 80 गांव हैं जिसमें ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। आदरणीय माथुर साहब अच्छी तरह से उन गांवों को जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। खारी नदी के पास जितने भी गांव हैं, अभी पेयजल की विकट समस्या का सामना वे लोग कर रहे हैं। लगभग 30 गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें, यह मेरा आपसे निवेदन है, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपालसिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल और बिजली पर चर्चा हो रही है। राजस्थान और अकाल का रिश्ता कई सालों से लगता है पुराना हो गया है। आजकल राजस्थान में

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पिछले करीब 7-8 सालों से लगातार अकाल की स्थिति बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 22 जिलों में अकाल है। विशेष रूप से मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के संबंध में और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसके संबंध में मेरी बात आपके समक्ष रखूंगा। नागौर जिले में अकाल की इतनी भयंकर स्थिति है कि पूरे जिले में 1527 गांवों में से 712 गांव 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के खराबे के हैं और 125 गांव 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के खराबे के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल तो है जो है, लेकिन इस साल जो कुओं की सिंचित फसल थी उस पर ओलावृष्टि ने ऐसा कहर ढहाया कि ऐसी बर्फ की चीपें जो 80 साल, 85 साल की उम्र के हो गये उन लोगों ने कहा कि आज तक ऐसी ओलावृष्टि हमने कभी नहीं देखी।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग राहत कार्य उपयोगी होते हैं। मैं मेरे जिले से संबंधित, मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कुछ कार्यों के लिए सुझाव देना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में जो 80 से 82 गांव अकाल में हैं उनमें बड़े-बड़े गांवों में जो बड़े तालाब हैं उनकी खुदाई का काम उपयोगी है। ग्रेवल सड़क, जो कच्ची सड़कें हैं उनका काम अगर सरकार ले तो वे उपयोगी हैं। आज हर हाथ को काम मिले। उपाध्यक्ष महोदय, आज हर गांव में लोग मजदूरी चाहते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मजदूर न मिले। सभी लोग यह चाहते हैं। गांव में अकाल है और अकाल राहत के तहत कार्य खोले जाएं और लोगों को मजदूरी मिले। पक्के कार्यों पर ज्यादा मजदूरी मिलने की गुंजाइश नहीं है। कच्चे कार्य जितने भी राज्य सरकार अकाल राहत के तहत लेगी उन पर लोगों को मजदूरी मिलेगी और लोग पलायन करने से बचेंगे।

पश्चिमी राजस्थान के लिए मैं कहना चाहता हूं लोग इतने मजबूत हैं, पानी गहरा है, नहीं तो अन्य प्रदेशों में जो काश्तकारों की हालत है और किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं, पर राजस्थान का किसान इतना मजबूत है कि लगातार अकाल की स्थिति होते हुए, खेतों में पैदावार नहीं होते हुए आज इस स्थिति को झेल रहे हैं और गांवों में लोगों के पास सिवाय खेती और पशुपालन के आमदनी का दूसरा जरिया नहीं है। लगातार 7-8 वर्ष की स्थिति ने काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। मैं हमारे जिले की जो

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

श्रमिक सीमा है उसकी तरफ अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर जिला बड़ा जिला है उसके लिए एक लाख श्रमिक सीमा की जाए तब लोगों को मजदूरी मिलेगी। अकाल राहत के कार्य जनवरी के अन्दर आपने खोले। पिछले वर्ष अकाल की स्थिति थी, आपने कब कार्य खोले?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जनवरी में कार्य खोले, बहुत लेट अकाल राहत के कार्य खोले गये, इसके लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब श्रमिक सीमा बढ़ाकर लोगों को तुरन्त राहत दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जिले में पशुधन जो कि खतम होने के कगार पर हैं, चारा डिपो कोई खोले नहीं। इसलिए मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जो गौशालाएं हैं उनको जो अनुदान दिया जाता है, एक ऐसा आदेश मिला है कि 2005 के बाद जो गौशालाएं पंजीकृत हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा तो उपाध्यक्ष महोदय, गौशालाओं के लिए यह जो आदेश आया है, यह उनके साथ में अन्याय होगा। हमारे जिले में जो पशुधन है उसको बचाना है तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गौशालाएं पंजीकृत हैं उनको आप अनुदान जारी रखें और वह तो अन्दर रहती हैं, चाहे जमाना हो, काल हो, उन गौशालाओं पर क्या असर आता है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उनका अनुदान वापस चालू किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में विशेष तौर पर पानी बहुत अब ऐसा पानी हो गया कि जानवर उसको पीने से बीमार होने लग गये। हमारे जिले में भेड़, गाय, बकरी और ऊंट यह पशुधन है उसके लिए भी अब यह पानी हानिकारक हो गया, इतनी मात्रा में फ्लोराइड हो गया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी जल्दी पहुंच जाए तो वहां के काश्तकारों को कुछ राहत मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी की मेहरबानी होनी चाहिए भाई।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अमरारामजी की पूरी है, साहब, पूछ लो आप।

श्री उपाध्यक्ष: आने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अमरारामजी की है और सभी माननीय सदस्यों की है इस मामले में तो।

श्री उपाध्यक्ष: आने नहीं दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): पीने के लिए कौन मना कर रहा है प्रथम चरण में ?

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): पीने के लिए भी आप नहीं जाने दोगे ...(व्यवधान) फिर प्रथम चरण में जाओगे आप।

श्री अमराराम (धोद): यह आपने प्रचार करके कह दिया। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): फिर घड़साना, रावला में भी आप यही करोगे जाकर।

श्री अमराराम (धोद): इश्तिहार छपा कर देख लिया, कोई इन बातों में नहीं आने वाला है, आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, पीने के पानी के लिए कोई मना नहीं करता।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय सदस्य, पिछले 6 वर्षों का रिकार्ड है। घड़साना, रावला क्षेत्र में फसलों का, 6 वर्ष का रिकार्ड है, आप दिखवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपका रिकार्ड तो जब्त कर लेंगे वहां।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इन्दिरा गांधी नहर का पानी नागौर में जरूर आएगा, सितम्बर तक आएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, सबसे पहले नागौर जिले को मिलेगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप तो दो काम करा दो, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य परबतसर से आने वाले कह रहे थे, अमरारामजी कह रहे है, पानी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है।

श्री अमराराम (धोद): तीन साल में तो एक बून्द नहीं आया। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अब यह बताएंगे, साहब, कैसे आएगा। (व्यवधान) नहीं, नहीं। मंत्रीजी मेरे को कुछ आश्वासन दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अमरारामजी काश्तकारों का आदमी है, यह कभी पानी के लिए विरोध नहीं करेंगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): चलो, यह तो मान लिया अमरारामजी सही हैं। (व्यवधान) एक मंत्री नागौर के उधर हैं और एक मंत्री इधर हैं, दोनों

(श्री राकेश मेघवाल)

ने आश्वासन और दिया है, सदस्य महोदय, दोनों ने आश्वासन दिया है, आपके पास में बैठे हैं, यह बैठे हैं कि इसी साल नागौर में पानी आएगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सितम्बर, 2008 तक प्रवेश कर जाएगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): बहुत आभारी रहेंगे आपके और आपकी फोटो खिंचवा कर हर घर में लगवा देंगे कि साहब, यह देखें आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): खिंचवाना तो अभी से शुरू कर दो आप। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अभी से आप पानी का प्रवेश तो दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): यह मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि यह काम जल्दी हो जाए तो आपका कैलेण्डर मैं छपवा दूंगा और हर घर में लगवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): चुनाव के बाद में पानी पहुंचने की बात हो रही है या पहले की ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): चुनाव के बाद नहीं, पहले की बात हो रही है, बाद की बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): फोटो तो आप उतरा ही दोगे न ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): बिलकुल उतरा देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ठीक है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): पर आपका आशीर्वाद चाहिएगा उसमें।

श्री अमराराम (धोद): पानी आ जाएगा तो वैसे फोटो उतार देंगे और पानी नहीं आएगा तो वैसे फोटो उतार देंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): वह तो अमरारामजी माहिर हैं फोटो उतरवाने में तो। अमरारामजी माहिर हैं इस चीज में तो। (व्यवधान) अब आप इनको कोप भाजन बनवाओगे इन सब को, मुझे पता है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं तो जो जिले की स्थिति है, वह बयान कर रहा हूं। मैं कोई दुर्भावनावश नहीं कर रहा हूं और आ जाएगा, जो मंत्रीजी फरमा रहे हैं, यह काम हो जाए तो नागौर जिले की उन्नति होगी, नागौर जिले के लोगों को जो पीने के पानी से बीमारियां हो रही हैं, आज दाँत पीले हो रहे हैं, हड्डियां दुख रही हैं और जो 6 माह में आदमी के यहां फ्लोराइड जमने लग गया है, उपाध्यक्ष महोदय, पीछे रीढ़ की हड्डी में उसका इलाज अब हरेक आदमी के बस की बात नहीं है, यह पानी की बीमारियां बता रहा हूं मैं आपको, तो इनसे निजात मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नागौर वालों की नजर लग गई, नागौर वालों को।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नागौर वाले तो नजर लगाते हैं, साहब, उनको क्या लगे, नागौर तो इतना मजबूत जिला है, नजर लगाता है, उनके नहीं लगती है, वह तो उतारता है नजर।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नजर लगे हुओं को महावीरजी थुथकारा डालते हैं, जिनके नजर लग जाती है उनको मुख्य सचेतक महोदय थुथकारा डाल कर ठीक कर देते हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय को नागौर होकर उधर गुजरना पड़ता है, पहले नागौर आता है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नागौर वाले तो कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो जाए, कोई आफरा हो जाए तो उसकी दवाई हमारे जिले में है, आफरा उतारने की। (व्यवधान) नहीं, महावीरजी को नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह गम्भीर मुद्दा है हमारे जिले का, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब हमारे जिले में जो खेती है उस पर जो खर्चा आता है, बात अकाल राहत की है, उससे ही संबंधित है उस पर, उपाध्यक्ष महोदय, नहरी इलाके से आप तुलना करें, नहरी इलाकों में जो खेती होती है उसमें खर्चा आता है आधा और हमारे उधर आता है चार गुना खर्चा नहरी इलाके से ज्यादा आता है तो मैं इस संबंध में माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी आपने अकाल राहत के तहत यह श्रमिक सीमा की है वह पर्याप्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय ओलावृष्टि में एक, बिजली के संबंध में, मैं दो-तीन बातें ही सुझाव देना चाहूंगा कि जो दो हैक्टेयर तक का बिल माफ किया है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

चाहता हूं कि इसका हमारे जिले वाले काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। (व्यवधान) नहीं, मंत्रीजी नहीं बुलवा रहे हैं, मंत्रीजी कैसे बुलवाएंगे। (व्यवधान) और मंत्रीजी कहें तो मैं बोल दूं, आपको तकलीफ तो नहीं है ? (व्यवधान) नहीं, आपको आफरा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: रिलीफ तो वही देंगे भाई।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आफरा हो गया तो है दवाई मेरे पास। (व्यवधान) हेमराजजी, आप भी किसान हो और मैं किसान की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वह रिलीफ देने वाले हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, दो हैक्टेयर का किसान नागौर में नहीं है और आपने यह घोषणा की है कि दो हैक्टेयर वाले किसान का हम बिजली का बिल माफ करेंगे इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो हैक्टेयर वाले किसान नहीं है। इनको लाभ नहीं मिलेगा, आप इसमें संशोधन करके जो दो हैक्टेयर से ज्यादा के काश्तकार हैं, जिनके ओलावृष्टि हुई है और जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है, उनके बिल भी माफ करें, इसकी घोषणा आप करेंगे तो राजस्थान के किसान आपके आभारी रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: पश्चिम राजस्थान में दो हैक्टेयर वाले बहुत कम मिलेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): बहुत कम मिलेंगे, यही निवेदन मैं कर रहा हूं, साहब, पश्चिम राजस्थान में ही हैं अपन। दूसरी बात मैं आपको मेरे क्षेत्र की बिजली से संबंधित एक दो बातें हैं वह निवेदन करना चाहूंगा। सांजू में एक जीएसएस 32 का वहां हमारे बना हुआ है, उस पर तीन ब्रेकर लगाने की आवश्यकता है और वह आवश्यकता इसलिए है कि वहां बिजली की अव्यवस्था रहती है। अगर आप तीन ब्रेकर वहां लगवा देंगे तो यह बिजली वहां अच्छी तरह मिलेगी और अच्छे वोल्टेज किसानों को मिलेंगे। एक अनियमित चेटिंग जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर कोई, आज वह ऐसा कौन सा मीटर हैं जो लेकर चला जाए, 10 हार्स पावर की मोटर अन्दर लगी हुई है और वह ऊपर उसको देख कर बताते हैं कि साहब, इसमें 15 हार्सपावर की मोटर है। ऐसे कई मामले हैं जिनसे काश्तकारों को भारी परेशानी हो रही है

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों के बिल बकाया हों, उनको आप नोटिस देकर उनके ट्रांसफार्मर उतारें तो उनको तकलीफ नहीं होगी, अन्यथा उनकी खड़ी फसल में उनके ट्रांसफार्मर बिना नोटिस के उतार कर ले जाते हैं तो उनकी फसल बरबाद हो जाती है, आगे ही किसान कंगाल है तो आप मेहरबानी करके यह दो-तीन बातें जो बिजली के संबंध में मैंने कही, काश्तकारों में ज्यादा चोरी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे, काश्तकार एक कनेक्शन से दो ट्यूबवैल चला रहा है, कहां चला रहा है ? काश्तकार तो तीन-चार साल बाद में यह स्थिति बन सकती है, अगर बरसात नहीं हुई तो काश्तकार खुद आपके पास आएगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कनेक्शन काटो आप, क्यों काटो, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा, अगर ऐसी ही स्थिति रही बरसात की तो पानी नहीं रहेगा काश्तकारों के कुए में और वह अपने आप आएगा आपके पास, यह बिजली के कनेक्शन कटाने के लिए तो उपाध्यक्ष महोदय, अब बकाया की बात कोई काश्तकारों के करोड़ों रुपये, अरबों रुपये बताए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं जितने भी बिजली की बड़ी इण्डस्ट्रीज, बड़े कारखाने उनमें लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये बकाया हैं, पर आज सदन में चर्चा हो और किसान चोरी करता हुए दिखे, किसान चोर नहीं है इसलिए आपसे निवेदन है कि किसानों के अगर बिल बकाया हैं तो उनसे आप किश्तों में, किसी भी जिस तरीके से चार किश्तें, पांच किश्तें करके आप राशि ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी अकाल से संबंधित रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने संक्षेप में मेरी बात रखी, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक मेरे को टोटा-टाकी नहीं की और विशेष रूप से महावीरजी साहब को और आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कोई ऐसी उत्तेजना वाली बात ही नहीं कही।

श्री अमराराम धोद ।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली और अकाल की समस्या पर जो चर्चा हो रही है। बिजली प्रति व्यक्ति....

श्री उपाध्यक्ष: ये बीच के हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ये तो पार्टी के नेता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जो बीच में बैठे हैं उनका मतलब निर्दलीय है, मैं और मेरा दल।

श्री उपाध्यक्ष: ये बीच में हैं, ये दोनों पक्षों को नहीं बख्शते।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का प्रति व्यक्ति कंजम्प्शन इस बात को दिखाता है कि बिजली का कितना कंजम्प्शन प्रति व्यक्ति है चाहे वह कृषि का विकास हो, चाहे वह उद्योग का विकास हो और चाहे वह जनरल विकास हो। हमारे राजस्थान का जो प्रति व्यक्ति बिजली का कंजम्प्शन है वह देश के एवरेज से बहुत नीचे है और हमारा नम्बर देश में नीचे से आता है। राजस्थान में सब सम्भावनाएं होने के बाद भी मैं समझता हूं कि राजस्थान का यह दुर्भाग्य कहें कि राजस्थान में लगातार बिजली की मांग और पूर्ति में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और उसका सबसे बड़ा खामियाजा राजस्थान के किसान और गांव के गरीब को भोगना पड़ रहा है। राजस्थान में लिग्नाइट भरपूर मात्रा में है, राजस्थान में हवा से बिजली पैदा की जा सकती है, सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन राजस्थान की आजादी के बाद के 58 साल के सफर में हमारे राजस्थान की किसी भी सरकार ने विकास का जो आधार स्तम्भ है इस ओर हमारे संसाधनों से किस तरह से बिजली पैदा की जा सकती है, कोयले से लेकर हवा से, सूर्य की रोशनी से, गैस और पैट्रोलियम पदार्थों तक राजस्थान की सम्पदा होने के बाद भी राजस्थान ने वो योजनाएं नहीं बनाईं जो राजस्थान के संसाधनों से बिजली पैदा करके राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसका सबसे बड़ा खामियाजा राजस्थान के किसान को भोगना पड़ा है।

राजस्थान में जितना सिंचित क्षेत्र है उसका 70 प्रतिशत आज भी कुओं से सिंचित होता है और उसमें से अधिकतर बिजली से है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की मांग और सप्लाई में जो गैप आया है उसका सबसे बड़ा खामियाजा राजस्थान के किसान और गांव के गरीब को भोगना पड़ा है। इस सरकार ने घोषणा पत्र में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बड़े-बड़े वायदे किये कि राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी को वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान के किसान और आम जनता ने विश्वास दिया और सरकार में बिठाया तो राजस्थान के किसान को 8 घंटे बिजली मिलेगी, राजस्थान के गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी जवाब दे दें कि सवा तीन साल में एक भी दिन किसान को 8 घंटे बिजली दी हो। गांव

(श्री अमराराम (धोद)

को 24 घंटे बिजली देने की बात तो छोड़ो, राजस्थान के शहरों और राजधानी में बिजली की कटौती की स्थिति पैदा हो गई और राजस्थान की सरकार ने किसान और गांव के गरीब के साथ विश्वासघात करने का काम किया है।

सरकार ने घोषणा की थी कि 1,86,000 किसान जो पिछले 16 साल से पैण्डिंग हैं उन सब को हम 31 मार्च, 2007 तक कनेक्शन दे देंगे। इस राजस्थान में किसान जो फसल पैदा करना चाहता है उसको 16 साल तक इंतजार करना पड़ता है और राजस्थान में कोई उद्योगपति अगर कारखाना लगाने की बात करता है तो मांगने से पहले कनेक्शन मिलेगा। राजस्थान के किसान को 24 घंटे से घटकर 4 घंटे बिजली दी है, 8 घंटे सवा तीन साल में एक दिन भी दी हो तो सरकार बता दे। इस सरकार के भरोसे तो मैं समझता हूं कि पिछले 4 साल में इस साल को छोड़कर के एक लाख इन्होंने कनेक्शन बढ़ा दिये, बाकी कनेक्शन भी बढ़े होंगे, बिजली का कंजम्प्शन बढ़ा है लेकिन उत्पादन और खरीद में इस साल में जितना आपने दिया है, पिछले तीन सालों से कम है। फिर भी सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि यह बरसात हो गई जिससे यह फसल हो गई वरना इस सरकार की बिजली के भरोसे तो कोई फसल नहीं होती। इसलिए बिजली सप्लाई में जहां 24 घंटे से घटकर किसान की 4 घंटे पर आ गई। गांव की सुबह और शाम की बिजली की घोषणा कि 4 घंटे शाम को जाएगी, दो घंटे सुबह जाएगी लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वह कहां जाती है। अगर मंत्रीजी के यहां जाती है तो मैं कह नहीं सकता, राजस्थान के गांवों में बिजली नहीं जाती। उसकी आवश्यकता के अनुसार 24 घंटे में उसको एक घंटे बिजली नहीं मिले। 24 घंटे में किसान को घटते-घटते 4 घंटे और तीन घंटे में आ जाए और ऊपर से यह और एलान किया जा रहा है कि किसान को बिजली देने के लिए शहर की बिजली काटी गई है।

मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसान के साथ न केवल कनेक्शन में हो रहा है, अभी सरकार घोषणा कर रही है कि राजस्थान की सरकार ने बिजली की रेट नहीं बढ़ाई। मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने भी बजट में कहा है, इस सरकार ने 85 रुपये फ्लैट रेट पर 55 रुपये बढ़ाये हैं। राजस्थान की बिजली की रेट बढ़ाने में इतिहास में राजस्थान की सरकार ने सबसे हाइएस्ट बिजली की रेट बढ़ाई है। यह तो मैं धन्यवाद दूंगा अखिल भारतीय किसान सभा और उन किसानों को जो इस सरकार ने वादाखिलाफी करके 50

(श्री अमराराम (धोद)

प्रतिशत से ज्यादा रेट बढ़ाई थी, 8 दिन तक बैठकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि इस बढ़ाई हुई रेट को सरकार को वापस लेना पड़ा। राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार आई हो, राजस्थान के किसान की मजबूरी का फायदा उठाया। कभी नर्सरी के नाम से, कभी स्पेशल के नाम से, कभी दो साल तक डबल बिल लगेगा, कभी नम्बर आने तक 16 साल तक लगेगा। इस सरकार ने तो इसके अलावा और भी कमाल किया कि अब कोई फार्म हाउस में कनेक्शन लेगा उसको जिंदगी भर जब तक कनेक्शन रखेगा, उसको तीन गुना रेट देना पड़ेगा। यह किसान की मजबूरी का फायदा राजस्थान में जो भी सरकार आई उसने उठाया। जबकि अकाल का सबसे बड़ा समाधान मैं समझता हूं कि अपनी मेहनत का पैसा लगाकर के ट्यूबवैल लगाकर के पूरा पैसा खर्च करके अकाल का मुकाबला करने के लिए सबसे बढ़िया कोई सर्वोत्तम काम था जहां बढ़िया पानी था उसका काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी उनको सामान्य करने के लिए दो साल में कर दिया लेकिन जो छोटी म्युनिसिपैलिटी में एक वो किसान जिनको सप्लाई गांव की मिलती है वो ही चार घंटे की मिलती है लेकिन उनको सामान्य में नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह तो उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। राजस्थान में गांवों की सप्लाई मिलने वाले, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको दो साल के बाद में चाहे वो स्पेशल में या किसी भी कैटेगिरी में हैं, उनको दो साल के बाद में पूर्ण बिल देने के बाद में सामान्य में करते हैं लेकिन म्युनिसिपैलिटी एरिया में होने से तो म्युनिसिपैलिटी एरिया में है, रींगस है, चौमूं है या और कोई भी छोटी म्युनिसिपैलिटी हो लेकिन उनको सप्लाई तो मिलती है ग्रामीण फीडर से और वह 4 घंटे की सप्लाई मिलती है लेकिन उनका स्पेशल और फार्म हाउस से सामान्य में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा विश्वासघात है।

जहां सरकार घोषणा करती है कि जो पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, जो फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद-बूंद सिंचाई से पानी का अधिकतम उपयोग करेगा, सरकार ने घोषणा की कि उसको 10 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से छूट देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वो छूट लागू नहीं हुई उससे पहले 8.12.2006 को वापस विदड्रा कर ली। यह सरकार की जो फव्वारे से, ड्रिप इर्रिगेशन से 8.12.2006 को 10 पैसा प्रति यूनिट में जो फ्लैट रेट में है उसके लिए नहीं किया लेकिन उसको भी मैं समझता हूं कि वापस ले लिया। यह केवल किसानों को बेवकूफ बनाने की, उनके साथ खिलवाड़, विश्वासघात करने का काम कर रही है।

(श्री अमराराम (धोद)

अभी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि जिस फीडर में टी एण्ड डी लोसेज 15 प्रतिशत से कम होंगे, हम उनको 40 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से छूट देंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक भी ऐसा ग्रामीण फीडर नहीं है। ग्रामीण फीडर तो बहुत लम्बे-लम्बे हैं, उनकी बात तो छोड़िये, शहर में भी एक भी फीडर मंत्रीजी अपना उत्तर दें तब बता दें कि जिसका टी एण्ड डी लोसेज 15 प्रतिशत से कम हो। इससे ज्यादा थोथी घोषणाएं और क्या हो सकती हैं। जो भी किसान के लिए घोषणाएं की जाएं उनको पूरा नहीं किया जाए। यह इस सरकार ने रिकार्ड बनाया है। पिछले डेढ़ साल में, किसी भी तरह का राजस्थान के इतिहास में कभी भी कनेक्शन करने में रोक नहीं लगाई, शिड्यूल्ड कास्ट हो, शिड्यूल्ड ट्राइब हो, शहीद के परिजन हों, इस सरकार ने एक साल तक किसी को कनेक्शन नहीं दिया और सबसे बड़ी अफसोसजनक बात तो यह है कि सरकार ने घोषणा की कि 2007 तक जो इंतजार नहीं कर सकता वो पहले आये और पहले पाये, स्पेशल में 5200 रुपये जमा कराये। 2004 में 40 हजार किसानों ने सरकार पर विश्वास करके 5 लाख रुपये लगाकर के ट्यूबवैल बनाया, सरकार ने घोषणा की कि पहले आओ, पहले पाओ में 5200 रुपये देंगे उनको 120 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन 40 हजार किसान आज तक इस सरकार के विश्वास पर जिन्होंने लाखों रुपया खर्च किया, ट्यूबवैल बनाया कि इनको 120 दिन में कनेक्शन मिलेगा लेकिन 2004 से 2007 हो गया, आज तक कनेक्शन नहीं मिला। उत्तर मिलेगा कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। आज हमारे पास जितना सामान था उतनी ही एप्लीकेशन लेते तो बात समझ में आती। जितनी आपके पास बिजली थी, जितनों को आप कनेक्शन दे सकते थे उसके बाद में आप एप्लीकेशन लेना बंद कर देते लेकिन 40 हजार किसान जिन्होंने 8 से 10 लाख रुपये खर्च कर दिये इस सरकार की घोषणा के विश्वास के आधार पर कि 120 दिन के बाद में उनको कनेक्शन मिल जाएगा पर आज 2007 तक में नहीं मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा हथियार जो सरकार ने उन बिजली के अधिकारियों को लूटने के लिए दिया है वह वी सी आर के नाम से दिया है। इनके बिजली के अधिकारी जाते हैं और कहते हैं कि 80 हजार का वी सी आर होगा, 40 हजार रुपये दे दो। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे कनेक्शन, जे ईएन और ए ईएन के एरिया में अगर डायरेक्ट चोरी करते हुए पाये गये तो आपने एक भी बिजली के अधिकारी जो मिलकर

(श्री अमराराम (धोद)

के चोरी करवाते हैं उन अधिकारियों पर कोई भी एक्शन नहीं होते। उनको एक हथियार दे दिया। जिसने कनेक्शन ले रखा है, 25 हॉर्स पावर का कनेक्शन ले रखा है मैं उदाहरण सहित बता सकता हूं जो 25 एच.पी. का पांच हजार या छह हजार रुपए पैसा जमा कराता है और इनके वीसीआर भरते हैं 90 हजार रुपए की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जिस किसान का अनाज और चारा पूरा बेचेगा, किसान का तो सालभर का 90 हजार का नहीं होता है, वह बिल भी देना, 90 हजार भी, केवल इनको लूटने के लिए इनके भ्रष्ट अधिकारियों को लूटने का एक अधिकार है तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार किसान की मदद करना चाहती है तो जिसने भी कनेक्शन ले रखा है अगर लोड ज्यादा पाया जाता है तो उससे ज्यादा का ले लिया जाए अगर मीटर जल गया आज वो कुआँ बंद नहीं रख सकता, मीटर एक साल तक ये नहीं बदलते तो आप यह समझिए कि मीटर जलने के बाद एक साल तक वो कुआँ बंद रखेगा, आप मीटर नहीं हो, प्लैट रेट से लीजिए, अगर मीटर जल गया, अगर केबल जल गई तो आप फ्लैट रेट से लीजिए, आप डेढ़ा लीजिए लेकिन एक किसान से 90 हजार की वीसीआर के नाम से इनके भ्रष्ट अधिकारी जिस तरह से लूटने में लगे हुए हैं मैं समझता हूं कि सरकार अगर किसान की मदद करना चाहती है तो जिस भी किसान ने कनेक्शन ले रखा है उसके नाम से वीसीआर, अब आप दुकानदार के लिए तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर राज राजस्थान में खतम हो गया, कोई भी इंस्पेक्टर राजस्थान के व्यापारी के प्रतिष्ठान पर चैक करने के लिए नहीं जाएगा लेकिन यही सरकार आदेश देती है कि राजस्थान के किसान की चैंकिग करने के लिए जाएगा और एक-एक किसान के एक लाख से ज्यादा वीसीआर जिसने कनेक्शन ले रखा है, 12 महीने से बिल दे रहा है उसको एक-एक लाख का वीसीआर के नाम से लूटने का और अधिकार दे दिया कि वो लूट के जाकर के कहेगा 60 हजार का वीसीआर है, आप 30 हजार दे दो तो आपका वीसीआर नहीं है। आप तो उत्तर देकर बता दें एक भी अधिकारी ऐसा जिसके एरिया में डायरेक्ट जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है अगर दस से ज्यादा कनेक्शन हो गये तो उस एईएन, या जेईएन को आपने सस्पेंड किया तो बता दे जो चोरी को प्रोत्साहन करता है, मिलकर के चलवाता है, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं लेकिन वो तो इनके शागिर्द है।

भोपालगढ़ में इनको जब पैसा नहीं दिया, एक पैसा बकाया नहीं था मैंने यहां सदन में रखा, 20 दिन तक ट्रासंफार्मर नहीं दिया आपने, फिर

(श्री अमराराम (धोद)

मंत्रीजी ने शायद इन्टरफियर किया, 20 दिन के बाद जाकर के ट्रांसफार्मर लगाकर के आए। एक जो सुपर ट्रांसफार्मर के नाम से जो लूट हो रही है उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कम्पनियों का निश्चित रूप से फीडर इनोवेशन करें, इसमें किसी को एतराज नहीं है लेकिन जिस सुपर ट्रांसफार्मर के नाम से केवल मीटर ट्रांसफार्मर के अन्दर लगाकर के जो नहीं चल रहा है, चार-चार दफा चार दिन में वापस आ रहा है उस तरह से जो लूट हो रही है मैं समझता हूं कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए, एक जो कनेक्शन शिफ्टिंग का मामला है अब किसी का कनेक्शन है, तो कहां लेकर के जाना चाहता है, दो साल के पहले जो जमीन होनी चाहिए वो वह अपना कनेक्शन है, कहीं पानी समाप्त हो गया? कहां पानी वापस हो गया? खेत में कहीं हो गया? खारा पानी है, किसी से मीठा लेना चाहता है वह अपना एक का दो तो नहीं करेगा, एक कनेक्शन से दो कुएं चलाने की बात है, पैसे 2600 रुपए पर एच पी लेते हैं.....

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अमरारामजी वो अगर बेचते है ब्लैक में तो....

श्री अमराराम (धोद): नहीं, इसमें बेचने की कहां बात है?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ब्लैक में बेच दे कि तू ले ले मेरे यहां पानी तो है नहीं, मुझे लाख दो लाख रुपए दे दे मैं तेरे यहां जमीन का एक टुकड़ा लेकर के बेच देता हूं तो?

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, बेच भी दे तो, अब शहर में दुकान है कोई बेच देता है तो क्या आप रोक दोगे? किसी ने किराये पर दुकान ले रखी है, वो भी अगर मालिकाना हक किसी को बेचता है तो मालिक केवल 25 प्रतिशत लेता है जब दुकान बेच सकता है, किराये की दुकान बेच सकता है तो कनेक्शन क्यों नहीं बेच सकता? जब कनेक्शन जितने हैं उन्हीं के लेने की बात है तो मैं समझता हूं कि यह केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की....

श्री उपाध्यक्षः ऐसा है अमरारामजी उसमें भी दुरुपयोग के मामले बहुत सामने आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सामने आ रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, दुरुपयोग क्या, जहां एक कनेक्शन है वो कनेक्शन की जगह कनेक्शन होगा, जहां आप कह रहे थे बेचने की जब वो किराये की दुकान अपना मालिकाना हक बेच सकता है तो कनेक्शन क्यों नहीं बेच सकता? अगर बेच भी रहा है तो इसमें फोरजरी क्या

(श्री अमराराम (धोद)

है? एक कनेक्शन है, वह सीकर में है, नागौर में होगा, जोधपुर में होगा, फलौदी में होगा, कहीं भी होगा, होगा तो एक ही, एक के दो तो नहीं हो सकते....

श्री उपाध्यक्ष: वहां का काश्तकार तो प्रभावित हो जाएगा, उसको दो साल और इंतजार करना पड़ेगा अपने कनेक्शन के लिए, जो पहले से ही 16 साल इंतजार कर रहा है।

श्री अमराराम (धोद): इंतजार तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 साल करा रहे हैं और यही हालत रही बिजली की, पैदावार की तो मैं समझता हूं कि 16 साल और हो जायेंगे और जैसा मिर्धा साहब कह रहे थे पानी की यही हालत रही, बरसात नहीं हुई तो 15 साल बाद में कोई कनेक्शन मांगने वाला भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक है तब तक तो उसको प्राथमिकता हो और उसकी लूट का आधार नहीं हो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों से आपने एप्लीकेशन लेकर के दस लाख रुपए जमा करा लिए, वीसीआर के नाम से जो लूट हो रही है अगर सरकार किसानों के प्रति उनका थोड़ा सा भी विश्वास है तो ये जिनका कनेक्शन ले रखा है, जहां इस देश में 8 राज्यों में बिजली फ्री दी जा रही है, जहां इंस्पेक्शन के नाम से, विजलेंस के नाम से जो लूट मचा रखी है, जो भ्रष्ट अधिकारी अपना घर बना रहे हैं, एक-एक एसी के 7-7 करोड़ रुपए का माल मिलता है, यह इसी का नतीजा है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उन किसानों से जो वादा करके आई है सप्लाई का, कनेक्शन का, उसकी लूट मिटाने का निश्चित रूप से या तो सरकार उन वादों को पूरा करेगी वरना तो सरकार जब भी 18 महीनों के बाद उनके बीच में जाएगी, इस वादा-खिलाफी का निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार में बैठे हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा, आपने समय दिया उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद पेश करता हूं और मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री अशोक नागपाल।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिजली और अकाल की स्थिति पर विचार हो रहा है, मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए मुझ से पूर्व माननीय सदस्यों ने राज्य

(श्री अशोक नागपाल)

सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपके सामने बात रखी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ऊर्जा मंत्री महोदय को कि सूरतगढ़ थर्मल में छठी इकाई का शिलान्यास किया और ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में लाने में आपने प्रयास किया। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मेरे क्षेत्र की कुछ बाते हैं, कुछ समस्याएं हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। जिस तरह हनुमानगढ़ जिले में नाली-बैल्ट के जो ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं, उनका पानी खारा होने के बाद उनको कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए जिला हनुमानगढ़ में आदेश किए गए हैं उसी अनुरूप में क्योंकि यह जो नाली-बैल्ट है पूरे अनूपगढ़ तक नाली-बैल्ट है और वह क्षेत्र श्रीगंगानगर जिले में आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह हनुमानगढ़ जिले में ट्यूबवैल जिनका पानी खारा हो चुका है, उनका कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए आपने आदेश प्रदान किये हैं, उसी अनुरूप श्रीगंगानगर ज़िले में सूरतगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक के क्षेत्र में उसी तरह के आदेश प्रदान करें। इसी के साथ-साथ राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में श्रीगंगानगर ज़िले को 32 करोड़ रुपए मिला है लेकिन मैं उसमें यह कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है, उस क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है ढाणियां पूरे विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ में है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इस राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत श्रीगंगानगर ज़िले को 32 करोड़ रुपया मिला है उसका सही समय पर सदुपयोग हो, इसके लिए आप अपने संबंधित अधिकारियों को जो भी दिशा-निर्देश है वह प्रदान करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में सामान्य श्रेणी में ट्यूबवैल्स के लिए काफी कनेक्शन एप्लाई किये गये जब उनका समय आया विभागीय त्रुटि के कारण या उन काश्तकारों की गलती के कारण वह कनेक्शन जो डिमाण्ड नोटिस थे उनके पास तक नहीं पहुंच सके और वो 2005 तक के जो हमारे कनेक्शन थे उनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को राहत प्रदान की जाए सामान्य श्रेणी में जिन्होंने एप्लाई किया और उनका नम्बर आने के बाद विभागीय त्रुटि से या

(श्री अशोक नागपाल)

स्वयं की किसी भी गलती के कारण वो नहीं हो सके, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक बात और भी कहना चाहूंगा कि विधायक कोष से पैसा दिया जाता है उसकी एक समय सीमा होती है, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीविजयनगर नगरपालिका में करीब एक लाख रुपए, 96 हजार के समथिंग रुपए मैंने विद्युतीकरण के लिए दिया लेकिन बड़े ही दुःख का विषय है एक साल और तीन चार महीने निकलने के बाद भी वह कार्य मेरे बार-बार कहने के बावजूद अब जाकर के वह पूरा हुआ है। जब विधायक कोष से पैसा दिया जाता है

उसकी समय-सीमा होती है उसमें ऐसे अधिकारी जो उस काम को पूरा नहीं करते हैं विशेष रूप से इस तरह की एक मानीटरिंग करके ऐसे अधिकारियों को दण्डित भी किया जाए और उसके उपरान्त जो भी पैसा विधायक कोष से या अन्य कोष से दिया जाए उसका सही समय पर सदुपयोग हो, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

इसके अलावा मेरे विधान सभा में सूरतगढ़ तहसील की बारह ग्राम पंचायतें हैं इसके साथ-साथ जो अकाल पर भी थोड़ी सी चर्चा हो रही है उस पर भी अपनी बात कहना चाहूंगा। उस तहसील के जो गांव हैं वो सूरतगढ़ तहसील श्रीगंगानगर जिले में जरूर है लेकिन वहां का जो क्षेत्र हैं वहां कहीं भी पानी नहीं लगता है वहां हालात यह है कि किसान की फसल सिर्फ बरसात पर डिपेंड करती है और वो क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में चारा डिपो खोले गये हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं हैं सिर्फ राजयेसर और देवीदासपुरा में दो ही डिपो खोले गये हैं मालेर, सिगरासर, डीडवाना काफी गांव ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं और मैं एक ही बात आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बीकानेर जिले को इस चारे के ऊपर अनुदान दिया जाता है उसी अनुरूप उस क्षेत्र को भी अनुदान दिया जाए ताकि उस क्षेत्र के जो हमारे काश्तकार हैं जो गरीब किसान हैं उनको फायदा मिल सके।

श्री उपाध्यक्षः आ गयी बात।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): जिस तरह अभी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पच्चीस प्रतिशत से कम छीजत के जहां गांव हैं वहां चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवा दी

(श्री अशोक नागपाल)

जाएगी। इसी अनुरूप मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में ऐसे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को राहत प्रदान की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल रैगर।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और बिजली पर चर्चा हो रही है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं पुकारा। अभी नहीं पुकारा।

श्री हीरालाल (निवाई): ...इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। मैं ज्यादा आंकड़ों में और इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। सबसे पहले आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो जीएसएस दो वर्ष पहले मंजूर हुए थे जो आज तक भी चालू नहीं हुए। दूसरा मेरे क्षेत्र में कई जेईएन के पद रिक्त हैं इससे ग्रामों में विद्युत आपूर्ति में परेशानी होती है तो जेईएन के पद भी भरे जाएं। साथ ही आजादी के साठ साल बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मेहताबपुरा, ग्राम पंचायत सिरस, दयालपुरा, ग्राम पंचायत सेदरिया, खारड़ा, पंचायत जामडोली, भांवता, पंचायत चैनपुरा इस तरह चार-पांच गांव हैं जो आज भी विद्युतीकरण से महरूम हैं इसलिए मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि इन गांवों का तुरंत विद्युतीकरण कराया जाय।

जहां तक अकाल का प्रश्न है विधान सभा क्षेत्र निवाई में बिलकुल वर्षा नहीं हुई। मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं। अभी ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ उसका भी मैंने स्वयं भी मौके पर जाकर मुआयना किया, देखा और ओलावृष्टि से भी जो किसान पीड़ित थे उनको सहायता राशि की कार्यवाही की जा रही है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्षजी आपके माध्यम से लेकिन मेरे यहां

(श्री हीरालाल)

बरसात बिलकुल नहीं हुई। कुछ ऐसे छोटे-छोटे किसान हैं जिनकी खेती वर्षा पर ही आधारित है। न तो खरीफ की फसल हुई उनकी, न रबी की फसल हुई। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो छोटे किसान हैं जिन्होंने फसल बोई नहीं वर्षा के अभाव में उनको भी अकाल राहत या जिस तरह से ओलावृष्टि में सरकार सहायता दे रही है उससे जोड़ा जाए। पुनः आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर, अकाल पर चर्चा हो रही है। मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बिजली की समस्या के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीकानेर डिवीजन में सबसे ज्यादा ट्यूबवैल हैं और मूंगफली का बैल्ट है जहां सबसे ज्यादा मूंगफली पैदा होती है और वहां बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। इस सरकार के आने के बाद घोषणा तो आठ घंटे की थी मगर वहां बिजली तीन-चार घंटे मिलती है। हालत यह है कि वहां दो एईएन ऑफिस हैं और दोनों ऑफिसों में एईएन नहीं हैं और एक ऑफिस में तो कम से कम आठ महीने से एईएन नहीं है और एक ऑफिस में कम से कम तीन-चार महीने से पोस्ट खाली पड़ी है।

श्री उपाध्यक्षः एईएन को आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सहयोग तो कर रहे हैं साहब, वहां कोई है ही नहीं। कोई लगा ही नहीं रहे हैं ये।

श्री उपाध्यक्षः आपके डर से कोई लग नहीं रहा है वहां।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सहयोग करने के लिए तो हमारे यहां कॉमरेड कभी-कभी चले जाते हैं अमरारामजी। ये आते हैं।

श्री अमराराम (धोद): इनके तो बुरा है साहब। स्पेशल में डूंगरगढ़ में एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। नोट ए सिंगल।

श्री उपाध्यक्षः पहले से ज्यादा हो गये।

श्री अमराराम (धोद): पहले से कहां ज्यादा हो गये ये तो बेचारे सब गहरे पानी में 40 एचपी की मोटर लगा करके दस लाख रुपये लगा करके उन

(श्री अमराराम (धोद)

धोरों में मूंगफली पैदा कर रहे हैं और स्पेशल में एक कनेक्शन नहीं हुआ। पचपन दिन तक इंतजार किया लोगों ने । आप कह रहे हैं कि ज्यादा हो गये।

श्री उपाध्यक्षः फसलें अच्छी हो रही हैं इनके।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जैसे कनेक्शन साल भर से रोक रखे हैं। शहीद कोटे के कनेक्शन की कई फाइल गलत थी वो रुक गयी, कई ऐसी फाइल जो पास हो गयी उसके बाद में ...(व्यवधान) जो शहीद कोटे के कनेक्शन हैं वो कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, साल भर से वो चक्कर काट रहे हैं और स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन, 5200 रुपये जमा कराने के बाद में सरकार ने नोटिस दिया ट्यूबवैल बनाने का। ट्यूबवैल बना लिया किसान ने और ट्यूववैल बनाने के बाद में साल भर से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ। हालत यह है कि वो किसान दर-दर भटक रहा है और उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और सबसे ज्यादा डूंगरगढ़ में कनेक्शन पेंडिंग हैं, जितने कनेक्शन डूंगरगढ़ में पेंडिंग हैं उतने कनेक्शन किसी जगह नहीं है और हालात यह है कि एक-एक ट्यूबवैल पर सात-सात, आठ-आठ लाख रुपये खर्च होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो जानकारी है पूरे उस इलाके की । आप तो मंत्री भी रहे हैं आपने शुरू में जो कनेक्शन दिये थे तो आज हालात यह है कि पूरा क्षेत्र बिजली के मामले में तीन-चार घंटे बिजली मिलती है । ये तो बरसात हो गयी नहीं तो वहां किसान के एक क्विंटल भी अनाज नहीं होता । यह हालत थी और अभी मूंगफली की बुआई चालू होने वाली है इस बुआई के चालू होने से पहले अगर किसानों को जो कनेक्शन पेंडिंग हैं वो कनेक्शन मिल जाएं तो वो किसान जिन्दा रह सकता है अन्यथा उस किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्योंकि बैंक से कर्ज ले रखा है या अन्य किसी और से कर्जा ले रखा है और हालत यह है कि अगर किसान को कनेक्शन नहीं मिला तो वो कर्जा उतरेगा नहीं और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इसी महीने में आप जो पेंडिंग कनेक्शन हैं जैसे शहीद कोटे के हैं, सामान्य श्रेणी के हैं और विशेष श्रेणी के हैं और एससी/एसटी के कनेक्शन भी पेंडिंग हैं तो सारे कनेक्शन जितने भी पेंडिंग कनेक्शन हैं वो इस महीने के अन्दर आप दें, अन्यथा किसान मजबूर हो जाएगा आने वाले समय में। दूसरा

(श्री मंगला राम गोदारा)

दो-तीन जगह वोल्टेज की भी भयंकर कमी रहती है। जैसे जाखासरनया और राजेड़ू में काफी ट्यूबवैल हैं और 33 केवी के वहां जीएसएस नहीं हैं। 132 के वी जीएसएस भी काफी टाइम से जैसे 220 के वी जीएसएस बन रहा है ।

132 के जीएसएस भी दो तीन जगह स्वीकृत हैं वह भी अभी तक न तो उनकी स्वीकृति है और न वहां चालू हुए हैं । आपने जो किसानों को नये ट्रांसफार्मर दिये हैं वह ट्रांसफार्मर अगर कहीं वोल्टेज कम है तो किसान का कुआ नहीं चल सकता क्योंकि पानी गहरा है, लोड ज्यादा है और लोड ज्यादा होने की वजह से अगर किसी जगह वोल्टेज कम है तो वह ट्रांसफार्मर चलता नहीं है और उस ट्रांसफार्मर की अगर सील टूट गई, किसान सील तोड़ कर अगर उसको डाइरेक्ट चलाता है और वह ट्रांसफार्मर जल गया और ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद चेंज कराने के लिये किसान लेकर आता है तो वह ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करते हैं उसके ऊपर पैनल्टी ठोकते हैं 50-50 हजार की । वह कहते हैं कि आपने यह सील क्यों तोड़ी। किसान की मजबूरी है कि वह ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज पर चलता नहीं है, नहीं चलता है तो उस किसान को सील तोड़ कर सीधा डाइरेक्ट चलाना पड़ता है और सीधा डाइरेक्ट चलता है तो उसके ऊपर 50 हजार रुपये जुर्माना लगता है । इसलिए किसान को बचाने के लिये कम से कम जो पहले ट्रांसफार्मर थे या तो उस टाइप के ट्रांसफार्मर दें या उसमें वोल्टेज का सुधार कराएं अन्यथा किसान की हालत खराब है । जैसे 72 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज करने की बात कर रहे हैं तीन चार दिन तक ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो मंत्री विराजमान हैं वह आपस में बाते कर रहे हैं कोई एक आदमी नोट नहीं कर रहा, जब से चर्चा शुरू हुई है अकाल राहत मंत्रीजी का कोई ठिकाना नहीं है । बिजली मंत्री सदन में मौजूद नहीं। अगर सरकार गम्भीर नहीं है तो आप बंद करवाइए ना चर्चा । कोई नोट नहीं कर रहा है, बातें कर रहे हैं आपस में ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल मंत्रीजी का स्वास्थ्य खराब है, ऊर्जा मंत्रीजी अभी केवल पानी पीने के लिये गये हैं । उनका नोट हो रहा है, सारा नोट कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... (व्यवधान) बातें कर रहे हैं यहां पर । कोई मंत्री नहीं है यहां पर, अकाल मंत्री नहीं, बिजली मंत्री नहीं, मजाक बना रखा है हाउस को ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई भी मंत्री नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आपको क्या हो गया है, क्या हो गया आपको ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मंगलारामजी जो बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को संवेदनशील होना चाहिये किसानों और गरीबों के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सदन के प्रति बिलकुल गम्भीरता नहीं है ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ... (व्यवधान) शहीदों के कनेक्शन नहीं दिये, सैनिकों के कनेक्शन नहीं दिये, क्या नोट कराना है, यह दो-तीन बातें ही बोली है और ज्यादा तो बोला नहीं है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कटारिया साहब तो मेवाड़ को मजबूत कर रहे हैं सुरेन्द्रजी के साथ बात करके और युनूस भाई अभी यहां पर गप्प लड़ा रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपकी सब बात नोट हो रही है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप यह निर्देश प्रदान करो और यह मंत्री गायब कहां है इनको बुलाओ ।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दिया जायेगा आप तसल्ली रखो ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जितना मामला है उतना नोट हो रहा है। यह जो-जो बोले वह मैंने बताया और क्या चाहिये आपको ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए, कहने दीजिए । सब नोट हो रहा है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लिखे तो जा रहे हैं इनके पैन में स्याही नहीं है, बिना स्याही का पैन है इनके पास ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप उनके पास पैड देख लो अगर नहीं लिखा हुआ है तो।

श्री उपाध्यक्ष: हर बात का जवाब दिया जायेगा ।

श्री सुरेश मीणा (करौली): किसी ने भी नोट नहीं किया यह सब, इस बारे में गम्भीर नहीं है सरकार ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): राजस्व मंत्रीजी लगातार लिखे जा रहे हैं आप उनका पैड देख सकते हो । सरकारी उप मुख्य सचेतकजी लगातार लिखे जा रहे हैं आप उनके पास पैड देख लो ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सत्ता पक्ष के आनरेबल चीफ व्हिप भी आ गये इनको निर्देश दो, बिजली मंत्रीजी को बुलाओ, अकाल मंत्रीजी को बुलाओ जिससे जो माननीय सदस्य विचार व्यक्त करे उनके वापस ढंग से जवाब आ सके ।

श्री उपाध्यक्ष: सब नोट हो रहा है, जवाब आयेंगे । हर चीज का जवाब आयेगा ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): अब चीफ व्हिप जी आ गये हैं तो आपकी बिना बोली चीज भी लिख लेंगे यह ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ... (व्यवधान) 8 घंटे बिजली नहीं मिली, मूंगफली की बुआई अभी शुरू होने वाली है और क्या चाहिये, जितना इन्होंने बोला उतना आपको बता दिया मैंने । सब नोट है ।

श्री उपाध्यक्ष: सब नोट हो रहा है, माननीय सदस्य को आप कहने दीजिए ।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन है कि डूंगरगढ़ तहसील में जब से यह कॉपरेटिव के और इनके कोई छोटा-मोटा झगडा हुआ था उसके बाद से डूंगरगढ के खिलाफ पूरा विभाग एक तरह से दुश्मन की नजर से देखता है । न तो वहां कोई ए. ईएन है, न कोई वहां कनेक्शन है, न कोई कनेक्शन देने वाला है, कोई छोटा-मोटा सामने की भी किसान को जरूरत है तो न वह मिलता है, न आफिस में कोई आदमी मिलता है । हालात यह है कि जैसे पूरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम चार हजार ट्यूबवैल हैं, न विधासर में कोई व्यवस्था है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है । न कोई डूंगरगढ़ में व्यवस्था है । वहां एक एक्स. ईएन की पोस्ट खाली पड़ी है, वह एक्स. ईएन की पोस्ट स्वीकृत तो हो गई उसके बावजूद ढाई साल हो गये आज तक कोई एक्स.ईएन वहां नहीं बैठा। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कम से कम जो पेंडिंग कनेक्शन हैं जिन किसानों ने ट्यूबवैल बना रखा है उनको तो आप कम से कम कनेक्शन

(श्री मंगला राम गोदारा)

दो जिससे कि वह किसान मरने के लिये मजबूर नहीं हो । क्योंकि जिस किसान ने 10 लाख रुपये ऋण लेकर, किसी दूसरे से ऋण लेकर ट्यूब वैल बना लिये वह भी आपके कहने पर, सरकार के कहने से कि आप ट्यूब वैल बनाओ और कनेक्शन लो। ट्यूबवैल बना लिये नोटिस आपने दिया कि अगर आपका ट्यूबवैल तैयार है तो आप कनेक्शन लो। उसके बाद में भी कनेक्शन नहीं मिला दो-दो साल हो गये उन लोगों के पैसे भराये हुए और 10-10 लाख रुपये उन किसानों के लग गये। आज वहां भयंकर अकाल है उस अकाल में अगर आप उन किसानों को कनेक्शन नहीं दोगे तो वह किसान तो मरने के लिये मजबूर हो जायेगा। हालात भयंकर खराब है और ब्याज सहित डूबेगा किसान तो । इसीलिए मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि वहां कम से कम ए. ईएन की पोस्ट भरें, एक्स ईएन की पोस्ट भरें। जे. ईएन वहां है नहीं। जे. ईएन की 5-5 पोस्ट हैं और मुश्किल से दो जे. ईएन है । 5 पोस्ट है और 2 जे. ईएन है और लम्बा चौडा इलाका है, लम्बे चौडे ट्यूबवैल है। जिन किसानों ने ट्यूबवैल बना रखे हैं उनको कनेक्शन नहीं है । न एससी, एसटी का है, न शहीद कोटे का कनेक्शन है, न सामान्य श्रेणी का है और न कोई विशेष श्रेणी का है और पैसे आपने भरा रखे हैं उसके बाद में भी कनेक्शन नहीं है । ट्रांसफार्मर अगर किसी का जल जाता है तो वह टाइम पर चेंज नहीं होता है । आप 72 घंटे की बात कर रहे हैं, आप वहां जाकर पता कर लो कभी भी 4-5 दिन से पहले उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है और बगैर पैसे के ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है । आज पैसे दो रात को ट्रांसफार्मर ले जाओ, अगर पैसे नहीं हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं है । अब गरीब आदमी कहां से पैसे लाये । 2-3 हजार रुपये दो, दलाल छोड़ रखे हैं और हालात भयंकर खराब है ।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री रामप्रताप कासनिया । थोड़ा बोलने दीजिए उनको ।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं यह कह रहा था कि आज अगर बिजली राज्य मंत्रीजी आगे आकर बैठ जायें तो आसन को एतराज थोड़े ही हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष: वहां पर बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आज के दिन के लिये तो बैठ जायें।

श्री उपाध्यक्ष: कोई दिक्कत नहीं वह अपने हिसाब से ही चल रहे हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान को बहुत पीछे धकेल दिया इन्होंने, पीछे ही ठीक हैं यह ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कासनियाजी पांच मिनट में समाप्त करेंगे, बिना कहे पांच मिनट में ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): दो मिनट में ही निपटा देंगे। शब्दों का ऐसा जाल है इनके पास में, दो मिनट में ही निपटा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अकाल और बिजली के बारे में चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो धरातल पर बात है मैं वो ही करूंगा। मैं यह कहने में कतई संकोच नहीं करूंगा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद बिजली की तरफ जितना ध्यान दिया है इतना ध्यान पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया। चाहे उत्पादन का मामला हो, चाहे नई इकाई लगाने की बात हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो बात मैंने मेरी आंखों से देखी है, सूरतगढ़ छठी इकाई का शिलान्यास, उद्‌घाटन हुआ था उसमें मैं मौजूद था। मैं ऊर्जा विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सूरतगढ़ थर्मल पावर में उत्पादन के मामले में देश में प्रथम स्थान है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं एक-एक प्लांट की यहां चर्चा नहीं करूंगा पर मोटे रूप में मुझे इतना ज्ञान है कि सरकार ने उत्पादन के लिए अलग-अलग जगह इकाइयों की स्थापना की है और 2008 तक, यह भी घोषणा की है कि बिजली की राजस्थान को जितनी जरूरत है उतनी पैदावार हो जाएगी, दस तक शायद। अनपढ़ हूं कोई थोड़ी बहुत चूक हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मोटे रूप में कमी है, बरसों से जो कमी है, लाइनों में सुधार हो रहा है, नये-नये ट्रान्सफार्मर लगाये जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेज के ट्रान्सफार्मर लग रहे हैं, लाइनें बदली जा रही हैं, तो बिजली के मामले में जो भी करने की आवश्यकता है, मंत्री महोदय मैं आप पर ही छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में मुख्य रूप से, अकाल के अन्दर जो दुर्दशा होती है गांवों की, उससे पूरा हाउस परिचित है। पिछले 60 वर्षों से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। अकाल का स्थाई समाधान भी हो सकता है लेकिन इसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया। हमारा ध्यान रहता है एक

(श्री रामप्रताप कासनिया)

दूसरे पर आरोप लगाने का। चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का हो, अगर हम सब सहमत होकर और अकाल का स्थाई समाधान करना चाहें तो कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है अरबों, करोड़ों रुपये अकाल के नाम पर खर्च होते हैं, कोई स्थाई सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता। लोगों की यह हालत है, लोगों की हमने आदत खराब कर दी, काम करने की मंशा नहीं है। अकाल राहत के अन्दर जो कार्य होते हैं, कच्चे काम, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं जैसे रास्ता साफ करना, मिट्‌टी हटाना, उल्टा नुकसान होता है, जब नई मिट्‌टी आती है पुराने रास्ते में तो उसमें पोलापन पैदा हो जाता है जिसके कारण हमारे ऊंट-गाड़े, व्हीकल निकलने में उल्टे कठिनाई पैदा होती है।

इसी तरीके से जोड़ खुदाई का काम हम करवाते हैं, कम से कम हमारे भेजे में इतनी बात तो होनी चाहिये कि जिस स्थान पर हम जोड खुदाई कर रहे हैं वहां पानी रूकेगा कि नहीं रूकेगा, उसके पास केचमेंट एरिया है कि नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि अकाल का स्थाई समाधान करने के लिए हमें मिल बैठकर सोचना पड़ेगा। परसों में अख़बार में पढ़ रहा था उसमें एक लाख हजार करोड़ रूपये तो अकेले केन्द्र सरकार को इस सेज को फायदा देने से नुकसान हो रहा है एक साल में। तो क्या हम बड़ी बड़ी कम्पनियों को जब इतनी छूट दे सकते हैं, वह हमारे पर काई अहसान नहीं कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां हमारे देश में आ रही है, आप यह मत समझिये कि छूट देने के कारण आ रही है, हमारे देश में वह कम्पनियां इसलिए आ रही है कि हमारे यहां जो पंजीरी की पैदावार है वह दिन-प्रतिदिन इस देश में बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए वह कम्पनियां यहां आकर्षित हो रही हैं, यह पंजरी का मतलब जनसंख्या। इस जनसंख्या के कारण से हमारे देश में कम्पनियां आकर्षित हो रही हैं। उनको अपना भविष्य यहां सुनहरा दिखाई दे रहा है। मेरे कहने का भावार्थ है जब हम कम्पनियों को इतनी बड़ी छूट दे सकते हैं तो अकाल के स्थाई समाधान के लिए भी हम कार्यवही कर सकते हैं, परन्तु हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए। पानी संरक्षण के नाम पर आज कितना पंचायत राज के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा जहां पर जोहड़ पायतान की

(श्री रामप्रताप कासनिया)

भूमि है, जोहड पायतन की भूमि में पानी का अगर हम स्टाक करना चाहें तो पक्की मिट्टी है पहले उसको दिखवा लिया जाए। पक्की मिट्टी नहीं है तो कम से कम उसको, पक्का जोड़ हो या डिग्गी हो उसको पक्का किया जा सकता है। उसके इदगिर्द पशुओं को पीने के लिए पानी मिलेगा और बड़ा तालाब अगर हम विकसित कर लेंगे तो सिंचाई भी हो सकती है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई इंजीनियर की, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हजारो-हजारों एकड़ हमारे पास गोचर पड़ी है, जोहड पायतन की भूमि पड़ी है।

हमारी तो आज हालत यह है आज अकाल राहत के अन्दर हमने जैसे 100 मजदूर लगा रखे हैं तो 70 तो हाजिर और 30 गैर हाजिर हैं, उनकी हाज़िरी लगती है और उस कार्य का नाप तौल जेईएन. के द्वारा नहीं किया जाता, एक यह कमी है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि 100 में से 70 आदमी काम कर रहे हैं 30 की गैरहाजिरी वैसे ही लग रही है, अगर नाप तौल हो तो वह 70 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वह बताएंगे खुद ही बता देंगे कि यह गैर हाजिरी फलां-फलां व्यक्ति की जो हाज़िरी लगी है यह गलत है, क्योंकि मिट्टी का नाप तौल करके पैसा डिवाइड होता है मजदूरों में, पर उसका मेजरमेंट नहीं होता, इस कारण से यह बेइमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अकाल का स्थाई समाधान करना पड़ेगा। चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार को। अब हमें इस तरफ बिना राजनीति के ध्यान देना चाहिये और अकाल का स्थाई समाधान करना चाहिए। दूसरा..

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल की चर्चा हो रही थी..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा एक निवेदन करना है कि सवा चार बजे अपने को करीब-करीब कार्यवाही समाप्त करनी है वरना हम आगे का प्रोग्राम नहीं कर पा सकेंगे, इसलिए मैं अभी बिजली मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जवाब दें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीन साढ़े

(श्री रामप्रताप कासनिया)

तीन साल में आपने एक पैसा भी बिजली का नहीं बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आदरणीय कल्लाजी ने कोई आरोप लगाए थे मुझे उसका जवाब देने के लिए समय दें। मुझे कृपया समय दिया जाए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके ऊपर थोड़े ही आरोप लगाए थे।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मुझे जवाब देना है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): एक-एक मिनिट हमारी बात भी... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): हमारे क्षेत्र के लोगों पर आरोप लगाए, मुझे जवाब देना है। मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं बोलूंगा, जवाब देना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर रिप्लाई नहीं हो पाएगा। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, आज आखिरी दिन है, बिजली और अकाल जैसे मुद्दे पर.....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): काम्पीटेंट नहीं है...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हम हमारी बात यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे ? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आदरणीय कल्लाजी ने आरोप लगाए, मैं दो मिनिट अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। दो मिनिट का समय दिया जाए।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। आज हम आसन से...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): दो मिनिट में कोई प्रलय होने वाली नहीं है। मुझे दो मिनिट का समय दिया जाए।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारे साथ अन्याय...(व्यवधान) हमें भी एक मिनिट बोलने दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपके पास फार्मूला है क्या अकाल के स्थाई समाधान का, मेरे पास फार्मूला है जरूरत होगी तो आप पूछ लेना बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): दो मिनिट का समय दिया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): समय खराब हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं दूंगा समय...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): दो मिनिट का समय दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बिजली पर बोलने के लिए हमें मौका नहीं दिया जाता है...(व्यवधान) तो हमारा यहां बैठने का क्या औचित्य है और सदन से समय-समय पर इजाजत लेते हैं, आपके आदेश की पालना करते हैं इसका मतलब यह थोड़े ही हुआ... (व्यवधान) हमें बोलने का मौका दिया जाए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनिट मात्र, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सबसे ज्यादा हमारा ट्राइबल सब प्लान बांसवाड़ा, डूंगरपूर ज्यादा है और हमको बोलने के लिए मौका नहीं दें... (व्यवधान) हमको बोलने के लिये मौका नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको मौका और मिलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सांइसर के अन्दर एक चारा डिपो चल रहा है। (व्यवधान) सांइसर के अन्दर एक चारा डिपो चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या है, क्या है, यह क्या है, बताओ ना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): चारा डिपो चल रहा है, जिसमें आदरणीय कल्लाजी ने आरोप यह लगाया है कि वहां... (व्यवधान) 80 गाड़ियों का घपला हुआ है। (व्यवधान) 80 गाड़ियों का घपला हुआ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पर्सनल आरोप इनके ऊपर कोई नहीं लगाया है। (व्यवधान) कल्लाजी ने इनका नाम भी नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इन पर लगाया है क्या... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): बिलकुल असत्य। मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इतना महत्वपूर्ण समय खराब कर रहे हैं हाउस का। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): यह मात्र राजनीतिक स्टण्ट है। सांइसर के अन्दर आज 50 पशु... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर पहले चर्चा करते हुए बीकानेर के पूर्व सांसद श्री रामेश्वर डूडी के बारे में कहा था कि जहां पर XXX (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): क्या कहा था। आप कार्यवाही निकाल लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसको आप कार्यवाही से निकाल दीजिये। आप इसको कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, और मौका मिलेगा अपने को। पहले मंत्रीजी को सुन लीजिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके ऊपर कोई पर्सनल आरोप लगाया है क्या। (व्यवधान) आपके ऊपर कोई पर्सनल आरोप लगाया है क्या। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात अंकित नहीं हो रही, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कोई पर्सनल आरोप नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी जांच कर लेंगे। आप काहे को परेशान हो रहे हो।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री श्रवणकुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप काहे के लिये बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समय बर्बाद मत कीजिये। (व्यवधान) नहीं किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: हां बैठ जाएंगे, बैठें आप। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कोई धमकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपके ऊपर पर्सनल आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप काहे के लिये उत्तेजित हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

(16.06 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, प्लीज, अब प्लीज, मेरी बात आप सुनिये। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैं अपने आप बंद करा दूंगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री अध्यक्ष: पांच बजे माननीय राज्यपाल महोदया यहां आएंगी और उससे पूर्व सवा चार बजे तक हमको विधान सभा की यह कार्यवाही खतम कर देना है। अब आप मुझे यह बताइये, आप इस तरह से करते रहेंगे तो कैसे होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर, आसन पांवों पर। माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है पांच बजे राज्यपाल महोदया आएंगी। हमारे सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मान देने का जो फंक्शन है, वह होना है। उससे पहले तैयारी करनी है इसलिये मैं चाहूंगी कि 20 मिनट के अन्दर, 4 बजकर 10 मिनट हो गये हैं। 20 मिनट में साढे चार बजे हम, 10-10 मिनट का समय दे रहे हैं, दोनों मंत्रियों को, वह अपना जवाब दें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई तरीका नहीं है आपका, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री अध्यक्ष: बोलना तो बहुत से माननीय सदस्य चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण नहीं बोल पाये इसका मतलब यह तो नहीं है कि समय को यूं ही बरबाद किया जाए। माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद देना चाहूंगा और सब सदस्यों ने जो विचार-विमर्श किया है, जो आपने, आपकी जो कम्प्लेंट्स हैं, जो आपने सुझाव दिये हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, because life is a learning process. समय के अभाव की वजह से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप बीच में रोका-टोकी नहीं करें because time is limited.

(श्री गजेन्द्र सिंह)

राजस्थान के जो पावर सैक्टर के बारे में एक थोड़ा सा ओवर व्यू देना चाहूंगा जिसमें अन्य जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब उसी में मिल जाएगा। बिजली एक कोर सैक्टर है और मुझे याद है कि दो वर्ष पहले बीकानेर से पधारने वाले माननीय सदस्य, जब आप प्रतिपक्ष के नेता थे, आपने रेज किया था कि यह एक कोर सैक्टर है। एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक विकास का प्रमुख द्वार है तो इसके अन्दर आल पार्टी पार्टिसिपेशन एक कामन प्लेटफार्म पर अपन नहीं करेंगे तो यह हमारे स्टेट के लिए खराब है। यह एक दूसरे को आप, यह कोई फाल्ट फाइंड करने के लिए बिना बात आरोप लगायें तो उसका कोई मकसद नहीं है। हमें जैसा कि एक ओलम्पिक टॉर्च लेकर एथलिट्स आते हैं, अलग-अलग टीम्स के आते हैं, आपस में प्रतियोगी आते हैं पर वे टॉर्च लेकर एक दूसरे को जलाते रहते हैं और जाकर ओलम्पिक लेम्प को स्टेडियम पर जलाते हैं, इसी तरह से हमें भी राजस्थान के हित के बारे में सोचना है और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो मैं फीगर्स प्रस्तुत करूंगा या तो वह फिगर्स रांग हैं तो आप टोक सकते हैं कि साहब, यह गलत मैं बोल रहा हूं अगर फीगर्स राइट हैं तो आपको थोड़ा एप्रीसिएट भी करना चाहिए, जो सरकार कर रही है। बिजली की जो समस्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान की एक गम्भीर स्थिति है। आपने कल और आज भी आपने टी.वी. में हैड-लाइन्स में, आपने जब टी.वी. देखा होगा कि महाराष्ट्र में मारामारी हो रही है। दिल्ली के अन्दर सरकार निर्देश दे रही है कि साहब, बिजली की कमी है, इसको दो-तीन दिन में रेस्टोर करना चाहिए। टाटा ने कह दिया कि साहब, हम दो दिन में रेस्टोर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, पुणे के अन्दर, उसमें मतलब 9 रुपये यूनिट में बिजली बिक रही है तो यह समस्या तो बिजली की थी और आज अभी भी है लेकिन इस सेक्टर को कैसे टर्न अराउंट करना है और जो हमारी सरकार ने जो-जो कदम लिये हैं, मैं खुशी से कह सकता हूं, छाती ठोक कर कह सकता हूं कि हम एक टर्न-अराउंड पर आ गये हैं और इस टर्न अराउंड के वक्त हमें सब का सहयोग चाहिए। कोई भी सरकार आएगी अगर हम आपके लिए खड्डा गहरा खोदकर जाएंगे, आप दूसरे के लिए और भी गहरा खोदकर जाएंगे इससे समस्या का हल नहीं होने वाला है।

राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, हम कोयला की माइंस से बहुत दूर हैं। हम जो हमारा ग्रिड है, नार्दन ग्रिड, उससे टेल एंड पर है। पानी बहुत

(श्री गजेन्द्र सिंह)

गहरा है। दूसरे जो एडवांस स्टेट्स हैं उनके अन्दर तो अध्यक्ष महोदय, जो इण्डस्ट्रीज वर्सेज एग्रीकल्चर का जो रेश्यो है वह बहुत अच्छा है तो थोड़ी वित्तीय स्थिति मजबूत है। राजस्थान के अन्दर यह भी समस्या है। अपन जो एक हार्स पावर, मतलब हरियाणा में जो एक हार्स पावर के पम्प से जितना पानी मिलता है, अपने एक एवरेज तीन हार्स पावर का पम्प यूज करना पड़ता है तो यह एक राजस्थान की समस्या है। चाहे आप प्राकृतिक कहें, यह जो भी है, हमें इस समस्या के विरुद्ध लड़ना है और राजस्थान को, इस महकमे को हमें कैसे उभार कर लाना है, जनरेशन और आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्टेट्स के अन्दर अभी है। आप कोई कह दें कि साहब, हालत गम्भीर है। हालत गम्भीर तो सब स्टेट्स की है। हिमाचल, उत्तरांचल, जो कि बिजली के उत्पादन में टॉप है, वह भी बिजली सर्दियों में खरीदते हैं तो बिजली की समस्या गम्भीर है और इसके अन्दर मैं कुछ विचार-विमर्श करना चाहूंगा। कोई भी विद्यार्थी है। वह जब परीक्षा में जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि 100 परसेंट मुझे मार्क्स मिले अगर उसको 80 परसेंट भी मिल जाए तो यह नहीं उसको कहा जा सकता है कि 20 परसेंट तुमने 100 से कम क्यों लाये? डिस्टिंक्शन का मतलब है डिस्टिंक्शन और यह ही मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ इश्यूज हमारे विभाग के बारे में।

सबसे पहला तो है जनरेशन का। अब जनरेशन के, उत्पादन के अन्दर यह बिलकुल क्लियरकट चीज है कि हमारी सरकार जब 2003 दिसम्बर के अन्दर आयी, उस समय एक भी प्रोजेक्ट का कार्य नहीं चल रहा था। इसके अन्दर मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे टोक दिया जाए। एक भी पावर प्रोजेक्ट का कार्य नहीं चल रहा था और पावर प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में आने के लिए लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। यह भी वेल-नॉन-फैक्ट है, आल ओवर द कंट्री तो हमारी जो समस्या आयी डेफिसिट, तो डिमांड सप्लाई के अन्दर गेप तो हमने इनहेरिट किया ही था। उसके बाद में पावर प्रोजेक्ट कोई भी कार्य नहीं हो रहा था तो यह हमने इनहेरिट, यह हम इस वजह से भी हैंडिकेप हुए और कांग्रेस सरकार के समय में इन्होंने कुल जो उत्पादन जो राजस्थान के अन्दर किया है, इन्होंने लगभग 1300 मेगावाट का किया है। कुछ सेंटर प्रोजेक्ट से मिला, ऐसे मिलाकर 1600 मेगावाट हो गये। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगा कि अभी जो टेंथ फाइव ईयर प्लान

(श्री गजेन्द्र सिंह)
है उसके अन्दर राजस्थान ने अपना कमिटमैंट फुलफिल कर लिया है और इलेवंथ फाइव ईयर प्लान जो फर्स्ट अप्रैल को शुरू किया है उसके तहत भी हम बिलकुल ऑन शिड्यूल चल रहे हैं।

अभी तक हमने आज की तारीख तक 730 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम कर चुके हैं तो यह जो प्रश्न उठाया जाता है कि बिजली एक मेगावाट पैदा नहीं करी। यह पता नहीं किस तथ्यों के आधार पर यह इश्यूज रेज किये जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): विवरण दीजिए कि कहां-कहां की है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपको बताता हूं। आपको विवरण देता हूं कि कहां-कहां हुई है।

श्री अध्यक्ष: एक यूनिट तो सूरतगढ़ में की है। एक तो सूरतगढ़ में की है। एक यूनिट सूरतगढ़ में है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): विंड पावर के अन्दर हमने 280 मेगावाट बिजली का उत्पादन 2004 से लेकर अब तक हम कर चुके हैं। बायोमास के अन्दर हम 39 मेगावाट कर चुके हैं। सेंटर एलोकेशन से 286 मिला है, जो हम हमारे खाते में नहीं गिनते हैं। इसके अलावा आपका गिराल का जो है शुरू हो गया है और अब उसकी बिजली उत्पादन शुरू हो गयी है। माननीय सदस्य ने यह रेज किया था कि उसके फाउंडेशन के बारे में क्योंकि पिटहैड प्रोजेक्ट है, वहां पर जो बेंटोलाइट का जो भी वहां पर भण्डार है, उसके लिए हमने फाउंडेशंस के अन्दर हमने पूरे तरीके से सब प्रिकोशन लेकर हमने फाउंडेशन को वेल डीप डिग करके कॉलम्स के जरिए हमारा बिलकुल सैफ है और जो गिराल स्टेज-2 है, उसके अन्दर तो हमने पूरा ही एक्सकेवेट करके हमने तो आपके जो फाउंडेशंस के अन्दर जो तकलीफ आयेगी, इसकी कोई कम्प्लेंट नहीं आयेगी। आपकी सरकार के समय में कोटा थर्मल के तो बंकर्स ध्वस्त हो गये थे। वह गिर गये। तो अभी अगर कोई समस्या आएगी तो आप हमें टोकिये। हमने फुल प्रिकोशन लिये हैं। गिराल जो है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, विंड एनर्जी के 240 मेगावाट आप गिना रहे हो। इसमें आपका क्या कंट्रिब्यूशन है? विंड एनर्जी की पॉलिसी 2003 में हमारी सरकार लेकर आयी थी। वह इंवेस्टमैंट तो उससे आया है। इसमें आपका क्या कंट्रिब्यूशन है? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नहीं-नहीं, अगर आप इन डिटेल्स में जाएंगे तो सूरतगढ़ के अन्दर हम यह कहेंगे कि माननीय भैरोंसिंहजी ने सेक्शन किये थे। भाई, जिसका पावर प्रोजेक्ट, जो उत्पादन जिसके कार्यकाल में होता है वह उसकी गिनती में आता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो ईमानदारी से यह स्वीकार करो कि जनरेशन में you are a total failure. गिराल भी है वह कांग्रेस के वक्त का है और क्या है? और यह विंड एनर्जी में भी 240 मेगावाट हमारे वक्त की है। आपके वक्त की क्या है इसमें? आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): तो सूरतगढ़ की जो है, हमने जो सूरतगढ़ की सेक्शन की थी उसका आप कैसे लेते हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने सिवाय लोगों को छलावे के, स्वप्न दिखाने के कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके कहने से नहीं हो जाता है यह सब। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और विंड एनर्जी में तो मंत्रीजी, ईमानदारी से स्वीकार करो। आपने तो विंड एनर्जी की पालिसी का क्रियान्वयन रोका था और बाद में आपकी सरकार ने पैसा लेकर उसी पालिसी को वापस लागू किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी के बीच में व्यवधान नहीं डालें। बोल लेने दें उन्हें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत कहेंगे तो हमें कहना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: क्या गलत कह रहे हैं यह?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप ईमानदारी से स्वीकार करें यहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या गलत कहा है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ईमानदारी से स्वीकार करें यह। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपने किया पूरा। क्या गलत कहा? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गलत तथ्य नहीं रख सकते यह सदन में ? Total failure. Total failure.

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप यह बता दें कि क्या वह फिर भैरोंसिंहजी की देन नहीं है क्या, वह भी आपके खाते में गिना दो फिर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपके मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप क्यों टोक रहे हो? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): वह भी आपके खाते में दी है क्या?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने तो ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहरूख खान और ऐश्वर्या राय तो इसी पर पैसा लगाना चाहते थे। इस सरकार की, 2004 के बाद ... (व्यवधान) की वजह से महाराष्ट्र में पैसा लगाया उन्होंने। सच्चाई यह है। सच्चाई है यह। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जो दो-दो बार पति-पत्नी बदलते हो, वह क्या यहां विंड का पैसा लगाएंगे? उनका खुद का ही भरोसा नहीं है। उनके प्रोजेक्ट पर भरोसा कर लें क्या यहां राजस्थान में? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्रास एग्जामिनेशन तो कैसे भी करें। इस डिटेल में जायेंगे कि किसने सैंक्शन किया, लेकिन जिसके कार्यकाल में बिजली का प्रोडक्शन हो जाता है, उसी सरकार की उपलब्धी मानी जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे नहीं बोलें सर्वश्रेष्ठ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, 604 मेगावाट का मैंने आपको विश्लेषण दे दिया और गिराल की एक यूनिट 125 मेगावाट की शुरू हो रही है। अभी हमें आर.ए.पी.पी. की 44 मेगावाट की अगस्त, 2007 में हमारा जो शेयर है, कोटा से आर.ए.पी.पी. से मिलेगा। इसके पश्चात् धौलपुर जो गैस बेस्ड है, इसका 330 मेगावाट, यह हमें सितम्बर, 2007 तक मिल जायेगा। माननीय सदस्यों ने जो इश्यू रेज किया था, 1994 से यह मामला चल रहा है । जिस टाइम साइन हुआ उसमे गैस की एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुई थी । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एम.ओ.यू. हुआ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): एम.ओ.यू. से कुछ नहीं होता। एम.ओ.यू. तो बहुत साइन हुए थे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी लापरवाही से, माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है आपने कहा एम.ओ.यू., एम.ओ.यू. पर ध्यान नहीं दिया है। ग्लोबल टेण्डर लगाने के चक्कर में बैठे रहे। यह ग्लोबल का टेण्डर लगा नहीं और हमारा एम.ओ.यू. साइन था, इन्होंने टाइम से नहीं किया इसलिए उसके अंदर डिले हुआ। आप अपनी लापरवाही को यहां छिपा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने 2003 तक एम.ओ.यू. का क्यों नहीं किया, आपने उत्पादन क्यों नहीं शुरू करवाया उसका ? आपने क्यों नहीं प्रोजेक्ट की टेण्डरिंग की ?

श्री अध्यक्ष: आपने एम.ओ.यू. कब किया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको मालूम है माननीय मंत्री महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने चलते हुए काम को रोका वहां पर। मैं खुद धौलपुर का रहने वाला हूं, चलते हुए काम को वहां रोक दिया। यह ग्लोबल टेण्डर करना चाहते थे, पता नहीं किन कारणों से आपकी बी.एच.ई.एल. से जो मशीनों का काम किया है, तभी बी.एच.ई.एल. से ले सकते थे।

श्री अध्यक्ष: आपने कौनसी तारीख को एम.ओ.यू. किया, यह तो बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बिना एम.ओ.यू. किये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां इस्तीफा देने को तैयार हूं, अगर हमने एम.ओ.यू. नहीं किया था तो। वह खुद कह रहे हैं कि एम.ओ.यू. हुआ था। खुद कह रहे हैं ... (व्यवधान) ना-ना, यह खुद कह रहे हैं कि एम.ओ.यू. हुआ है।

श्री अमराराम (धोद): यह तो मंत्री के पास है फाइल। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फाइल तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो है नहीं फाइल। बिना एम.ओ.यू. हुए कोई काम शुरू हो सकता था क्या? ... (व्यवधान) तारीख मेरे पास फाइल है क्या ? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, यदि फाउंडेशन स्टोन लगाने को ही काम शुरू मानते हैं तो मैं काम शुरू नहीं मानता हूं। ना तो कोई ग्लोबल टेण्डरिंग हुई, उसके अन्दर बी.एच.ई.एल. को प्लांट मशीनरी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

का दिया गया और वर्क आर्डर जितने भी हुए, हमारे कार्यकाल में हुए। 330 मेगावाट सितम्बर के अन्दर उसका उत्पादन शुरू हो जायेगा। It right on time. इसके अलावा 2007 के अन्दर 180 मेगावाट विंड एनर्जी का भी उत्पादन होगा, उसके बाद में बॉयोमास का भी 15 मेगावाट उस 2007 के अन्दर हो जायेगा और सेंट्रल अलोकेशन के ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, विंड एनर्जी को आप परमानेंट सोर्स मानते हैं क्या ? राउंड द ईयर मिलेगी क्या यह विंड एनर्जी वाली बिजली ?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): क्लिन एनर्जी है और आपको कोई रिसोर्स डेप्लीशन नहीं होता है, इसको क्या आप खराब मानते हैं ? विंड एनर्जी को खराब मानते हैं ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं कह रहा हूं राउंड द ईयर उपलब्ध हो जायेगी क्या, यह मैं पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इसका 20 प्रतिशत पी.एल.एफ. होता है, राउंड द ईयर हिन्दुस्तान में कहीं राउंड द ईयर बिजली प्राप्त नहीं होती है। 20 प्रतिशत पी.एल.एफ. ...(व्यवधान) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल अलोकेशन से 174 मेगावाट मिलेगा। वर्ष 2007 में राजस्थान को 868 मेगावाट प्राप्त हो जायेगा। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, आर.ए.पी.पी. यूनिट-6, यह मार्च, 2008 के अंदर हमारा जो शेयर है 44 मेगावाट मिल जायेगा। गिराल का जो स्टेज-सैकिण्ड है, वह जून, 2008 के अन्दर 125 मेगावाट हमें प्राप्त हो जायेगा। इसके अलावा छबड़ा का थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट है 250 मेगावाट, जो पहली इकाई है, वह अगस्त, 2008 के अंदर हमें मिलने की पूरी सम्भावना है। सूरतगढ़ थर्मल स्टेज-फाइव और आपका जो कोटा थर्मल है, यह भी सितम्बर-अक्टूबर तक हमें प्राप्त होने की पूरी सम्भावना है।

अब माननीय सदस्यों ने यह इश्यू रेज किया था, काम शुरू हो गया है। हमने प्लांट और मशीनरी का आर्डर दे दिया है। जो सप्लायर प्लांट एण्ड मशीनरी का है, उसने हमें शिड्युल दे दिया है कि हम इस तारीख तक इंस्टाल कर देंगे। बैलेन्स ऑफ प्लांट का जो टेण्डर हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने कहा सितम्बर-अक्टूबर में हम दे देंगे। अब यह सब एग्रीमेंट के बावजूद अगर आप आरोप लगायें कि होगा नहीं, होगा नहीं तो आप नेगेटिव मत सोचिये, थोड़ा पोजिटिव भी सोचिये इसके अन्दर।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

इसके अलावा छबड़ा थर्मल पॉवर की जो दूसरी इकाई है 250 मेगावाट, वह नवम्बर, 2008 तक आ जायेगी। विंड पॉवर 500 मेगावाट, 2008 के अन्दर हमारी आ जायेगी, बॉयोमास 115 मेगावाट आ जायेगा और सेंट्रल अलोकेशन 208 मेगावाट हमें मिल जायेगा और इसके अलावा जो लिग्नाइट का है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने रेज किया था मरूधर पॉवर के बारे में, मरूधर पॉवर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, अब आप वाइंड अप करने की कोशिश करें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, समय सीमित है, आपको यह बताना चाहूंगा 2008, 2009, 2010 और 2011, जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम 2008 के अन्त तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 2008 के अन्दर राजस्थान के अन्दर कोई बिजली की शोर्टेज नहीं रहेगी और यदि आपको संतोष नहीं हो तो आप मुझसे मिलें। मैं आपको हर प्रोजेक्ट का शिड्यूल बता दूंगा।

इसके अलावा हमारी जो दूरदृष्टि है, वह हमारी यह है कि 2009-2010 तक हम इतनी पॉवर लायेंगे कि राजस्थान को सरप्लस कर देंगे 2009-2010 के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप 2008 तक ही हो आप।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांतिपूर्वक सुनें ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, 2011 तक स्टेट सैक्टर से 3 हजार मेगावाट प्राप्त होगा राजस्थान को, प्राइवेट सैक्टर को 3,778 मेगावाट मिलेगा और सेंट्रल सैक्टर से लगभग 2600 मेगावाट यानि कि 9300 मेगावाट आपको 2011 तक बिजली मिल जायेगी। अब वेस्ट पॉवर के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहली बार ही राजस्थान में हमने पहला मेगावाट लिग्नाइट का उत्पादन किया है This is the history. दूसरी चीज पहली बार ही राजस्थान के अन्दर आई.पी.पी. (इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर) थाउजेंट मेगावाट का लेकर आ रहा है। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अगर वेस्ट पॉवर के जरिये 1000 मेगावाट राजस्थान को मिल जाता है और हमने एक ओवर राइडिंग फैक्टर लगाया कि गिराल की रेट से कम देगा तो क्या यह उत्पादन खराब है ? क्या इतनी सस्ती बिजली आप लोग नहीं चाहते हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इंटरस्टेट के बारे में जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: अब आप देखिये, ऐसा है कि मैं ही कह रही हूं कि वह वाइंड-अप करें, बंद करें क्योंकि अभी एक मंत्रीजी का जवाब बाकी है और हमारा फंक्शन होना है पांच बजे। अब आप बंद करें। Please conclude your speech.

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जहां उत्पादन का मामला है। मैंने कहा हम एक हैण्डीकेप लेकर चले थे उसके बावजूद 28 प्रतिशत बिजली, पिछली सरकार जो दे रही थी उससे ज्यादा दी। कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कांग्रेस की बात छोड़ो, आप कंक्लुड करो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 665 लाख यूनिट एक ऐवरेज था डेली कंजम्पशन का पांच साल में, 851 लाख यूनिट का हमने ऐवरेज निकाला है और 4 फरवरी को 1 हजार 40 लाख यूनिट हमने बिजली दी है। इसके अन्दर हमारी प्राब्लम्स हमने किसान को 6 घण्टे बिजली दी है। यदि कोई सदस्य कहते हैं कि चार घण्टे दी है, हमारे पास सब हिसाब है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कहां दी है ? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सी.एम.आर.आई. रीडिंग्स हैं। किसी क्षेत्र का बता दो, मैं निकाल दूंगा कि छह घण्टे से कम बिजली दी है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चार घण्टे दे रहें हैं, अभी भी चार घण्टे दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: Please conclude.

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 28 प्रतिशत बिजली कहां गयी, आप बताइये । (व्यवधान) यह जो बिजली की हाई डिमाण्ड आ रही है, यह राजस्थान की जो प्रोग्रेस है, यह बिजली की डिमाण्ड बढ़ना is an economic indicator that how well Rajasthan is doing.

श्री अध्यक्ष: ठीक है बस कंक्लुड करें। प्लीज कंक्लुड।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैडम, मैं तो 15 मिनट भी नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: प्लीज कंक्लुड, अभी एक मंत्री का जवाब और बाकी है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अच्छा दो छोटे टापिक पर मैं कंक्लुड कर दूंगा। हमने किसान का एक भी नया पैसा तीन साल में नहीं बढ़ाया और हमने घोषणा कर दी कि दो साल में भी नहीं बढ़ायेंगे। (व्यवधान) दो साल नहीं बढ़ायेंगे। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): यह तो बता दें कांग्रेस ने पांच साल में कितनी बार बढ़ाया? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमने बी.पी.एल. की जो टैरिफ है 1.70 से घटाकर 85 पैसे हमने कर दिया है, जो कच्ची बस्तियों में लोग रहते हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बी.पी.एल. परिवार वालों के लिये आप रेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक बी.पी.एल. के परिवार में उजाला नहीं हो सकता। आप कोई न कोई नीति निर्धारित करियेगा। बी.पी.एल. परिवार वालों के लिये आप एक नीति निर्धारित कीजिये और रेट फिक्स कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी कर रहे हैं, आने दें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री ऊर्जा): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भी घोषणा करी है कि जहां-जहां फीडर के अन्दर 15 प्रतिशत से कम छीजत होगी उनको 40 पैसे का और डिस्काउंट दिया जायेगा। तो यह भी हम घोषणा करते हैं।

श्री अमराराम (धोद): वो फीडर बता दो, मंत्रीजी, कितने हैं राजस्थान में आज तक?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): लगभग 1100 गांव हैं जहां पर 15 प्रतिशत से कम है और वहां पर हम 24 घंटे दे रहे हैं। आपको अगर लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कौन-कौन से हैं, यह बता दो आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं लिस्ट दे दूंगा।

श्री अमराराम (धोद): हां, लिस्ट दे दो। एक बता दो, आप तो खींवसर में बता दो।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया करें, अभी एक मंत्री और बोलेंगे,

(श्री अध्यक्ष)

प्लीज नाऊ, बहुत कह दिया आपने, आखरी सेन्टेंस कह दीजिए। No, no, I will not allow. अब दूसरे मंत्री को भी बोलना है, खतम करना है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, छीजत तो है। टी एण्ड डी लोसेज, वो पीक पर था 2003-04 के अन्दर 42 प्रतिशत था हम आज की तारीख में उसको 34 प्रतिशत पर ले आये हैं और हमने इस वित्तीय वर्ष के अन्दर 400 करोड़ रुपये जो छीजत में कमी आयी है उससे हमने सेविंग करी है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बस, अब तो प्लीज, आखरी सेन्टेंस कह दें आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अब कन्क्लूड करूंगा। कहने के लिए तो बहुत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट सेन्टेंस मेरा यही है कि आप देखिये कि उत्पादन कुछ नहीं था, हमने बिजली लगभग 1400 करोड़ की खरीदी, 1500 करोड़ की, कांग्रेस ने तो 500 करोड़ की भी नहीं खरीदी थी। हमने कैसे न कैसे सप्लाई को बरकरार रखा। हमने रिकार्ड कनेक्शंस दिये।

अब गिराल की फेलयोर, मतलब जो बाढ़ आ गयी थी और जो वहां पर मलेरिया और डेंगू हो गया था उस वजह से गिराल का प्रोजेक्ट चार महीने लेट हो गया, 125 मेगावाट का वह थोड़ा डिले हो गया इसलिए जो हमारा एक लाख 20 हजार कनेक्शन का था, हम एक लाख 9 हजार कनेक्शन दे पाये। प्रकृति के सामने किसी के हाथ लम्बे नहीं होते हैं तो उस वजह से हमारे यह थोड़ी समस्या आ गयी।

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है। बहुत अच्छे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): There was no generation. हमने बिजली खरीदी, रिकार्ड आउटपुट दिया, हमने रिकार्ड कनेक्शंस दिये और किसानों को हमने इतनी रियायतें दीं इसके बावजूद अगर आप लोग कहते हैं कि हमने किसानों के प्रति नहीं किया, बिजली विभाग में कुछ नहीं किया, एफ.आर.पी. के प्रोग्राम के तहत 8500 फीडर जो हैं अगले साल यह फीडर रिनोवेट हो जायेंगे। छीजत हम 20 परसेंट ले आयेंगे।

श्री अध्यक्ष: मत दो आप इनको ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और हम जो भी कर रहे हैं हमारी पालिसी राजस्थान के बिलकुल बेनिफिट के लिए है, हित में है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छा। वैरी गुड। माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय।

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः नो, नो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन सुनिये मेरा। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब अकाल पर चर्चा थी जब तो मंत्रीजी आये नहीं और अब यहां पर भाषण देने के वक्त आ गये।

श्री अध्यक्षः नहीं, आप बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप इनको कम से कम प्रताड़ित तो करो। प्रताड़ित तो करो आप इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किस बात पर?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा हो रही थी तब मंत्रीजी नहीं थे और अब जवाब देने आ गये, यह कह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब चर्चा हो रही थी तब तो आये नहीं और अब भाषण देने के लिए आ गये तो आप प्रताड़ित तो करो न। पार्लियामेंट्री ट्रेडीशन भी है कि नहीं है?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार घोषणाएं हैं, दो मिनट लगेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इससे आपको क्या तकलीफ है जवाब देने आ गये तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी ही प्रार्थना है आपसे, आपका बहुत लम्बा संसदीय अनुभव है, कम से कम प्रताड़ित तो करो इनको। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल कैटेगिरी के जो 31.03.1993 तक के एप्लीकेशन थे वो 2007-08 में

(श्री गजेन्द्र सिंह)

कनेक्शन मिल जायेंगे और इनके अलावा एक साल की हम कटऑफ डेट और बढ़ा रहे हैं तो अभी कनेक्शन हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी डिमाण्ड नोट जो इश्यू होगा उसको 90 दिन के अन्दर हर हालत में कनेक्शन मिलेगा।

शौर्य चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जायेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नी, पुत्र और पुत्रियों को प्राथमिकता से कनेक्शन दिये जायेंगे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ब्याज दोगे कि नहीं दोगे जो तीन महीने उनका पैसा जमा रखोगे उसका ब्याज देगा कि नहीं देगा बिजली विभाग किसानों को? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको भी फ्री कनेक्शन।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मंत्रीजी, महिलाओं को कनेक्शन ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको बिलकुल फ्री कनेक्शन। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात यहां पर आयी कि मैं सदन में नहीं था।

श्री अध्यक्ष: आपका स्वास्थ्य खराब है तो पांच मिनट में।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मेरे को बुखार था कल और आज भी बुखार है और मैं चैम्बर से ही नोट कर रहा था सारी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पांच मिनट बोलेंगे वो, आप सुनिये उन्हें। सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ए.सी. में एक्सपोजर ज्यादा नहीं हो इस दृष्टि से मैं चैम्बर में था और वहां यह सारी समस्याएं लिखी हैं। बी.डी. कल्लाजी से चालू हुई थी, एक-एक समस्या मैं गिनाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष: समस्याएं तो गिना दीं, आप तो निदान बता तो। इन्होंने गिना दीं समस्याएं तो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कल्लाजी ने कहा था गाएं भूखी मर रही हैं, बात असत्य है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय हो चुका असत्य* शब्द असंसदीय है, इसको निकाला जाए कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष: क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): असत्य* शब्द असंसदीय है आपके आदेशों के, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बात असत्य* है, यह असंसदीय नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह असंसदीय शब्द है, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बात, असत्य* है यह बात, असंसदीय नहीं है।

श्री अध्यक्षः असत्य शब्द ही जब असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, आप असत्य* बोल रहे हो, यह तो असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर बात असत्य है, यह असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस आसन द्वारा कई बार व्यवस्थाएं दी गयी हैं कि असत्य* शब्द असंसदीय है इसलिए इसको कार्यवाही से निकाला जाए। आपके द्वारा व्यवस्था दी हुई है।

श्री अध्यक्षः निकाल देंगे। (व्यवधान) निकाल देंगे, निकाल देंगे। (व्यवधान) It will be replaed by 'असत्य', खतम हुई बात। बैठो, बैठो आप।

आप बोलें, मंत्रीजी, धीमी गति मत रखो, थोड़ा तेज गति से आओ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पशु शिविर नहीं खुले, यह असत्य है, चारा डिपो नहीं खुले, यह असत्य है। इन दोनों चीजों में हमने एक बात और कर दी है जो कभी पिछली सरकार ने नहीं करी कि जहां भी आवश्यकता पड़े और कोई जनप्रतिनिधि मांग करे, चाहे कल्लाजी करें, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इन्ट्रैप्ट नहीं करता, यह नाम नहीं पुकार सकते, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं पुकार सकते।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप इनको करैक्ट करो, मंत्रियों को बोलना सिखाओ।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्रीजी, आप इनका नाम नहीं ले सकते, आप बीकानेर से जाने वाले माननीय सदस्य कह सकते हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चाहे बीकानेर से आने माननीय सदस्य कहें, जो भी कोई कहे कलक्टर अपने स्तर पर कैटल कैम्प खोल सकते हैं और चारा डिपो खोल सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर जो आयी थी, ओलावृष्टि की बात भी इन्होंने बोली है पर ओलावृष्टि के पैकेज को मैं छेड़ना नहीं चाहता, बहुत अच्छा है।

बाबूसिंहजी राठौड़ यहां पर बोले हैं, बाबूलाल नागर यहां पर बोले हैं, सब के बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव आये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी तबीयत खराब है, पढ़ा हुआ मान लो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभाव की स्थिति पर हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, 11.01.2007 से रिलीफ के काम चालू कर दिये थे और 20.02.2007 से पांच जोनों के उन 102 गांवों में अभाव के काम चालू कर दिये थे जहां पर ओलावृष्टि चल गयी थी। 1288 गांवों में जो ओलावृष्टि से प्रभावित हुए थे उनको 29.03.2007 को अभावग्रस्त घोषित कर दिया और आज की पोजिशन में 19 जिलों में साढ़े तीन लाख लेबर की सीलिंग है और उसमें 1,83,769 लेबर एंगेज्ड है। यह आज की तारीख में स्थिति है। (व्यवधान)

अब जितने आयेंगे, लेबर तो मैं थोड़ी ले जाऊंगा उसको इकट्ठा कर के।

राहत कार्यों के अन्तर्गत जो अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों को व्यक्तिगत लाभ योजना में इनका निर्माण कराया जा रहा है जिसमें सम्पूर्ण श्रम की राशि राहत मद से वहन की जायेगी। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है और महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके अतिरिक्त बागवानी जल कुण्ड योजना के कार्यों को भी इसी योजना में डवटेल कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें भी सम्पूर्ण श्रम की राशि राहत मद से वहन की जा रही है।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत राहत कार्यों में निजी शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। ओलावृष्टि से प्रभावित 26 जिलों के अभावग्रस्त गांवों को घोषित कर 1613 गांवों को रिलीफ के कार्य कराये जा रहे हैं। राहत कार्यों में सार्वजनिक कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी के आंशिक भुगतान के रूप में पांच किलोग्राम गेहूं प्रति मानव दिवस दिया जा रहा है जो कि पूर्व वर्ष के जिलों में अवशेष रहे गेहूं के बराबर है।

भारत सरकार से आज ही, मतलब कल हमको 1,64,400 मैट्रिक टन गेहूं के आबंटन का आदेश मिला था, अभी तक गेहूं रिलीज नहीं हुआ है लेकिन हमको इतने गेहूं का आदेश प्राप्त हो गया है। अनुग्रह सहायता, राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों के अक्षम एवं असहाय व्यक्ति के लिए 01.04.2007 से 30.06.2007 तक अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गयी है। इसके अनुसार 600 रुपये प्रतिमाह एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 300 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: केवल बीस मिनट रह गये हैं पांच बजने में। आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए घोषणाएं कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चारा डिपो का मैंने अध्यक्ष महोदय, कह ही दिया है कि कलक्टर अपने स्तर पर जितनी आवश्यकता होगी वह स्वीकृत कर सकेंगे। इसमें पचास हजार रुपये की राशि प्रति डिपो के हिसाब से दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन रेट को भी रिवाइज किया गया है, उसको यहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस समय 446 डिपो टोटल राजस्थान में स्वीकृत किये हैं कलक्टरों ने जिसमें 201 चारा डिपो शुरु हो चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त जिलों के आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जिले के सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की दशा में उनके जिलों में कार्यरत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला कलक्टर्स को अधिकृत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी समाप्त करें, माननीय मंत्री, समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें 502 गौशालाओं के माध्यम से तीन लाख, छह हजार, निन्यान वें पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

गौशालाओं द्वारा संधारित किये जा रहे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं सुनो ना ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्रीजी यहां पढ़ सकते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, घोषणा कर रहे हैं घोषणा।

श्री अध्यक्ष: मैं खतम कर रही हूं। माननीय सदस्यगण, क्षमा चाहती हूं क्योंकि चूंकि 4.55 पर महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पधार जाएंगीं। इसलिए आपके उत्तर को पर्याप्त मानते हुए सदन की बैठक अनिश्चिितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.43 बजे अनिश्चिितकाल के लिए स्थगित की गयी)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा,
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे जय हे,
जय जय जय जय हे ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

272. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 एवं 341 के तहत 2 साल से अधिक समय से कितने प्रकरण लम्बित है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दर्ज प्रकरणों में से कितनों के विरुद्ध मुकदमें वापस ले लिये गये? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 323 एवं 341 के तहत 2 साल से अधिक कुल 4352 प्रकरण दर्ज हुये हैं।

(2) दर्ज प्रकरणों में से कुल 2732 प्रकरण वापस ले लिये गये हैं। जिलेवार ब्यौरा संलग्न है।

जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 एवं 341 के तहत 2 साल से दर्ज प्रकरणों एवं वापस लिये गये प्रकरणों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	दर्ज प्रकरण	वापस लिये गये प्रकरण
1	बांसवाड़ा	768	560
2	बारां	516	200
3	चित्तौड़गढ़	496	302
4	डूंगरपुर	345	224
5	राजसमन्द	5	2
6	सिरोही	310	309
7	उदयपुर	1912	1135
	योग	**4352**	**2732**

पाली जिले में फर्जी राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध कार्यवाही

275. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है?

(2) जिला भीलवाड़ा की कितनी पंचायतों में बिना सक्षम अधिकारी के राशन कार्ड चलन में हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बिना सक्षम अधिकारी के जारी ऐसे परिवार राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 2 के उपखण्ड (ई) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी, विकास अधिकारी हैं।

(2) जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार भीलवाड़ा जिले के किसी भी पंचायत क्षेत्र में सक्षम अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड चलन में होने की जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के संदर्भ में इस भाग का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थाना नदबई का क्रमोन्नयन

279. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार थाना नदबई को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पुलिस थाना नदबई के भवन निर्माण के लिये राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो थाना नदबई के नये भवन का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2007-08 के क्रम में उपखण्ड स्तर पर निरीक्षक स्तर के थाने बनाये जाने का विचार है।

(2) जी हां। पुलिस थाना नदबई के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 18.00 लाख रुपये आबंटित किये गये थे। भूमि की उपलब्धता के अभाव में थाने का नया भवन निर्माण नहीं करवाया जा सका। भूमि उपलब्ध होने पर भवन के निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी एवं ब्लॉक प्रभारी की नियुक्तियां

280. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के आदेशानुसार संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी एवं ब्लॉक संदर्भ प्रभारियों की नियुक्ति हेतु माह नवम्बर, 2006 में साक्षात्कार का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो सम्भागवार उपस्थित प्रत्याशियों के पदवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार में भाग लेने हेतु राज्य सरकार के सैकड़ों कार्मिकों को अपने निजी खर्च पर अवकाश लेकर उपस्थित

(श्री राकेश मेघवाल)

होना पड़ा? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार अब चयनित अभ्यार्थियों की सूची जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान में संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी (सी.आर.सी.एफ.) एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (बी.आर.सी.एफ.) की प्रतिनियुक्ति हेतु माह नवम्बर, 2006 में साक्षात्कार आयोजित किया गया था। सम्भागवार उपस्थित अभ्यर्थियों की पदवार संख्या सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि इन साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कार्मिक स्वेच्छा से साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'क'

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी/संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी के पद हेतु साक्षात्कार के लिये पंजीकृत अभ्यर्थी की सम्भागवार संख्या

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी (बी.आर.सी.एफ.)	संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सी.आर.सी.एफ.)
1	जयपुर सम्भाग	139	783
2	अजमेर सम्भाग	46	646
3	कोटा सम्भाग	31	330
4	चूरू सम्भाग	54	438
5	उदयपुर सम्भाग	53	316
6	उदयपुर सम्भाग	44	567
	कुल योग	**367**	**3080**

गंगरार के अपूर्ण एनीकट/काजवे

281. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में बनास नदी पर अब तक कितने

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एनीकट कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के बनाये गये तथा वर्तमान में कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सभी अपूर्ण एनीकटों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? अपूर्ण एनीकटों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बनास नदी में निर्मित अपूर्ण एनीकट राशमी व पहुंना को एनीकट कम काजवे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु राशि कब तक उपलब्ध कराई जावेगी यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में बनास नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा अब तक 7 एनीकट निर्मित किये गये हैं जिन पर 179.48 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। ये सभी एनीकट पूर्ण है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, कोई एनीकट अपूर्ण नहीं है।

(3) बनास नदी पर पहुंना एनीकट एवं बगतावरपुरा (राश्मी) एनीकट का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इन एनीकटों को कॉजवे में बदलने के सम्बन्ध में आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में बनास नदी पर निर्मित एनीकट कम काजवे/ एनीकट का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	पंचायत समिति	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की स्थिति
1	राशमी	मरमी एनीकट	26.50	37.17	पूर्ण
2	राशमी	उपरेडा (समेला) एनीकट	10.00	21.06	पूर्ण
3	राशमी	गेगपुरा एनीकट	10.00	23.23	पूर्ण
4	राशमी	मात्रिकुण्डिया एनीकट कम काजवे	13.15	27.13	पूर्ण

क्र. सं.	पंचायत समिति	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की स्थिति
5	राशमी	पहुंना बनास नदी पर एनीकट	10.00	7.97	पूर्ण
6	राशमी	बगतावरपुरा एनीकट बनास नदी पर	32.10	31.10	पूर्ण
7	राशमी	देवपुरा एनीकट	33.35	31.82	पूर्ण
	योग		**135.10**	**179.48**	

बांदीकुई में अकाल राहत कार्य

282. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत मुही, एंजेडी, गुढा-आशिकपुरा, करनावर, कौलाना, बसवा, गुल्लाना, पण्डितपुरा, बिवाई, नांगल-झामरवाड़ा, महुखेड़ा व हिंगोटा में किसानों द्वारा रबी की कितने प्रतिशत बुवाई की गई?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों में अकाल राहत कार्य चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गांवों के अभावग्रस्त घोषित होने पर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत मुही, एंजेडी, गुढा-आशिकपुरा, करनावर, कौलाना, बसवा, गुल्लाना, पंडितपुरा, बिवाई, नांगलझामरवाड़ा, महुखेड़ा व हिंगोटा में किसानों द्वारा रबी की फसल में की गई बुवाई के प्रतिशत का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ'

(3) रबी की फसल की बुवाई के प्रतिशत के आधार पर अकाल राहत कार्य चालू नहीं कराये जाते हैं। ओलावृष्टि से रबी की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम मुही, एंजेडी, गुढाआशिकपुरा, करनावर, कौलाना, बसवा, गुल्लाना, पंडितपुरा, बिवाई, नांगलझामरवाड़ा, महुखेड़ा व हिंगोटा को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

फसल रबी में किसानों द्वारा की गई बुवाई के क्षेत्रफल व प्रतिशत की सूची

(रकबा हैक्टेयर में)

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल	रबी बोया गया क्षेत्रफल	कुल रकबे के मुकाबले बोये गये रकबे का प्रतिशत
1	मुही	1980	128	7%
2	ऐचेंडी	1423	89	6%
3	गुढा आशिकपुरा	2110	1015	48%
4	करनावर	1263	163	13%
5	कोलवा	1173	611	52%
6	बसवा	2810	119	4%
7	गुल्लाना	1676	173	10%
8	पण्डितपुरा	1272	169	13%
9	बिवाई	812	533	66%
10	नांगल झामरवाडा	1033	644	62%
11	महुखेडा	1325	997	75%
12	हिंगोटा	1584	1169	74%
	योग	**18461**	**5810**	**31%**

जिला कलक्टर

दौसा

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत सफल आवेदकों को ऋण

283. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2005-06 व 2006-07 में प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कितने अभ्यर्थियों द्वारा किन-किन उद्योगों के लिए ऋण हेतु आवेदन किया गया?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) जिन अभ्यर्थियों ने ऋण हेतु आवेदन किया उनमें से कितने अभ्यर्थियों के आवेदन ऋण स्वीकृति हेतु किन-किन बैंकों को भिजवाये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बैंकों को भिजवाई गई सूची में से कितने सफल आवेदकों को बैंकों द्वारा कितना-कितना ऋण स्वीकृत किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सफल आवेदकों की सूची अधिक भिजवाई जाती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 45688 अभ्यर्थियों द्वारा एवं वर्ष 2006-07 में माह जनवरी, 2007 तक 38303 अभ्यर्थियों द्वारा उद्योग गतिविधियों में लकड़ी के फर्नीचर, ऑयल एक्सपेलर, कूलरबॉडी, जूते, मोमबत्ती, अगरबत्ती, कार्डबोर्ड के बक्से, सीमेंट जाली बनाना, ईंट उद्योग, प्रिन्टिंग प्रेस इत्यादि तथा इसके अतिरिक्त सेवा गतिविधियों में टी.वी. रेडियो रिपेयर, फोटो स्टेट, ड्राईक्लीनर, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, आटो, साईकिल रिपेयर, मेडिकल क्लीनिक, फर्नीचर रिपेयर, घड़ीसाज इत्यादि एवं व्यापार गतिविधियों में आयुर्वेदिक/हौम्योपैथिक दवाइयां, चश्मों के लैंस, बीज, स्कूटर पार्टस, खेलकूद के सामान, स्टेशनरी/किराना की दुकान, टैन्ट हाऊस, फोटो स्टूडियो इत्यादि के लिये आवेदन किया गया।

(2) प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिलों में गठित टास्क कोर्स कमेटी द्वारा साक्षात्कार पश्चात वर्ष 2005-06 में 34503 आवेदन पत्र तथा वर्ष 2006-07 माह जनवरी, 2007 तक 34114 आवेदन पत्र चयन उपरान्त ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किये गये। वर्ष 2005-06 का बैंक डाइज विवरण परिशिष्ट 'क' पर एवं जिलेवाइज विवरण परिशिष्ट 'ख' पर तथा वर्ष 2006-07 का बैंकवाइज विवरण परिशिष्ट 'ग' एवं जिलेवाइज विवरण परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है।

(3) विभाग द्वारा बैंकों को प्रायोजित सूची में से वर्ष 2005-06 में 18700 के लक्ष्य के विरुद्ध 19125 अभ्यर्थियों को 11315.54 लाख रुपये का ऋण तथा वर्ष 2006-07 में 19200 के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी, 2007 तक 16412 अभ्यर्थियों को 9428.82 लाख रुपये का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत

(उद्योग मंत्री)

किया गया। वर्ष 2005-06 का बैंकवाइज विवरण परिशिष्ट ''क'' पर एवं जिलेवाईज विवरण परिशिष्ट 'ख' पर तथा वर्ष 2006-07 का बैंकवाइज विवरण परिशिष्ट 'ग' एवं जिलेवाइज विवरण परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। योजनान्तर्गत लक्ष्य की तुलना में अधिक आवेदन पत्र बैंकों को इसलिए प्रायोजित किये जाते हैं कि प्रायोजित आवेदन पत्रों में से कुछ आवेदन पत्र बैंक की प्राथमिक जांच के दौरान बैंक डिफाल्टर/बैंक की औपचारिकताएं पूर्ण करने में असमर्थ, चयनित व्यवसाय के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करना, राजकीय या नियमित रोजगार की प्राप्ति एवं व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होने के कारण सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों द्वारा निरस्त कर दिये जाते हैं। अतः लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र भेजे जाते हैं, ताकि वर्ष के अन्त तक लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार लक्ष्य की तुलना में 125 प्रतिशत तक ही आवेदन प्रायोजित करने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करने बाबत विभाग द्वारा निर्देश दिनांक 29.1.2007 पुनः जारी किये गये हैं। (संलग्न परिशिष्ट 'ड')

(संलग्न–परिशिष्ट 'क')

BANKWISE PROGRESS UNDER PMRY DURING 2005-06
(UP TO JANUARY, 2007)

S. No.	Name of Bank	Targets Nos.	Application Sponsored Nos.	Loan Sanctioned Nos.	% S/T	Loan Disburshment Nos.	% D/T
1	Allahbad Bank	230	415	219	95.22	141	61.30
2	B.O.B.	2810	4984	2950	104.98	2444	86.98
3	B.O.I.	392	702	415	105.87	322	82.14
4	B.O.R.	1511	2653	945	62.54	668	44.21
5	Bank of Maharashtra	64	117	67	104.69	41	64.06
6	C.B.I.	893	1701	890	99.66	624	69.88
7	Canara Bank	214	318	221	103.27	174	81.31
8	Corporation Bank	56	80	43	76.79	33	58.93
9	Dena Bank	117	220	92	78.63	71	60.68
10	Indian Bank	70	118	62	88.57	46	65.71
11	Indian Overseas Bank	136	220	131	96.32	82	60.29
12	O.B.C.	719	1424	742	103.20	552	76.77
13	P.N.B.	2390	4570	2510	105.02	1876	78.49
14	Punjab & Sindh Bank	133	258	146	109.77	107	80.45
15	S.B. of Indore	60	128	66	110.00	37	61.67
16	S.B. of Patiala	88	153	81	92.05	61	69.32

S. No.	Name of Bank	Targets Nos.	Application Sponsored Nos.	Loan Sanctioned Nos.	% S/T	Loan Disburshment Nos.	% D/T
17	S.B.B.J.	5550	10471	6048	108.97	4949	89.17
18	S.B.I.	1657	2952	1764	106.46	1445	87.21
19	Syndicate Bank	91	166	91	100.00	65	71.43
20	U.B.I.	321	546	352	109.66	259	80.69
21	U.Co. Bank	1049	2056	1140	108.67	820	78.17
22	United Bank of India	40	57	33	82.50	20	50.00
23	Vijaya Bank	99	189	117	118.18	89	89.90
24	Bank of Punjab	10	5	0	0.00	20	0.00
	Total	**18700**	**34503**	**19125**	**102.27**	**14926**	**79.82**

परिशिष्ट 'ख'

DISTRICTWISE PROGRESS UNDER PMRY DURING 2005-06 (UP TO JANUARY, 2007)

S. No.	Dis.	Tar-gets	Application Recd.	Applica-tions Spon.	Loan San.	% (San./ Tar.)	Amount Rs. In Lacs	Loan Disbd.	% (Disb./ Tar.)	Amount Rs. In lacs	Persons Trained
1	Ajmer	840	1875	1466	938	111.67	485.76	829	98.69	409.60	903
2	Alwar	600	2504	1353	620	103.33	338.90	542	90.33	326.76	620
3	Banswara	340	740	689	320	94.12	170.70	266	78.24	108.48	290
4	Baran	335	1312	436	335	100.00	116.35	213	63.58	80.92	332
5	Barmer	425	1113	688	401	94.35	252.10	320	75.29	191.30	352
6	Bharatpur	625	2175	1353	661	105.76	349.82	511	81.76	208.38	603
7	Bhilwara	790	1169	1399	852	107.85	440.40	728	92.15	316.19	814
8	Bhiwadi	225	841	401	225	100.00	114.87	189	84.00	57.30	210
9	Bikaner	710	2373	1435	759	106.90	472.29	675	95.07	380.59	744
10	Bundi	310	665	558	310	100.00	174.42	242	78.06	120.42	291
11	Chittorgarh	785	1229	1377	936	119.24	407.88	800	101.91	371.00	899
12	Churu	565	1618	1173	552	97.70	346.58	479	84.78	337.31	520
13	Dausa	415	1125	1011	420	101.20	275.50	342	82.41	180.85	406
14	Dholpur	385	1026	699	405	105.19	191.43	280	72.73	108.43	395
15	Dungarpur	400	742	568	382	95.50	179.39	287	71.75	129.88	341
16	Hanuman-garh	510	1200	826	434	85.10	214.76	335	65.69	157.60	374
17	Jaipur (Rural)	820	1857	1711	820	100.00	574.00	553	67 .44	352.50	685
18	Jaipur (Urban)	925	1208	1493	901	97.41	810.00	538	58.16	430.40	739

S. No.	Dis.	Tar-gets	Application Recd.	Applica-tions Spon.	Loan San.	% (San./ Tar.)	Amount Rs. In Lacs	Loan Disbd.	% (Disb./ Tar.)	Amount Rs. In lacs	Persons Trained
19	Jaisalmer	240	449	418	245	102.08	141.10	203	84.58	114.54	236
20	Jalore	300	738	532	301	100.33	153.49	233	77.67	121.00	270
21	Jhalawar	515	1381	1063	567	110.10	315.90	457	88.74	223.80	544
22	Jhunjhunu	635	1664	1122	608	95.75	388.31	485	76.38	262.93	561
23	Jodhpur	960	1534	1471	1010	105.21	683.00	672	70 .00	397.65	813
24	Karoli	310	967	617	312	100.65	181.71	252	81.29	107.21	294
25	Kota	780	1931	1425	787	100.90	571.55	520	66.67	265.00	676
26	Nagaur	800	1726	1499	815	101.88	485.85	623	77.88	370.17	726
27	Pali	570	1160	1015	600	105.26	349.44	511	89.65	282.34	565
28	Rajsamand	410	721	768	410	100.00	201.74	312	76.10	133.80	374
29	S. Madhopur	365	907	646	334	91.51	178.63	282	77.26	117.87	310
30	Sikar	440	1647	963	440	100.00	289.61	372	84.55	177.36	410
31	Sirohi	390	742	673	398	102.05	207.97	288	73.85	156.24	352
32	S. Ganga nagar	640	2398	1436	681	106.41	358.44	589	92.03	233.21	631
33	Tonk	515	1286	839	521	101.17	262.88	435	84.47	188.03	492
34	Udaipur	825	1665	1380	825	100.00	629.87	563	68.24	419.09	726
	Total	**18700**	**45688**	**34503**	**19125**	**102.27**	**11315.54**	**14926**	**79.82**	**7838.15**	**17498**

परिशिष्ट 'ग'

BANKWISE PROGRESS UNDER 'PMRY' DURING 2006-07
(Upto JANUARY, 2007)

S. No.	Name of Bank	Targets Nos.	Application Sponsored Nos.	Loan Sanctioned Nos.	% S/T	Loan Disburshment Nos.	% D/T
1	Allahbad Bank	280	460	144	51.43	65	23.21
2	B.O.B.	2858	4876	2562	89.64	1216	42.55
3	B.O.I.	426	718	321	75.35	102	23.94
4	B.O.R.	1524	2934	1317	86.42	626	41.08
5	Bank of Maharashtra	65	98	39	60.00	10	15.38
6	C.B.I.	916	1653	553	60.37	146	15.94
7	Canara Bank	223	325	174	78.03	57	25.56
8	Corporation Bank	60	89	33	55.00	17	28.33
9	Dena Bank	123	219	69	56.10	17	13.82
10	Indian Bank	76	122	36	47.37	19	25.00
11	Indian Overseas Bank	141	218	81	57.45	16	11.35
12	O.B.C.	770	1369	631	81.95	265	34.42
13	P.N.B.	2420	4602	2097	86.65	746	30.83
14	Punjab & Sindh Bank	139	275	105	75.54	27	19.42
15	S.B. of Indore	70	109	34	48.57	10	14.29
16	S.B. of Patiala	90	145	59	65.56	16	17.78

S. No.	Name of Bank	Targets Nos.	Application Sponsored Nos.	Loan Sanctioned Nos.	% S/T	Loan Disburshment Nos.	% D/T
17	S.B.B.J.	5648	10288	5433	96.19	2496	44.19
18	S.B.I.	1692	2701	1443	85.28	604	35.70
19	Syndicate Bank	100	140	56	56.00	20	20.00
20	U.B.I.	340	528	198	58.24	61	17.94
21	U.Co. Bank	1053	2002	921	87.46	279	26.50
22	United Bank of India	42	53	33	78.57	16	38.10
23	Vijaya Bank	126	165	69	54.76	34	26.98
24	Bank of Punjab	5	4	1	20.00	0	0.00
25	U.T.I.	8	19	3	37.50	1	12.50
26	H.D.F.C.	5	2	0	0.00	0	0.00
	Total	**19200**	**34114**	**16412**	**85.48**	**6866**	**35.76**

परिशिष्ट 'घ'

District wise Progress Under P.M.R.Y. During 2006-07
(Up to JANUARY, 2007)

S. No.	Dis.	Targets	Applica-tion Recd.	Applications Spon.	Loan San.	% (San./ Tar.)	Amount Rs. In Lacs	Loan Disbd.	% (Disb./ Tar.)	Amou nt Rs. In lacs	Persons Trained
1	Ajmer	865	1367	1499	794	91.79	398.06	430	49.71	206.04	637
2	Alwar	625	1670	1320	570	91.20	304.80	305	48.80	178.65	495
3	Banswara	350	648	609	303	86.57	172.89	136	38.86	66.84	255
4	Baran	340	1529	584	274	80.59	106.85	78	22.94	26.37	220
5	Barmer	430	875	618	345	80.23	222.55	150	34.88	93.90	300
6	Bharatpur	645	2167	1383	583	90.39	307.51	243	37.67	120.89	440
7	Bhilwara	815	1134	1476	861	105.64	448.45	511	62.70	207.70	726
8	Bhiwadi	230	657	426	191	83.04	104.60	84	36.52	28.04	116
9	Bikaner	735	1527	1310	695	94.56	429.20	310	42.18	156.40	599
10	Bundi	320	621	541	293	91.56	170.93	71	22.19	34.97	266
11	Chittorgarh	810	1455	1439	840	103.70	359.66	608	75.06	230.98	755
12	Churu	580	1459	959	489	84.31	316.21	150	25.86	96.69	386
13	Dausa	425	874	1033	417	98.12	271.09	110	25.88	51.60	349
14	Dholpur	400	458	729	361	90.25	184.66	31	7.75	6.60	240
15	Dungarpur	410	660	571	290	70.73	132.83	109	26.59	50.55	176
16	Hanuman-garh	520	912	1143	520	100.00	273.42	326	62.69	214.28	477
17	Jaipur (Rural)	830	1502	1119	581	70.00	437.00	140	16.87	94.75	361

S. No.	Dis.	Targets	Application Recd.	Applications Spon.	Loan San.	% (San./ Tar.)	Amount Rs. In Lacs	Loan Disbd.	% (Disb./ Tar.)	Amount Rs. In lacs	Persons Trained
18	Jaipur (Urban)	940	1063	1234	455	48.40	364.00	116	12.34	92.80	300
19	Jaisalmer	250	403	473	234	93.60	147.05	112	44.80	74.21	193
20	Jalore	310	685	544	265	85.48	140.27	100	32.26	49.30	230
21	Jhalawar	530	1614	1097	444	83.77	249.20	147	27.74	73.50	357
22	Jhunjhunu	650	1739	1177	601	92.46	394.26	185	28.46	63.29	457
23	Jodhpur	985	1584	1693	761	77.26	532.70	325	32.99	211.25	614
24	Karoli	320	767	552	235	73.44	128.30	39	12.19	14.90	148
25	Kota	810	1790	1526	619	76.42	311.50	248	30.62	125.00	507
26	Nagaur	800	1416	1248	620	77.50	341.00	122	15.25	67.20	504
27	Pali	590	1024	852	507	85.93	329.73	249	42.20	139.25	441
28	Rajsamand	420	758	802	355	84.52	151.88	159	37.86	59.02	278
29	S. Madhopur	375	746	684	346	92.27	194.00	152	40.53	58.33	297
30	Sikar	460	955	1093	463	100.65	292.43	159	34.57	85.36	372
31	Sirohi	400	633	618	318	79.50	187.14	169	42.25	90.36	279
32	S. Ganganagar	660	1671	1444	667	101.06	312.96	315	47.73	125.65	565
33	Tonk	530	854	824	485	91.51	233.39	207	39.06	93.64	390
34	Udaipur	840	1086	1503	630	75.00	478.30	270	32.14	190.26	411
	Total	**19200**	**38303**	**34114**	**16412**	**85.48**	**9428.82**	**6866**	**35.76**	**3478.57**	**13141**

परिशिष्ट 'ड'

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक:एफ23/(37)आयु.उ./पीएआरवाई/रि.मि.2006-07 दिनांक 29/01/2007

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र

समस्त

विषय :- प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्रायोजित करने बाबत।

प्रसंग : कार्यालय आयुक्त, उद्योग द्वारा जारी ई-मेल क्रमांक एफ 1 ()पीएमआरवाई/2007 दिनांक 27-1-2007

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिला उद्योग केन्द्रों को लक्ष्य आबंटन के साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय स्तर से टाइम मैट्रिक्स निर्धारित कर प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विगत वर्षों में बार-बार निर्देशित किया जाता रहा है कि आबंटित लक्ष्यों की तुलना में 125 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र बैंकों को प्रायोजित नहीं किये जायें। प्राय: यह देखा गया है कि अधिकांश जिला उद्योग केन्द्र उनको आबंटित लक्ष्य की तुलना में 150 से 200 प्रतिशत तक अधिक संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंकों को प्रायोजित कर देते हैं। बैंकों द्वारा अपने लक्ष्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रायोजित आवेदन पत्र बिना ऋण स्वीकृत किये जिला उद्योग केन्द्रों को लौटा दिये जाते हैं जिसके कारण प्रभावित अभ्यर्थियों में निराशा एवं असन्तोष की भावना जाग्रत हो जाती है, जो योजना के सफल क्रियान्वयन में अप्रत्यक्ष रूप से गतिरोध उत्पन्न करती है। अत: इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आपको निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते हैं :-

1. आपके जिले के प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत आबंटित लक्ष्यों की तुलना में अभ्यर्थियों का चयन 125 प्रतिशत से अधिक संख्या में नहीं किया जावे।
2. जिले हेतु आबंटित लक्ष्यों के अनुरूप ही प्रथम बार चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंकों को प्रायोजित किए जावें।

3. बैंकों द्वारा यदि किन्हीं उचित कारणों के आधार पर प्रायोजित आवेदन पत्र निरस्त कर लौटाए जाते हैं और यदि आप बैंकों द्वारा बताए गए निरस्तीकरण के कारणों से सन्तुष्ट हों तो ऐसी स्थ्िाति में चयनित अभ्यर्थियों की आरक्षित वरीयताबद्ध सूची में से निरस्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या के अनुरूप ही आवेदन पत्र पुनः बैंकों को प्रायोजित करें।

उक्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्च्ाित करते हुए प्रगति से मुख्यालय को समय-समय पर अवगत कराते रहें।

भवदीय,

उषा शर्मा

आयुक्त, उद्योग

आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण

284. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में पिछले तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कितनी नई सड़कों का निर्माण एवं कितनी सड़कों का पेच वर्क/ मरम्मत का कार्य करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी वर्ष में विधान सभा क्षेत्र आमेर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराने एवं नई सड़कें कृषि मण्डी के माध्यम से बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का कार्य किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में मिसिंग लिंक परियोजना के तहत कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल सब्जी) के क्षेत्र में गत तीन वर्षो में 3 नई सड़कों का जिनकी लम्बाई 14.75 कि.मी. एवं राशि 157.66 लाख रुपये व्यय कर निर्माण करवाया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र आमेर में गत तीन वर्षों में परिशिष्ट 'ब' पर उल्लेखित 18 सड़कों में से क्रम संख्या 7 की सड़क पर डामरीकरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया एवं अन्य 17 सड़कों पर विशेष मरम्मत का कार्य बोर्ड द्वारा किया गया जिनकी लम्बाई 60.15 कि.मी. एवं व्यय की गई राशि 162.84 लाख है। वार्षिक मरम्मत कार्य 19 सड़कों पर किया जिनकी लम्बाई

(कृषि विपणन मंत्री)

55.65 कि.मी. है। जिस पर 5.92 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल-सब्जी) के अन्तर्गत निर्मित सड़कों में से 16 प्रतिशत सड़कों के पुन: डामरीकरण के अनुमानित तकमीने मण्डी समिति को भिजवाये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है। आगामी वित्तीय वर्ष में बचत राशि में सड़क निर्माण हेतु राशि उपलब्ध होने पर ही इस पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

आमेर में मिसिंग लिंक योजना के तहत कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल सब्जी) के क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की सूची

गत तीन वर्षों में नई सड़कों के निर्माण का विवरण

क्र.सं.	निर्मित सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)
1	सरदारपुरा जैतपुरा खन्नीपुरा	2004-05	8.50	77.54
2	सुन्दर का बास गेल स्टेशन से देव का हरमाडा	2004-05	1.00	20.8
3	बेगस से बसेडी फाटक	2004-05	5.25	59.32
		योग :	**14.75**	**157.66**

परिशिष्ट 'ब'

आमेर में कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल सब्जी) के क्षेत्र में विशेष मरम्मत स्कीम के तहत मरम्मत की गई सड़कों की सूची।

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाखों में)
1	सिरसी से कुडा	03-04	1.50	3.57

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाखों में)
2	एन.एच.-8 से लखेर	03-04	1.00	1.18
3	कालवाड से मंडा भोपावास	03-04	3.00	6.53
4	सिरसी से हातोज	03-04	4.50	11.90
5	धरमपुरा से धान्कया रेलवे स्टेशन	03-04	6.00	19.03
6	ताला मोड से कॉट	03-04	5.00	13.41
7	बिन्दायका से मुकुन्दपुरा	04-05	-	2.16
8	नांगल पुरोहित से भैरूखेजडा	03-04	2.00	5.26
9	सीकर रोड से महेशवास बॉडी नदी	03-04	2.00	4.70
10	धरमपुरा से जिलोई महेशवास	03-04	5.00	13.49
11	कोटडा से कूकस	03-04	2.00	5.36
12	खेरा बिसल से जयरामपुरा	03-04	4.00	10.32
13	चीतावाला से बदनपुरा	03-04	4.00	3.88
14	जाहोता से मोडी	03-04	3.00	6.86
15	भम्भोरी से सारंग का वास	04-05	6.65	20.29
16	सरना डूंगरी से बावडी	04-05	0.50	1.63
17	बेगस से बगरू	04-05	5.00	19.97
18	महेशवास से राधाकिशन पुरा	04-05	5.00	15.3
		योग	**60.15**	**162.85**

क्र.सं. 7 पर अंकित पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डामरीकरण का कार्य किया गया।

परिशिष्ट 'स'

आमेर में कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल सब्जी) के क्षेत्र में वार्षिक मरम्मत की गई सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाखों में)
1	राधाकिशन पुरा से बरना रोड	2.00	0.24
2	राधाकिशन पुरा से महेशवास कलां	7.00	0.13
3	मोडी से राधाकिशनुपरा	1.70	0.23
4	एन.एच. 8 से भैरू खेजडा	2.00	0.16
5	लालचन्दपुरा से सरना चौप	4.90	1.04
6	बेगस से पचोर रोड	2.00	0.22
7	देवगुडा	1.00	0.13
8	भटटो की गली	1.20	0.20
9	नांगल सिरस	1.00	0.15
10	जयरामपुरा से जाह्नोता	4.00	0.21
11	नांगल से चौप	10.00	0.95
12	एन.एच. 8 से खोरा मीणा	1.00	0.28
13	एन.एच. 8 से चिताणु	3.00	0.25
14	गठवाडी से कंवरपुरा	3.45	0.26
15	चौमू चंदबाजी से गठवाडी	1.50	0.20
16	एन.एच. 8 से देवा का हरमाडा	3.00	0.11
17	चौमूं चंदवाजी रोड से सिरोही सुन्दर का बास	3.00	0.07
18	गिनाई से टाडावास रोड	2.10	0.34
19	बदनपुरा से चितावाली	1.8	0.75
		55.65	**5.92**

परिशिष्ट 'द'

आमेर के मंडी समिति फल एवं सब्जी जयपुर को बजट स्वीकृति हेतु भेजे गये विशेष मरम्मत सड़कों के प्रस्ताव की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाखों में)
1	एन.एच.-8 से देव का हरमाडा	89-90	3.00	11.20
2	रोड नं. 17 से अखैपुरा	91-92	3.00	13.99
3	नांगल लाडी से राधाकिशनपुरा	97-98	2.00	9.35
4	कलवाड से मुंडोता	97-98	2.00	7.18
5	एन.एच.-8 से खोरा मीना	91-92	1.00	4.68
6	एन-एच.-8 से चिताणु	87-88	3.00	11.20
7	महेशवास कलां	99-2000	1.00	5.79
8	देवगुढा	97-98	1.00	4.68
9	नांगल सिरसी	97-98	1.00	4.92
10	जयरामपुरा से जाहोता	96-97	4.00	2.36
11	राधाकिशनपुरा से बरना	98-99	2.00	9.15
12	लालचन्दपुरा से सरनाचोड	98-99	4.90	23.42
13	घिनोई से टाडास	96-97	2.10	11.72
14	दौलत पुरा से बैनाड	91-92	4.00	16.14
15	मोडी से रायथल	91-92	13.00	64.43
16	राजावास से चौप	91-92	10.00	41.92
		योग	**57.00**	**242.13**

बाड़मेर में महिला पुलिस थाने की स्थापना

285. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर व बाडमेर नगर में गत तीन माह में कितनी चोरियां हुई उसमें से कितनी चोरियों का खुलासा हुआ एवं कितना चोरी का माल बरामद हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत

(डा. जालम सिंह रावलोत)

कितने मुकदमें गत तीन वर्षों में दर्ज हुए हैं? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बाडमेर नगर में महिला पुलिस थाना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में गत तीन माह में चोरी के कुल 64 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 14 प्रकरणों में चालान हुआ तथा 480190 रुपये का चोरी का माल बरामद हुआ, उक्त में से बाड़मेर शहर में 17 प्रकरण चोरी के दर्ज हुए, 2 प्रकरणों में चालान हुआ तथा 12300 रुपये का चोरी का माल बरामद हुआ।

(2) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत गत तीन वर्षों में कुल 14926 मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से वर्ष 2004 में 5391 वर्ष 2005 में 4658 तथा वर्ष 2006 में 4877 मुकदमें दर्ज हुए, उक्त में से जिला बाडमेर में गत तीन वर्षों में कुल 479 मुकदमें दर्ज हुए, जिनमें से वर्ष 2004 में 160, वर्ष 2005 में 144 तथा वर्ष 2006 में 175 मुकदमें दर्ज हुए।

(3) जिला बाड़मेर में महिला थाना खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव नवीन व्यय प्रस्ताव वर्ष 2005-06 में सम्मिलित कर वित्तीय सलाहकार पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार गृह विभाग को भिजवाया गया था जिसे स्वीकृत नहीं किया गया।

बालिका विद्यालयों में महिला कर्मियों का पदस्थापन

286. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जिला प्रशासन/निगम/चिकित्सा विभाग द्वारा शिक्षकों की किस-किस प्रकार की ड्यूटियां लगाई जाती हैं? क्या सरकार छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान के कारण शिक्षकों को ऐसी ड्यूटियों से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की भी उक्त कार्यक्रमों में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भांति ड्यूटियां लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(4) क्या सरकार सरकार बालिका विद्यालयों में लैब टैक्नीशियन/ शारीरिक शिक्षकों के पद पर महिला कर्मियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा सरकारी वियालयों में योग शिक्षा प्रारम्भ करने के क्या-क्या प्रयास किये गये एवं राज्य में वर्तमान में कितने विद्यालयों में योग शिक्षा/प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में निम्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षिक कार्यों में अध्यापकों को लगाया जाना निषेद्ध है :-

1. साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम
2. चुनाव
3. राष्ट्रीय जनगणना
4. आर्थिक गणना
5. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित पल्स पोलियो जैसे महत्वपूर्ण अभियान।

उक्त राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में लगे अध्यापकों के स्थान पर पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।

(2) उपरोक्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सर्वप्रथम सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को ही लगाया जाता है। आवश्यकता होने पर तथा विशेष परिस्थितियों में ही अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को भी उपरोक्त कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है।

(3) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 11 एवं 12 और परिशिष्ट 4 एवं 5 में उल्लिखित मानदण्डानुसार गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(4) शिक्षा विभाग में बालिका विद्यालयों शारीरिक शिक्षक महिला लगाने के निर्देश जारी किये हुए हैं एवं विभाग में लेब टेक्नीशियन पद नहीं है।

(5) माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 में

(शिक्षा मंत्री)

''शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा'' विषय और कक्षा 11 में जीवन कौशल शिक्षा विषय में योग शिक्षा भी समाहित की हुई है। इस प्रकार से सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षा प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। 2359 शारीरिक शिक्षकों को योग शिक्षा का विशेष सेवारत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाये जाने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम अन्तर्गत योग शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाता है। 1500 शारीरिक शिक्षकों को योग प्रशिक्षण दिलवाया जाकर छात्रों को योग का व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बोगासर ग्राम (चूरू) के उच्चीकृत जलाशय का जांच प्रकरण

287. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड रतनगढ़ में ग्राम बोगासर में निर्मित उच्चीकृत जलाशय ध्वस्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त जलाशय का निर्माण कब हुआ एवं उस पर कितनी राशि व्यय की गई तथा किस तिथि को वह ध्वस्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जलाशय ध्वस्त होने के प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा कब पूर्ण की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जलाशय के ध्वस्त होने की जांच अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या-क्या पाया गया तथा उक्त जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी एवं संबंधित अधिकारियों की दोषसिद्धि कब तक निर्धारित कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जलाशय के ध्वस्त होने के लिए प्रथमतया दोषी मानते हुए किसी अभियंता को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो किस अभियन्ता को कब एवं वर्तमान में उक्त अभियन्ता किस पद पर किस स्थान पर पदस्थापित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गोगासर में उच्च जलाशय का निर्माण जून, 1999 में पूर्ण हुआ। निर्माण पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। दिनांक 6 जून, 2002 को यह जलाशय ध्वस्त हुआ।

(2) उक्त प्रकरण की प्राथमिक जांच श्री एच.सी. नकरा, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबन्ध प्रकोष्ठ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू द्वारा की गई एवं उनके पत्र दिनांक 10.12.2002 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

(3) प्राथमिक जांच के आधार पर कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) उक्त प्रकरण में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2002 द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता तथा 3 सहायक अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया। इन्हें कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30.11.2002 व 30.04.2003 द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को आरोप-पत्र कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 28.01.2003 व 28.05.2003 द्वारा दिए जा चुके हैं एवं जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

ग्राम गोगासर में उच्च जलाशय निर्माण पर हुए व्यय का विवरण

प्रथम रनिंग बिल	रु. 87200.00	(चैक द्वारा ठेकेदार को किया गया भुगतान रु. 56087.00)
द्वितीय रनिंग बिल	रु. 261600.00	(चैक द्वारा ठेकेदार को किया गया भुगतान रु. 233138.00)
भण्डारीय सामग्री (इसमें सीमेंट व स्टील सम्मिलित नहीं हैं। सीमेन्ट व स्टील ठेकेदार द्वारा ही लगाये गये हैं)।	रु. 122899.00	(चैक द्वारा ठेकेदार को किया गया भुगतान रु. 289225.00)।
कुल व्यय	रु. 471699.00	(चैक द्वारा ठेकेदार को किया गया भुगतान रु. 289225.00)।
भुगतान की गई राशि रु. 289225.00 दिनांक 09.08.2005 को ठेकेदार द्वारा विभाग में जमा करवा दी गई है।		

परिशिष्ट 'ब'

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	निलम्बन दिनांक	निलम्बन के समय धारित पद	निलम्बन से बहाली के आदेश का दिनांक	वर्तमान पद स्थापन स्थान
1	श्री जीत सिंह आडीवाल	14.6.2002	अधिशासी अभियन्ता	30.11.2002	अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, तकनीकी सदस्य, जयपुर
2	श्री रामावतार सैनी	14.6.2002	सहायक अभियन्ता	30.4.2003	सहायक अभियन्ता, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
3	श्री प्रीतम सिंह	14.6.2002	सहायक अभियन्ता	30.4.2003	31.8.2006 को सेवानिवृत्त
4	श्री प्रेमचन्द माथुर	14.6.2002	सहायक अभियन्ता	30.4.2003	सहायक अभियन्ता उपखण्ड डूंगरगढ़

सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित सड़क मार्ग

288. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा-रायपुर में ऐसी कितनी डामरीकृत सड़के, ग्रेवल सड़कें, कच्चे रास्ते हैं जिन पर वर्ष 2006 की वर्षा ऋतु में नदी, नाले,

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

तालाब, एनिकटों में पानी भरने के कारण आवागमन एवं ग्रामीणों के आने जाने के रास्ते बन्द हुये?

(2) सरकार द्वारा अब फिर से उक्त मार्गों पर पानी न भरे एवं आवागमन बाधित नहीं हो इस हेतु क्या प्रयास किये गए व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान क्षेत्र सहाडा-रायपुर में वर्षा ऋतु 2006 में पानी भरने के कारण आवागमन एवं ग्रामीणों के आने जाने के निम्न रास्ते बन्द हुए :-

सार्व. नि. विभाग के रास्ते-

1. भीण्डर रामगढ़ डामर सड़क
   (गंगापुर-रायपुर करेड़ा भाग)
2. मोखुन्दा-झडोल डामर सड़क
3. सहाडा सरदारगढ़ डामर सड़क
4. गठीला फार्म से जबरकिया डामर सडक
5. पोटलां से मण्डपिया ग्रेवल सडक
   (सम्पर्क सड़क मण्डपिया)

विकास अधिकारी पं.स. रायपुर के अधीन आने वाले निम्न रास्ते बन्द हुए :-

1. रायपुर-बोराणा डामर सडक
2. नान्दशा-खुंटिया ग्रेवल सड़क
3. रायपुर-परबती ग्रेवल सडक
4. धूलखेड़ा-सुरास ग्रेवल सडक
5. बाडी-बागोलिया-कच्चा रास्ता
6. रायपुर-सुरास-कच्चा रास्ता
7. पालरां से खेमाणा-ग्रेवल सड़क

(2) उक्त मार्गों पर भविष्य में फिर से पानी न भरे एवं आवागमन बाधित नहीं हो इस हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके बजट में इन कार्यों को कराने के लिए जिला कलक्टर भीलवाड़ा को लिख दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या-289

(स्थगित)

राजसमन्द में मार्बल मण्डी की स्थापना

290. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मार्बल उद्योग के विकास हेतु राजसमंद में मार्बल मण्डी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) क्या सरकार मार्बल उद्योग से प्राप्त राजस्व में से कुछ प्रतिशत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास हेतु देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राजसमन्द में मार्बल मण्डी स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार मार्बल उद्योग ही नहीं अपितु समस्त प्रधान एवं अप्रधान खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व में से एक प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को देने का निर्णय ले चुकी है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रधान एवं अप्रधान खनिजों की रायल्टी से प्राप्त शुद्ध आय की एक प्रतिशत राशि संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों को दिये जाने के संबंध में शासन ने अपने आदेश क्रमांक प. 12(8)खान/ग्रुप-1/98 दिनांक 24.3.07 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में रुपये 743 लाख की राशि संबंधित जिला परिषदों के खातों में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

लूणी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद

291. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम सेवा सहकारी समिति की उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं तथा कितनी दुकानें वर्तमान में संचालित हो रही हैं? इनमें से कितनी दुकानें सरकार द्वारा तथा कितनी दुकानें निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जा रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि लूणी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने पद कब से? क्या

(श्री जोगाराम पटेल)

सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की उचित मूल्य की 40 दुकानें आबंटित हैं तथा वर्तमान में सभी संचालित हैं। सरकार द्वारा उचित मूल्य की कोई दुकान संचालित नहीं की जा रही है। निजी क्षेत्र द्वारा 62 दुकानें संचालित की जा रही हैं।

(2) जी हां। लूणी क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 11 पद रिक्त है, जिनका ग्राम सेवा सहकारी समिति व रिक्ति बाबत दिनांक वार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार व नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर नियुक्तियां की जा सकेंगी।

परिशिष्ट-1

लूणी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति	दिनांक जिसमें पद रिक्त हैं	चयनित व्यवस्थापक का नाम, जिसको अतिरिक्त कार्यभार आबंटित है	सहायक व्यवस्थापक का नाम, जो व्यवस्थापक का कार्य कर रहा है
1	फोच	15.03.1998	-	श्री भीमाराम विश्नाई
2	रोहिन्दा खुर्द	30.7.2005	श्री बाबूराम विश्नोई	
3	मोगडाकला	31.5.2006	श्री बागाराम पटेल	
4	मूडा विश्नोईयान	31.8.206	श्री भाकर सिंह विश्नोई	
5	सिरनी	31.5.2004	श्री करण सिंह चौधरी	

1	2	3	4	5
6	नारनाडी	31.8.2006	श्री अन्तराम निम्बावत	
7	लूणावास	22.5.2001	श्री गिरधारीलाल विश्नोई	
8	कापरडा	30.7.2005	-	श्री रखलाल चौधरी
9	चादेलाव	14.7.1992	-	श्री गोविन्दसिंह जोधा
10	बिसलपुर	30.9.2006	श्री लालराम चौधरी	
11	बाला	15.8.2004	श्री लूम्बाराम देवासी	

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फुलेरा में औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु रियायतें/ छूट/सहायता

550. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में उद्योग लगाने हेतु रीको द्वारा किस-किस इकाई/व्यक्ति को कितनी-कितनी व कब-कब भूमि का आबंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं ने किस-किस प्रकार के उद्योग लगाये तथा किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा भूमि आबंटन के बाद भी उद्योग नहीं लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कौन-कौनसी औद्योगिक इकाइयां चालू हैं और कौन कौनसी बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा भूमि आबंटन के बाद भी औद्योगिक इकाई को प्रारम्भ नहीं किया गया तथा सरकार ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के भूमि आबंटन को रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों/ संस्थाओं के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बंद/रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक?

(6) क्या सरकार उक्त स्थानों पर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने व उद्योगों को नई रियायतों देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में उद्योग लगाने हेतु रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भूखण्डधारियों की सूची क्रमश: परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा में उद्योग स्थापित करने वाली इकाइयों की सूची परिशिष्ट 3 एवं उक्त क्षेत्र में भूमि आबंटन के पश्चात भी उद्योग स्थापित नहीं करने वाली इकाइयों की सूची परिशिष्ट-3अ पर संलग्न है।

औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़-रेनवाल में उद्योग स्थापित करने वाली एवं उद्योग स्थापित नहीं करने वाली इकाइयों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल में वर्तमान में उत्पादनरत औद्योगिक इकाइयों एवं बन्द औद्योगिक इकाइयों की सूची क्रमशः परिशिष्ट-5 व 6 पर संलग्न है।

(4) जिन आबंटियों ने औद्योगिक इकाई को प्रारम्भ नहीं किया गया है ऐसे आबंटियों के विरुद्ध, नियमानुसार कार्यवाही की गई है। फुलेरा औद्योगिक क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-7 एवं औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़-रेनवाल में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(5) जी हां। राज्य सरकार न केवल इस क्षेत्र विशेष अपितु सम्पूर्ण राज्य के बन्द/रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु सजग है एवं इसी उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत एक विशिष्ठ सहायता पुंज वर्ष 2004 में घोषित किया गया था। उक्त सहायता पुंज के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों/सुविधाओं का लाभ उठा कर उद्यमी बन्द/रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने का निर्णय ले सकता है।

(6) औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा में इस वित्तीय वर्ष में 1.20 लाख रुपये का औद्योगिक क्षेत्र के रख-रखाव हेतु बजट का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत सिविल वर्क्स व स्ट्रीट लाइट इत्यादि की मरम्मत का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास एवं रख-रखाव के कार्य बजट प्रावधानों के अनुरुप कराये जाते रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में विकास के मद में 1.40 लाख रुपये एवं रख-रखाव के मद में 2.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसके कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही है। इसमें भी सुधार करने के लिए उक्त विभाग से तकमीने मांगे गये हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम से स्ट्रीट लाइट तार लगवाने के प्रयास किए जा रहे है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (चूरू) की रुग्ण इकाइयों का पुनर्संचालन

551. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजगढ़ (चूरू) के औद्योगिक क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाई पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(2) उपरोक्त पंजीकृत इकाइयों में से कितनी चालू हैं तथा कितनी बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) औद्योगिक इकाइयां बन्द होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार बन्द इकाइयों को पुनः चालू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजगढ़ (चूरू) औद्योगिक क्षेत्र में कुल 17 इकाइयों स्थाई पंजीकृत है। सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त पंजीकृत 17 इकाइयों में 8 इकाइयां कार्यरत हैं, तथा 9 इकाइयां बन्द हैं। सूची संलग्न है।

(3) औद्योगिक इकाइयां बन्द होने के कारण निम्न हैं :-

1. कार्यशील पूंजी का अभाव।
2. मीठे पानी की समस्या।
3. खनिजों का अभाव।
4. कृषि आधारित उद्योग मानसून पर आधारित होने के कारण मानसून के अभाव में बन्द।

(4) बन्द इकाइयों को चालू करने अथवा नहीं करने का निर्णय स्वयं उद्यमी द्वारा उद्यम की इकोनोमिक वायबिलिटी एवं स्वयं उद्यमी की इच्छा शक्ति के आधार पर लिया जाता है। तथापि, राज्य सरकार ने चालू/बन्द रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत एक विशिष्ठ सहायता पुंज घोषित किया था। उक्त सहायता पुंज के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों/सुविधाओं का लाभ उठा कर उद्यमी बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने का निर्णय ले सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में पंजीकृत चालू एवं बन्द इकाइयों का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	पंजीयन		उत्पादित वस्तुऐं	वर्तमान स्थिति
		क्रमांक	दिनांक		
1	अमर मक्खन इन्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	3681	29.04.1982	घी मक्खन	बन्द
2	बिसला इन्डस्ट्रीज, ए-9, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ	2933	25.06.1979	चना दाल	कार्यरत
3	दुर्गा दाल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	2984	26.09.1979	दालें	बन्द
4	गणेश इन्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	5960	13.08.1998	चना दाल	कार्यरत
5	बसंल एन्टरप्राईजेज, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	5170	23.10.1990	डिलेन्टर बिनौला	कार्यरत
6	महावीर उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	5762	03.03.1997	बम्बू सीजनिंग	कार्यरत
7	आर.सी. इन्डस्ट्रीज लि., औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	5937	04.04.1998	एच.डी.पी.ई. व पी.वी.सी. पाइप	बन्द
8	श्री कृष्णा इन्डस्ट्रीज, बी-5-6, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	7237	30.12.2005	ग्वार गम	कार्यरत
9	अम्बे रिफैक्ट्रीज अमीचन्द जैन, डी-40, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	4875	10.11.1987	ग्लेज टाईल्स	बन्द
10	बाबा आयरन फैक्ट्री, डी-32, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	5308	04.03.1992	स्टील अलमिरा, गेट ग्रिल, कृषि यंत्र आदि	कार्यरत

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	पंजीयन		उत्पादित वस्तुऐं	वर्तमान स्थिति
		क्रमांक	दिनांक		
11	जय शिव उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	4000	22.03.1983	आयरन बक्सा व वायर निटिंग	कार्यरत
12	रिटल स्मिथ इन्जिनियर्स, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	5939	13.05.1998	आयरन गेट जाली अलमिरा रोलिंग शटर	बन्द
13	नर्बदा स्टील उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	5959	06.08.1998	स्टील लोहे के ग्रेट ग्रिल	बन्द
14	आर.डी. एन्टरप्राईजेज, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	5805	08.08.1997	व्हिकल मरम्मत	कार्यरत
15	मिनाक्षी पाइप इन्डस्ट्रीज, डी-39, औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर	6871	31.03.2004	पापड़	बन्द
16	श्रवण इन्डस्ट्रीज, सी-35, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ	3830	13.10.1982	कपडा छपाई	बन्द
17	प्रकाश उद्योग, सी-34(बी), औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़	7260	04.04.2006	लोहे की टंकी, संदूक	बन्द

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र, चूरू

बीकानेर जिले के सार्वजनिक ट्यूबवैल्स हेतु स्विच रूम

552. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बीकानेर में कितने ऐसे सार्वजनिक ट्यूबवैल हैं जहां पर स्विच रूम नहीं हैं? क्या सरकार इन स्वीकृत सार्वजनिक ट्यूबवैलों पर स्विच रूम निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला बीकानेर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित 60 विभागीय नलकूपों हेतु स्विच बोर्ड रूम नहीं बने हुए हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	नलकूपों की संख्या जहां स्विच बोर्ड रूम निर्मित नहीं हैं
1	शहरी क्षेत्र, नोखा	12
2	शहरी क्षेत्र, देशनोक	01
3	ग्रामीण क्षेत्र	47
	कुल	**60**

चूंकि इन स्थानों पर फीडर पैनल बोर्ड स्थापित है अतः अलग से स्विच रूम बनाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

जिला स्तर पर खरीदे गए पाइप की गुणवत्ता जांच

553. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेयजल सप्लाई पाइप की निविदा स्वीकृत होने के बाद सीधे ही कम्पनी से सप्लाई की जाती रही है? यदि हां, तो वर्ष 2004, 2005 व 2006 में किस-किस कम्पनी से कितनी-कितनी राशि की पाइप निविदा स्वीकृत की गई और किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में पाइप सप्लाई किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर पाइप क्रय कर व्यवस्था करें? यदि हां, तो गत

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

दो वर्ष में किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि के किस-किस फर्म से पाइप क्रय किये गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की जाने वाली पाइप की गुणवत्ता की जांच के लिए कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय खरीद के सन्दर्भ में ए.सी., यू.पी.वी.सी. कास्ट आयरन तथा डक्टाइल आयरन पाइप बाबत फर्मवार संविदा वार तथा स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। विभिन्न जिलों में पाइप सप्लाई का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्रीष्म के सन्दर्भ में विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों को कमीशन करने तथा अन्य तत्कालिक कार्य हेतु पाइप आदि समान की खरीद हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को अधिकृत किया गया था। वर्ष 2005 तथा 2006 के सन्दर्भ में जिलावार सूचना विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। यह खरीद मात्र ए.सी. व यू.पी.वी.सी. पाइप हेतु की गई।

(3) जी हां। पैरा 2 में वर्णित खरीद गुणवत्ता के सन्दर्भ में विभागीय मानदण्डों के अनुसार ही की जानी थी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गैटोर ग्राम (जयपुर) के उच्च जलाशय से ग्रामवासियों को जलापूर्ति

554. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नगर निगम के वार्ड सं. 28 में गैटोर (जयपुर) गांव में बनाई गई पानी की टंकी से गैटोर ग्रामवासियों को भी पानी के कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। योजना का आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरण एवं तत्पश्चात जल उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर घरेलू जल सम्बन्ध दिया जाना प्रारम्भ करना माह अप्रैल, 2007 में प्रस्तावित है।

बनीपार्क में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु व्यय राशि

555. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में गत तीन वर्षों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभिन्न वार्डों में नलकूप/हैण्डपम्प/पाइप लाइन/पानी की टंकी/4000 लीटर की टंकी का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्यों का वार्ड वाइज किया गया व्यय दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में गत तीन वर्षों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभिन्न वार्डों में कराये गये वर्णित कार्य एवं इनके निर्माण पर हुए व्यय का वार्ड वाइज विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

बनीपार्क के विभिन्न वार्डों में गत तीन वर्षों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कार्यों एवं इन पर हुए किए गये व्यय का विवरण

क्र सं.	कार्य का नाम	वर्ष	वार्ड नं.																					योग	व्यय रु. लाखों में
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	35		
1	हैण्ड पम्प निर्माण	2003-04	7	23	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	2	0	0	4	3	3	3	63	36.90
		2004-05	13	5	1	7	0	0	2	2	6	0	2	1	14	1	1	0	0	5	4	10	0	74	41.60
		2005-06	12	66	2	1	2	1	0	3	5	1	0	2	5	6	5	0	0	3	1	3	0	118	68.70
		योग	**32**	**94**	**13**	**11**	**2**	**1**	**2**	**8**	**11**	**2**	**2**	**3**	**20**	**7**	**8**	**0**	**0**	**12**	**8**	**16**	**3**	**255**	**147.20**
2	नलकूप	2003-04	8	9	0	2	0	0	0	8	10	2	0	0	0	0	5	0	0	1	2	3		50	232.00
		2004-05	11	7	0	0	0	0	0	5	6	0	0	4	1	19	0	0	0	4	2	7	0	66	286.00
		2005-06	19	4	0	0	1	0	0	11	13	2	0	3	3	0	3	2	0	0	0	2	0	63	303.00
		योग	**38**	**20**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**24**	**29**	**4**	**0**	**7**	**4**	**19**	**8**	**2**	**0**	**5**	**4**	**12**	**0**	**179**	**821.00**
3	पाइप लाइन (मीटर)	2003-04	10000	10000	0	0	372	0	0	5500	5000	0	0	0	0	5000	528	0	0	0	0	0	452	36852	88.58
		2004-05	31000	40000	5893	0	250	0	265	20705	30110	0	0	0		35000	480	5461	0	0	0	5000	90	174254	430.10
		2005-06	41820	54092	0	0	0	0	200	30600	37470	0	0	0	0	40000	0	0	0	432	750	20280	0	225644	560.52
		योग	**82820**	**104092**	**5893**	**0**	**622**		**465**	**56805**	**72580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80000**	**1008**	**5461**	**0**	**432**	**750**	**25280**	**542**	**436750**	**1079.20**

क्र सं.	कार्य का नाम	वर्ष	वार्ड नं.																					योग	व्यय रु. लाखों में
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	35		
4	पी.वी.सी. टंकिया क्षमता 4000	2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		2004-05	0	0	3	0	0	5	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	14	4.20
		2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		योग	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**4.20**
5	पानी की टंकी (जलाशय)	2003-04	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	70.00
		2004-05	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7	194.00
		2005-06	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	10	406
		योग	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**19**	**670.00**

खानपुर (झालावाड़) हेतु भीम सागर बांध से पेयजल आपूर्ति

556. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के कस्बा खानपुर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा भीमसागर बांध से योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी तथा कार्य कब तक पूरा किया जाना संभावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर के कस्बा खानपुर एवं रास्ते में आने वाले 11 गांवों में भीमसागर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पुनर्गठित जल योजना, खानपुर की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (पूर्व स्वीकृति राशि रु. 838.00 लाख माह सितम्बर, 2004) राशि रु. 1204.00 लाख की माह मार्च, 2005 में जारी हो चुकी है।

उक्त स्वीकृत योजना से खानपुर कस्बे को माह जनू, 2007 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

अलवर जिले की निर्माणाधीन पेयजल योजनाएं

557. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में जिला अलवर में पेयजल योजनाऐं स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं की स्वीकृति किन मानदण्डों के अन्तर्गत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में जिला अलवर में विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत विभिन्न पेयजल योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का मूल उद्देश्य सही गुणवत्ता

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

का पेयजल पर्याप्त मात्रा में एवं उचित दवाब से उपलब्ध करवाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उचित पेयजल स्त्रोत की उपलब्धि, स्त्रोत में उपलब्ध पेयजल मात्रा, पेयजल आवश्यकता तथा सम्भव योजना के प्रकार को आधार मानकर पेयजल योजनाएं बना कर स्वीकृति एवं निर्माण किया जाता है। उक्त योजनाओं की स्वीकृति का भी यही आधार है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट 'ब' में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल व्यवस्था

558. डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मकराना तहसील की सबसे बडी ग्राम पंचायत है इसकी कितनी जनसंख्या है?

(2) क्या यह सही है कि इतने बड़े ग्राम में जल वितरण 15-20 दिन में एक दिन दिया जा रहा है जिससे जनता को पानी की टंकियां क्रय कर जीवन-यापन करना पड़ रहा है।

(3) सरकार द्वारा जल स्त्रोत एवं बोरावड़ नगर की जल वितरण योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं इसको कब तक लागू किया जा सकेगा? इस स्कीम को लागू होने तक क्या सरकार इस अकाल क्षेत्र में मौहल्ला वार टैंकरों से जल वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सबलपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की योजना कब तक स्वीकृत होगी व जल वितरण की समय सीमा निर्धारित कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) मकराना तहसील में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बोरावड़ है जिसकी वर्ष 2001 की जनगणनानुसार आबादी 24654 एवं वर्तमान आबादी लगभग 27000 जन है।

(2) ग्राम बोरावड़ स्थित विभागीय स्त्रोत (5 नलकूप व 1 खुला कुआं)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्ष 2004-05 में सूख जाने के कारण मकराना शहर के स्त्रोत ग्राम जूसरी में वर्ष 2005 में एक नलकूप का अलग से निर्माण कर उसका पानी जल योजना मकराना में सम्मिलित करते हुए वर्तमान 5 से 7 दिनों के अन्तराल पर 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दिया जा रहा है।

(3) बोरावड़ ग्राम में मानदण्डों अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम मोरेड में स्त्रोत (7 नलकूप) लेकर 70.00 लाख रु की योजना की स्वीकृति माह फरवरी, 2006 में जारी हो चुकी है। योजना में प्रस्तावित अधिकांश कार्य पूर्ण कर अप्रैल, 2007 के अन्त तक ग्राम बोरावड़ में इस योजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

दिनांक 30 मार्च, 2007 से ग्राम में टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(4) टी.एस.एस. योजना से लाभान्वित ग्राम सबलपुर (वर्ष 2001 की आबादी–4176) को मानदण्डानुसार पाइप्ड योजना में परिवर्तन करने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

सक्षम स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त होने एवं तकनीकी जांच में योजना के सही पाये जाने के उपरांत प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार योजना की स्वीकृति एवं इसका क्रियान्वयन सम्भव होगा।

शेरगढ़ के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

559. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2001 तक राजीव गांधी पेयजल मिशन में चिन्हित ढाणियों को पेयजल से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो ये ढाणियां कौन-कौन सी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2001 से पूर्व चिन्हित ढाणियों को पेयजल से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना के तहत व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत वर्ष 2001 तक चिन्हित कुल 1310 ढाणियों में से 40 ढाणियां वर्तमान में पेयजल सुविधा से अलाभान्वित हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पंचायत समिति	ढाणियों का विवरण		
	कुल चिन्हित	पेयजल से लाभान्वित	अलाभान्वित
बालेसर	738	720	18
शेरगढ़	572	550	22
योग	**1310**	**1270**	**40**

उपरोक्तानुसार अलाभान्वित ढाणियों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल को स्रोत लेकर विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ के मुख्य गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत/स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त उक्त अलाभान्वित ढाणियों हेतु अलग से योजना बनाकर इनकी स्वीकृति उपरान्त क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा। इन ढाणियों में आवश्यकता एवं मांग अनुसार टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

शेरगढ़ में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत वर्ष 2001 तक चिन्हित ढाणियों में से वर्तमान में पेयजल सुविधा से अलाभान्वित ढाणियां

क्र. सं.	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गांव	क्र.सं.	ढाणियों के नाम
1.	बालेसर	ढांढणिया सासण	ढांढणिया सासण	1	ब्राह्मणों की ढाणी
				2	जालानियों की ढाणी
				3	मेघवालों की ढाणी
				4	सुथारों की ढाणी
			ढांढणिया बरडा	5	बेरडा आबादी एरिया
				6	डउकियों की ढाणी
		आगोलाई	आगोलाई	7	पाबूजी थान की ढाणी
				8	जाखडों की ढाणी
				9	बरडों की ढाणी
				10	भीलों की ढाणी

क्र. सं.	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गांव	क्र.सं.	ढाणियों के नाम
				11	साइजाटों की ढाणी
				12	मेघवालों की ढाणी हनुमान मंदिर
				13	राइकों की ढाणी
				14	सिंधियों की ढाणी
		दुगड़	दुगड़	15	बेलदारों की ढाणी
			सुराणी	16	खूमजी की ढाणी
				17	विश्नोईयों की ढाणी
		ढांढणिया भायला	ढांढणिया भायला	18	ऊंचली पालीवालों की ढाणी
2.	शेगरढ़	देवराजगढ़	देवराजगढ़	19	सिंधियों की ढाणी
				20	जाटों की ढाणी
				21	राजपूतों की ढाणी
				22	भाटियों रावणों राजपूतों की ढाणी
				23	मेघवाल धर्माराम की ढाणी
				24	मगजीराम की ढाणी
				25	खेतराजी की ढाणी
				26	पठान खां की ढाणी
				27	भूरे खां की ढाणी
				28	कनजीरों की ढाणी
				29	पाबूजी की ढाणी
		सुवालिया	सुवालिया	30	भीलों की ढाणी
				31	मेघवालों की ढाणी
				32	सुथारों स्वामियों की ढाणी
				33	भीलों जाखड़ों सारणों की ढाणी

क्र. सं.	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गांव	क्र.सं.	ढाणियों के नाम
2.	शेगरढ़	सुवालिया	सुवालिया	34	जसोडों चारणों, राजपूतों व धांधू जाटों की ढाणी
				35	धांधिया भीलों की ढाणी
				36	दर्जियों की ढाणी
				37	सारणों जाटों की ढाणी
				38	राजपूत, मेघवाल, जाटों, सुथारों की ढाणी
				39	चारणों मेघवालों की ढाणी
				40	मेघवालों की ढाणी, रावतसर

रतनगढ़ (चूरू) के फ्लोराइड युक्त ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजलापूर्ति

560. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ (चूरू) के फ्लोराइड युक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु आपणी योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना से कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित होंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और अब क्या-क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, जो कब तक क्रियान्वित करा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कराकर कार्य शुरू करा दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

प्रस्तावित कार्यवाही के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र के गांवों हेतु इन्दिरा गांधी नहर को स्त्रोत लेकर रतनगढ़-सुजानगढ़ योजना बनाई गई है जो सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में है, ताकि वित्त प्रबन्धन एवं तदनुसार स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जा सके।

(3) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट 'अ'

(अ) समाधान हेतु अब तक की गई कार्यवाही-

राजस्थान प्रान्त के अधिकतर क्षेत्रों में सीमित मात्रा में भू-जल उपलब्ध होने तथा भू-जल मानक गुणवत्ता अनुरूप न मिलने के कारण विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता मानदण्डों में छूट प्रदान की गई है। तदनुसार, विधान सभा क्षेत्र रतगनढ़ के कुल 101 गांवों में से 47 गांवों में विभिन्न पेयजल योजनान्तर्गत मानक गुणवत्ता अनुरूप का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान में निम्नानुसार तीन स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं जिनसे 6 गांवों में मानक अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल इन योजनाओं के पूर्ण होने पर उपलब्ध हो सकेगा।

क्र. सं.	स्वीकृत पेयजल योजना का नाम	योजना में सम्मिलित गांव का नाम	स्वीकृति माह/वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	योजना को वर्तमान स्थिति (पूर्ण/ प्रगति पर)	योजना पूर्ण होने की संभावित अवधि माह/वर्ष
1	संवर्धन क्षेत्रीय योजना लूंछ-सांगासर	1. सांगासर	अगस्त, 2005	20.18	प्रगति पर	मार्च, 2008
2	संवर्धन क्षेत्रीय योजना बिराणिया-दीपसर-मैनासर	1. मैनासर 2. कनवारी 3. रुखासर	मार्च, 2005	110.00	प्रगति पर	जुलाई, 2007
3	संवर्धन क्षेत्रीय योजना बीरमसर-छाबडीखारी-टिडियासर	1. छाबडी खारी 2. टिडियासर	फरवरी, 2005	48.85	प्रगति पर	जून, 2007

गांव उपरोक्तानुसार शेष रह जाते हैं जिनके स्थानीय स्रोतों में मानक अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(ब) समाधन हेतु प्रस्तावित कार्यवाही-

प्रस्तावित कार्यवाही के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र के गांवों हेतु इन्दिरा गांधी नहर को स्त्रोत लेकर रतनगढ़-सुजानगढ़ योजना बनाई गई है जो सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में है, ताकि वित्त प्रबन्धन एवं तदनुसार स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जा सके।

बजरी रायल्टी से प्राप्त राजस्व में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी

561. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार से बजरी का ठेका खनिज विभाग द्वारा दिया जाकर रायल्टी की वसूली से होने वाली आय का कुछ हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने द्वितीय वित्त आयोग की इस संबंध में सिफारिशों को स्वीकार करते हुए खनिजों से प्राप्त शुद्ध आय (रायल्टी) का एक प्रतिशत संबधित जिला परिषदों के माध्यम से हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 7.43 करोड़ संबंधित जिला परिषदों को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति क्रमांक प.12(8)खान/ग्रुप-1/98 दिनांक 24.3.07 के द्वारा जारी कर दी गई है।

मेड़ता (नागौर) के खनन क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

562. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के खनिज क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण का विचार रखती है?

(2) क्या गोटन से पुन्दलू व पुन्दलू से धनापा तक सड़क की मरम्मत व नवीनीकरण के लिये पृथक से बजट का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में खनिज सड़क के नवीनीकरण/निर्माण का विभाग/सरकार विचार रखती है।

(2) गोटन-पुन्दलू-बोरून्दा सडक लम्बाई 23 कि.मी. का निर्माण कार्य वर्ष 1998-99 में लागत 104.06 लाख का स्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। इस सड़क पर मार्च, 2006 तक कुल व्यय 56.74 लाख का किया जा चुका है। वर्ष 2006-07 में 22.00 लाख राशि का प्रावधान किया गया है। जिसमें माह फरवरी, 07 तक 15.10 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। सड़क कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2007-08 में 150.00 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2007-08 में व्यय हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से सड़क का संशोधित एस्टीमेट प्राप्त किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त पुन्दलू से धनाया तक की सड़क तथा मेडता क्षेत्र की अन्य सड़कों के मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य विभागीय योजना में प्रस्तावित नहीं है।

जनजाति व्यक्तियों/आदिवासियों को खनन व्यवसाय हेतु ऋण

563. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में खनन कार्य और माइन्स लीज देने के लिये आदिवासियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है परन्तु धनाभाव के कारण आदिवासी लोग उन्हें प्रारम्भ नहीं कर पाते? यदि हां, तो क्या सरकार माइन्स चलाने के लिये आदिवासियों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(2) जनजाति क्षेत्र में कितने आदिवासी लोगों द्वारा खनन कार्य व माइन्स लीज पर लेकर कार्य किया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिसूचित जनजाति क्षेत्रों में माइन्स लीज आबंटन पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(10)खान/ग्रुप-2/99 पार्ट दिनांक 18.12.2000 से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके अन्तर्गत खनिज चुनाई पत्थर के खनन पट्टे जनजाति के व्यक्तियों को देने को छोड़कर शेष व्यक्तियों एवं

(खनिज मंत्री)

अन्य खनिजों के खनन पट्टे आबंटन पर प्रतिबंध है। प्रचलित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 27, मार्बल पालिसी, 2002 के क्लॉज 12 एवं ग्रेनाईट पालिसी, 2002 के क्लॉज 14 में डेलिनेटेड प्लोट्स में अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिये आरक्षण देने का प्रावधान है।

आदिवासियों के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में खनन कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं करने के संबंध में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। आदिवासियों को खनन कार्य हेतु सस्ती दरों पर ऋण दिलाने हेतु योजना का परीक्षण किया जा रहा है।

(2) जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के नाम प्रधान खनिज के 5 और अप्रधान खनिज के 18 खनन पट्टे व 32 क्वारी लाइसेंस स्वीकृत हैं, जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

जिला डूंगरपुर	प्रधान खनिज के 2 एवं अप्रधान खनिज के 3 खनन पट्टे व 32 क्वारी लाइसेंस स्वीकृत हैं।
जिला बांसवाड़ा	अप्रधान खनिज के 10 खनन पट्टे स्वीकृत हैं।
जिला उदयपुर	प्रधान खनिज के 3 एवं अप्रधान खनिज के 11 खनन पट्टे स्वीकृत हैं।
जिला चित्तौड़गढ़	अप्रधान खनिज का 1 खनन पट्टा स्वीकृत है।

निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में अवैध खनन चिन्हित/बन्द खानें

564. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बडी संख्या में अवैध खानें चल रही हैं? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा व छोटी सादडी में कहां-कहां अवैध खानें चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर कार्यवाही करती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में वर्ष 2003 से फरवरी, 2007 तक कितनी अवैध खानों को बन्द करवाने की

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

कार्यवाही की गई? चिन्हित तथा अवैध खानें जिन्हें बन्द करवाया गया है की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में कहीं भी अवैध खनन होने की जानकारी/शिकायत प्राप्त होते ही अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार अवैध खनन बन्द कराते हुए, अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील निम्बाहेडा के ग्राम लसड़ावन, कचरियाखेड़ी, जावदा, हड़माला में खनिज पट्टी, फर्शी एवं खण्डा की क्वारी बाउण्डरियों के आस-पास व खण्डित प्लोटों में यदाकदा अवैध खनन होने की शिकायत प्राप्त हुई थी तहसील छोटी सादड़ी के ग्राम जलोदिया में खनिज रेड आकर का अवैध खनन होना पाया गया, जिसे नियमानुसार कार्यवाही कर बन्द करवाया गया।

(2) जी हां। निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन चिन्हित क्षेत्रों में लसड़ावन, जावदा एवं हड़माला में विभागीय अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ विशेष चैकिंग अभियान माह सितम्बर, 2005 एवं अगस्त, 2006 में चलाया गया था। तहसील छोटी सादड़ी के ग्राम जालोदिया में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज रे आकर के अवैध खनन पाये जाने का दिनांक 1.3.06 को पंचनामा बनाया गया था जिसमें पट्टाधारी द्वारा दिये गये नोटिस के प्रत्युत्तर पर पुनः जांच की जा रही है। वर्ष 2003 से 2007 तक कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, निम्बाहेडा के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कुल 188 अवैध खानों को बन्द करवाकर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पंचनामें बनाये गये एवं पेनल्टी स्वरूप खनिज की कीमत वसूल की गई जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	बनाये गये प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई राशि (लाखों में)
1	2003-04	61	0.67
2	2004-05	52	0.47
3	2005-06	33	0.35
4	2006-07	42	0.42
	योग	**188**	**1.91**

डूंगरीकलां ग्राम (जयपुर) के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन

565. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील सांभर पंचायत समिति सांभरलेक के ग्राम डूंगरी कलां की पहाड़ी पर हो रहे अवैध खनन एवं ब्लास्ट की रोकथाम हेतु अध्यक्ष श्री जयरामपुरी स्मृति संस्थान डूंगरी कलां तथा जिला प्रमुख, जयपुर द्वारा जिला कलक्टर जयपुर से अवैधानिक विस्फोट को रोकने की मांग की गई थी? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में सहायक खनिज अभियंता, जयपुर ने दिनांक 11 अगस्त, 2006 एवं सर्वेयर खनिज अभियन्ता, जयपुर ने दिनांक 18 अगस्त, 2006 को मौका स्थिति तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मौका रिपोर्ट पेश की है? क्या उक्त रिपोर्ट में बड़े होल लगाकर ब्लास्टिंग करने से खनन असुरक्षित पाई जाने व कार्य बंद करने की सिफारिश की गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट के बाद क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में खनिज अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक ख.अ./जय./सी.सी.ना./एम.एल. 277/99/816-820 दिनांक 14 अगस्त, 2006 एवं अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर क्षेत्र, जयपुर ने पत्र क्रमांक 729 दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 के द्वारा मौके पर ब्लास्टिंग करने से जनहानि एवं दुर्घटना होने की संभावना मानकर खनन पट्टा क्षेत्र में ब्लास्टिंग कर खनन कार्य नहीं करने हेतु नोटिस जारी किये हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्रों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त संबंध में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक, खान सुरक्षा, अजमेर क्षेत्र, अजमेर को सितम्बर, 2006 में पत्र भेजकर उक्त खनन को अवैध मानकर अग्रिम कार्यवाही तक रोक हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जनहित में उक्त खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हीरालाल)

(6) क्या सरकार अब उक्त खनन कार्य को बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम डूंगरीकलां तहसील सांभर जिला जयपुर में स्वीकृत खनिज चेजा पत्थर के 8 खनन पट्टों में खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग बंद करवाने की हीरापुरी महाराज संत एवं जिला प्रमुख सहित ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई थी, तथा दिनांक 11.8.06 को महाराज द्वारा क्रमिक अनशन/धरना दिया इसकी सूचना मिलने पर प्रशासनिक, पुलिस एवं खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच कर मौके की स्थिति अनुसार खनन असुरक्षित पाये जाने एवं जन-आंदोलन/जनभावना को देखते हुए जनहित में सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग बंद करवाने का निर्णय लिया गया। मौके पर एक आदेश विभाग द्वारा जारी कर खनन पट्टा क्षेत्रों में खनन/ब्लास्टिंग को प्रशासनिक दृष्टि से बंद करवाया गया। खनन पट्टा संख्या 291/94, 424/94, एवं 257/94 में खनन कार्य एवं खनन पट्टा संख्या 276/94, 428/92, 277/99, 258/94 एवं 427/92 में ब्लास्टिंग प्रतिबंधित करने बाबत दिनांक 14.8.06 से नोटिस जारी कर पाबंद किया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र के समस्त खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन कार्य असुरक्षित पाये जाने पर खनन कार्य खान अधिनियम, 1952 की धारा 22(3) के अन्तर्गत पत्र दिनांक 7.9.2006 से प्रतिबंधित किया हुआ है। इस क्षेत्र के 7 पट्टाधारियों द्वारा उक्त कार्यवाही के विरोध में माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश (क.खं.) (प्रथम वर्ग) क्रम-2, जयपुर नगर के समक्ष पृथक-पृथक वाद दायर किये गये जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.06 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए हैं। तत्पश्चात क्षेत्र में स्थायी रूप से खनन कार्य प्रतिबंधित करवाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरीकलां के द्वारा पट्टेधारियों के विरुद्ध माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश (क.खं.) (प्रथम वर्ग) क्रम-2, जयपुर नगर के समक्ष पृथक-पृथक वाद दायर किये गये हैं। इसके अलावा एक श्री बालमुकुन्द शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एक जनहित याचिका संख्या 8422/2006 दायर की गई है। सभी प्रकरण माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(खनिज मंत्री)

(2) जी हां। सहायक खनिज अभियंता द्वारा दिनांक 11.08.2006 एवं सर्वेयर द्वारा दिनांक 18.8.2006 को रिपोर्ट पेश की गई है। सहायक खनिज अभियंता की रिपोर्ट अनुसार मौके की स्थिति तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पहाडी में पूर्व में बडे होल लगाकर ब्लास्टिंग किये जाने से दरार पड़ना तथा दरार में पानी भर जाने से पहाड़ी ढहना बताया गया है इसके आधार पर ही पट्टेधारियों को ब्लास्टिंग एवं खनन नहीं करने हेतु नोटिस दिनांक 14.8.2006 से जारी किये गये तथा इससे पूर्व दिनांक 11.8.2006 को मौके पर उपस्थिति प्रशासनिक/पुलिस/खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा ब्लास्टिंग से खनन कार्य बंद करवा दिया गया।

(3) यह सही है कि उक्त प्रकरण में खनिज अभियंता, जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक खअ/जय/सीसी-2/खप-277/99/816-820 दिनांक 14.8.2006 से 5 खनन पट्टाधारियों को ब्लास्टिंग से खनन कार्य नहीं करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं तथा खनिज कार्यदेशक को निरन्तर क्षेत्र निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इस क्षेत्र के 7 पट्टाधारियों द्वारा उक्त कार्यवाही के विरोध में माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश (क.खं.) (प्रथम वर्ग) क्रम-2, जयपुर नगर के समक्ष पृथक-पृथक वाद दायर किये गये जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.2006 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए हैं। अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 729 दिनांक 15.8.2006 के द्वारा कोई नोटिस जारी करना नहीं पाया गया है।

(4) जी नहीं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक, खान सुरक्षा, अजमेर क्षेत्र, अजमेर को सितम्बर, 2006 में कोई पत्र खनि अभियंता, जयपुर द्वारा नहीं लिखा गया है, किन्तु खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र के समस्त खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन कार्य असुरक्षित पाये जाने पर खनन कार्य खान अधिनियम 1952 की धारा 22(3) के अन्तर्गत पत्र दिनांक 7.9.2006 से प्रतिबन्धित किया हुआ है।

(5) वर्तमान में खनन कार्य बन्द है एवं प्रकरण उक्तानुसार माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने से कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(6) वर्तमान में खनन कार्य बन्द है एवं प्रकरण उक्तानुसार माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने से कोई टिप्प्णी किया जाना अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर।

क्रमांकःखअ/जय/सी.सी.द्वितीय/एम.एल.277/99216-820 दिनांक 14-8-2006

प्रेषिति :-

1. लक्ष्मीचन्द चौधरी
   पुत्र श्री मोतीराम चौधरी
   प्लाट नं. 14-15, सिन्ध नगर,
   सत्यनगर के पास, झोटवाडा
   जयपुर (एम.एल. नं. 276/94)
2. श्री किरोडीमल मोदी
   पत्नी श्री नर्बदा प्रसाद मोदी
   34-ए, श्रीरामपुरा कालोनी,
   सिविल लाइन्स, जयपुर (एम.एल. नं. 258/94)
3. श्रीमती सरोज यादव
   पत्नी श्री रामनिवास,
   9, लीला मेन्शन,
   सिविल लाइन्स, जयपुर
   (एम.एल. नं. 428/92)
4. श्रीमती शारदा देवी
   पत्नि श्री जगदीश प्रसाद यादव
   सी-69, वैशानी नगर, जयपुर
   (एम.एल. नं. 427/92)
5. श्रीमती आनन्दी भारद्वाज
   पत्नी श्री रामवतार
   डी-39 हरि नगर, शास्त्री नगर,
   जयपुर (एम.एल. नं. 277/99)

विषय :- आपके पक्ष में घृत खनन पट्टा वास्ते खनिज चेजा पत्थर निकट ग्राम बड़ी डूंगरी (डूंगरीकला) तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में ब्लास्टिंग नहीं करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में घृत विषयांकित खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण सहायक खनिज अभियन्ता, जयपुर के साथ प्रशासनिक अधिकारी, थानाधिकारी एवं तकनीकी स्टाफ द्वारा दिनांक 10.8.2006 को किया गया। मौके पर ब्लास्टिंग करने से जनहानि एवं दुर्घटना होने की संभावना पाई गई।

अतः आपको इस नोटिस के जरिये पाबन्द किया जाता है कि आप

खनन पट्टा क्षेत्र में ब्लास्टिंग कर खनन कार्य नहीं करें। अन्यथा आपका खनन पट्टा नियमानुसार खण्डित किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। नोटिस की पालना रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें तथा खान को खनन कार्य सुरक्षित रूप से करने वास्ते विकसित करें।

भवदीय

खनिज अभियन्ता, जयपुर।

सहाड़ा के थानों में रिक्त पद

566. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा के सभी थानों में कितने पद स्वीकृत हैं, उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा के थानों में स्वीकृत पद निम्न प्रकार हैं-

क्र.सं.	थाना	स्वीकृत पद				
		पु.नि.	उ.नि.	स.उ.नि.	हैड कानि.	कानि.
1	गंगापुर	1	2	7	4	20
2	रायपुर	-	1	2	1	14

वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) कोई पद रिक्त नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता है।

घाटोल उप जिला मुख्यालय में पुलिस थाने की स्थापना

567. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में पुलिस थानों की संख्या कितनी है व प्रत्येक थाने के अधीन कौन-कौन से गांव हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा के प्रत्येक थाने में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से

(श्री नवनीत नीनामा)

अब तक किस-किस अपराध व धाराओं के तहत कितने मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट किस-किस व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एस.डी.एम. मुख्यालय घाटोल है? यदि हां, तो क्या मुख्यालय पर पुलिस थाना है? यदि नहीं, तो क्या सरकार एस.डी.एम. मुख्यालय पर पुलिस थाना स्थापित या परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में पुलिस थानों की संख्या 14 है। प्रत्येक थाने के अधीन आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला बांसवाड़ा की प्रत्येक थाने में एक जनवरी, 2006 से फरवरी, 2007 तक दर्ज अपराध मय धारा व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) एस.डी.एम. मुख्यालय घाटोल पर पुलिस उप अधीक्षक घाटोल एवं पुलिस चौकी घाटोल स्थापित है। थाना खमेरा घाटोल से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

अतः एस.डी.एम. मुख्यालय घाटोल पर पुलिस थाना स्थापित किए जाने अथवा परिवर्तन का विचार नहीं है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जन आन्दोलनों में मृत/घायल व्यक्तियों को सहायता

568. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्ष में राज्य में कितनी जगह गोलीकाण्ड एवं लाठी-चार्ज किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में गोलीकाण्ड एवं लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए तथा कितने लोगों की मृत्यु हुई?

(3) सरकार द्वारा घायल एवं मृत्यु उपरान्त परिजनों को क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्ष 2004, 2005, 2006 में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्य में 24 जगह पुलिस फायरिंग एवं 17 जगह लाठी चार्ज किया गया। वर्षवार सूची परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस फायरिंग में 179 पुलिस कर्मी/अन्य व्यक्ति घायल हुए तथा 11 लोगों की मृत्यु हुई एवं लाठीचार्ज में 239 व्यक्ति घायल हुये तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

(3) सरकार द्वारा घायल एवं मृत्यु उपरान्त परिजनों को दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' के कालम संख्या 6 पर अंकित है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2004

क्र. सं.	जिला	गोलीकाण्ड का स्थान	घायलों की संख्या	मृतकों की संख्या	घायल एवं मृत्यु उपरान्त दी गई सहायता राशि
1	2	3	4	5	6
1	झुन्झुनूं	1-कस्बा मण्डावा थाना मण्डावा 2-कुहाडवास थाना बुहाना	-	-	-
2	चूरू	1-ग्राम मालकसर थाना भानीपुरा	-	-	-
3	गंगानगर	1-नई/पुरानी मण्डी के बीच घड़साना 2- गौरव सिनेमा नई मण्डी घड़साना 3- पैटोल पंप नई मण्डी घड़साना 4- लाइन्स क्लब नई मण्डी घड़साना 5- थाना रावला परिसर	146	4	मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये व एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा घायल हुए कर्मचारियों/व्यक्तियों को पांच सौ रुपये से 5 हजार रुपये तक सहायता राशि दी गई।
4	सिरोही	1- मेघवाल बास थाना अनादरा	-	-	-
5	उदयपुर	1-कस्बा सराडा थाना सराडा	9	-	प्रत्येक घायल को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा दी गई

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2005			
1	भीलवाड़ा	कस्बा माण्डल थाना माण्डल	-	1	मृतक के परिजन को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी गयी।
2	नागौर	हरसौलाव थाना गोटन	-	-	-
3	टोंक	ग्राम सोहेला थाना बरोनी	24	5	पांचों मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये नकद व चार मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गयी व 21 घायलों को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये व शेष तीन घायलों को दस-दस हजार रुपये की सहायता राशि दी गयी।
4	सवाई माधोपुर	ग्राम गुर्जर बडौदा थाना बावनवास	-	-	-
5	धौलपुर	1. रा. महाराणा उ.मा.वि. धौलपुर थाना निहालगंज 2. थाना परिसर कंचनपुर 3. ग्राम सहेडी थाना बाडी 4. ग्राम नायला थाना राजाखेडा	-	1	राज्य सरकार द्वारा परिजनों को पांच लाख रुपये सहायता राशि दी गयी।
6	झालावाड़	1. थाना परिसर डग	-	-	-

1	2	3	4	5	6
वर्ष 2006					
1	भरतपुर	1. आर्य समाज रोड बयाना 2. जैन मन्दिर घोलखेडा थाना कामां	-	-	-
2	बूंदी	ग्राम बांकी व भेरूपुरा के मध्य सिवाय चक भूमि	-	-	-
3	झालावाड़	ग्राम पृथ्वीपुरा	-	-	-
4	गंगानगर	गांव सखी थाना रावला	-	-	-

परिशिष्ट ''ब''

वर्ष 2004

क्र. सं.	जिला	गोलीकाण्ड का स्थान	घायलों की संख्या	मृतकों की संख्या	घायल एवं मृत्यु उपरान्त दी गई सहायता राशि
1	2	3	4	5	6
1	जयपुर शहर पूर्व	1-मोती डूंगरी	-	-	-
2	गंगानगर	1-जिला कलक्टर कार्यालय परिसर 2-एस.डी.एम. घड़साना परिसर 3-गौरव सिनेमा नई मण्डी घडसाना 4-पैट्रोल पंप नई मण्डी घडसाना 5-लाईन्स कलब नई मण्डी घडसाना	-	1	मृतक के परिजन को 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गई।
वर्ष 2005					
1	जयपुर शहर पूर्व	1-सांगानेर	-	-	-
2	गंगानगर	1-खीची चौक, थाना जवाहर नगर 2-घडसाना मण्डी	30 पुलिस कर्मी घायल	-	-
3	हनुमानगढ़	1- एक्स. ई.एन. आफिस के समाने नोहर (तीन बार) 5.9.05 को	10 पुलिस कर्मी	-	-

1	2	3	4	5	6
वर्ष 2006					
1	जयपुर शहर पूर्व	1-सांगानेर 2-मालवीय नगर	-	-	-
2	गंगानगर	1-एस.डी.एम. कार्यालय घड़साना	90	-	-
3	हनुमानगढ़	1-एस.डी.एम. कार्यालय रावतसर 2-बस स्टैण्ड ग्राम चाईया	66	-	-
4	जोधपुर ग्रामीण	1-भोपालगढ़	43	-	-
5	कोटा ग्रामीण	1-कस्बा सुकेत	-	-	-

बड़ौद ग्राम (दीगोद) में पुलिस चौकी की स्थापना

559. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रियासत काल में ग्राम बड़ौद जो कि कालीसिंध नदी की सीमा पर बसा हुआ है वहां प्रशासनिक दृष्टि से पुलिस चौकी व तहसील कार्यालय हुआ करता था व आज भी वहां भवन उपलब्ध है?

(2) क्या यह सही है कि बड़ौद में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग लम्बे समय से क्षेत्र की जनता द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में ग्रामीण जनता को राहत प्रदान करने हेतु पुनः चौकी स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। भवन आज भी मौजूद है एवं खण्डर अवस्था में है।

(2) आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता निर्धारण में अभी बड़ौद में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की प्राथमिकता नहीं बनती है।

कैदियों की अपराध प्रवृत्ति में सुधार हेतु समाज सेवी संस्थाओं द्वारा योगदान

570. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की जेलों में कैदियों को सुधारने के लिये सरकारी स्तर पर अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में पाली जिले की विभिन्न जेलों में कब-कब व किस प्रकार के प्रकल्प चलाए गए?

(2) क्या यह भी सही है कि अनेक समाजसेवियों ने भी जेलों में बंद कैदियों को अपराध प्रवृत्ति छोड़ने हेतु प्रेरणा देने के लिये सेवाएं दी हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस-किस द्वारा किस प्रकार की सेवाएं दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले में उप कारागृह बाली, सोजत एवं जैतारण है, जहां पर विचाराधीन बंदी रहते हैं तथा जिला कारागृह, पाली में विचाराधीन बंदियों के अलावा 3 वर्ष तक की सजा से दंडित बंदियों को रखे जाने का

(गृह मंत्री)

प्रावधान है। जहां पर पढ़े लिखे बंदियों एवं स्टाफ के सहयोग से साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाते हैं तथा जिला कारागृह पाली में वर्ष 2005 एवं 2006 में समाज कल्याण सप्ताह में दिनांक 3 अक्टूबर अपराधी सुधार दिवस पर बंदियों को सजा समाप्ति के पश्चात पुर्नवास योजना की जानकारी दी गई तथा दिनांक 11.11.2005 को विधिक सहायता कार्यक्रम में बंदियों को कानून एवं अपराधी सुधार विषय पर सामान्य जानकारी दी गई।

उक्त के अतिरिक्त कारागृहों पर धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें, मनोरंजन के साधन यथा टेलीविजन, कैरम बोर्ड आदि सुलभ कराये गये हैं।

(2) जी हां। गत दो वर्ष में दी गई सेवाओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

संस्था/समाज सेवियों द्वारा गत दो वर्षों में कैदियों को अपराध प्रवृत्ति छोडने हेतु प्रेरणा देने के लिये दी गई सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
1.	कतेहान वेलफेयर सोसायटी संस्थान, कोटा	कारागृह में दिनांक 24.4.2005 को कार्यक्रम का आयोजन कर बंदियों को मो. साहब के बताये मार्ग पर चलने का उपदेश दिया।
2.	हमारा मंच संस्था कोटा	दिनांक 31.10.05 को कारागृह में अपराध सुधार दिवस मनाया गया जिसमें बंदियों को अपराधवृत्ति से बचने के उपाय बताये।
3.	इनर व्हील क्लब कोटा	कारागृह में दिनांक 18.8.05 को रक्षाबन्धन के त्यौहार पर रक्षाबन्धन के त्यौहार का महत्व बताते हुये सदैव भाईचारे से रहने की सीख दी तथा जीवन में कभी दुबारा अपराध नहीं करने की प्रेरणा दी।
4.	डायनेमिक जेसीज संस्था, कोटा	कारागृह में दिनांक 11.2.06 को बंदियों को बन्धन से मुक्ति की और कार्यक्रम का आयोजन कर जीवन में सदैव सकारात्मक सोच रखने हेतु प्रेरणा दी गई व अपराध से बचने के उपाय बताये।
5.	हमारा मंच संस्था, कोटा	कारागृह में दिनांक 5.8.06 को रक्षा बंधन के पर्व पर बंदियों को राखी का महत्व बताते हुये बंदियों को बुराइयों से बचने के उपाय बताये एवं दिनांक 3.10.06 को कारागृह में अपराध सुधार दिवस मनाया गया व बंदियों को सामाजिक ज्ञान की जानकारी के साथ-साथ अपराध से बचने के उपाय बताये।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
6.	पंतजलि योगपीठ संस्था	कोटा कारागृह में दिनांक 2.12.06 को तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन कर बंदियों को तनाव मुक्ति के उपाय बताये।
7.	गायत्री शक्ति पीठ धार्मिक संस्था बून्दी	कारागृह में वर्ष 2005 में दो बार एवं वर्ष 2006 में एक बार बंदियों के सुधार की दिशा में प्रवचन दिये व सामाजिक ज्ञान की जानकारी दी।
8.	बृह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था	बूंदी कारागृह में बंदियों के सुधार की दिशा में प्रवचन दिये।
9.	पातांजलि योग संस्थान हरिद्वार	बूंदी कारागृह में दिनांक 8.8.06 से 11.8.06 तक 4 दिवसीय योग शिविर का आयोजन कर बंदियों को योग शिक्षा दी व अपराध छोड़ने की प्रेरणा दी।
10.	आर्ट आफ लिविंग संस्था	बारां कारागृह में दिनांक 29.8.06 से 1.9.06 तक योग शिक्षा का शिविर आयोजित कर बंदियों को योग शिक्षा ग्रहण करने व अपराध छोड़ने की प्रेरणा व प्रसन्न रहने के गुरु सिखाये।
11.	केशवचंद संस्था बारां	बारां कारागृह में दिनांक 3.10.06 को बंदियों को अपराध से दूर रहने हेतु प्रेरित किया।
12.	जैन मुनी श्री वैराग्य सागर जी महाराज	बारां कारागृह में बंदियों को अहिंसा व नशा मुक्ति मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया।
13.	बृह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय	झालावाड़ कारागृह में बंदियों को अपराध एवं दुर्गुण छोडने का उपदेश दिया।
14.	गायत्री परिवार झालावाड़	झालावाड़ कारागृह में बंदियों को दिनांक 30.10.05 को प्रेरणा दायक प्रवचन सुनाये गये।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
15.	श्री सुधा सागरजी महाराज के शिष्य श्री नवीन स्वामी जी	झालावाड़ कारागृह में बंदियों को प्रवचन सुनाये व अपराध छोड़ने के लिये प्रेरणा दी गयी।
16.	बृहम कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय	झालावाड़ कारागृह में बंदियों को राखी बांधी गई एवं दुर्गुणों तथा व्यसनों को छोड़ने के उपदेश दिये।
17.	गायत्री परिवार झालावाड	झालावाड़ कारागृह में बंदियों को दिनांक 15.8.06 को भाईचारे, सदभावना एवं एक दूसरे को समझने व अपराध छोड़ने हेतु प्रवचन दिये एवं दिनांक 3.10.06 को कारागृह में अपराध सुधार दिवस मनाया गया, जिसमें बंदियों को अपराध छोड़ने हेतु प्रेरित किया गया।
18.	अणुव्रत समिति उदयपुर	उदयपुर कारागृह में दिनांक 17.7.05 को जेल में साध्वी चांदकुमारी द्वारा प्रवचन।
19.	अणुव्रत योग सेवा समिति महावीर इन्टरनेशनल उदयपुर	उदयपुर कारागृह में दि. 8.8.05 को योग व प्रेक्षाध्यान की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करवाया।
20.	अणुव्रत समिति उदयपुर	उदयपुर कारागृह में दिनांक 27.8.05 को मुनि श्री प्रणाम सागरजी साध्वी देवेन्द्र के प्रवचन।
21.	अणुव्रत सेवा समिति उदयपुर	उदयपुर कारागृह में 1.10.05 को नशामुक्ति दिवस का आयोजन।
22.	योग साधना केन्द्र जयपुर	उदयपुर कारागृह में 21.11.05 को विपश्यना योग साधना शिविर में 25 बंदियों ने भाग लिया।
23.	अणुव्रत सेवा समिति उदयपुर	उदयपुर कारागृह में दिनांक 13.9.06 को नशामुक्ति दिवस पर प्रतीक सागर एवं क्रांति सागरजी के प्रवचन

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
24.	भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली	उदयपुर कारागृह में दिनांक 28.8.06 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपराध मुक्ति संदेश, नैतिक प्रवचन।
25.	अणुव्रत समिति राजसमंद	उदयपुर कारागृह में दिनांक 13.9.06 को नशामुक्ति एवं अपराध छोड़ने की प्रेरणा।
26.	श्री रामदेव महाराज	उदयपुर कारागृह में दि. 13.10.06 को योग साधना शिविर का आयोजन।
27.	आवास संस्था जयपुर	उदयपुर कारागृह में दि. 10.12.06 को अपराध छोडने व मानव अधिकार हेतु प्रेरणा।
28.	भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान विकास मार्ग, नई दिल्ली	कारागृह भरतपुर में भागवत गीता पर आधारित प्रवचन।
29.	डायमण्ड लायंस क्लब भरतपुर	कारागृह भरतपुर में प्रवचन एवं योग शिविर।
30.	विपश्यना विशोधन विन्यास नासिक महाराष्ट्र	कारागृह भरतपुर में योग साधना कार्यक्रम।
31.	प्रजापति बृहम्म कुमारी विश्व विद्यालय	कारागृह अलवर में प्रवचन।
32.	भारतीय चरित्र निर्वाण संस्थान	कारागृह अलवर में गीता पर प्रवचन।
33.	दिग्म्बर मुनि श्री सागरजी द्वारा	कारागृह अलवर में प्रवचन।
34.	श्री रामनिवास शर्मा, विपश्यना केन्द्र, जयपुर	कारागृह धौलपुर में विपश्यना शिविर का आयोजन।
35.	श्री गोपाल भाई, श्री संत आशाराम बापू आश्रम	कारागृह, धौलपुर में प्रवचन।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
36.	श्री शंकरसिंह, वकील धौलपुर	कारागृह, धौलपुर में श्री रामचरित मानस पर प्रवचन।
37.	श्री जैन मुनि यत्न सागरजी महाराज	कारागृह, धौलपुर में प्रवचन।
38.	नेमीचन्द अग्रवाल, नारायण सिंह व राकेश उदेदिया (प्रशिक्षण पंतजलि योगपीठ)	कारागृह, धौलपुर में योग शिविर।
39.	जय अम्बे सेवा समिति अजमेर, रोटरी क्लब अजमेर, इनर व्हील क्लाब, नगर परिषद, दिगम्बर जैन मुक्ति संघ सेवा समिति अजमेर	कारागृह अजमेर में इन संस्थाओं के द्वारा कारागृह में वृक्षारोपण, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का वितरण तथा नैतिक प्रवचन दिये गये एवं खेलकूद का सामान भी दिया गया।
40.	विपश्यना केन्द्र गलताजी जयपुर, योग प्रशिक्षक श्री सूरज करण जिन्दल, योग प्रशिक्षक, सुश्री ज्योति, आर्ट आफ लिविंग अजमेर, चैप्टर बाबा स्वामी ध्यान समिति	कारागृह अजमेर में इनके द्वारा कारागृह में विपश्यना ध्यान एवं योग के शिविर लगाकर पुरुष-महिला बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया। तथा कारागृह में निरन्तर योग व ध्यान के शिविर चलाने में सहयोग किया, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये।
41.	रोटरी बनास क्लाब टोंक	कारागृह टोंक में अपराध प्रवृत्ति छोड़ने हेतु प्रवचन एवं धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान हेतु पुस्तकें तथा खेलकूद जैसे बालीबॉल, कैरम, शतरंज उपलब्ध कराये गये।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
42.	विपश्यना केन्द्र, जयपुर	कारागृह, टोंक में विपश्यना शिविरों का आयोजन।
43.	एस.एन. आहूजा आश्रम, श्री गणेश प्रबन्ध एवं सेवा संस्थान, प्रजापति बृह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान	कारागृह भीलवाड़ा में बंदियों को अच्छे सामाजिक, जिम्मेदार जीवन के प्रति जागरूक बनाने हेतु आध्यात्मिक प्रवचन, उपदेश फल व पुस्तकों का विवरण।
44.	बृहमकुमारी संस्था बीकानेर	बीकानेर जेल में रक्षा बंधन समारोह पर प्रवचन एवं साहित्य वितरण।
45.	समा कला केन्द्र बीकानेर	बीकानेर जेल में ईद मिलन पर प्रवचन व मनोरंजन।
46.	ईसाई मिशनरी बीकानेर	बीकानेर जेल में किशमिस डे पर प्रवचन एवं साहित्य वितरण।
47.	हरिद्वार योगपीठ बीकानेर।	बीकानेर जेल में प्रवचन एवं योग
48.	आर्ट आफ लिविंग सेन्टर	बीकानेर जेल में प्रवचन एवं योग क्रिया।
49.	डा. जे. एस. हैयर	गंगानगर जेल में विपश्यना शिविर लगाया गया एवं बंदियों को स्वास्थ्य एवं शुद्धचित बनाये रखने की जानकारी दी तथा ध्यान योग लगाकर एवं प्रवचनों से अपराध प्रवृत्ति छोड़ने की प्रेरणा दी।
50.	इण्डियन स्प्रीटयूलेजिम कल्चर प्रोमेशन ओर्गेनाइजेशन	गंगानगर जेल में ध्यान योग का आयोजन किया गया।
51.	उत्सव परिक्रमा सेवा समिति	गंगानगर जेल में बंदियों को ध्यान योग में गीता, कर्म, भक्ति ज्ञान द्वारा बंदियों को अपराध प्रवृत्ति से दूर रखने आदि की प्रेरणा दी गई।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
52.	संत श्री आशारामजी सत्साहि केन्द्र रतनगढ़ (चूरू)	चूरू जेल में प्रवचन दिये गये तथा बंदियों को सदाचरण अपनाने की सीख दी गई।
53.	बृहमकुमारी (चूरू)	चूरू जेल में प्रवचन दिये जाकर बंदियों को अपराधवृत्ति त्याग ने के लिए प्रेरित किया गया।
54.	प्रजापति बृहमकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, रतनगढ़	रतनगढ़ जेल में प्रवचन दिये गये।
55.	विपश्यना साधना समिति, जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 27.4.05 को 10 दिवसीय विपश्यना शिविर का आयोजन किया गया।
56.	जैन मुनि श्री राकेश	जोधपुर कारागृह में दिनांक 18.05.05 को प्रवचन दिये गये।
57.	योगीराज श्री राजीव जी, साधना संस्थान बिलाडा	जोधपुर कारागृह में दिनांक 28.6.05 को योगासन प्रशिक्षण।
58.	मुनि श्री भूपेन्द्र सिंह, आर्य समाज जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 20.7.05 को प्रवचन
59.	स्वामी धवेशानन्द एवं स्वामी प्रदीप्तानन्द रामकृष्ण मिशन	जोधपुर कारागृह में दिनांक 1.8.05 को प्रवचन
60.	स्वामी शिव स्वरूपानन्द एवं कुबेरानन्द महाराज	जोधपुर कारागृह में दिनांक 16.8.05 को प्रवचन

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
61.	लायन्स क्लब व प्रजापति बृहमकुमारी	जोधपुर कारागृह में दिनांक 18.8.05 को रक्षा बन्धन एवं प्रवचन।
62.	विपश्यना साधना समिति, जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 29.11.05 को विपश्यना शिविर।
63.	आध्यात्मक विज्ञान केन्द्र, जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 12.12.05 को सिद्ध योग।
64.	पिता डेल्फिया चर्च, जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 25.12.05 को प्रवचन।
65.	संत श्री रामप्रसाद जी, गीता समिति जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 16.8.06 को प्रवचन।
66.	विपश्यना साधना समिति, जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 1.9.06 को विपश्यना शिविर।
67.	पिता डेल्फिया चर्च, जोधपुर	जोधपुर कारागृह में दिनांक 25.12.06 को प्रवचन।
68.	गायत्री परिवार	जैसलमेर कारागृह में श्री चैनाराम चौधरी व अन्य दो सदस्य द्वारा दिनांक 27.7.05 को यज्ञ।
69.	जैन मुनि श्री धर्मलेस महाराज	जैसलमेर कारागृह में दिनांक 21.11.05 को प्रवचन।
70.	श्री जुगलकिशोर भादरिया सैठ गौशाला वाले	जैसलमेर कारागृह में दिनांक 17.6.06 को प्रवचन।
71.	श्री योगीराज	जिला कारागृह, पाली में दिनांक 12.8.05 को कैदियों को योगासन बताया गया एवं सुधारने हेतु प्रेरणा दी गई।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
72.	गायत्री परिवार जयपुर	जयपुर कारागृह में गायत्री परिवार की कार्यकर्ता श्रीमति शशी संजज प्रत्येक रविवार को कारागृह में स्थित गायत्री मंदिर में आकर हवन एवं प्रवचन कर बंदियों को आध्यात्मिकता की ओर एवं सदविचारों की ओर अग्रेषित करती है। वर्ष 2005-06 में इनका यह कार्यक्रम नियमित रहा है।
73.	विपश्यना साधना एव शौध केन्द्र, गलता जयपुर	जयपुर कारागृह में संस्था की ओर से नियुक्त निर्देशकों के निर्देशन में वर्ष 2005 में दिनांक 6.7.05 से 17.7.05 तक 10 दिवसीय शिविर में 10 बंदियों में एवं 2006 में दिनांक 28.4.06 से 9.5.06 तक 26 बंदियों ने विपश्यना साधना की।
74.	रोटरी क्लब, जयपुर	जयपुर कारागृह में रोटरी क्लब के श्री सूरज करण जी जिन्दल के निर्देशन में 2005 एवं 2006 में बंदियों के लिये योगाभ्यास कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 50, 50 बंदी योगाभ्यास सीख चुके हैं। एवं लाभान्वित हो रहे हैं। जयपुर जेल में योगा केन्द्र नियमित रूप से कार्यरत है।
75.	ऋषि संस्कृति केन्द्र बैंगलोर	जयपुर कारागृह में ऋषि संस्कृति केन्द्र की स्थानीय काय्रक्रमों श्रीमति पुष्पा वर्मा द्वारा वर्ष 2005 व 06 में प्रत्येक बुधवार को कारागृह में आकर सिद्ध समाधि योग के अन्तर्गत प्राणायाम की क्रियायें सिखाती है। प्रतिवर्ष 40-40 बंदी लाभान्वित हुये हैं।
76.	आचार्य महाप्रज्ञजी के प्रवचन	जयपुर कारागृह में दिनांक 27.5.05 को जैन आचार्य श्री महाप्रज्ञजी के प्रवचन हुये जिसमें आचार्यजी ने बंदियों को सुधारात्मक कार्यक्रमों का लाभ लेकर सुनागरिक बनने की प्रेरणा दी।

क्र. सं.	संस्था/समाज सेवी का नाम	सेवा का विवरण
77.	जैन तेरापंथ महिला मण्डल जयपुर शहर जयपुर	जयपुर कारागृह में संस्था के तत्वाधान में दिनांक 9.10.11 अगस्त 2005 को आचार्य महाप्रज्ञ जी की शिक्षा समणी विबुल प्रभाजी, चंदन प्रभाजी एवं मंगल प्रभाजी के प्रवचन हुये समणीजी ने कहा कि गलती हो मानव स्वभाव है। गलती की, को स्वीकार करने से पाप दूर हो जाता है। उन्होंने आवेगों पर नियंत्रण रखकर पुन: अपराध में लिप्त नहीं होने की प्रेरणा दी।
78.	बृहमाकुमारी ईश्वरीय साधना केन्द्र किशनपोल जयपुर	जयपुर कारागृह में बृहमा कुमारियों ने दिनांक 20.8.06 को कारागृह में बंदियों के राखी बांधी एवं इसके बदले अपराध प्रवृत्ति एवं दुर्व्यसन छोडने के लिए बंदियों को प्रेरित किया।
79.	चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली	जयपुर कारागृह में संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री रामकृष्णजी के द्वारा चलाये जा रहे वैचारिक क्रांति अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006 में तीन बार दिनांक 4.9.06, 21.12.06 एवं 13.12.06 को कारागृह में बंदियों के लिये कार्यक्रम आयोजित कर यह समझाया कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन एवं मनन से किस प्रकार सद्चरित्र का निर्माण होता है एवं बताया कि गीताजी के उपदेशों अनुसार जो सर्वस्य भगवान को अर्पण कर देता है भगवान उसका स्वत: ही कल्याण करात है।
80.	माता अमृत नंदमयी सेवा समिति जयपुर	जयपुर कारागृह में माता अमृतनन्दमयी की शिष्याजी के प्रवचन का कार्यक्रम संस्था के सौजन्य से दिनांक 11.3.06 को हुआ जिसमें शिष्याजी ने बंदियों से अपराध प्रवृत्ति छोड़कर अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी।
81.	स्टेट रिपोर्टस सेन्टर	जयपुर महिलाबंदी सुधारागृह में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करवाये गये।
82.	पिनल रिफोर्म एण्ड जस्टिस एसोशियेशन (प्रजा)	जयपुर महिला बंदी सुधारगृह में बंदियों की काउंसिलिंग करके उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये कार्य किया।

अजमेर-दिल्ली सुपर एक्सप्रेस हाइवे पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अण्डर-पास

571. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में अजमेर-दिल्ली सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों की सूची दुर्घटना स्थल के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन सड़क दुःखान्तिकाओं में कमी लाने के उद्देश्य से इस सुपर एक्सप्रेस हाइवे पर नये अण्डर-पास बनाये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भिजवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन स्थलों के लिए कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अजमेर-दिल्ली हाइवे पर दुर्घटनाओं में मारे गये एवं घायल हुए व्यक्तियों की सूची मय घटनास्थल के संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर बाईपास जोन सी (करणी पैलेस के पास) पर अण्डरपास के निर्माण का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू जिले के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

572. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू के पुलिस थानों में वर्ष 2004 से अब तक विभिन्न अपराधों के कौन-कौन से मुकदमें कब-कब दर्ज किये गये? उक्त में से कितने मामलों में किन कारणों से एफ.आर. लगाई गई तथा कितने मामलों में चालान प्रस्तुत किया गया? वर्षवार व थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने चोरी व नकबजनी के मुकदमों के अन्तर्गत चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया? वर्षवार व थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्म मामलों में से कितनों में पुलिस की उदासीनता के संबंध में जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू के पुलिस थानों में वर्ष 2004 से फरवरी, 2007 तक कुल 8922 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इनमें से 2278 मुकदमें में एफ.आर. अदम वकू, 616 मुकदमों में एफ.आर. अदम पता माल मुलजिमान व 1 मुकदमें में एफ.आर. अदम सबूत में दी गई तथा 5489 मुकदमों में चालान प्रस्तुत किया गया है। वर्षवार व थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त में से चोरी व नकबजनी के 132 मुकदमों में चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। वर्षवार व थानेवार विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) उक्त में से 10 मामलों में पुलिस की उदासीनता के संबंध में जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष	दर्ज अभियोग	एफ. आर. अदम वकू	एफ.आर. अदम पता	एफ.आर. सबूत	जैर तफ्तीश	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोतवाली	2004	309	101	27	-	-	181
		2005	287	66	32	-	-	189
		2006	268	87	13	-	7	161
		2007	51	8	2	-	16	25
2	रतन नगर	2004	88	28	2	-	-	58
		2005	77	25	4	-	-	48
		2006	88	17	3	-	-	68
		2007	21	3	-	-	4	14
3	दुधवा खारा	2004	100	20	3	-	-	77
		2005	93	16	7	-	-	70
		2006	79	9	4	-	-	66
		2007	24	3	-	-	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	भालेरी	2004	105	27	5	-	-	73
		2005	82	20	6	-	-	56
		2006	87	15	4	-	-	68
		2007	11	2	-	-	2	7
5	सरदार शहर	2004	397	108	37	-	3	249
		2005	345	89	39	-	1	216
		2006	345	102	20	-	8	215
		2007	45	3	1	-	17	24
6	भानीपुरा	2004	80	12	15	-	-	53
		2005	64	14	3	-	1	46
		2006	93	35	7	-	-	51
		2007	20	5	2	-	2	11
7	राजगढ़	2004	394	102	27	-	2	263
		2005	354	86	26	-	1	241
		2006	355	83	22	-	9	241
		2007	65	5	7	-	15	38
8	हमीरवास	2004	227	78	12	-	-	137
		2005	205	41	9	-	-	155
		2006	245	44	16	-	5	180
		2007	45	3	1	-	11	30
9	सिद्व मुख	2004	120	29	4	-	-	87
		2005	100	20	2	-	-	78
		2006	119	21	7	-	2	89
		2007	8	-	-	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	तारा नगर	2004	250	92	20	-	-	138
		2005	229	52	17	-	-	160
		2006	225	54	11	1	5	154
		2007	47	11	1	-	10	25
11	रतनगढ़	2004	276	70	26	-	-	180
		2005	242	65	25	-	-	152
		2006	235	65	22	-	2	146
		2007	39	6	3	-	9	21
12	राजलदेसर	2004	97	26	6	-	-	65
		2005	103	25	10	-	-	68
		2006	77	19	1	-	1	56
		2007	13	3	-	-	2	8
13	सुजानगढ़	2004	280	99	28	-	-	153
		2005	182	34	16	-	1	131
		2006	167	44	12	-	5	106
		2007	31	2	3	-	14	12
14	सालासर	2004	99	21	6	-	-	72
		2005	82	17	8	-	-	57
		2006	117	28	6	-	1	82
		2007	16	2	-	-	2	12
15	छापर	2004	154	58	8	-	-	88
		2005	123	34	4	-	1	84
		2006	125	45	2	-	1	77
		2007	13	5	-	-	2	6
16	साण्डवा	2004	99	30	2	-	-	67
		2005	94	25	5	-	-	64
		2006	98	16	5	-	3	74
		2007	13	3	-	-	3	7
	योग	**2004**	**3075**	**901**	**228**	**0**	**5**	**1941**
		2005	**2662**	**629**	**213**	**0**	**5**	**1815**
		2006	**2723**	**684**	**155**	**1**	**49**	**1834**
		2007	**462**	**64**	**20**	**0**	**119**	**259**
	कुल योग		**8922**	**2278**	**616**	**1**	**178**	**5849**

परिशिष्ट ''ब''

बिन्दु सं. 2 :- चोरी व नकबजनी के मुकदमों में गिरफ्तार मुलजिम व बरामद माल के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष	दर्ज अभियोग	चालान	माल बरामद	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	कोतवाती, चूरू	2004	21	2	103030	3
		2005	19	5	1217000	6
		2006	14	6	69684	13
		2007	2	-	-	-
2	रतन नगर	2004	3	1	209000	1
		2005	6	3	414000	7
		2006	3	1	300	3
		2007	3	-	-	-
3	दूधवा खारा	2004	8	5	20600	12
		2005	2	2	5950	4
		2006	6	1	-	2
		2007	2	-	54000	-
4	भालेरी	2004	12	5	26700	14
		2005	7	2	37300	3
		2006	6	3	40000	6
		2007	1	-	-	-
5	सरदार शहर	2004	33	12	149805	41
		2005	19	2	92000	2
		2006	24	9	211500	15
		2007	2	1	41000	1
6	भानीपुरा	2004	17	5	324000	14
		2005	6	2	72876	12
		2006	5	-	8000	-
		2007	-	-	-	-
7	राजगढ़	2004	28	13	2614500	29
		2005	9	2	51000	2
		2006	19	2	1285692	2
		2007	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
8	हमीरवास	2004	6	2	412750	2
		2005	6	-	-	-
		2006	16	5	737000	12
		2007	2	1	12000	1
9	सिद्व मुख	2004	9	3	370000	6
		2005	4	1	24000	2
		2006	3	-	25000	-
		2007	-	-	-	-
10	तारा नगर	2004	25	6	140800	12
		2005	18	4	35000	8
		2006	17	9	126000	24
		2007	8	-	16500	-
11	रतनगढ़	2004	21	5	169700	10
		2005	15	5	477000	11
		2006	10	2	188500	8
		2007	1	-	-	-
12	राजलदेसर	2004	6	4	28000	20
		2005	7	2	1500	4
		2006	2	2	405000	10
		2007	2	1	25000	1
13	सुजानगढ़	2004	5	1	1500000	3
		2005	7	-	-	-
		2006	10	1	24200	2
		2007	2	-	-	-
14	सालासर	2004	3	1	300	1
		2005	8	5	1363000	5
		2006	8	7	43500	13
		2007	1	1	2800	1
15	छापर	2004	5	1	32000	2
		2005	5	2	15600	2
		2006	1	-	-	-
		2007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
16	साण्डवा	2004	2	-	-	-
		2005	6	-	-	-
		2006	6	2	15000	5
		2007	-	-	-	-
	योग	**2004**	**204**	**66**	**6101185**	**170**
		2005	**144**	**37**	**3806226**	**68**
		2006	**150**	**50**	**3179376**	**115**
		2007	**29**	**4**	**151300**	**4**
नकबजनी						
क्र.सं.	**नाम थाना**	**वर्ष**	**दर्ज अभियोग**	**चालान**	**मल बरामद**	**गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	कोतवाती, चूरू	2004	9	2	75000	3
		2005	8	3	243300	3
		2006	4	-	-	-
		2007	3	-	-	-
2	रतन नगर	2004	1	-	-	-
		2005	1	1	200	1
		2006	-	-	-	-
		2007	1	-	-	-
3	दूधवा खारा	2004	3	2	46500	2
		2005	2	-	6000	-
		2006	1	1	4000	1
		2007	-	-	-	-
4	भालेरी	2004	3	3	275	4
		2005	2	-	2000	-
		2006	2	1	25000	1
		2007	-	-	-	-
5	सरदार शहर	2004	15	2	-	2
		2005	22	4	360300	11
		2006	10	6	23125	11
		2007	7	1	10000	5
6	भानीपुरा	2004	5	2	8000	10

1	2	3	4	5	6	7
		2005	2	1	13000	1
		2006	4	1	2500	2
		2007	2	1	-	1
7	राजगढ़	2004	17	5	26000	10
		2005	11	2	13000	4
		2006	5	-	7000	-
		2007	3	-	5000	-
8	हमीरवास	2004	4	-	-	-
		2005	1	1	156000	5
		2006	5	2	55000	6
		2007	1	-	-	-
9	सिद्व मुख	2004	3	2	500	2
		2005	1	-	-	-
		2006	2	-	-	-
		2007	-	-	-	-
10	तारा नगर	2004	9	2	22500	4
		2005	2	-	-	-
		2006	5	3	28500	3
		2007	2	-	-	-
11	रतनगढ़	2004	15	5	11050	9
		2005	11	1	145000	2
		2006	12	4	118000	5
		2007	4	1	10000	1
12	राजलदेसर	2004	1	-	2000	-
		2005	3	-	-	-
		2006	5	3	100000	6
		2007	-	-	-	-
13	सुजानगढ़	2004	29	6	20000	9
		2005	7	2	33000	4
		2006	2	2	450000	7
		2007	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
14	सालासर	2004	2	-	-	-
		2005	2	1	10000	1
		2006	4	1	3000	2
		2007	-	-	-	-
15	छापर	2004	2	-	25000	-
		2005	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-
		2007	-	-	-	-
16	साण्डवा	2004	-	-	-	-
		2005	3	1	2000	1
		2006	1	-	-	-
		2007	-	-	-	-
	योग	**2004**	**118**	**31**	**236925**	**55**
		2005	**78**	**17**	**983800**	**33**
		2006	**62**	**24**	**816125**	**44**
		2007	**24**	**3**	**25000**	**7**

जालौर जिले में वाहन चोरियों की रोक हेतु कार्य-योजना

573. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर के विभिन्न थानों में विगत 05 वर्षों में कितने मोटर वाहन व मोटर साइकिल चोरियों के मुकदमें दर्ज किये गये? वर्षवार व थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में चोरी के मामले में कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये व कितनी चोरियों में बरामदगी नहीं हो सकी? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती हुई चोरियों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जिला जालौर के विभिन्न थानों में विगत 5 वर्षों में मोटर वाहन के 34 व मोटर साइकिल चोरी के 97 मुकदमें दर्ज किये गये। मोटर वाहन

चोरी के अपराधों में वर्ष 2002 के बाद बढ़ोत्तरी हुई परन्तु वर्ष 2003 के बाद 2004 व 2006 में कमी हुई है। मोटर साइकिल चोरी के अपराधों में वर्ष 2002 के बाद वर्ष 2004 में बढोत्तरी हुई बाकी 2003, 2005 व 2006 में कमी हुई है। वर्षवार, थानेवार सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जिले में चोरी के मामलों में कुल 471 मुलजिम गिरफ्तार किये गये। चोरियों के 324 प्रकरणों में बरामदगी नहीं हो सकी, चोरी के अपराधों में वर्ष 2002 के बाद 2003 से 2006 तक लगातार कमी आई है व चोरी बरामदगी में 2002 के बाद लगातार बढोत्तरी हुई है। थानेवार, वर्षवार सूची परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(3) चोरियों की रोकथाम हेतु प्रभावी गश्त, नाकाबन्दी, अपराधियों को नियमित निगरानी चैकिंग व उनके खिलाफ समय-समय पर इन्सदादी कार्यवाही की जा रही है और इस तरह की वारदात करने वाले गिरोह/अपराधियों का आपराधिक रिकार्ड राज्य व बाहर के राज्यों की कार्यप्रणाली शाखा में संधारित किया जाता है जहां से ऐसे गिरोह/अपराधियों की सूची राज्य एवं बाहर के राज्य से प्राप्त कर संबंधित गिरोह/अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	थाना	वर्ष	मोटर वाहन की चोरी				मोटर साईकिल चोरी			
			चोरी के दर्ज अपराध	बरामद वाहन	गिर फ्तार मुल.	बरामद नहीं हुए वाहन	चोरी के दर्ज अपराध	बरामद वाहन	गिर फ्तार मुल.	बरामद नहीं हुए वाहन
1	जालौर	2002	-	-	-	-	3	1	-	2
		2003	1	1	1	-	5	1	-	4
		2004	1	1	1	-	14	11	18	3
		2005	5	5	7	-	3	2	2	1
		2006	1	1	3	-	5	2	1	3
2	आहोर	2002	-	-	-	-	3	2	2	1
		2003	-	-	-	-	1	1	-	-
		2004	1	1	2	-	2	2	1	-
		2005	1	1	1	-	1	-	-	1
		2006	1	-	-	1	3	2	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	बागरा	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003	-	-	-	-	-	1	6	-
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सायला	2002	1	1	1	-	-	-	-	-
		2003	2	1	1	1	1	-	-	1
		2004	-	-	-	-	1	-	-	-
		2005	1	1	1	-	1	1	1	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नोसरा	2002	-	-	-	-	2	1	1	1
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
6	भीनमाल	2002	-	-	-	-	6	3	3	3
		2003	1	1	-	-	4	1	3	3
		2004	-	-	-	-	2	-	-	2
		2005	-	-	-	-	5	2	3	3
		2006	2	2	1	-	5	2	2	3
7	मोदरा	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
8	बागोडा	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
9	जस वन्तपुरा	2002	-	-	-	-	1	-	-	1
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	करडा	2002	1	1	3	-	1	-	-	1
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
11	रानी वाडा	2002	-	-	-	-	1	1	1	-
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	2	1	-	1
		2005	1	1	6	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	1	1	1	-
12	सांचोर	2002	-	-	-	-	4	4	5	-
		2003	5	3	4	2	3	2	1	1
		2004	2	2	2	-	4	2	2	2
		2005	2	1	2	1	4	4	4	-
		2006	1	1	1	-	5	4	2	1
13	झाब	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003	-	-	-	-	1	1	1	-
		2004	1	1	2	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	2	1	1	1
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
14	चितल वाना	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	-	-	-	-	1	1	1	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
15	सरवाना	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003	2	1	-	1	-	-	-	-
		2004	1	-	-	1	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग वर्षवार	**2002**	**2**	**2**	**4**	**-**	**21**	**12**	**12**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2003	11	7	6	4	16	7	11	9
		2004	6	5	7	1	25	17	22	8
		2005	10	9	17	1	16	10	11	6
		2006	5	4	5	1	19	11	10	8
	कुल योग		34	27	39	7	97	57	66	40

नोट : 1- वर्ष 2003 में एक-एक प्रकरण पुलिस थाना भीनमाल व सरवाना में मोटर वाहन चोरी का अदम पता मुल्जिम में रहे हैं व मोटर वाहन बरामद किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट ''ब''

क्र. सं.	थाना	वर्ष	कुल चोरी				
			चोरी के दर्ज अपराध	एफआर ए.वी.	बरामदगी	गिरफ्तार मुल.	बरामदगी शेष
1	जालौर	2002	24	8	6	6	10
		2003	26	1	9	10	16
		2004	26	2	16	24	8
		2005	25	2	8	15	15
		2006	25	1	10	14	14
2	आहोर	2002	23	6	7	8	10
		2003	12	2	2	2	8
		2004	10	2	6	11	2
		2005	28	5	11	20	12
		2006	25	2	10	20	13
3	बागरा	2002	5	1	2	2	2
		2003	6	1	4	8	1
		2004	3	-	3	3	-
		2005	7	3	3	9	1
		2006	8	3	4	8	1
4	सायला	2002	10	-	5	8	5
		2003	16	5	6	6	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2004	2	2	-	-	-
		2005	7	-	4	4	3
		2006	6	2	4	8	-
5	नोसरा	2002	10	1	4	4	5
		2003	7	2	1	5	4
		2004	10	3	3	7	4
		2005	8	2	3	9	3
		2006	5	2	2	2	1
6	भीनमाल	2002	11	-	4	10	7
		2003	11	2	4	11	5
		2004	16	-	5	7	11
		2005	17	3	7	12	7
		2006	21	2	10	16	9
7	मोदरा	2002	10	-	2	3	8
		2003	4	2	-	-	2
		2004	3	-	1	1	2
		2005	3	-	1	3	2
		2006	14	3	7	16	4
8	बागोडा	2002	5	1	3	3	1
		2003	-	-	-	-	-
		2004	2	1	1	1	-
		2005	5	3	2	9	-
		2006	5	1	2	2	2
9	जसवन्त पुरा	2002	3	-	2	3	1
		2003	7	1	4	6	2
		2004	3	1	1	3	1
		2005	2	1	-	-	1
		2006	2	-	-	-	2
10	करडा	2002	6	1	2	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2003	2	-	1	1	1
		2004	5	1	1	1	3
		2005	1	1	-	-	-
		2006	4	1	1	2	2
11	रानीवाडा	2002	16	7	4	7	5
		2003	12	2	3	6	7
		2004	7	2	-	-	5
		2005	5	-	3	9	2
		2006	14	3	6	6	5
12	सांचोर	2002	33	5	6	7	22
		2003	29	9	11	12	9
		2004	17	1	6	11	10
		2005	16	1	9	13	6
		2006	17	3	7	7	7
13	झाब	2002	11	1	7	13	3
		2003	9	1	4	6	4
		2004	9	-	3	6	6
		2005	6	-	3	3	3
		2006	4	-	1	1	3
14	चितल वाना	2002	7	1	8	6	3
		2003	2	-	1	1	1
		2004	4	1	3	4	-
		2005	4	-	3	8	1
		2006	3	2	1	2	-
15	सरवाना	2002	3	1	1	1	1
		2003	4	3	-	-	1
		2004	6	4	2	6	-
		2005	5	2	2	2	1
		2006	3	1	2	6	-
	योग वर्षवार	**2002**	**177**	**33**	**58**	**86**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2003	147	31	50	74	66
		2004	128	20	31	85	52
		2005	139	23	55	116	57
		2006	156	26	67	110	63
	कुल योग		742	133	285	471	324

भीलवाड़ा जिले में हत्या/प्राणघातक हमलों के दर्ज प्रकरण

574. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भीलवाड़ा जिले में हत्याओं तथा प्राणघातक हमलों के अन्तर्गत कितने प्रकरण गत एक वर्ष में दर्ज हुए और कितनों के चालान अदालत में प्रस्तुत कर दिये गये तथा कितने लम्बित हैं व कितनों में एफ.आर. लगाई गई तथा एफ.आर. लगाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में हत्याओं के 36 प्रकरण व प्राणघातक हमलों के 61 प्रकरण, कुल 97 प्रकरण गत वर्ष में दर्ज हुये। जिनमें से हत्या के 22 व प्राणघातक हमले के 58 कुल 80 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। हत्या के 8 मामलों में अपराध अघटित होने से अंतिम प्रतिवेदन लगाया गया है। प्राणघातक मामलों में एक मामले में मुल्जिम का पता नहीं चलने से अंतिम प्रतिवेदन लगाया गया है। जबकि हत्या के 6 व प्राणघातक हमलों से संबंधित 2 प्रकरण पुलिस के पास अनुसंधानाधीन है। इन 8 प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण होने पर ही साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

नीमकाथाना उप खण्ड मुख्यालय (सीकर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

575. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय किस-किस स्थान पर कब से स्थापित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नीमकाथाना उपखण्ड मुख्यालय पर उप

(श्री केसर देव बाबर)

पुलिस अधीक्षक स्तर का पुलिस कार्यालय स्थापित है? यदि हां, तो क्या सरकार नीमकाथाना मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला मुख्यालय सीकर पर दिनांक 13.6.1986 से स्थापित है।

(2) जी हां। नीमकाथाना उपखण्ड मुख्यालय पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय स्थापित है। अभी नीमकाथाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं बनती है। अतः वर्तमान में वहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है।

निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर उप-कारागृह की स्थापना

576. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये कारागार खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर उप-कारागृह स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नये कारागार खोलने के मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) जी नहीं। सुविधा उपलब्ध होने की वजह से निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर नया कारागृह खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अजमेर जिले में वृक्षारोपण

577. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में अजमेर जिले में कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया?

(2) लक्ष्य के विरुद्ध कितने वृक्ष लगाये गये, उनमें से जीवित वृक्षों की संख्या कितनी है?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(3) क्या लक्ष्य के अनुसार वृक्ष जीवित हैं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लक्ष्य का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।

(2) लक्ष्य के विरुद्ध रोपित पौधों की संख्या तथा उनका जीवितता प्रतिशत संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।

(3) जी हां।

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य	रोपित पौधों की संख्या	जीवितता प्रतिशत
1	2003-04	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	-	-
2	2004-05	4,01,250	3,99,150	80 प्रतिशत
3	2005-06	4,80,000	4,80,000	80 प्रतिशत
4	2006-07	8,80,000	8,80,000	85 से 90 प्रतिशत

बाली की क्षतिग्रस्त सड़कें

578. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की कौन-कौनसी कृषि सड़क वर्ष 2006 की बाढ अतिवृष्टि में कहां-कहां से कितनी क्षतिग्रस्त हुई? सड़कवार मय मरम्मत/पुन: निर्माण की अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाढ़ तथा अतिवृष्टि में नष्ट हुई, तथा टूटी सड़कों का पुन: निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की 33 सड़कें जो वर्ष 2006 की बाढ़ अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हुई हैं, का सड़कवार मय मरम्मत/पुन: निर्माण के एस्टीमेट लागत सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या 9 पर अंकित सड़क विरमपुरा से चामुण्डेरी पर विशेष मरम्मत हेतु 19.82 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत राज्य के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से राशि स्वीकृत होने तथा मण्डी समिति के पास सडक हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर आगामी वित्तीय वर्षों में कार्यों की प्राथमिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इनकी मरम्मत पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट–अ

बाली में वर्ष 2006 की बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/पुनः निर्माण के लागत एस्टीमेट का विवरण

क्र. सं.	मण्डी क्षेत्र	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत/ पुनः निर्माण लागत राशि लाखों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सुमेरपुर	स.स. पेरवा से बेडल	4.50	4.50	31.00	पूर्ण डामरीकण व निर्मित सी.डी. कार्य में से 60 मी. लम्बाई का सी.सी. पेवमेन्ट बह गया व दिवारे क्षतिग्रस्त हो गई
2	सुमेरपुर	स.स. बलवना से बोया	13.60	0.500	13.00	निर्मित सड़क में से ग्रामीण क्षेत्र में 500 मी. सी.सी. कार्य द्वारा दुरुस्तिकरण एवं 50 मी. सी.डी. क्षतिग्रस्त
3	सुमेरपुर	स.स. कोयलबाव से कुरन	2.75	2.75	13.75	कारपेट क्षतिग्रस्त 40 %
4	सुमेरपुर	स.स. काकराडी से अरडवा	1.00	1.00	5.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 20 %
5	सुमेरपुर	स.स. बेड से कुमटीया	4.50	2.50	27.50	कारपेट क्षतिग्रस्त 90 %

1	2	3	4	5	6	7
6	सुमेरपुर	स.स. सेणा (3/0 से 5/300)	2.300	2.300	11.50	कारपेट क्षतिग्रस्त 50%
7	सुमेरपुर	स.स. शिवतलाव	3.00	3.00	43.80	कारपेट क्षतिग्रस्त 80%
8	सुमेरपुर	स.स. मोरी बेडा से काम्बेश्वर महादेव	1.30	1.30	6.50	कारपेट क्षतिग्रस्त 45%
9	सुमेरपुर	स.स. विरमपुरा से चामुण्डेरी	0.75	0.75	8.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 45% सी.सी. कार्य
10	सुमेरपुर	स.स. भन्दर	1.50	1.50	16.00	ग्रामीण हिस्से में सी.सी कार्य 90% कारपेट क्षतिग्रस्त
11	सुमेरपुर	स.स. मालनू से लून्दाडा	2.50	2.50	12.50	कारपेट क्षतिग्रस्त 70%
12	सुमेरपुर	स.स. फालना से बेडल	4.00	4.00	20.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 20%
13	सुमेरपुर	स.स. फालना से बेडल (4/0 से 5/0)	1.00	1.00	14.50	ग्रामीण हिस्से में सी.सी. कार्य
14	सुमेरपुर	स.स. कोट बालियान से टीपरी	4.00	0.00	2.50	सी.डी. कार्य क्षतिग्रस्त
15	सुमेरपुर	स.स. बेड़ा से जूना बेड़ा	4.08	2.30	17.00	सड़क व सी.डी. कार्य क्षतिग्रस्त 60%
16	सुमेरपुर	स.स. बाली से दातीवाडा	2.24	1.00	16.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 70% व सी.डी कार्य

1	2	3	4	5	6	7
17	सुमेरपुर	स.स. केरापुरा	3.40	3.00	15.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 30%
18	सुमेरपुर	स.स. गुडा कल्याणसिंह (सादडी पिण्डवाड रोड से)	1.30	1.30	7.50	कारपेट क्षतिग्रस्त 60% सी.सी. कार्य
19	सुमेरपुर	स.स. उपला भीमाणा	4.75	4.75	30.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 75% व सी.डी. कार्य
20	सुमेरपुर	स.स. सांभर वाडा	5.00	5.00	30.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 60% व सी.डी. कार्य
21	सुमेरपुर	स.स. दानवरली भीमाणा रोड से वेडी	4.40	4.40	24.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 75% व सी.डी. कार्य
22	सुमेरपुर	स.स. सेवाडी से पिपला	5.50	5.50	35.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 60% व सी.डी. कार्य
23	सुमेरपुर	स.स. बामनिया	2.00	2.00	10.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 60%
24	सुमेरपुर	स.स. फतापुरा	1.70	1.70	8.50	कारपेट क्षतिग्रस्त 70%
25	सुमेरपुर	स.स. मताजी का बाड़ा	2.80	2.80	14.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 55%
26	सुमेरपुर	स.स. बारवा से करनवा	1.09	0.50	13.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 90% व ग्रामीण हिस्से में सी.सी. कार्य
27	सुमेरपुर	स.स. धाणदा	2.75	2.75	13.50	कारपेट व ग्रामीण हिस्से में सी.सी. कार्य
28	सुमेरपुर	स.स. जवाई बांध रेल्वे स्टेशन से बिसलपुर	2.00	2.00	15.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 50% व ग्रामीण हिस्से में सी.सी. कार्य

1	2	3	4	5	6	7
29	सुमेरपुर	स.स. बाली से कागडी वाया चामुन्डेरी	5.00	1.00	7.0	1 कि.मी. में कारपेट क्षतिग्रस्त एवं पेंच कार्य
30	सुमेरपुर	स.स. बाली से लालराई	4.00	4.00	14.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 50%
31	सुमेरपुर	स.स. हिरोला	2.60	1.00	6.00	1 कि.मी. में कारपेट क्षतिग्रस्त एवं पेंच कार्य
32	सुमेरपुर	स.स. चामुन्डेरी से लुन्दाडा	6.00	1.00	6.00	कारपेट क्षतिग्रस्त 90%
33	सुमेरपुर	स.स. खिमेल से वेनपुरा	3.50	0.30	8.00	300 मी. लम्बाई में ग्रामीण क्षेत्र में कारपेट क्षतिग्रस्त के स्थान पर सी.सी. कार्य
		योग	**114.81**	**78.90**	**521.05**	

नोट :- क्रम संख्या 9 पर वर्णित सम्पर्क सड़क विरमपुरा से चामुण्डेरी की मरम्मत हेतु पूर्व में राशि 8.00 लाख प्रस्तावित की थी, परन्तु पूर्ण लम्बाई में सीमेंन्ट कंक्रीट सड़क प्रस्तावित करने के कारण संशोधित राशि 19.32 लाख प्रस्तावित की गई है।

सलूम्बर-मोरिला सड़क की मरम्मत

579. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले में कितनी सड़कें कृषि मण्डी द्वारा गत 5 वर्षों में बनाई गई तथा इन पर कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर से मोरिला तक सड़क का निर्माण कृषि उपज मण्डी द्वारा किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर एवं फतेहनगर मण्डी क्षेत्र में आर.आई.डी.एफ. एवं मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में 54 सड़कें 212.05 कि.मी. लम्बाई में लागत रुपये 1584.96 लाख का व्यय कर निर्मित कराई गई हैं। गत 5 वर्षों में (वर्ष 2001-2002 से 2006-07 तक) निर्मित की गई सड़कों का विधान सभा वार विवरण प्रपत्र ''अ'' में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। अधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सहायता राशि के लिए जिला कलक्टर उदयपुर से आपदा प्रबन्ध कोष से राशि उपलब्ध होने अथवा मण्डी समिति के पास सड़क हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में कार्यों की प्राथमिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस सड़क की मरम्मत पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अमानक कीटनाशी उत्पाद/विक्रय के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

580. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत पाउडर के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किस कारण से?

(2) उक्त प्रतिबंध लगाने हेतु कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं 1971

(श्री बनवारी लाल)

की किस धारा के तहत उक्त कार्यवाही की गई है? नियमों की प्रति सहित प्रतिबन्ध का कारण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 5 वर्षों में कीटनाशी उत्पादन/विक्रय के लिये किस-किस संस्था/फर्म/बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये एवं किस-किस संस्था ने अपने उत्पाद बन्द कर अनुज्ञा पत्र सरकार को समर्पित किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में किसी कीटनाशी निर्माण इकाई का नमूना अमानक पाया गया है? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं नियम 1971 के अन्तर्गत आने वाले किस प्रावधान के तहत कार्यवाही की गई एवं उसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार ने मिथाइल पैराथियोन 2 प्रतिशत पाउडर के उत्पादन को प्रतिबंधित नहीं किया है।

(2) लागू नहीं।

(3) राज्य स्तर से जारी किये गये कीटनाशी अनुज्ञापत्र की सूची वर्षवार परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है। किसी भी संस्था द्वारा अपने उत्पाद बंद कर निर्माण अनुज्ञापत्र समर्पित नहीं किया है।

(4) जी हां। उक्त अवधि में विभिन्न कीटनाशी निर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादित रसायन अमानक प्राप्त हुए हैं। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 29(1) के तहत कार्यवाही की गई/की जा रही है। वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक कुल 490 नमूने अमानक पाये गये। इन प्रकरणों में वाद दायर करने की 315 स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। प्रकरणों में वाद विभिन्न मा. न्यायालयों में विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

दोषी राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

581. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार के द्वारा केरोसिन डीलरों की नियुक्ति करने के क्या

(श्री निर्भय लाल)

मानदण्ड हैं? क्या सरकार द्वारा डीलरों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 16.12 प्रतिशत के अनुसार आरक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में कुल कितने डीलर कार्यरत हैं तथा कितने डीलरों पर एक ग्राम पंचायत से अधिक का चार्ज है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डीलरों में से सरकार द्वारा जनवरी, 2004 से अब तक कितने डीलरों को डीलरशिप से हटाया गया, कितने डीलरों को निलम्बित किया गया, कितने निलम्बित डीलरों को बहाल किया गया तथा कितने डीलरों के द्वारा कोर्ट में अपील की गई है? डीलर का नाम तथा ग्राम पंचायत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केरोसीन डीलर नियुक्ति करने हेतु सरकार ने पृथक से मानदण्ड निर्धारित नहीं किए है। उचित मूल्य दुकानदार ही केरोसीन का भी वितरण करते हैं।

(2) राज्य में कुल 21,731 उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत हैं। परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार 667 उचित मूल्य दुकानदारों के पास एक से अधिक उचित मूल्य दुकान का चार्ज है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जनवरी 2004 से नियमानुसार कार्यवाही कर सक्षम अधिकारियों ने 676 उचित मूल्य दुकानदारों को हटाया है, 1936 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किए गए हैं और 319 उचित मूल्य दुकानदारों ने न्यायालयों में अपील की है। विवरण प्रपत्र ''स'' पर संलग्न है।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दलपुरा ग्राम (करौली) के गोदाम भवन की मरम्मत

582. श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील नादोती जिला करौली के ग्राम दलपुरा में राशन के लिये गोदाम की व्यवस्था की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि राशन डीलर करीब 10 वर्ष से राशन की

(श्री बत्तीलाल)

बिक्री इस गोदाम से नहीं कर रहे हैं तथा इस गोदाम का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है?

(3) क्या सरकार इस गोदाम के जीर्ण-शीर्ण भवन को ठीक कराकर इस गोदाम से राशन की बिक्री की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राशन के गोदाम/उचित मूल्य दुकान के भवन की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जाती है। अतः ग्राम दलपुरा में राशन सामग्री के भण्डारण हेतु सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है।

(2) ग्राम दलपुरा में निजी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभाग से अनुमोदित अपने निजी गोदाम/दुकान से ही राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

(3) विभाग द्वारा गोदाम/उचित मूल्य दुकान का निर्माण/मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता है।

पीपल्दा तहसील (कोटा) में उचित मूल्य की दुकानें

583. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उचित मूल्यों की दुकानें खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील पीपल्दा में मानदण्ड अनुसार दुकानें खुलना शेष हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार शेष रही दुकानें कब तक खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभागीय परिपत्र दिनांक 15.11.2002 सपठित संशोधित निर्देश दिनांक 27.09.2003 के अनुसार 2000 इकाइयों पर एक उचित मूल्य दुकान खोली जाने का मानदण्ड निर्धारित है। भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इससे भी कम इकाई पर उचित मूल्य दुकान खोलने का निर्णय जिला कलक्टर द्वारा लिया जा सकता है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार तहसील पीपल्दा की ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा, जलौदा खातियान और नीमोला में एक-एक एफ.पी.एस. खोलना शेष है।

(3) शेष दुकानें खोलने का निर्णय उपरांत शीघ्र ही इनके लिए उचित मूल्य दुकानदार की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी।

फागी के चयनित परिवारों को गेहूं वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

584. **श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (फागी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से 2006-07 तक विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) के बी.पी.एल. परिवारों को सस्ती दर पर गेहूं का कितना आबंटन प्रतिमाह किया गया? ग्राम व पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर चयनित परिवारों को पिछले 5-6 महीनों से गेहूं का वितरण नहीं किया गया? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गेहूं वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच की गई है? यदि हां, तो कब व जांच का क्या परिणाम रहा? दोषी राशन डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील) की पंचायतों सहित बी.पी.एल. परिवारों को सस्ती दर पर गेहूं का आबंटन निम्नानुसार है :-

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	**नाम तहसील**	**बी.पी.एल. गेहूं**	
		आबंटन	**उठाव**
2005-06	चाकसू (15 पंचायतें)	502	374
	फागी	1386	871
	योग	1888	1245
2006-07	चाकसू (15 पंचायतें)	430	357
	फागी	1257	834
	योग	**1687**	**1191**

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फागी में पिछले 5-6 महीनों से चयनित परिवारों को लगातार गेहूं का वितरण नहीं करने का कोई प्रकरण नहीं है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फागी में गेहूं वितरण में पाई गई अनियमितताओं की जांच कराकर राशन डीलरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम में प्रवर्तन अधिकारियों के रिक्त पद

585. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में एनफोर्समेंट अधिकारी के पद सृजित हैं? यदि हां, तो क्या सृजित पदों के अनुसार अधिकारी लगे हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो रिक्त पद कब तक भर दिये जाऐंगे?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भीम में एनफोर्समेंट अधिकारी का पद सृजित नहीं है।

किशनगढ़ में रसोई गैस आपूर्ति हेतु नवीन एजेन्सी

586. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू गैस उपलब्ध कराने हेतु स्थापित गैस एजेन्सियों को खोलने का निर्धारित मानदण्ड क्या है? विवरण शहरी क्षेत्र की श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र मदनगंज-किशनगढ़ में घरेलू गैस उपभोक्ताओं हेतु केवल एक ही कम्पनी (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम) की एजेन्सी कार्यरत है? यदि हां, तो यह एजेन्सी कब से कार्यरत है और इसके पास कितने घरेलू गैस उपभोक्ता कनेक्शन हैं?

(3) क्या यह सही है कि गत दशक में शहरी क्षेत्र किशनगढ़ में तीव्र

(श्री भागीरथ चौधरी)

जनसंख्या एवं औद्योगिक विस्तार के अनुरूप घरेलू गैस उपभोक्ता की मांग बढ़ी है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की मांग की सुचारू आपूर्ति हेतु अन्य नई कम्पनियों की एजेन्सियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू गैस उपलब्ध कराने हेतु स्थापित गैस एजेन्सियों को खोले जाने के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों/मांगों को राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य के राजस्तरीय समन्वयक, इण्डियन आयल कार्पो. लि. जयपुर को प्रेषित किये जाते हैं। राज्यस्तरीय समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर गहनता से गैस एजेन्सी स्थापित करने के संबंध में उस स्थान एवं निकटतम स्थान पर विद्यमान एजेन्सी उपभोक्ताओं की संख्या, Viability (गैस एजेन्सी पर 4 वर्ष में गैस रिफिलिंग की क्षमता 5,600 प्रतिमाह होने की सम्भावना हो) इत्यादि को ध्यान में रखते हुए Feasibility Study कर प्रस्ताव पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं, जिस पर भारत सरकार द्वारा मार्केटिंग प्लान के तहत अपेक्षित कार्यवाही बाद राज्य के राज्यस्तरीय समन्वयक को प्रेषित किये जाते हैं। मार्केटिंग प्लान अग्रिम कार्यवाही के लिए प्राप्त होने पर चयनित/प्रस्तावित स्थानों के संबंध में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है।

(2) किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में हिन्दुस्तान पैट्रोलिमय कार्पो. लि. की एक गैस एजेन्सी सन 1991 से कार्यरत है, जिस पर वर्तमान में 21,664 उपभोक्ता दर्ज है। उक्त कम्पनी की एक और के.जी.एम.एच.पी. गैस एजेन्सी को मदनगंज-किशगनढ़ क्षेत्र में मार्च, 2007 में ही अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।

(3) गत दशक में शहरी क्षेत्र किशनगढ़ में तीव्र जनसंख्या एवं औद्योगिक विस्तार के अनुरूप घरेलू गैस उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए किशनगढ़ में नवीन गैस एजेन्सी के.जी.एच.एम.पी. को 16.3.2007 को

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घरेलू गैस आपूर्ति करने वाली 4 गैस एजेन्सियां स्वीकृत हैं।

1. मदनगंज-किशनगढ़ में :- 2 (नई गैस एजेन्सी को दिनांक 16.3.2007 को अनुज्ञापत्र जारी किया गया है)

2. रूपनगढ़ में :- 1

3. अराई पंचायत समिति में :- 1

(4) घरेलू गैस की आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए किशनगढ़ में एक नई गैस एजेन्सी और स्थापित करने हेतु मै. के.जी.एम. (एच.पी.) गैस एजेन्सी को दिनांक 16.3.2007 को अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। इस प्रकार इस क्षेत्र में दो गैस एजेन्सी हैं।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द नगर लाडपुरा (कोटा) के अध्यापकों के विरुद्ध जांच

587. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वामी विवेवकानन्द नगर के अध्यापकों के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कोटा को नवम्बर, 2006 में शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतों की जांच ब्लाक शिक्षा अधिकारी, लाडपुरा द्वारा करवाई गई? यदि हां, तो जांच में किस-किस को दोषी पाया गया तथा दोषी अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, लाडपुरा, कोटा से जांच करवाई गई। शाला में कार्यरत तीन अध्यापिकाओं को दोषी मानते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी गई।

बाड़मेर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय

588. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाडमेर शहर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम.एम.सी/एम.ए. के भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिन्दी साहित्य एवं अर्थशास्त्र के संकाय नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बजट के सीमित संसाधनों के कारण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में राजकीय क्षेत्र में नवीन विषय/संकाय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बजट उपलब्ध होने पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में एम.एससी./एम.ए. में भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिन्दी साहित्य एवं अर्थशास्त्र के विषय/संकाय खोलना सम्भव होगा।

कोटपूतली के विद्यालयों में रिक्त पद

589. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? इन विद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विद्यालयवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 16 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विवरण का परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त

(शिक्षा मंत्री)

पदों का उल्लेख परिशिष्ट ''क'' में कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने तथा वर्तमान में वेतन श्रृंखला 1 से 6 के पदों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

परिशिष्ट ''क''

क्र. सं.	नाम विद्यालय			प्राधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	व्या. शा. शि.	कृषि प्रमुख	व.अ.	व.शा.शि.	व.पु. अ.	व.प्र. शा. स.	का. स.	व.लि.	क. लि.	अध्यापक	शा. शि.-III	पु.अ. -III	प्रशास-III	फील्डमैन	जमादार	प्र.शा से.	च.श्रे. क.	योग	रिक्त पद का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	उमावि	कोटपूतली	स्वी.	1	0	33	1	0	30	0	1	0	2	3	3	0	0	0	8	0	1	2	10	95	1/06, 7/06, 1/01, 8/01, 8/01, 12/01, 3/1, 5/01
			रिक्त	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	8	
2	उमावि	बनेठी	स्वी.	1	0	4	0	0	6	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	3	20	4/03, 7/05, 3/01
			रिक्त	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
3	उमावि	नारहेडा	स्वी.	1	0	12	0	0	12	1	1	0	0	2	1	3	0	0	3	0	0	2	5	43	9/04, 9/04, 2/97
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4	
4	उमावि	दातिल	स्वी.	1	0	4	0	0	6	1	1	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	4	24	9/04, 7/02, 7/03
			रिक्त	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
5	उमावि	राजनौता	स्वी.	1	0	5	0	0	8	1	1	0	0	2	1	5	0	0	0	0	1	0	2	27	10/06, 11/06, 11/06, 10/04
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	4	
6	उमावि	सुदुरपुराढाढा	स्वी.	1	0	5	0	0	6	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	3	22	2/01, 7/05, 10/06, 9/04, 7/05, 12/06, 1/02, 11/04
			रिक्त	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	2	9	
7	उमावि	पवाना	स्वी.	1	0	5	0	0	6	1	1	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	3	25	9/04
			रिक्त	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	उमावि	चिमनपुरा	स्वी.	1	0	4	0	0	6	1	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	4	23	1996
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
9	उमावि	गोनेडा	स्वी.	1	0	3	0	0	8	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	1	0	2	22	12/2000, 7/05
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
10	उमावि	भैंसलाना	स्वी.	1	0	3	0	0	5	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	3	18	8/05, 8/05, 12/06, 8/06
			रिक्त	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	
11	उमावि	पावटा	स्वी.	1	0	28	1	0	12	0	1	1	1	2	2	0	0	0	4	0	1	2	4	60	10/06, 5/08, 11/06, 2/06, 9/04
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	5	
12	उमावि	प्रागपुरा	स्वी.	1	0	5	0	0	10	1	1	0	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	6	36	5/06, 11/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
13	उमावि	बडनगर	स्वी.	1	0	4	0	0	6	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	22	11/05, 10/04
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
14	उमावि	भांकरी	स्वी.	1	0	3	0	0	6	0	0	0	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	4	22	11/05, 11/05, 1/2000, 5/02
			रिक्त	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
15	बाउमा वि	कोटपूतली	स्वी.	1	0	13	0	0	14	1	1	0	1	2	2	12	0	0	3	0	0	4	8	62	7/04,7/03, 12/03, 7/04, 1/07, 7/2000, 5/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	16	
16	बाउमा वि	पावटा	स्वी.	1	0	4	0	0	6	1	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	3	22	
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
17	मावि	टसकोला	स्वी.	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	15	12/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	मावि	कंवरपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	6	1	1	0	0	0	0	3	20	12/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	मावि	भोनावास	स्वी.	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	3	17	9/04, 7/02, 12/6
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
20	मावि	चूरी	स्वी.	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	3	17	9/04,12/0 6
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
21	मावि	छारदड़ा	स्वी.	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	15	7/05,/9/04
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	
22	मावि	पुरुषोतमपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	12	1/07/, 7/05 11/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
23	मावि	देवता	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	10	12/05, 7/05
			रिक्त	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
24	मावि	शुक्लावास	स्वी.	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	15	11/6
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
25	मावि	सांगटेडा	स्वी.	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	11	
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	मावि	बनार	स्वी.	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	14	11/05, 7/05
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
27	मावि	करौली	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	11	2/03 2/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
28	मावि	मोहनपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	10	3/05
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
29	मावि	मलपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3/05
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
30	मावि	रामसिंहपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
31	मावि	रायकर्णपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	मावि	पांचूडाला	स्वी.	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	15	1/01, 9/05
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
33	मावि	खेलना	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	9	6/03
			रिक्त	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
34	बाउमा वि	मण्ढा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	8/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
35	बामावि	प्रागपुरा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	8/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
36	बामावि	बनेठी	स्वी.	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	12	5/03, 4/03, 7/05, 4/01, 11/05, 10/02
			रिक्त	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	
37	बामावि	सुदुरपुराढाढा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	9	08/06, 7/05, 10/06
			रिक्त	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	
38	बामावि	सांगटेडा	स्वी.	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10/04, 2/6
			रिक्त	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	

अजमेर जिले में व्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थापित अध्यापक

590. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में गत दो वर्षों में कितने कार्मिकों को अन्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति/व्यवस्था हेतु लगाया गया है? कर्मचारी का नाम व कहां से कहां पर, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में भी कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/व्यवस्थार्थ लगाया गया है? यदि हां, तो कर्मचारी का नाम व कहां से कहां पर लगाया गया की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जहां से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/व्यवस्थार्थ लगाया गया है, उन विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उन पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पीसांगन कार्यालय में कितने कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/व्यवस्थार्थ लगाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में गत दो वर्षों में अन्य विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्थार्थ लगाये गये कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में शैक्षिक व्यवस्थार्थ लगाये गये कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(3) जिन विद्यालयों से कर्मचारियों को व्यवस्थार्थ लगाया गया है उन विद्यालयों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(4) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पीसांगन में श्री नन्दकिशोर कुमावत, अध्यापक तथा श्री अरुण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक को प्रतिनियुक्ति/व्यवस्थार्थ लगाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के सतत् शिक्षा केन्द्रों का लम्बित भुगतान

591. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(1) जिला नागौर में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने सतत् शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत अन्य गतिविधियां संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समाचार पत्रों का भुगतान उक्त केन्द्रों पर काफी समय से बकाया है? यदि हां, तो इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्तमान में ''सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम'' के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, बल्कि सतत् शिक्षा कार्यक्रम संचालित है, जिसके अन्तर्गत 75 नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र एवं 775 सतत शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) जिले में संचालित सतत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि कई स्थानों पर समाचार पत्रों का भुगतान बकाया है। समाचार पत्र आपूर्तिकर्ता एजेन्सियों के द्वारा अपने बिल विकास अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित विकास अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु जिला साक्षरता समिति को भिजवाये जाने पर संबंधित एजेन्सियों के बिलों की जांच कर भुगतान किया जाता हैं। गत दो वर्ष का भुगतान सभी केन्द्रों का बकाया है। भारत सरकार से प्रथम वर्ष के अनुदान की द्वितीय किश्त प्राप्त होते ही सम्बन्धित को भुगतान कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट ''क''

सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य संचालित गतिविधियों का विवरण

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम
1	असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने हेतु विशेष शिक्षण शिविरों का आयोजन।
2	नवसाक्षर महिलाओं के जीवन कौशल एवं विकास हेतु व्यवसायिक शिविरों का आयोजन।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम
3	नवसाक्षरों को समतुल्य शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 3, 5, 8 स्तर ए,बी,सी की परीक्षाऐं आयोजित करवाकर उन्हें सतत् शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी शिक्षा का क्रम सतत् रह सके।
4	जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रपत्र सतत शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

लूणकरणसर के नव/क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

592. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में शैक्षणिक सत्र 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में कौन-कौन से नए राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में बदला गया और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया एवं नये विद्यालय खोले गये? वर्षवार, विद्यालय नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नए खुले/क्रमोन्नत विद्यालयों में से अनेक विद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं हैं/क्रमोन्नत कक्षाएं संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं क्यों तथा क्या सरकार इन समस्त विद्यालयों/क्रमोन्नत कक्षाओं को शुरू करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नही, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के समस्त राजकीय विद्यालयों की दिनांक 1 जुलाई, 2006 से माह फरवरी 2007 तक की विद्यार्थी नामांकन संख्या एवं प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों, इनके स्वीकृत पदों व रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं कार्मिक पदनामवार विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि क्या रिक्त पदों से शैक्षणिक कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरण्सर में शैक्षणिक सत्र 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में ई.जी.एस. केन्द्रों (राजीव गांधी पाठशालाओं) से परिवर्तित प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, क्रमोन्नत करने एवं नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का वर्षवार तथा नामवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'क', 'ख', एवं 'ग' पर संलग्न है उक्त अवधि के दौरान ही संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा एक ई.जी.एस. केन्द्र (राजीव गांधी संस्कृत पाठशाला) को प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में परिवर्तित किया गया और 5 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' में ही सम्मिलित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	उप्रावि से मावि में क्रमोन्नत विद्यालय	मावि से उमावि में क्रमोन्नत विद्यालय
2004-05	1. चक 8 के वाई डी, खाजूवाला	1. पूगल
2005-06	1. कपूरीसर 2. सूई 3. हंसेरा	1. शेखसर
2006-07	शून्य	शून्य

(2) उक्त में से तीन प्राथमिक विद्यालय माह दिसम्बर, 2006 में क्रमोन्नत होने के कारण छात्र अनुपलब्ध होने से क्रमोन्नत कक्षायें प्रारम्भ नहीं की जा सकी, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' में सम्मिलित है, जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2007-08 में प्रारम्भ किया जा सकेगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में निम्नांकित क्रमोन्नत विद्यालयों में क्रमोन्नत कक्षाएं संचालित नहीं हैं :-

1. राउप्रा संस्कृत विद्यालय बामनवाली
2. राउप्रा संस्कृत विद्यालय 5 सी.एच.सम. काकडवाला
3. राउप्रा संस्कृत विद्यालय नयाबास सहगरासर
4. राउप्रा संस्कृत विद्यालय बवेड़ा

(शिक्षा मंत्री)

5. राउप्रा संस्कृत विद्यालय शेखरबास खोडाला

क्योंकि उक्त विद्यालयों के क्रमोन्नति आदेश शैक्षणिक सत्र के मध्य में जारी हुए हैं, जिससे विद्यालयों में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है। उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में आगामी सत्र से क्रमोन्नत कक्षाएं प्रारम्भ की जा सकेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 जुलाई, 2006 से माह फरवरी, 2007 तक विद्यार्थी नामांकन संख्या, स्वीकृत पद, कार्यरत कार्मिकों तथा रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं कार्मिक पद नामवार विवरण परिशिष्ट 'घ' संलग्न है। संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों की 1 जुलाई, 2006 से माह फरवरी, 2007 तक की विद्यार्थी नामांकन संख्या एवं प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के स्वीकृत व रिक्त पद एवं पद नामवार विवरण परिशिष्ट 'घ' में सम्मिलित है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'ड' संलग्न है। विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र लगाकर एवं शैक्षणिक व्यवस्थान्तर्गत अध्यापकों को लगाकर शिक्षण व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास किया गया है तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

रेलमगरा पंचायत समिति (राजसमन्द) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

593. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय रेलमगरा (राजसमंद) पर आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वित्तीय सीमितता के कारण वर्ष 2007-08 में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा घोषित निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के

(शिक्षा मंत्री)

अन्तर्गत ऐसी पंचायत समिति जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए निजी निवेशकों का चयन कर राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क भूमि आबंटित की जा रही है।

राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत राजसमन्द के रेलमगरा पंचायत समिति के लिए निजी निवेशक रणथम्भोर सेवा संस्थान, राकां सदन, नवबहार कालोनी, राजसमन्द को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने हेतु चयनित किया गया है तथा आशय पत्र जारी किया जा चुका है।

ईन्टाली/सालेड़ा ग्राम पंचायत के विद्यालयों में रिक्त पद

594. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत ईन्टाली, तहसील मावली एवं ग्राम पंचायत सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में वर्तमान में किस स्तर के कितने विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में कितने पद सृजित हैं, जिन पर कौन-कौन अध्यापक, कब-कब से कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत ईन्टाली, तहसील मावली एवं ग्राम पंचायत सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में वर्तमान में संचालित विद्यालय उनमें स्वीकृत, रिक्त पद, कार्यरत अध्यापकों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट ''क''

ग्राम पंचायत ईन्टाली तहसील मावली एवं ग्राम पंचायत सालेड़ा तहसील वल्लभनगर में संचालित विद्यालयों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	संचालित विद्यालय का नाम (प्रावि/ उप्रावि)	सृजित पद		कार्यरत अध्यापकों का विवरण		कब से कार्यरत	रिक्त पदों का विवरण		कब से रिक्त
				II	III	II	III		II	III	
1	ईन्टाली	मावली	प्रावि ईन्टाली	-	4	-	3	-	-	1	23.9.05 से
	ईन्टाली	मावली	प्रावि ईन्टाली				मुकेश पुजारी	20.9.01			
	ईन्टाली	मावली	प्रावि ईन्टाली				कन्हैयालाल रैगर	14.10.94			
	ईन्टाली	मावली	प्रावि ईन्टाली				धनराज जाट	3.12.92			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी	1	8	1	8	-	-	-	-
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी			नर्बदा शंकर	-	1.10.03			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				कृष्णा पंवार	21.3.2000			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				भानु जैन	10.1.2000			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				सुनीता नेहरिया	21.3.2000			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				संध्या बंसल	19.12.03			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				पुष्पलता परमार	14.2.06			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				राकेश बोहरा	4.7.2000			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि चायवा खेडी				रामलाल राणा	13.2.06			
	ईन्टाली	मावली	उप्राविचायवा रेवड़ी				ओम प्रकाश चौहान	21.3.06			
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली	1	6	1	6	-	-	-	-
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली			कमला माहेश्वरी	-	27.12.06			
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली				मधु सोंलकी	16.3.2000			
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली				रुबी सेठी	27.2.99			
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली				सरिता जोशी	7.4.05			
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली				जय श्री शर्मा	2.7.01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली				सरोज सैनी	24.11.05			
	ईन्टाली	मावली	बा.उप्रावि ईन्टाली				मंजू रानी	17.7.96			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि भील बस्ती	1	2	-	2	-	1	-	30.6.06
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि भील बस्ती				धमेन्द्र तेली	15.3.05			
	ईन्टाली	मावली	उप्रावि भील बस्ती				कंचन भाम्बी	11.4.05			
2	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि सालेड़ा	-	4	-	3	-	-	1	1.10.05
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि सालेड़ा				बंशीलाल रैगर	4.7.01			
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि सालेड़ा				सोहन सिंह	10/05			
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि सालेड़ा				बीना बागोरिया	7/2000			
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि लतपुरा	-	2	-	2	-	-	-	-
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि लतपुरा				धापु देवी परमार	11.2.06			
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि लतपुरा				रमेश चन्द्र नीनामा	11.2.06			
	सालेड़ा	बल्लभ नगर	प्रावि वजा खेडा	-	1	-	-	-	-	1	2/07
	सालेडा		प्रावि वजा खेडा								वर्तमान में पन्नालाल अहीर (शिक्षा सहयोगी) कार्यरत है।

<u>**राउमावि ईण्टाली तहसील मावली :-**</u>

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से रिक्त
1.	प्रधानचार्य	1	1	-	-
2.	व्याख्याता	7	3	4	30.4.2002 10.9.2004 23.7.2005 12.10.2002
3.	व.अ.	6	6	-	-
4.	अध्यापक	4	1	3	3.8.2004 6.9.2005 24.3.2006
5.	व.शा.शि.	1	1	-	-
6.	व.पु.अ.	1	1	-	-
7.	प.लि.	1	1	-	-
8.	क.लि.	1	1	-	-
9.	च.श्रे. कर्मचारी	3	3	-	-
	योग	**25**	**18**	**07**	**-**

क्र.सं.	नाम कार्यरत कार्मिक	पद	कार्यरत तिथि
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार वरिण्डा	प्रधानाचार्य	10.9.2004
2.	श्री अरविन्द कुमार झूठावत	व्याख्याता	10.8.2001
3.	श्री बद्रीलाल भाड	व्याख्याता	11.10.2001
4.	श्री अशोक कुमार मीणा	व्याख्याता	8.10.2003
5.	श्री पूर्ण शंकर आमेटा	वरिष्ठ अध्यापक	7.8.1991
6.	श्री मोहन लाल शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक	12.2.1992
7.	श्री अशोक कुमार चपलोत	वरिष्ठ अध्यापक	6.7.1996
8.	श्री महेन्द्र कुमार यादव	वरिष्ठ अध्यापक	8.1.1997
9.	श्री नानूराम कुम्हार	वरिष्ठ अध्यापक	26.7.2001
10.	श्री यमुना शंकर पालीवाल	वरिष्ठ अध्यापक	17.7.1999
11.	श्री अर्जुन लाल मेनारिया	अध्यापक	3.7.1997
12.	श्री हरि सिंह रावल	व.शा.शि.	23.12.2004

रामावि सालेड़ा तहसील वल्लभनगर :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से
1.	प्रधानाध्यापक	1	1	-	-
2.	वरिष्ठ अध्यापक	4	3	1	6.10.2004
3.	अध्यापक	3	2	1	3.11.2006
4.	शा.शिक्षक-III	1	1	-	-
5.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	-	-
6.	च. श्रे. कर्मचारी	2	2	-	-
	योग	12	10	02	-

क्र. सं.	नाम कार्यरत कार्मिक	पद	कार्यरत तिथि
1.	श्री किशन लाल चौबीसा	प्रधानाध्यापक	17.10.2000
2.	श्रीमती रेखा शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक	19.10.2004
3.	श्री नाथूलाल भोजावत	वरिष्ठ अध्यापक	21.3.2001
4.	श्री जगदीश चन्द्र चौबीसा	वरिष्ठ अध्यापक	1.3.2007
5.	श्री महेन्द्र कुमार महेरी	अध्यापक	2.3.2000
6.	श्री अनिल कुमार जैन	अध्यापक	8.2.2001
7.	श्री अनिल कुमार किकावत	शा.शि.- III	4.7.2001

प्रशिक्षणाधीन अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन का लाभ

595. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा में वर्तमान में बी.एड. कर रहे अभ्यर्थियों को भी बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि बी.एड. कर रहे अभ्यर्थी आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में सफल घोषित हुये हैं? यदि हां, तो संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आयोग द्वारा यह सूचना प्रसारित की गई है कि दिनांक 16 मार्च, 2007 तक की बी.एड. डिग्रीधारी को ही योग्य मानते हुये नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में बी.एड. के परिणाम आना शेष है? यदि हां, तो क्या सरकार परिणाम आने तक उन अभ्यर्थियों के पद रिजर्व कर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में बी.एड. एवं एस.टी.सी. के छात्रों ने परीक्षा दी है? यदि हां, तो इनकी वरीयता किस प्रकार से निर्धारित की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, आयोग द्वारा उनके प्राप्तांक 16.03.2007 को घोषित कर दिये गये।

(2) जी हां। बी.एड. कर रहे अभ्यर्थियों को नियमानुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई। अभ्यर्थियों की संख्या सूची लोक सेवा आयोग से प्राप्त की जा रही है।

(3) परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों एवं बी.एड. कर रहे अभ्यर्थी, जिन्होंने उक्त परीक्षा दी, उनके प्राप्तांक आयोग द्वारा घोषित कर दिये गये।

(4) जी हां। राजस्थान पंचाचतीराज नियम, 1996 के प्रावधानानुसार आयोग द्वारा 16.03.2007 को विज्ञप्ति जारी की गई। जो अभ्यर्थी 16.03.2007 तक वांछित अर्हता रखेगा उक्त पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

(5) जी हां। कई अभ्यर्थियों का बी.एड. का परिणाम आना शेष है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के प्रावधानानुसार शिक्षक तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु वहीं अभ्यार्थी योग्य माने गये हैं जो कि शिक्षक परीक्षा परिणाम के घोषणा की दिनांक को निर्धारित अर्हरता रखते हैं। जिन अभ्यर्थियों का बी.एड. का परिणाम आना शेष है उन अभ्यर्थियों हेतु पद रिजर्व रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(6) जी हां। बी.एड./एस.टी.सी. छात्रों ने परीक्षा दी। वरीयता सूची का निर्धारण पात्र अभ्यर्थियों के वर्गवार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क (जयपुर) में व्याप्त अनियमितताएं

596. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क जयपुर में वर्तमान में किस-किस आचार्य, उपाचार्य, प्रशिक्षक आदि के अधीन किस-किस ट्रेड में कौन-कौन से पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं किस-किस पाठ्यक्रम विषय में कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी हैं? गत पांच वर्षों से पदस्थापित कार्मिकों एवं पांच वर्षों के परीक्षा परिणाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान में गत पांच वर्षों में बाग बगीचों एवं कक्षों के रखरखाव एवं साज-सज्जा तथा मरम्मत आदि पर कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से किस-किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से व्यय की गई? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान में कौन-कौन कार्मिक कब से किस-किस पद पर पदस्थापित है? चौकीदार के पद पर पदस्थापन के संबंध में क्या नियम हैं? क्या किसी विकलांग व्यक्ति को भी रात्रिकालीन चौकीदार के पद पर पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों?

(4) उक्त संस्थान में गत पांच वर्षों में किस-किस सामान की कब-कब चोरी हुई? चोरी गये सामान की पुलिस में कब-कब सूचना दी गई एवं कौन-कौन सा सामान बरामद किया गया?

(5) उक्त संस्थान में कम्प्यूटर सुविधा किस-किस अधिकारी के पास है एवं कौन-कौन कर्मी उक्त कम्प्यूटर कार्य को संधारित कर रहे हैं तथा क्या-क्या कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा? क्या संस्थान के कार्मिकों का वेतन भत्ते आदि के बिल भी कम्प्यूटर द्वारा ही निकाले जा रहे हैं या किसी बाहरी संस्थान से बनवाये जा रहे हैं? बाहरी संस्था को उक्त कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान प्रतिमाह/वार्षिक किया जा रहा है विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त संस्थान के किस-किस कर्मचारी/अधिकारी को गत पांच वर्षों में किस-किस आरोप में कब-कब निलम्बित किया गया एवं कब-कब किस

(श्री मंगला राम गोदारा)

के आदेश से बहाल किया गया? निलम्बन जांच एवं बहाली आदेश सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्तमान में विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणर्थियों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

गत पांच वर्षों से पदस्थापित कार्मिकों के एवं पांच वर्षों के परीक्षा परिणाम परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(2) संस्थान में गत पांच वर्षों में बाग बगीचों के रखरखाव पर व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि	मद	सक्षम स्वीकृति
2002-03	8851.00	संस्था विकास कोष	सं.वि.को. संचालन समिति से अनुमोदन
2003-04	''	''	''
2004-05	5888.00	संस्था विकास कोष	सं.वि.को. संचालन समिति से अनुमोदन
2005-06	7468.00	संस्था विकास कोष	सं.वि.को. संचालन समिति से अनुमोदन
2006-07	''	''	''

आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

संस्थान के भवन की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। संस्था विकास कोष से संस्थान के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	राशि	मद	सक्षम स्वीकृति
2002-03	''	''	''
2003-04	''	''	''
2004-05	2.36 लाख	संस्था विकास कोष	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक प.सं. (11) () संविको/प्र-1/1278/10950 दिनांक 02.03.2005 द्वारा स्वीकृत
2005-06	''	''	''
2006-07	''	''	''

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में कार्यरत कार्मिकों की सूची परिशिष्ट 'ड' पर संलग्न है।

संस्थान में चौकीदार का पद अलग से सृजित नहीं है तथा संस्थान में पदस्थापित एवं उपलब्ध च.श्रे. कर्मचारियों द्वारा ही चौकीदारी का कार्य किया जाता है। चौकीदार के पद पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 14(6) डीओपीए-5/73 दिनांक 4.10.1977 के द्वारा शासित होती हैं। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यत: रात्रिकालीन चौकीदारी के लिए विकलांग व्यक्ति को नहीं लगाया जाता है।

(4) संस्थान में गत पांच वर्षों में दो बार चोरी की घटना हुई है।

प्रथम चोरी दिनांक 19/20.06.2005 को हुई थी, जिसमें कम्प्यूटर व्यवसाय के उपकरण आदि चोरी हो गये थे तथा अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। उक्त चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चंद्रमोहन, समूह अनुदेशक द्वारा दिनांक 20.6.2005 को थाना बनीपार्क जयपुर में दर्ज करायी गयी थी।

द्वितीय चोरी दिनांक 23.2.2006 को हुई थी, जिसमें भंडार से स्क्रेप चोरी गया था। उक्त चोरों को चोरी करने के दौरान दो कट्टे लोहे के स्क्रेप सहित पकड़ा गया था, जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया हुआ है। उक्त चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हनुमान सहाय शर्मा, च.श्रे. कर्म. द्वारा थाना बनीपार्क, जयपुर में दिनांक 23.2.2006 को दर्ज करायी गयी थी।

(5) संस्थान में कम्प्यूटर सुविधा आचार्य, उपाचार्य, स्टेनो एवं इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी व्यवसाय अनुदेशकों के पास उपलब्ध है। व्यवसाय में उपलब्ध कम्प्यूटर्स प्रशिक्षण के कार्य आते है जबकि कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर्स पर पत्र लेखन एवं सूचनायें तैयार करने का कार्य किया जाता है।

जी हां। संस्थान के कार्मिकों के वेतन भत्तों के बिल बहारी संस्था से बनवाये जा रहे हैं। उक्त कार्य हेतु प्रतिमाह लगभग रुपये 400 का भुगतान किया जाता है।

(6) जी हां। गत पांच वर्षों में संस्थान में कार्यरत अनुदेशक श्री राजीव सिंह गंगवार को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर के आदेश क्रमांक प.सं. 2 (जांच)/प्र-2/25567-72 दिनांक 28.01.2006 के द्वारा निलंबित किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ज' पर संलग्न है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

निदेशालय के आदेश क्रमांक प.सं.2(जांच)/23002/प्र-2/29958-62 दिनांक 19.8.2006 के द्वारा बहाल किया जा चुका है। बहाली के आदेश की प्रति परिशिष्ट 'झ' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में नवीन तकनीकी शिक्षण संस्थाएं

597. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी तकनीकी संस्थाऐं कौन-कौनसी कहां-कहां एवं कितनी-कितनी क्षमता की स्थापित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2006-07 में तकनीकी संस्थानों की स्थापना से संबंधित सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

List of Technical Institutions se-tup in 2006-07
Public Sector

S. No.	Name of College	Total Intake Capacity
M.B.A.		
1	Deptt. Of Management studies, Engineering college, Ajmer	60
M.C.A.		
1	Engineering College, Ajmer	60
Polytechnic Colleges		
1	Governement Polytechnic College, Neemrana	120
2	Government Polytechnic College, Sikar	120
3	Governement Polytechnic College, Rajsamand	120
4	Government Polytechnic College, Jhalawar	120
5	Government Women Polytechnic College, Sanganer	120
Industrial Training Institute		
1	Govt. ITI, Phagi	60
2	Govt. ITI, Sanganer	64
3	Govt. ITI, Chomu	60
4	Govt. ITI, Reni	64
5	Govt. ITI, Jhunjhun	60
6	Govt. ITI, Badi	64

S. No.	Name of College	Total Intake Capacity
7	Govt. ITI, Khund	60
8	Govt. ITI, Balesar	60
9	Govt. ITI, Luni	60
10	Govt. ITI, Shiv	64
11	Govt. ITI, Kishangarh	60
12	Govt. ITI, Jail Ajmer	60
13	Uncha (Jahajpur)	60
14	Govt. ITI, Khanpur	60
15	Govt. ITI, Kherabad	64
16	Govt. ITI, Kelwada (Shahbad)	60
17	Govt. ITI, Nokha	60
18	Govt. ITI, Karanpur	64
19	Govt. ITI, Begu	64
20	Govt. ITI, Rajsamand	64
Engineering Private Sector		
1	Sidhi Vinayak College of Engineering and Technoloy, Alwar	240
MBA		
1	Aishwarya College of Education Sansthan, Udaipur	60
2	Poornima College Engg. Sitapura, Jaipur	60
3	Alwar Instt. Of Engineering and Technology, Alwar	60
4	Ajmer Institute of Technology, Ajmer	60
5	Regional College for Eduction Research and Technol-ogy, Jaipur	60
6	Srinathji Institue of Technology & Engineering, Nathdwara	60
7	Swami Keshvanand Institute of Tech. & Mgt., Jagatpura, Jaipur	60
8	Arya Institute of Engg. & Tech. Kukas, Jaipur	60
9	Pioneer Institute of Management, Village Nalafala Debari, Udaipur	60
10	Jodhpur Institute of Engineering & Technology, Mogra Kalla, Tej. Luni, Jodhpur	60
11	Apex Institute of Engg. & Tech., Sitapura, Tonk Road, Jaipur	60
12	Nitmt Insititute of Agri Business & Rural Manage-ment College, Keshwana, Kotputli	60
13	NIMS Institue of Management Jaipur Delhi NH-8, Shobha Nagar, Jaipur	60
14	Vyas Institute of Management, Pali Road, Near Kudi Pul, Jodhpur	60
15	Geetanjali Institute of Technical Studies Dabok, Udaipur	60

S. No.	Name of College	Total Intake Capacity
16	Shri Balaji College of Engineering & Technology, Benad Road, Jaipur	60
MCA		
1	Ajmer insititute of Technology, Ajmer	60
2	Gyan Vihar School of Engineering & Technology, Jaipur	60
B-Pharmacy		
1	Shekhawati College of Pharmacy, Dundlod, Jhunjhunu	60
2	Jodhpur Pharmacy College, Jodhpur	60
3	Swami Keshwanand Institute of Pharmacy, Ramana-garia, Jagatpura, Jaipur	60
4	NIMS Institute of Pharmacy, Jaipur Delhi NH-8, Shobha Nagar, Jaipur	60
5	Agrawal Pharmacy College, Merta City-341510	60
6	Geetanajali Institute of Pharmacy, Udaipur	60
7	Sri Nathji Institute of Pharmacy, Nathdwara, Rajsamand	60
8	Pacific College of Pharmacy, Udaipur	60
9	Appex Institute of Pharmacy, Jaipur	60
10	Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur	60
11	Gurukul College of Pharmacy, Suratagarh, Shri Ganganar	60
12	Kuchaman College of Pharma Sciences, Kuchaman City, Nagour	60
13	Lord's International College, Alwar	60
14	Rajasthan Pharmacy College, Jaipur	60
D-Pharmacy		
1	Shri Ganganagar institute of Pharmaceutical Science, Shri Ganganagar	60
2	Mahatma Gandhi College of Pharma Sciences, Jaipur	60
3	NIMS Institute of Pharmacy, Jaipur Delhi NH-8, Shobha Nagar, Jaipur	60
4	Lady Anusuya Singhania College of Pharmacy, Jhalawar	60
5	Marwar Pharmacy College, Jodhpur	60
6	Mahatma Gandhi College of Pharmacy, Sikar	60
7	Jai Narayan Vyas School of Pharmacy, Barmer	60

परिशिष्ट-1

सत्र 2006-07 में राज्य में नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना का विवरण

क्र. सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	यूनिट एवं स्वीकृत	
		यूनिट	स्वीकृत स्थान
1	सौरभ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	3	57
2	भगवान महावीर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, हिण्डौन सिटी, जिला-करौली	6	96
3	श्रीमती बस्सो देवी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पीपली, तह. मुण्डावर, जिला-अलवर	2	32
4	शारदा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सोडावास, जिला-अलवर	3	48
5	ई.टी.सी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	1	16
6	अरावली औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, खवासजी का बाग, पो. कारोठ, तह. राजगढ़, जिला-अलवर	2	32
7	अलवर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	3	52
8	न्यू टैगोर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बुढीबावल, कोटकासिम, जिला-अलवर	2	32
9	भगवान महावीर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	2	32
10	पी.डी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बहरोड़, जिला-अलवर	2	32
11	बजरंग औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोविन्दगढ़, जिला-अलवर	2	32
12	श्री हीरानन्द औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	5	89
13	श्री सिद्धी विनायक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	2	32
14	सर्वोदय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, खेरथल, किशनगढ़-बास, जिला-अलवर	2	32
15	श्री भवानी शंकर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नारायणपुर तह. थानागाजी, जिला अलवर	2	32

1	2	3	4
16	सोफटेक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	1	16
17	सर्वोदय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	2	32
18	मत्स्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, फौलादपुर, नीमराणा, तह. बहरोड़, जिला-अलवर	2	32
19	त्यागी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	1	20
20	श्री कृष्ण औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहापुर तह. बहरोड़, जिला-अलवर	2	32
21	ब्रजपाल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रेला पो. कठूमर, जिला-अलवर	2	32
22	डेजर्ट रोजे औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मुण्डावर, जिला-अलवर	2	32
23	सरस्वती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटकासिम जिला-अलवर	1	16
24	मौलाना अबुल कलाम आजाद औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	2	32
25	त्रिवेणी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, धवली, पं.स. शाहपुरा, जिला-जयपुर	2	32
26	आर्य एकेडमी आफ फैशन एण्ड डिजाईन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	2	32
27	रतनदेवी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चौमूं, जिला-जयपुर	3	52
28	भगवान महावीर टेक्नीकल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर	3	48
29	कूकस औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कूकस तह. आमेर, जिला-जयपुर	1	16
30	महर्षि दयानन्द सरस्वती तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, पाच्याक की ढाणी, चौमूं, जयपुर	1	16
31	सेन्ट विलफ्रेड कॉलेज आफ टेक्नोलोजी, जयपुर	2	16
32	अरिहन्त औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	2	32
33	विकास औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	4	64
34	माधव औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नौरंगपुरा, वाया-मैड, जिला-जयपुर	2	32
35	आई.एस. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	2	32

1	2	3	4
36	शिखा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नगर, जिला-भरतपुर	2	32
37	विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जसवन्तनगर, जिला-भरतपुर	2	32
38	टेक्नोलोजी पार्क औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सेवर, जिला-भरतपुर	9	152
39	विश्वभारती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर	1	16
40	बजरंग औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रूदावल, रूपवास, जिला-भरतपुर	2	32
41	गायत्री औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बमनपुरा, हिण्डोनसिटी, जिला-करौली	2	32
42	श्री भास्कर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महू इब्राहिमपुर, तह. हिण्डोनसिटी, जिला-करौली	2	32
43	जगदम्बा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, श्री महावीरजी तह. हिण्डोनसिटी, जिला-करौली	4	64
44	महात्मा गांधी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महवा, जिला-दौसा	1	16
45	यशोदा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नागल राजावतान, जिला-दौसा	2	32
46	भगवान महावीर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महवा, जिला-दौसा	2	32
47	महात्मा गांधी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लालसोट, जिला-दौसा	2	32
48	श्री कृष्ण औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बान्दीकुई, जिला-दौसा	2	32
49	श्री अग्रसेन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा	4	64
50	डा. राधा कृष्णन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	2	32
51	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाईमाधोपुर	2	32
52	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, खैरदा, सवाई माधोपुर	2	32

1	2	3	4
53	सौरभ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाईमाधोपुर	3	57
54	सरस्वती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, निवाई, जिला-टोंक	3	57
55	टी.पी. पारीक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, ब्यावर, जिला-अजमेर	2	32
56	मौहम्म्द अली मेमोरियल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, ब्यावर, जिला-अजमेर	1	16
57	एम.जे. कुम्हेरिया औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रावला मण्डी, अनुपगढ (श्रीगंगानगर)	1	20
58	ई-ज्ञान सेन्टर, हनुमानगढ़-जंक्शन	1	16
59	सिंघानिया औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पचेडी बडी, जिला-झुन्झुनूं	4	64
60	फूसराज तोदी तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, राजलदेसर, रतनगढ़, जिला-चूरू	5	80
61	जय नारायण व्यास औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर	2	32
62	करूणा रॉयल एजुकेशन केन्द्र, जोधपुर	1	16
63	पिंक सिटी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	1	20
	कुल 63 केन्द्र	**144**	**2368**

अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शीघ्रलिपिकों का स्थाईकरण

598. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को अस्थाई रखे जाने की समयावधि कितने समय की है?

(3) क्या सरकार अब उक्त न्यायालयों में लम्बे समय से चल रहे अस्थाई शीघ्रलिपिक के पदों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों के पद स्वीकृत हैं। शीघ्रलिपिकों के 555 पद स्वीकृत हैं। शीघ्रलिपिकों के पद न्यायालयों के सृजन के समय ही स्वीकृत किये गये है जो पृथक-पृथक समय पर न्यायालयों के सृजन के साथ ही स्वीकृत किये गये।

(2) पदों की आवश्यकता अनुसार वित्त विभाग की सहमति से अस्थाई पदों की समयावधि बढ़ाई जाती है।

(3) मा. उच्च न्यायलय के प्रस्ताव पर शीघ्रलिपिक के पदों को स्थाई करने की कार्यवाही वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर की जा सकेगी।

जमवारामगढ़ में जल चेतना कार्यक्रम पर व्यय

599. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में जल चेतना रथयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? कार्यक्रम की क्या उपलब्ध्यिां रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में इस कार्यक्रम में कितने दिनों तक किस-किस विभाग के कितने-कितने कर्मचारियों ने अपने कार्यालय को छोड़कर इस अभियान में कार्य किया? कर्मचारी के नाम व कार्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम के दौरान विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में क्या-क्या कार्य कहां-कहां और कितनी राशि के कराये गये? कितनी-कितनी राशि किस-किस एजेंसी द्वारा व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कार्यालय में भारत सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रयोजन के लिए?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जल चेतना यात्रा किसान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 16.5.2006 से 26.6.2006 के मध्य किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य परिशिष्ट 'अ' में व कार्यक्रम की उपलब्धियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में इस कार्यक्रम के तहत कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 'स' एवं कर्मचारियों के नाम, दिवसों, कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा आयोजित जल अभियान एवं जल चेतना यात्रा किसान महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्ष्ोत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये कार्यों की सूची मय व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(4) भारत सरकार द्वारा जल चेतना यात्रा किसान महोत्सव कार्यक्रम के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(उद्देश्य/उपलब्धियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

तिजारा (अलवर) रैस्ट हाउस का जीर्णोद्धार

600. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय पर स्थित रैस्ट हाउस जीर्ण जीर्ण स्थिति में है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कस्बे में विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर देहराजी एवं भृर्तहरि बाबा का स्थान होने से पर्यटन की दृष्टि से भी उक्त स्थान का महत्व है? यदि हां, तो फिर रैस्ट हाउस का जीर्णोद्धार न किये जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की तहसील तिजारा में जल संसाधन विभाग का एक निरीक्षण गृह है। इस निरीक्षण गृह की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। संधारण मद में पर्याप्त प्रावधान नहीं होने के कारण निरीक्षण गृह का मरम्मत कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

गुढाबांध (हिण्डौली) सिंचाई परियोजना की वितरिकाओं का नवीनीकरण

601. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में स्थित गुढाबांध लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बनी दाईं व बाईं मुख्य नहर एवं वितरिकाएं बांध की सुरक्षा एवं पानी डिस्चार्ज के लिये बने 16 छोटे गेटों के स्थान पर 30 बड़े गेट लगाने के संबंध में विश्व बैंक से समझौता हुआ था? यदि हां, तो कब और किन शर्तों के साथ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समझौतों के अन्तर्गत दाईं और बाईं मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का आधुनिकीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो अब तक इन दोनों नहरों और वितरिकाओं पर कुल कितना व्यय किया गया और कितनी नहरों का नवीनीकरण अभी शेष है?

(3) क्या माह नवम्बर, 2005 में बांध की सुरक्षा हेतु दीवार एवं नये गेट लगाने हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस फर्म ने टेण्डर भरे और उन टेण्डरों पर अब तक क्या निर्णय हुआ और अब तक यह कार्य क्यों आरम्भ नहीं करवाया गया?

(4) क्या यह सही है कि विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण आधुनिकीकरण, बांध की सुरक्षा आदि का कार्य निश्चित अवधि में पूरा करना था? यदि हां, तो वह अवधि क्या है और क्या यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा तथा कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में क्या विश्व बैंक से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जायेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की 91 लघु, मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक से समझौता किया गया है। हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में स्थित गुढा बांध लुघ सिंचाई योजना उन परियोजनाओं में सम्मिलित है। बांध पर 30 बड़े गेट लगाने का प्रावधान स्वीकृत योजना में है। यह योजना मार्च, 2009 तक है।

(2) गुढा बांध की दायीं और बाईं मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का

(सिंचाई मंत्री)

पुन :रुद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त दोनों नहरों एवं वितरिकाओं पर अब तक 1141.45 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(3) जी हां। नये गेट लगाने एवं वेस्ट वीयर के सिविल कार्य हेतु पृथक-पृथक निविदाएं आमंत्रित की गई थी। निविदाएं देने वाली फर्म्स के नाम प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है। नये गेट लगाने के कार्य की निविदा स्वीकृत की जा चुकी है। यह कार्य सिविल वर्क पूर्ण होने के पश्चात प्रारम्भ होना है। सिविल कार्य की निविदाएं रद्द की जा चुकी हैं। पुन: निविदाएं करने की कार्यवाही विश्व बैंक से अनुमति मिलने के पश्चात प्रारम्भ की जावेगी।

(4) राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पांच वर्ष की अवधि (मार्च, 2008 तक) में पूर्ण किया जाना है। गुढा बांध लघु सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी यदि कोई कार्य शेष रह जाता है तो उस पर परिस्थितियों अनुसार उचित समय पर विचार किया जायेगा।

प्रपत्र 'अ'

निविदाएं देने वाली फर्म्स का विवरण

नये गेट लगाने हेतु प्राप्त निविदाओं का विवरण

क्र.सं.	**फर्म्स का नाम**
1.	मै. ओम मेटल्स लि., नई दिल्ली
2.	मै. हरीश चन्द (आई.) लि., नई दिल्ली
3.	मै. प्रिंसीसेन टेक्नोफेब एण्ड इन्जी, लि., अहमदाबाद
4.	मै. इनफेब इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि., अहमदाबाद
5.	मै. हार्डवेयर टूल एण्ड मशीनरी, अहमदाबाद

सिविल कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं का विवरण

क्र.सं.	**फर्म्स का नाम**
1.	मै. हरीश चन्द (आई.) लि., नई दिल्ली
2.	मै. गुडविल एडवान्स कन्स. क. कोटा
3.	मै. मोहम्म्द कन्स. मुम्बई
4.	मै. रावासा कन्स, मुम्बई

रेलमगरा तहसील (उदयपुर) के विचाराधीन एनीकट/तालाब

602. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार गिलूड तहसील के रेलमगरा जिला राजसमंद में बनास नदी पर एनीकट कम काजवे बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार रवड़ बामनिया तहसील रेलमगरा के गुलाब सागर तालाब को बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला उदयपुर के तालाब बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक इन तालाबों पर कार्य स्वीकृति जारी कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) कार्य का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। सर्वेक्षण पश्चात उपादेयता अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) रवड़ बामनिया तहसील रेलमगरा में गुलाब सागर तालाब पूर्व से ही निर्मित है।

(3) धनेरिया तालाब ग्राम पंचायत धनेरिया पूर्व से ही निर्मित तालाब है, जो ग्राम पंचायत के अधीन है। पूर्व अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत इस तालाब का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जल संसाधन विभाग से कोई स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

जैतपुरा बांध (जालौर) से सिंचित भूमि

603. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैतपुरा बांध जिला-जालौर के द्वारा कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है?

(2) क्या इस वर्ष इस बांध से सिंचाई की गई? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जालौर के जैतपुरा बांध के द्वारा 2738.55 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

दणाऊ कलां ग्राम सेवा सहकारी समिति, (बस्सी) का पुनर्संचालन

604. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं, तथा कितनी बन्द पड़ी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत दणाऊ कलां सहकारी समिति विगत 15 वर्षों से अच्छा कार्य करने तथा भवन बिल्डिंग पूर्ण होने के उपरान्त भी बन्द है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति के बन्द रहने के कारण किसानों को फसल सीजन में उन्नत किस्म का खाद, बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे उन्हें दूर-दूर तक जाकर ब्लैक से खाद, बीज लाना पड़ता है? क्या सरकार किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उक्त सोसाइटी को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में कुल 85 सहकारी समितियां विभिन्न श्रेणी की हैं जिनमें से 73 सहकारी समितियां सक्रिय तथा 12 समितियां निष्क्रय अवस्था में है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की धनाउकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. विगत 15 वर्षों से अच्छा कार्य नहीं कर रही थी कमजोर स्थिति के कारण एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा 6-95 दिनांक 28.10.1995 के निर्णयानुसार उक्त समिति को कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, दौसा के आदेश क्रमांक 371-379 दिनांक 9.12.1998 के द्वारा अवसायन में लाया गया।

(3) धनाऊकलां सहकारी समिति के अवसायन में आने के कारण क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज व कृषि आदान की व्यवस्था नजदीक की समिति देवगांव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. से की गई है। मंत्रिमण्डलीय निर्णय से धनाऊकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. अवसायन में लाई गई थी। अतः इस समिति को पुनः चालू करने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, (नागौर) में व्याप्त अनियमितताएं

605. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बैंक शाखा नावा सिटी (नागौर) के अंकेक्षण वर्ष 1991-92 में अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक का दायित्व मानते हुए आक्षेप निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि समिति के व्यवस्थापक के पास रोकड़ पोता रही बिल नं. 3800 दिनांक 10 जून, 1992 बिल संख्या 7541 दिनांक 6 अक्टूबर, 1992 की बैंक प्रशासन की भागीदारी से आज तक रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की जा सकी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि समिति के अंकेक्षण में समिति की रोकड़ बही में दो बार जमा खर्च पाया गया है? यदि हां, तो उक्त में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा धारा 74 (1) का आरोप निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सही है कि पूर्व व्यवस्थापक द्वारा रसीद संख्या 057356 दिनांक 25 जुलाई, 1979 से अधिक राशि की वसूली की गई है और समिति की रोकड़ बही में कम इन्द्राज किया गया हैं? क्या सरकार उक्त के संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त सहकारी समिति में हुई अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बैंक शाखा नावा सिटी, नागौर की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1991-1992 में व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। तथाकथित बिल संख्या 3800 दिनांक 10.06.1992 नहीं

(सहकारिता मंत्री)

है बल्कि बिल संख्या 13300 दिनांक 10.06.1992 है, बिल संख्या 13300 दिनांक 10.06.1992, बिल संख्या 7541 दिनांक 06.10.1992 भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री मुमताज खां द्वारा समिति में प्रस्तुत नहीं होने से रोकड़ बही में इनकी प्रविष्ठि सम्भव नहीं हुई है।

(3) जी हां। समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1991-92 में रोकड़ बही में दो बार जमा खर्च के आरोप से संबंधित प्रकरण सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर के कार्यालय में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 (सहपाठित सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 57) के अन्तर्गत वाद पंजीकृत हुआ, किन्तु आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 17.03.1997 के द्वारा आरोपी व्यवस्थापक श्री मुमताज खां को आरोप मुक्त कर दिया गया।

(4) जी हां। समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1991-92 के आधार पर श्री मुमताज खां, व्यवस्थापक के विरूद्ध 966,88 रुपये के, श्री सांवत राम अध्यक्ष व श्री मुमताज खां के विरूद्ध संयुक्त रूप से राशि 1929.00 रुपये, श्री नैनाराम व्यवस्थापक के विरूद्ध 3112.00 रुपये के आरोप निर्धारित हुए थें। इस संबंध में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर द्वारा मुकदमा नं. 40 श्री मुमताज खां के विरुद्ध, मुकदमा नं. 23 श्री सांवतराम अध्यक्ष व मुमताज खां, व्यस्थापक के विरुद्ध एवं मुकदमा नं. 22 श्री नैनाराम व्यवस्थापक के विरूद्ध दर्ज करते हुए निर्णय पारित किये गये, जिसमें श्री मुमताज खां को 125.88 रुपये की अनियमितता हेतु, श्री नैनाराम को 3112.00 रुपये की अनियमितता हेतु दोषी पाया गया एवं श्री सांवत सिंह व मुमताज खां के संयुक्त उत्तरदायित्व प्रकरण में उन्हें आरोप मुक्त किया गया।

(5) जी नहीं। संदर्भित दिनांक की वर्णित राशि की रसीद समिति रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रसंग नहीं है।

(6) जी हां। वर्ष 1991-92 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जिन आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध समिति धनराशि के निर्णय हुए थे, उनके विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 2001 के प्रावधानान्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-1

भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1991-92 में निर्धारित आरोपों का विवरण

क्र. सं.	राशि	नाम गबनकर्ता	पद	विवरण
1	485.00	श्री मुमताज खां	व्यवस्थापक	485.00 रुपये की राशि वर्ष 1990-91 व 1991-92 में दो बार एस.बी. एकाउन्ट में जमा करनी बताई कि राशि एक ही है।
2	211.88	श्री मुमताज खां	व्यवस्थापक	रोकड़ पोता न तो चार्ज में दी न बैंक में जमा कराई।
3	3112.00	श्री नेनाराम	व्यवस्थापक	सहकारी अधिनियमान्तर्गत राशि जो श्री देवी सिंह से वसूल कर रोकड़ में जमा नहीं की वह जमा कर दी, नेनाराम के नामें लिखी।
4	300.00	श्री मुमताज खां	व्यवस्थापक	चपरासी वेतन बिना रसीद, बिना स्वीकृत रोकड़ में व्यय लिखा।
5	1929.00	श्री मुमताज खां व सांवत सिंह	व्यवस्थापक अध्यक्ष	ऋण राहत से अधिक राशि रोकड़ में जमा दिखा कर श्री सांवत सिंह को लाभ पहुंचाया, जबकि बैंक स्तर पर राहत ऋण राशि 3090.00 में से 1190.00 ही दी गई, शेष 1900.00 राहत में नहीं थी, जो श्री सांवत सिंह से वसूल करना था।

नैनवां की वृहद् ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन

606. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन, कार्यक्षेत्र का निर्धारण आदि के बारे में सरकार द्वारा निर्देश/परिपत्र जारी किए गए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील नैनवां (बून्दी) क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो कितनी तथा उनके क्षेत्राधिकार में कौन-कौन से ग्राम आते हैं? ग्राम सेवा सहकारी समितिवार पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त में से कतिपय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के वृहद कार्यक्षेत्र तथा समिति मुख्यालय से दूरी एवं अन्य असुविधाओं को देखते हुए ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्षेत्राधिकार में बदलाव के लिए ग्रामवासियों द्वारा सरकार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के व्यक्तियों द्वारा किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के संबंध में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक प.15(7)सविरा/योजना/2/76 दिनांक 17/19 जनवरी, 2007 द्वारा उक्त क्षेत्र के विधायक को लिखकर ग्राम गाडरिया एवं देवपुरा को ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढ़ादेवजी (नैनवां) में सम्मिलित किए जाने से मना किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त ग्रामों की ग्राम सेवा सहकारी समिति सहज से हटाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढ़ादेवजी में कब तक सम्मिलित कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। प्रतियां संलग्नक परिशिष्ट-1 (पृ. 1 से 10) पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। सूची व विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर राज्य सरकार द्वारा रोक होने के कारण ग्राम गाड़रिया एवं देवपुरा को ग्राम

(सहकारिता मंत्री)

सेवा सहकारी समिति गुढ़ा देवजी (नैनवां) में सम्मिलित करने से मना किया गया था।

(5) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर रोक होने से वर्तमान में प्रार्थित समामेलन/पुनर्गठन सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नवलगढ़ (झुन्झुनूं) में संचालित गौ-शाला पर व्यय

607. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नवलगढ़ शहर में गौशाला संचालित हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गौशाला का संचालन कमेटी द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कमेटी के पदाधिकारियों का नाम व पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नवलगढ़ में स्थित गौ-शाला के अधीन कितनी भूमि है? राजस्व रिकार्ड की प्रति तथा सभी अचल व चल सम्पत्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गौ-शाला में पिछले 5 वर्ष में प्रतिवर्ष कितने-कितने पशु रहे तथा इसके लिए कितना-कितना व्यय प्रतिवर्ष किया गया?

(5) उक्त गौ-शाला में कितने-कितने कर्मचारी पिछले पांच वर्ष से कार्यरत हैं? प्रत्येक का नाम, पता तथा प्रत्येक को किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त गौ-शाला में गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी आमदनी किस मद से तथा कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नवलगढ़ शहर में श्री पिंजरापोल गौशाला नवलगढ़ दिनांक 14.12.76 से संचालित है।

(2) जी हां। पिछले 5 वर्षों में कमेटी के पदाधिकारियों के नाम व पते सहित सूची संलग्न है। परिशिष्ट-1

(सहायता मंत्री)

(3) नवलगढ में स्थित पिंजरापोल गौशाला नवलगढ़ के अधीन 700 बीघा कच्ची भूमि है। राजस्व रिकार्ड की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-2 चल सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है:-

ट्रेक्टर, जनरेटर, 10 बिजली के कुए, 2 बड़े व 2 छोटे चारा भण्डार गृह, 4 बड़े व 2 छोटे पशु गृह, 12 साण्डघर।

(4) उक्त में गत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष रहे पशु व उन पर किये गये खर्चे का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	पशु संख्या	व्यय की राशि
2002	303	122556
2003	320	1830516
2004	275	1706202
2005	265	1479203
2006	219	1882369

(5) गत 5 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नाम व पते तथा उनको किये गये भुगतान का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-3

(6) उक्त गौशाला में गत 5 वित्तीय वर्षों में आय तथा व्यय का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-4

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डूंगरपुर में संस्कृत विषय का अध्यापन

608. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1). क्या यह सही है कि श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय ही डूंगरपुर में एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जिसमें संस्कृत विषय नहीं है?

(2) क्या सरकार जिले के उक्त एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संस्कृत विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत विषय राजकीय क्षेत्र में संचालित हैं जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों की संख्या 60 है।

(2) उपरोक्तानुसार।

वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

609. **श्री समर्थ लाल मीणा** (राजगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच में विद्या समिति जयपुर के लेखों में जमा राशि रुपये 1,03,07,084/- को विद्या समिति के खातों से वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में व्याख्याताओं से ऋण स्वरूप ली गई 40,000/- रुपये (प्रति व्याख्याता) राशि को वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजापार्क जयपुर के प्रबन्धन द्वारा वापस लौटा दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर द्वारा व्याख्याताओं को माह जनवरी, 2007 तक के पूर्ण वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वैदिक कन्या महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा की जा रही अनियमितताओं की व्याख्याताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिव, शिक्षा एवं आयुक्त शिक्षा को प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों के संदर्भ में जांच की गई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे व जांच नहीं की गई, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कब से?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय

(श्री समर्थ लाल मीणा)

में नियुक्त व्याख्याताओं का वरिष्ठता क्रम संस्था स्तर पर निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो वरिष्ठता क्रम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा दयानन्द लॉ कॉलेज हेतु भूमि का क्रय किया गया है? यदि हां, तो किसके नाम से साथ ही इस क्रय हेतु राशि का भुगतान किन खातों से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा की जा रही आर्थिक अनियमिताओं एवं महिलाओं के किये जा रहे शोषण एवं मानसिक उत्पीड़न के निराकरण के लिए प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विद्या समिति वैदिक कन्या महाविद्यालय द्वारा कॉलेज डवलपमेन्ट फीस रुपये 1,06,43,005/- दिनांक 03.11.03 को महाविद्यालय के खातों में स्थानान्तरित कर दी गई। यह स्थानान्तरण प्रविष्टि इसलिए की गई थी कि विद्या समिति ने छात्रों से वसूल की गई राशि विद्या समिति के लेखों में जमा कर ली थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। संस्था द्वारा अक्टूबर, 2006 से व्याख्याताओं को वेतन भुगतान नहीं किया है।

(4) व्याख्याताओं द्वारा दिये गये ज्ञापन पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं

(7) जी नहीं। संस्था द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वैदिक कन्या महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा दयानन्द लॉ कॉलेज हेतु भूमि क्रय नहीं की गई है।

(8) आर्थिक अनियमितताओं की जांच जारी है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार प्रशासक नियुक्त करने पर भी विचार किया जावेगा।

राजकीय सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा (जयपुर) में व्याप्त अनियमितताएं

610. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा, जिला जयपुर की भूमि पर कोकाकोला कम्पनी द्वारा नलकूप का निर्माण कराया गया है एवं कोकाकोला को कॉलेज की भूमि पर फसल उगाने/डेमो करवाने हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की गई? यदि हां, तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति संबंधी आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किन नियमों के अन्तर्गत कराया गया? क्या सरकार इसमें लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कॉलेज के प्राचार्य द्वारा गत 6 वर्ष में कितनी-कितनी राशि विभिन्न भत्तों के तहत आहरित की गई? इनमें से मकान किराया भत्ता कहां का व कितना-कितना आहरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्राचार्य विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान 24 घन्टे हैडक्वाटर पर रहते हैं? यदि नहीं, तो क्यों व सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोकाकोला कम्पनी को राज्य सरकार के पत्रांक : पीएस/एसएच एण्ड टीई/04/111 दिनांक 3.3.2004 के तहत राजकीय सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा में जल अधिग्रहण केन्द्र बनाने की अनुमति जारी की गई थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दी गई है। किन्तु फसल उगाने/डेमो रखाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(2) जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत कार्य कराया गया है। इस कार्य में किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई है। अत: कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा से प्राप्त विवरण के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक आहरित किये गये विभिन्न भत्तों की तालिका परिशिष्ट-2 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। प्राचार्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा के दौरान 24 घण्टे हैडक्वार्टर पर रहते हैं तथा प्राचार्य द्वारा आवश्यक कार्य होने पर एवं उनके द्वारा आवेदन करने पर इनको मुख्यावास छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

परिशिष्ट-1

Government of Rajasthan
Higher, Technical, Medical & Agriculture
Education Department

No.PS/SH&TE Jaipur dated 3-3-2004

To,

Commissioner
College Education
Government of Rajasthan
Jaipur.

Subject : Water conservation & management at Degree College, Kaladera.

Sir,

Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited has offered to construct rainwater harvesting structure in the premises of Saharia College Kaladera to tap roof-top & surface rain water. A copy of the proposal is enclosed herewith.

I am directed to convey the sanction of the Government for construction of this rain water harvesting structure on the terms and conditions laid down in the enclosed letter. The entire cost of the project as well as annual maintenance shall be borne by the applicant. In addition, the company has also agreed to bear the expenses of launch function on "World Water Day" on 22nd March, 2004.

Please issue immediate instructions to Principal Degree College, Kaladera to allot requisite space to the company for construction of the project and provide all necessary assistance. He should also undertake the awareness programme in the community from time to time.

Action taken in this regard may please be reported to the Government.

Encl : As above

Yours Faithfully
Ram Lubhaya
Secretary H & T Education

Hindustan Coca Cola Beverage Private Limited
City Office: E-14. Round No.1, Vishwakarma Industrial Area,
Jaipur – 302 013
Phone: (0141)2330839, 2330675, 2330279, Fax: (0141) 5101888
Regd. Office : 13, Abul Fazal Road, Bengali Market, New Delhi – 110 001
Plant: Sp 39-40, RIICO Industrial Area, Kaladera, Tehsil Chomun,
Distt, Jaipur – 303 801
Phone: (01423) 513903-08 Fax: 95-1423-265915

02nd March 2004
Shri Ram Lubhaya
Secretary, Education
Government of Rajasthan
Jaipur

Reg : Water conservation & management at Degree College, Kaladera.

Sir,

This has reference to our discussion today morning, regarding constructing "Water Tanka" in premises of Saharia College, to tap Roof-Top & surface rain water.

Coca Cola India believes in benefiting everyone who is touched by our business and in view of this, we are actively engaged in Primary education/ Primary Health & water conservation projects in several parts of the country. Accordingly, we would like to undertake water conservation projects in Kaladera area.

We proposed to undertake "Rainwater Harvesting" as under :

A) Project:

- Construction of Water Tank in premises of Degree College.
- Catching Rooftop rain water.
- Develop an additional catchment area on surface.
- Capacity- minimum one lac litres.
- Overhead tank & water filter to use the stored water for drinking purposes.
- Water thus saved & used is likely to meet annual drinking water requirement of entire college of the year.

B) Cost : Approx Rs 7-8 lacs.

C) Advantage to Community/college:

a) Permanent structure in place to perpetually harvest rain water.
b) Have Permanent facility for pure drinking water.
c) Reducing ground water drawing.
d) Creating a replicable model structure in the area to show to entire community.

e) Create awareness among entire student community of over 2500 students on water conservation, a rising need of the area.

D) Participants & Responsibilities :

a) Degree college : To provide space & create awareness.
b) State Ground Water Board : Technical support and guidance.
c) Department of Education : Active guidance & approval besides creating awareness.
d) Coca-Cola : Financial Support, both for one time construction and annual maintanence.

As stated, cost of entire project and launch of the same on "World Water Day" on 22nd March, 2004 shall be borne by us.

We request you to kindly advice the college authorities to assist us in implementing the project as discussed today morning. We thank you for appreciating our initiative and for the kind courtesy extended to us during meeting.

Kindly approve the project and advice the college to help us to commence the construction from 03rd /04th March, 2004.

With kind regards,

Praveen Aggarwal

Encl. 1. Copy of request letter to principle, Degree College, Kaladera.
2. Concept paper on Water Tankas.
3. Tentative drawing of proposed Tanka.
4. Copy of photograph of Tanka elsewhere.

Hindustan Coca Cola Beverage Private Limited

City Office: E-14. Round No.1, Vishwakarma Industrial Area,
Jaipur – 302 013
Phone: (0141)2330839, 2330675, 2330279, Fax: (0141) 5101888
Regd. Office : 13, Abul Fazal Road, Bengali Market, New Delhi – 110 001
Plant: Sp 39-40, RIICO Industrial Area, Kaladera, Tehsil Chomun,
Distt, Jaipur – 303 801
Phone: (01423)513903-08 Fax: 95-1423-265915

1st February, 2004

To: The Principal
R L Sayria Government College
Kaladera, Jaipur

Sub : Water conservation management project at your esteemed institute

Dear Sir,

As a part of our corporate citizenship program, we undertake projects in areas of primary health, primary education, & water conservation.

This refers to our discussion with the staff of your esteemed institute

regarding launching of water management projects in collaboration with the State Ground Water Board. The project would be undertaken to collect monsoon run-off on the college building & using the water (after due treatment) for use by the students of the institute.

The project details are as follows :

a) You are requested to provide suitable site for the project.

b) We will finance the project & provide assistance for smooth operation of the project.

c) The technical support will be provided by the State Ground Water Board.

d) You are requested to help us in generating awareness among students of the institute & the local residents.

Looking forward to active collaboration with you in the future.

Thanking you,

For Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd,

(Authorised Signatory)

cc: State Ground Water Board

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 12(70) लेखा/निकाशि/97/226-27 दिनांक 4 मार्च 2004

प्राचार्य

राजकीय सहरिया महाविद्यालय,

कालाडेरा।

विषय : आपके महाविद्यालय में जल संरक्षण एवं प्रबंधन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हिन्दुस्तान कोकाकोला द्वारा आपके महाविद्यालय की परिसीमा में वर्षा के जल के नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं (प्रति संलग्न है)। इस हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति भी संलग्न परिपत्र में अंकित शर्तों के आधार पर दी गई है।

सम्पूर्ण प्रोजेक्ट निर्माण एवं तत्पश्चात संधारण (Maintenance) का वित्तीय भार कोकाकोला कम्पनी द्वारा ही वहन किया जायेगा। आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रोजेक्ट निर्माण हेतु कम्पनी को वांछित स्थान (Requisite Space) आबंटित करें एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके चारों ओर स्थित समुदाय में

जन चेतना का कार्यक्रम चलायें तथा आप द्वारा की गयी कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें ताकि राज्य सरकार को अवगति दी जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा,

राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-2

आर.एल. सहरिया राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा के प्राचार्यों द्वारा विगत छः वर्षो में आहरित की गई राशि का विवरण

(राशि रुपयों में)

	डॉ. एम.एन माथुर		श्री शिचरण गर्ग		श्रीमती उषा मित्तल		डॉ. ए.के. माथुर	
वित्तीय वर्ष	यात्रा भत्ता	मकान किराया भत्ता	यात्रा भत्ता	मकान किराया भत्ता	यात्रा भत्ता	मकान किराया भत्ता	यात्रा भत्ता	मकान किराया भत्ता
2000-01	-	-	-	-	-	-	-	-
2001-02	-	-	1972	1298	-	-	-	-
2002-03	-	-	1837	-	-	-	-	-
2003-04	-	-	954	-	2084	-	-	-
2004-05	-	-	-	-	-	-	1259	19216
2005-06	-	-	-	-	-	-	998	-

संयुक्त–निदेशक

नवीन कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई हेतु अधिग्रहीत भूमि का भौतिक कब्जा

611. **श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) सरकार द्वारा नई कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई के लिये कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई? क्या मण्डी समिति ने सम्पूर्ण अधिग्रहीत भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है?

(2) पुरानी कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई में कुल कितनी दुकानें

(श्री मुरारी लाल मीणा)

संचालित थी एवं संचालित दुकानों पर मौके पर किस-किस का कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों को सरकार द्वारा आगे किस प्रयोजन में लिये जाने का विचार है?

(4) क्या कब्जाधारियों को सरकार मालिकाना हक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस दर पर?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी बांदीकुई के नवीन मण्डी यार्ड हेतु 52 बीधा 17 बिस्वा भूमि का अधिग्रहित किया गया। मण्डी समिति द्वारा अधिग्रहीत सम्पमर्ण भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

(2) पुरानी कृषि उपज मण्डी बांदीकुई में संचालित दुकानें मण्डी समिति की सम्पति नहीं होना है। पुराने मण्डी यार्ड में संचालित समस्त दुकानें राज्य सरकार की नजूल सम्पति है।

(3) चूंकि उक्त दुकानें राज्य सरकार की नजूल सम्पति है। अतः तदनुरूप निस्तारण किया जायेगा।

(4) विपणन विभाग का इस संदर्भ में कोई विचार नहीं है।

मेडीकल कालेज, जोधपुर में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना

612. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या उच्च शिक्षा (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जोधपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल समूह में एम.आर.आई मशीन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पब्लिक प्राईवेट पार्टनर्शिप के अन्तर्गत एम.आर.आई. मशीन लगाने की योजना है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनर्शिप के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज, जोधपुर से सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग में एम.आर.आई. मशीन स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 24.05.2006 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दिनांक 3.8.2006 तक निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं किन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण निविदाएं प्राप्त होने की अंतिम तिथि में दो बार अभिवृद्धि की गई। इसके बाद भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण अभी तक यह

(उच्च शिक्षा चिकित्सा मंत्री)

मशीन स्थापित नहीं की जा सकी है। संलग्न चिकित्सालय वर्ग जोधपुर की मेडिकेयर रिलीफ सोसाईटी द्वारा इस हेतु पुनः निविदाऐं आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य के होम्योपैथिक महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का स्थानान्तरण

613. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगानगर) : क्या उच्च (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विभिन्न होम्योपैथिक महाविद्यालयों में वर्तमान में प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक की कक्षाओं में छात्रों की कितनी संख्या रिक्त है? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ही एक होम्योपैथिक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों के स्थानान्तरण करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्, दिल्ली के नियम ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अंगीकार कर लागू किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न होम्योपैथिक महाविद्यालय में वर्तमान में प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक की कक्षाओं में छात्रों की 46 सीटें रिक्त हैं। परिशिष्ट-1

(2) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में नियम बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। नियम निर्माण होने तक केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद दिल्ली के नियम ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा लागू किये गये हैं, केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद दिल्ली के नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 02 मार्च, 2007)

राज्य पुलिस बल में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कार्मिक

6. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस में भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक : नं.-5(2) पुलिस-फोर्स/कानि. भर्ती/2006/7018 दिनांक 2 नवम्बर, 2006 में विभिन्न जिलों/यूनिटों एवं आर.ए.सी. बटालियनों में कॉनिस्टेबलों के विज्ञापित कुल पदों के अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की रिक्तियां संबंधित जिला/राज्य के उनकी जनसंख्या अनुपात से बहुत कम तथा कहीं-2 शून्य दर्शायी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? जारी विज्ञप्ति की प्रति सहित वस्तुस्थिति की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञापन में भर्ती के लिए निर्धारित विभिन्न पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के 16 तथा 12 प्रतिशत आरक्षण की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण अब उक्त पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, कब तक की जाएगी?

(3) वर्तमान में राज्य पुलिस में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद सृजित हैं तथा उनमें कितने-कितने अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्ति कार्यरत हैं? जिला/यूनिट/बटालियनवार राज्य स्तरीय पदों हेतु पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में राज्य पुलिस में प्रदत्त आरक्षणानुसार विभिन्न वर्गों के कार्मिक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) आरक्षित वर्ग की रिक्तियों का निर्धारण संबंधित जिले में उस वर्ग की जनसंख्या के आधार नहीं किया जाता है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार किया जाता है। विज्ञप्ति दिनांक 2.11.06 फोटो प्रति परिशिष्ट 'क' संलग्न की जा रही है।

(2) आरक्षित वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस आरक्षित रिक्त को उस भर्ती प्रक्रिया में नहीं भरा जाता है तो शेष रहे पदों को अगामी विज्ञप्ति में शामिल उसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी से भर्ती की कार्यवाही की जाती हैं।

(गृह मंत्री)

(3) राज्य पुलिस में विभिन्न संवर्गो में श्रेणीवार/वर्गवार सृजित पद तथा उनके विरूद्ध कार्यरत स्थिति परिशिष्ट–'अ','ब' एवं 'स' संलग्न किए जा रहे हैं।

(4) जी नहीं। पदोन्नति एवं सीधी भर्ती की प्रक्रिया निरन्तर चल रही हैं एवं पद शीघ्र भरे जाने सम्भावित हैं।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-279 की सूची)

वर्ष 2006-07 में लगाये गये विद्यार्थी मित्र का संख्यात्मक विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	लगाये गये विद्यार्थी मित्र	
		दिनांक 28.2.07 तक	मार्च 2007 में
1.	जोधपुर	643	315
2.	पाली	1024	245
3.	सिरोही	261	36
4.	जालौर	871	752
5.	बाडमेर	1419	206
6.	जैसलमेर	623	513
7.	चुरू	413	46
8.	झुंझुनूं	293	46
9.	गंगानगर	794	288
10.	हनुमानगढ़	230	230
11.	बीकानेर	685	623
12.	अजमेर	355	308
13.	भीलवाड़ा	677	638
14.	नागौर	1238	924
15.	टोंक	234	274
16.	कोटा	239	134
17.	बून्दी	338	165
18.	झालावाड़	831	194
19.	बारां	557	95
20.	स. माधोपुर	139	0
21.	करौली	215	0
22.	जयपुर	592	303
23.	अलवर	810	535
24.	भरतपुर	474	28

क्र. सं.	नाम जिला	लगाये गये विद्यार्थी मित्र	
		दिनांक 28.2.07 तक	मार्च 2007 में
25.	सीकर	684	703
26.	दौसा	237	155
27.	धौलपुर	224	126
28.	उदयपुर	828	828
29.	चित्तौड़गढ	854	802
30.	राजसमन्द	833	833
31.	डूंगरपुर	397	397
32.	बासंवाड़ा	580	447
	योग	**18592**	**11189**

परिशिष्ट ''क''

विद्यार्थी मित्र योजनान्तर्गत लगाये गये अध्यापकों की जिलेवार सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	संविदा पर: प्रशिक्षित व्या	संविदा पर: प्रशिक्षित व.अ.	संविदा पर: प्रशिक्षित अध्या.	संविदा पर: प्रशिक्षित योग	संविदा पर: अप्रशिक्षित व्या	संविदा पर: अप्रशिक्षित व.अ.	संविदा पर: अप्रशिक्षित अध्या.	संविदा पर: अप्रशिक्षित योग	संविदा पर: कुल योग	सेवानिवृत व्या	सेवानिवृत व.अ.	सेवानिवृत अध्या.	सेवानिवृत योग	महायोग व्या	महायोग व.अ.	महायोग अध्या.	महायोग कुल योग
1	चूरू	30	45	6	81	20	54	26	100	181	0	3	0	13	0	102	32	194
2	बीकानेर	12	35	2	49	24	84	39	147	196	13	4	0	17	49	123	41	213
3	गंगानगर	49	81	3	133	24	7	29	60	193	24	21	0	45	97	109	32	238
4	हनुमानगढ	18	42	1	61	34	82	52	168	229	8	3	2	13	60	127	55	242
5	झुंझुनूं	57	56	10	123	34	51	24	109	232	13	16	1	30	104	123	35	262
	योग	**166**	**259**	**22**	**447**	**136**	**278**	**170**	**584**	**1031**	**68**	**47**	**3**	**118**	**370**	**584**	**195**	**1149**
1	जयपुर-प्रथम	26	26	7	59	5	46	13	64	123	17	9	0	26	48	81	20	149
2	जयपुर-द्वितीय	11	31	4	46	8	31	30	69	115	8	5	2	15	27	67	36	130
3	भरतपुर-प्रथम	19	28	4	51	12	25	7	44	95	12	6	0	18	43	59	11	113
4	भरतपुर-द्वितीय	18	24	0	42	9	20	4	33	75	5	4	1	10	32	48	5	85
5	अलवर-प्रथम	25	56	0	81	8	27	8	43	124	15	11	0	26	48	94	8	150
6	अलवर-द्वितीय	36	35	5	76	21	40	42	103	179	18	6	1	27	75	83	48	206
7	सीकर-प्रथम	26	49	0	75	18	33	35	86	161	1	1	0	2	45	83	35	163
8	सीकर-द्वितीय	38	38	0	76	26	50	37	113	189	8	2	0	10	72	90	37	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	दौसा	9	34	3	46	8	38	14	60	106	10	7	0	17	27	79	17	123
10	धौलपुर	13	40	1	54	6	24	5	35	89	4	7	1	12	23	71	7	101
	योग	**221**	**361**	**24**	**606**	**121**	**334**	**195**	**650**	**1256**	**98**	**60**	**5**	**163**	**440**	**755**	**224**	**1419**
1	जोधपुर	9	24	0	33	22	25	5	52	85	19	4	0	23	50	53	5	108
2	पाली	18	20	0	38	24	45	22	91	129	41	19	0	60	83	84	22	189
3	सिरोही	8	5	2	15	20	23	29	72	87	5	0	3	8	33	28	34	95
4	जालौर	8	7	1	16	5	22	13	40	50	9	2	0	8	19	31	14	64
5	बाड़मेर	26	12	1	39	25	21	16	62	101	7	2	0	9	58	35	17	110
6	जैसलमैर	4	3	0	7	2	7	2	11	18	2	0	0	2	8	10	2	20
	योग	**73**	**71**	**4**	**148**	**98**	**143**	**87**	**328**	**476**	**80**	**27**	**3**	**110**	**251**	**241**	**94**	**586**
1	कोटा	22	14	2	38	15	32	28	75	113	8	1	2	11	45	47	32	124
2	झालावाड़	29	19	3	51	28	35	17	80	131	21	5	0	26	78	59	20	157
3	बून्दी	20	10	2	32	27	23	24	74	106	6	2	1	9	53	35	27	115
4	बारां	21	11	0	32	32	26	13	71	103	8	6	0	14	61	43	13	117
5	करौली	5	14	2	21	7	13	16	36	57	0	3	0	3	12	30	18	60
6	सं.माधोपुर	7	13	0	20	9	22	17	48	68	1	0	0	1	17	35	17	69
	योग	**104**	**81**	**9**	**194**	**118**	**151**	**115**	**384**	**578**	**44**	**17**	**3**	**64**	**266**	**249**	**127**	**642**
1	उदयपुर-प्रथम	10	18	4	32	11	12	26	49	81	19	4	0	23	40	34	30	104
2	उदयपुर-द्वितीय	21	13	0	34	22	11	9	42	76	28	10	0	38	71	34	9	114
3	बांसवाड़ा	28	44	7	79	19	26	17	62	141	20	3	0	23	67	73	24	164
4	डूंगरपुर	38	35	11	84	33	14	15	62	146	20	7	1	28	91	56	27	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	राजसमंद	18	33	2	53	19	34	35	88	141	48	11	0	59	85	78	37	200
6	चित्तौड़गढ	40	36	13	89	28	40	17	85	174	32	25	5	62	100	101	35	236
	योग	**155**	**179**	**37**	**371**	**132**	**137**	**119**	**388**	**759**	**167**	**60**	**6**	**233**	**454**	**376**	**162**	**992**
1	अजमेर-प्रथम	24	40	2	66	23	33	15	71	137	20	23	0	43	67	96	17	180
2	अजमेर-द्वितीय	14	31	8	53	26	43	15	84	137	19	11	3	33	59	85	26	170
3	नागौर-प्रथम	15	16	1	32	20	26	18	64	96	15	7	0	22	50	49	19	118
4	नागौर-द्वितीय	16	19	3	38	13	17	9	39	77	32	9	0	41	61	45	12	118
5	भीलवाड़ा-प्रथम	21	39	1	61	11	64	15	90	151	26	16	1	43	58	119	17	194
6	भीलवाड़ा-द्वितीय	16	24	2	42	31	77	18	126	168	11	6	0	20	58	107	23	188
7	टौंक	19	25	2	46	21	48	20	89	135	18	2	1	21	58	75	23	156
	योग	**125**	**194**	**19**	**338**	**145**	**308**	**110**	**563**	**901**	**141**	**74**	**8**	**223**	**411**	**576**	**137**	**1124**
	महायोग	**844**	**1145**	**115**	**2104**	**750**	**1351**	**796**	**2897**	**5001**	**598**	**285**	**28**	**911**	**2192**	**2781**	**939**	**5912**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-274 की सूची)

प्रपत्र-"अ"

विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2006 की अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग के क्षतिग्रस्त कार्यो की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	अनुमानित राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1	मिठडी बांध व नहर	बांध व नहर	7.00	4.75
2	कोट बांध एवं नहर	बांध व नहर	8.00	3.90
3	दांतीवाडा बांध व नहर	बांध व नहर	4.00	0.90
4	शिवनाय सागर बांध व नहर	बांध व नहर	3.50	3.30
5	लाटाडा बांध व नहर	बांध व नहर	4.50	1.50
6	फुटिया बांध व नहर	बांध व नहर	4.00	1.50
7	पिपला बांध व नहर	बांध व नहर	1.50	2.00
8	सेवाड़ी बांध व नहर	बांध व नहर	2.00	2.00
	योग		**34.50**	**19.85**

प्रपत्र- ''ब''

जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के क्षतिग्रस्त कार्य

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्थान (तहसील)	कार्य का प्रकार	मरम्मत हेतु अनुमानित लागत	क्षति का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	खारी वाली एनीकट पुनडिया	बाली	एनीकट	3.50	कच्ची पाल पर रेनकट व डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	
2	फतेहपुरा एनीकट	बाली	एनीकट	3.00	कच्ची पाल पर रेनकट व डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	
3	कांटेश्वर एनीकट लुणवा	बाली	एनीकट	2.00	साइड कट	
4	लालदेवी सब सरफेस बेरियर बीजापुर	बाली	स.स.बे.	3.00	डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	

1	2	3	4	5	6	7
5	सब सरफेश बेरियर डूंगरली	बाली	स.स.बे.	3.00	साइड कट	
6	पेमली का नाका एनीकट	बाली	एनीकट	3.50	मेसोनरी क्षतिग्रस्त	
7	मालदर एनीकट मालदर	बाली	एनीकट	2.50	डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	
8	सब सरफेश बेरियर कोठार प्रथम	बाली	स.स.बे.	3.80	साइड कट	
9	सब सरफेश बेरियर कोठार द्वितीय	बाली	स.स.बे.	3.80	साइड कट	
10	सब सरफेश बेरियर बेडा	बाली	स.स.बे.	5.50	मेसोनरी व कापिंग क्षतिग्रस्त	
11	सब सरफेश बेरियर नाणा	बाली	स.स.बे.	5.00	मेसोनरी व कापिंग क्षतिग्रस्त	
12	सब सरफेश बेरियर भंदर	बाली	स.स.बे.	7.50	मेसोनरी व डाउन स्ट्रीम क्षतिग्रस्त	
13	बिजोलिया एनीकट	बाली	एनीकट	3.00	रेनकट एवं साईड कट	रख-रखाव का दायित्व संवेदक का है
14	मिठडी नदी डाईवरशन	बाली	डाईवरशन	6.00	साइड कट	रख-रखाव का दायित्व संवेदक का है
15	नरेशनाथ की घूणी एनीकट	बाली	एनीकट	3.60	मेसोनरी व डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	रख-रखाव का दायित्व संवेदक का है

1	2	3	4	5	6	7
16	पैरवा एनीकट	बाली	एनीकट	3.50	मेसोनरी एवं पोईंटिंग क्षतिग्रस्त	
17	सब सरफेश बेरियर खीमेल	बाली	स.स.बे.	3.00	डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	
18	भागली एनीकट	बाली	एनीकट	3.00	एनीकट द्वारा भरे जाने वाला तालाब की पाल क्षतिग्रस्त	
19	सादलवा टीपरी एनीकट	बाली	एनीकट	5.00	रेनकट एवं डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	
20	जीवा एनीकट खीमेल	बाली	एनीकट	4.50	रेनकट	
21	जीवादा जंझारजी एनीकट	बाली	एनीकट	1.50	मिठ्ठी की पाल क्षतिग्रस्त	
22	रूण्ण माता एनीकट बोया	बाली	एनीकट	1.50	रेनकट	रख-रखाव का दायित्व संवेदक का है
23	महादेव एनीकट गुडा कल्याणसिंह	बाली	एनीकट	1.50	मेसोनरी क्षतिग्रस्त	रख-रखाव का दायित्व संवेदक का है
24	वीरबावजी एनीकट	बाली	एनीकट	2.50	रेनकट	
25	मामाजी एनीकट बिलिया	बाली	एनीकट	2.00	**रेनकट एवं बैंक सेटलमेंट**	
26	गंगाजलिया एनीकट	बाली	एनीकट	4.00	**मिठ्ठी की पाल क्षतिग्रस्त**	
			योग:-	**90.70**		

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-278 की सूची)

कार्यालय कृषि अधिकारी उद्यान बायं आंवला बगीचों की ग्रामवार सूची

क्र.सं.	गांव	पंचायत समिति	आंवला फल	
			क्षेत्रफल (है.)	उत्पादन (क्वि.)
1	2	3	4	5
1	भोयल	शाहबाद	16	62.4
2	देवरी	शाहबाद	2	0
3	बिहारीपुरा	शाहबाद	14	62.4
4	गणेशपुरा	शाहबाद	2	0
5	कस्बाथाना	शाहबाद	2	0
6	केलवाडा	शाहबाद	1	0
7	देवरी ऊपरेटी	शाहबाद	25	171.6
8	मामोनी	शाहबाद	4	0
9	खटका	शाहबाद	8.5	6.63
10	नारायणखेड़ा	शाहबाद	4	62.4
11	कालोनी	शाहबाद	4	0
12	नाटई	शाहबाद	1	0
13	पीपलखेड़ी	शाहबाद	3	0
14	शाहबाद	शाहबाद	1	0
15	मुगावली	शाहबाद	24	936
16	शुभधरा	शाहबाद	13	608.4
17	बारां	बारां	5	390
18	बराना, बरानी, गोरधनपुरा	बारां	10	78
19	बटावदा	बारां	1	0
20	खेड़ी	बारां	3	46.8
21	फतेहपुर	बारां	1.5	46.8
22	फुसरा	बारां	1	0
23	इकलेरा	बारां	1.5	0
24	कलमण्डा	बारां	0.5	0
25	खैराली	बारां	1	39

1	2	3	4	5
26	कोटढ़ीसूण्डा	बारां	1	0
27	कोयला	बारां	1.5	46.8
28	गण्डोला	बारां	3.5	62.4
29	माथना, माथनी	बारां	6	187.2
30	रटावद	बारां	6.5	304.2
31	शंकरपुरा	बारां	4	0
32	कल्याणपुरा	बारां	2	78
33	सीमली	बारां	1	0
34	विजयपुर	बारां	1	0
35	सुन्दलक	बारां	1	0
36	आंकड़ी	बारां	2.5	65.4
37	चीकी बोरया	बारां	4	374.4
38	तिरतया	बारां	1	0
39	बांसथूनी	किशनगंज	4.5	0
40	रामपुरिया	किशनगंज	4	31.2
41	भंवरगढ़	किशनगंज	2.5	39
42	कन्यादेह	किशनगंज	1.5	0
43	छीनोद	किशनगंज	2	0
44	गोबरचा	किशनगंज	2	0
45	जलवाडा	किशनगंज	8.5	0
46	अगलावदा	किशनगंज	4	78
47	खांकरा	किशनगंज	5	93.6
48	किशनगंज	किशनगंज	5.5	46.8
49	मिसाई	किशनगंज	4	0
50	रामपुरिया लाखोखेड़ा	किशनगंज	4	31.2
51	बालापुरा	किशनगंज	2	12
52	रेलावान	किशनगंज	1	0
53	बबुका	किशनगंज	2	15.6
54	मायथा	किशनगंज	0.5	19.5
55	करणपुरा	किशनगंज	4	0

1	2	3	4	5
56	शाहपुरा	किशनगंज	6	0
57	मदनपुरा	किशनगंज	2	0
58	सेवनी	किशनगंज	0.5	0
59	गोरधनपुरा	किशनगंज	2	0
60	रानी बडौद	किशनगंज	0.5	0
61	शोभागपुरा	किशनगंज	1	0
62	बाझआम्ली	किशनगंज	0.5	0
63	पण्डाली	किशनगंज	3	0
64	बाहरी	छबड़ा	2	0
65	छबड़ा	छबड़ा	6.5	0
66	गोडिया मेडर	छबड़ा	1.5	0
67	निपानिया	छबड़ा	3.5	0
68	बम्बोरी बडाय	छीपाबड़ौद	4.5	0
69	छीपाबड़ौद	छीपाबड़ौद	4.5	0
70	दीमोद खालसा	छीपाबड़ौद	1	0
71	फूलबडौदा	छीपाबड़ौद	2	0
72	गगचाना	छीपाबड़ौद	2	0
73	गोरधनपुरा	छीपाबड़ौद	1	0
74	नोखपुरा	छीपाबड़ौद	1	0
75	सेतकोलू	छीपाबड़ौद	1	0
76	नागदा की झोपडियां	अन्ता	1	0
77	भाटवाडा	अन्ता	5	0
78	बोहत	अन्ता	3	0
79	हिंगोनिया	अन्ता	1	0
80	ईश्वरपुरा	अन्ता	2	0
81	मूण्डली	अन्ता	1	0
82	बोरदा	अन्ता	4	249.6
83	माल बमोरी	अन्ता	5	0
84	मांगरोल	अन्ता	3	0
85	रायथल	अन्ता	1.5	0

1	2	3	4	5
86	शाहपुरा	अन्ता	2.5	0
87	रीसवाली	अन्ता	3	0
88	उदयपुरिया	अन्ता	2	124.8
89	पाड़लिया	अन्ता	3	156
90	कूडला	अन्ता	2	124.8
91	गुलाबपुरा	अन्ता	4.5	124.8
92	अन्ता	अन्ता	0.5	78
93	बडवा	अन्ता	2	0
94	अलीपुरा	अन्ता	1.5	19.5
95	रूपपुरा	अन्ता	1	0
96	बालदड़ा	अन्ता	6	0
97	बन्दोरी कलां	अन्ता	5.5	156
98	बम्बूलिया	अन्ता	3.5	0
99	बनूलिया कलां	अन्ता	1	0
100	भोज्याखेड़ी	अन्ता	0.5	0
101	बिजोरा	अन्ता	1.5	0
102	पालसावा	अन्ता	1.5	0
103	बमूलिया जोगियान	अन्ता	3	0
104	पचेल कलां	अन्ता	1	46.8
105	खजूरना कलां	अन्ता	1	50
106	पलायथा	अन्ता	4	312
107	पाटुंदा	अन्ता	0.5	0
108	ठीकरिया	अन्ता	5.5	0
109	रातडियां	अन्ता	1.5	23.4
110	काशीपुरा	अन्ता	0.5	0
111	आमली कराडिया	अटरू	2.5	0
112	रीछन्दा	अटरू	1	0
113	अन्ताना	अटरू	2.32	0
114	अटरू	अटरू	1	0

115	निमोदा	अटरू	5	0
116	कराडिया	अटरू	1.5	0
117	कटावर	अटरू	1	0
118	कवाई	अटरू	2.5	0
119	कुजैड	अटरू	1	39
120	छत्रपुरा	अटरू	1	0
121	अर्डान्द	अटरू	2	0
122	घुमेन	अटरू	2	0
123	सुभाषपुरा	अटरू	0.5	0
	योग		**395.32**	**5497**

कृषि अधिकारी उद्यान
बारां

परिशिष्ट-4

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल ओनकोलोजी विभाग को पूर्ण विकसित करने बाबत

मान्यवर,

सादर निवेदन है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर, प्रदेश का एक मात्र प्रतिष्ठित एवं सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान के रूप में प्रख्यात है। जहां प्रदेश के ही नहीं आस-पास के प्रदेशों के रोगी भी अपना इलाज कराने हेतु आते हैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय में चिकित्सा विज्ञान की लगभग कई महत्पूर्ण यूनिट्स कार्यरत हैं परन्तु मेडिकल ओनकोलोजी व सर्जिकल ओनकोलोजी के पृथक्-पृथक् विभागो का अभाव है। जबकि यहां रेडियोथेरेपी का विकसित विभाग कार्यरत है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 20 हजार केंसर रोगी प्रतिवर्ष अपने इलाज व निदान हेतु इस चिकित्सा संस्थान में आते हैं। जिसमें 2500 रोगी भर्ती होकर केंसर रोग के इलाज की सुविधा का लाभ ले रहे हैं, एवं लगभग 2000 रोगियों का ऑपरेशन द्वारा एवं 2400-2500 रोगियों का कीमोथेरेपी के जरिये ईलाज किया जाता हैं।

मान्यवर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आकड़ोें के अनुसार विकासशील देशों में केंसर रोग इस शताब्दी के मध्य तक एक महामारी के रूप में विकराल रूप धारण करने जा रहा है। इण्डियन कांसिल आफ मेडिकल रिसर्च (ICM) के अनुसार हर 10वें हिन्दुस्तानी को अपने जीवनकाल में केंसर रोग होने की पूर्ण सम्भावना है। इसी परिपेक्ष में आज वर्तमान में राजस्थान राज्य में भी प्रतिवर्ष 50 हजार नये केंसर रोगी डायग्नोज होने का अनुमान है।

केंसर रोग के इलाज व निदान में निम्न 3 पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता हैं। जोI- सर्जरी-II, रेडिएशन, III- कीमोथेरेपी (मेडीकल ओनकोलोजी) हैं। केंसर रोगी को सम्पूर्ण इलाज देने के लिए इन तीनों पद्धतियों का पूर्ण विकसित होना अति आवश्यक हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के इस अग्रणी चिकित्सा संस्थान में भी मेडिकल ओनकोलोजी विभाग पूर्ण विकसित नहीं है। जबकि मेडिकल कांसिल आफ इण्यिा ने भी मेडिकल ओनकोलोजी स्पेशलाईजेशन को मान्यता प्रदान करते हुए देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इस विभाग को पूर्ण विकसित करने की सलाह दी है।

मान्यवर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल ओनकोलोजी के प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी कार्यरत हैं एवं यहां आधारभूत उपकरण व सुविधाओं के साथ-साथ पर्याप्त भूमि एवं भवन भी उपलब्ध हैं। किन्तु इसका पृथक विभाग नहीं होने से कैंसर रोग के उपचार में कई बाधाएं आ रही हैं। हालांकि यहां बिडला कैंसर सेन्टर नामक संस्थान कार्यरत है जहां कीमोथेरेपी व मेडिकल ओनकोलोजी संबंधित कार्य छोटे स्तर पर जारी हैं। लेकिन इस संस्थान में पूर्ण मेडिकल ओनकोलोजी विभाग एवं बोनमेरो ट्रांसप्लान्ट यूनिट नहीं होने की वजह से राज्य के कैंसर रोगियों को अपने ईलाज के लिए प्रदेश से बाहर दिल्ली, मुम्बई अथवा बैंगलोर आदि स्थानों पर जाना पड़ता है। जिससे रोगी एवं उसके परिवारजनों को काफी वित्तीय भार उठाना पड़ता है, और जिन रोगियों को सरकारी स्तर पर रैफर किया जाता है। उनके इलाज में राजकोष का काफी व्यय होता है।

अतः आपसे निवेदन है कि राज्य के इस सबसे बडे चिकित्सा संस्थान में मेडिकल ओनकोलोजी विभाग को वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण रूप से संगठित कर विकसित करने की आवश्यकता है। जिसके लिए राज्य सरकार पर विषेश वित्तीय भार भी नहीं पडेगा। कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही कर कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करावें।

सादर।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

दानपुर में उप तहसील खोलने बाबत

महोदय,

जिला बांसवाड़ा में तहसील बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र पूर्णतया अनुसूचित जन जाति का क्षेत्र है तथा वहां की जनता तहसील के कार्यो के लिये आने-जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

अत : दानपुर में उप तहसील खोलने की कृपा करें।

अर्जुन सिंह

(दानपुर)

मौरिजा बांध का पुनर्निमाण कराये जाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि गांव मोरिजा में बहुत पुराना बांध बना हुआ है था

लेकिन 5-6 वर्ष पूर्व तेज बारिश के कारण बांध की भराई क्षमता से अधिक पानी आने के कारण से बांध टूट गया बांध के टूटने से मौरिजा, चाथवाडी, अन्नतपुरा सुल्तानपुरा आदि गांवों का जल स्तर तीव्र गति से गिरने लगा है पूर्व में इस बांध के पानी का उपयोग गांव के पशु पानी पीने व गांव के लोग अन्य काम भी लेते थे।

अतः आपके माध्यम से विभाग के मा. मंत्री व अधिकारियों से निवेदन है कि इस बांध का पुनः जीर्णधार करवाने का श्रम करें जिससे गिरते हुये जल स्तर को रोका जा सके तथा मौरीजा गांव के लोग इस पानी का उपयोग कर सकें।

धन्यवाद।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

ट्रंको के ओवरलोडिंग के सम्बन्ध में

महोदय,

राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने माल परिवहन करने वाले ट्रकों की ओवर लोडिंग पर सख्ती से पाबन्दी लगा दी है। यदि कोई ट्रक अपनी क्षमता से अधिक माल भर कर ले जाता हुआ पाया जाता है तो उसके माल को खाली कराके ट्रक को सीज तक कर लिया जाता है।

इस सख्ती के कारण जो एक ट्रक पहले एक फेरे में भरकर ले जाता था अब उसे उसी माल को ले जाने के लिये दो तीन चक्कर लगाकर माल परिवहन करना होता है। इससे डीजल की लागत बढ़ी है व ट्रकों की उपलब्धता कम होने से ट्रक भाड़ा भारी बढ़ गया है परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से मंहगाई बढ़ी है।

जब कि अन्य राज्य बिहार, यू.पी., मध्यप्रदेश, झारखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में ऐसी सख्ती नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्थान राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने मंहगे खनिज जैसे कोटा-स्टोन व मार्बल जिनके ट्रकों के माल की कीमत पचास हजार रुपये से डेढ दो लाख रुपये तक होती है। उनको ओवर लोडिंग करने की छूट दे दी है, जब कि कम मूल्य के खनिज जो कि ट्रको में खुले (लूज) भरे जाते हैं जिनके माल की कीमत एक एक हजार से 8-10 रुपये तक होती है । जैसे नदी की सेन्ड, सिलीका सैन्ड व पाउडर, बालक्ले, व्हाईटक्ले उनकी ओवर लोडिंग पर छूट नहीं दी गई है ।

जिससे इनका परिवहन भारी महंगा हो गया है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग को इस अन्याय पूर्ण नीति को बदलते हुये उपरोक्त साधारण कम कीमत के खनिज जो कि ट्रकों में खूले (लूज) भरे जाते हैं। उनको ओवर लोडिंग के लिये 4-5 टन तक की छूट दी जानी चाहिये क्योकिं खानो पर तुलाई की व्यवस्था ना होने से वैसे भी खुला माल ज्यादा भराउ आ जाता है।

इस व्यवस्था से ट्रकों के भाडे में कमी आवेगी, ट्रको के साथ अन्याय नहीं होगा। भ्रष्टाचार कम होकर आवश्यक वस्तुओं की कीमत घटेगी और मंहगाई कम होगी।

यदि सरकार पूर्व की तरह ट्रकों के I-गोल्डन परमिट व पर्ची व्यवस्था लागू करती है। तो एक हद तक परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार खतम होकर सरकार की आय भी बढ़ेगी। आशा है परिवहन मंत्रीजी ध्यान देंगें।

धन्यवाद।

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

(गंगापुर)

श्री राजाराम मेघवाल राष्ट्रीय शहीद की राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-14 (जाडन-पाली) पर मूर्ति लगाकर स्मारक बनाने के सम्बन्ध

महोदय,

राष्ट्र की रक्षा के लिये अनुसूचित जाति-जन जाति के जिन लोगों ने अपना त्याग व बलिदान दिया उन्हें अब तक इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल सका। महादेव, हमारे राष्ट्र पर विदेशियों ने कई आक्रमण किये। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो या मेहमूद गजनवी का, अल्लाउद्दीन खिजली का हो या राणा सांगा के साथ बाबर का या फिर हल्दी घाटी में अकबर के साथ महाराणा प्रताप का महासंग्राम। इसके अलवा देश की आजादी के लिये भी अंग्रेजों के विरुद्ध अनेकों युद्ध उन सभी युद्धों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों ने भी राष्ट्र के लिये कुर्बानियां दी हैं। हम सन् 1904-05 में मानगढ धाम, आनन्दपुरी, बासवाडा के संघर्ष को नहीं भुला सकते जिसमें लगभग 3500 आदिवासियों ने बलिदान दिया लेकिन इतिहान के पन्नों में कही पर भी उनका उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार अनुसूचित जाति-जनजाति के भी कई लोग भी झुंझार हुये।

महोदय झुंझार का अर्थ है अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते-करते दुश्मन के वार से सर धड़ से अलग होने के बावजूद बिना सिर के भी यौद्धा का धड़ दुश्मनों के साथ युद्ध कर दुश्मन को मौत के घाट उतार देते थे, उन्हें झुंझार कहा जाता था।

जिस तरह वीर बांकुरो को आज परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है उसी प्रकार युद्ध के झुंझार योद्धाओं को सामंत जैसे अलंकरण से सम्मानित किया जाता था। जिससे अन्य लोगों में भी राष्ट्र-प्रेम, त्याग व बलिदान की भावना जागृत हो। लेकिन आज के इस युग में इसका दुरपयोग हो रहा है। जहां कहीं भी जुल्म व अत्याचार होता है तो उसे सामंतवाद की उपमा दी जाती है। आज समय आ गया है जब इस शब्द की पुर्नसमीक्षा की जाए। आज सामंत शब्द को जाति विशेष से जोड़ कर देखा जा रहा है यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। राजस्थान में सभी जातियों में झुंझार हुये हैं लेकिन उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल सका।

इसी तरह लगभग 500 वर्ष पूर्व पश्चिमी राजस्थान में श्री राजाराम मेघवाल ने राष्ट्र के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर जोधपुर मेहरान गढ़ दुर्ग में बलिदान दिया था। क्या यह उचित है कि ऐसे राष्ट्रभक्त मात्र जोधपुर दुर्ग की चारदीवार में इतिहास बन कर दफन हो जायें? इसका उल्लेख हमें जोधपुर रियासत द्वारा दिनांक 12.2.1890 में जारी इतिहास से सम्बन्धित पुस्तक गाईड टू जोधपुर में मिलता है। महोदय, श्री राजाराम मेघवाल की जन्मभूमि से मैं चुनकर आया हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि ऐसे राष्ट्रभक्त, त्यागी व बलिदान महापुरूष को इतिहास में उचित स्थान मिले और हमें उनका बलिदान प्रेरणा देता रहे इसके लिये हम चाहते हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची के अन्तर्ग राष्ठ्रीय राजमार्ग संख्या-14 जाडन-पाली के चौराहे पर श्री राजारामजी मेघवाल की आदमकद प्रतिमा लगवाकर स्मारक बना सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार से संरक्षण चाहूंगा कि तुरन्त हमें इसकी स्वीकृति प्रदान करावें।

खुशवीर सिंह

(खारची)

अरणाय ग्राम में बाइपास बनवाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम अरणाय जो कि सांचौर से

भीनमाल जाने वाली मुख्य सड़क गांव के बीचोंबीच से होकर गुजरती है कई बार तेजी से चलते वाहनों से दुर्घटनाऐं भी हुई है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त सड़क स्कूल से बाईपास बनवाने का कष्ट करावें ताकि आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

जीवाराम चौधरी

(सांचौर)

निवाई शहरी क्षेत्र की घनी कालोनी शिवाजी कालोनी का नियमन बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मै आपके माध्यम से प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा उपखंड़ पर स्थित शिवाजी कालोनी विगत 40 वर्षो से चरागह भूमि खसरा न 1889,2045 एवं 1753 में बसी हुई हैं पूर्व में यह खसरा ग्राम पंचायत ढाणी जुगलपुर (निवाई) के अन्तर्गत आती थी। जिसमें कुछ व्यक्तियों को पंचायत द्वारा पटटे भी जारी किये गये थे। परन्तु अब शहरी क्षैत्र में शामिल होने के कारण इस कोलोनी से 4 पार्षद निवार्चित होते हैं। वर्तमान में इस कोलोनी में नगर पालिका द्वारा सड़क, पार्क, विद्युतीकरण एवं जलदाय विभाग द्वारा पानी एवं टंकियों द्वारा व्यवस्था की जा रहीं हैं। इस कोलोनी में अधिकतर अनु. जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं गरीब मध्यम श्रेणी के संवर्ग लोग भी निवास करते हैं। परन्तु अपने मकानों का मालिकाना हक जिन्होंने पक्का निर्माण कर निवास करते हैं। परन्तु अपने मकानों का मालिकाना हक नहीं है इन लोगों को नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स एवं राज्य विभाग द्वारा 91 के नोटिस दिये जाकर राशि वसूली की जाती हैं। वर्तमान में ढ़ाणी जुगलपुरा पंचायत द्वारा भी एन.ओ.सी शहरी क्षेत्र में शामिल कराने बाबत लिखित में दिया जा चुका है। नगर पालिका निवाई में पत्रांक : एस.पी. दिनांक 26.11.06 द्वारा जिला कलक्टर टोंक को प्रस्तुत किया जा चुका है।

परन्तु जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध कार्य बनाकर नियमन की कार्यवाही नहीं की हैं। जबकि इस बस्ती की जनसंख्या 10 हजार के करीब है यदि इस कोलोनी को नियमन किया जाता है तो करोड़ों की आय राज्य विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग (नगरपालिका) को होगी साथ ही इस कोलोनी पर बसे अनु. जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों

एवं गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी तथा मालिकाना हक मिलने पर बैंको से ऋण एवं भवन निर्माण के लिये कर्ज प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिला प्रशासन एवं नगरपालिका प्रशासन को नियमन कराने हेतु तुरन्त कार्यवाही के आदेश करावें। मैने पूर्व में भी तारांकित, अतारांकित प्रश्नो के माध्यम से भी उक्त विभागों का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु किसी प्रकार से उचित कार्यवाही नहीं की गई।

अतः तुरन्त बिना किसी देशी के उक्त कोलोनी को नियमित कराने की कार्यवाही कर गरीबों को राहत प्रदान करावें।

धन्यवाद

हीरालाल

(निवाई)

खेतड़ी के धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी ऋषियों की तपो भूमि के नाम से विख्यात है इसमें पहाडों में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और उनके धार्मिक स्थल सदियों पुराने आज भी विद्यमान हैं हमारी सरकार ने धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने की अनूठी योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से चालूकर धार्मिक स्थलों को सडकों से गत बजट वर्ष में भी जोड़ा है और इस बजट में भी प्रस्ताव रखा है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा खेतड़ी में :-

1. ग्राम नालपुर में बाबा पूरणमल चौरंगी नाथ का मंदिर। 3किमी.

2. बाबाई-मण्डाना में कुण्डों पर तीर्थ स्थल पर 3000 वर्ष पुराने विधमान हैं। 2 किमी.

3. बाडलवास में बाबा देवादास तथा बाबा दादिया सन्त जो कि दोनों ने जीवित समाधि ली हुई है। उनके समाधि स्थल को बाडलवास ग्राम से सड़कों से जोडा जावे। प्रतिवर्ष यहां हजारों लोग दर्शन हेतु आते हैं तथा जनभावनाओं से जुड़े हुये धार्मिक स्थल हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय उक्त चार धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने का निवेदन करता हूं।

दाताराम गुर्जर

(खेतड़ी)

शहरी नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव मतदाताओं से सीधा करने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता नगरपालिका पार्षदों के चुनावों में इस उम्मीद से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है कि वह प्रतिनिधि जनता की सेवा करते हुये अपने वार्ड में विकास कार्य शुरू करवायेगा तथा आने वाली समस्या तथा लालफीताशाही से संघर्ष कर आमजन को राहत दिलायेगा। ठीक इसके विपरीत वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में यही चुने गये पार्षद अपने नेता अर्थात अध्यक्ष का चुनाव करने में गलत तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ताकतों का मोहरा बनकर रह जाते हैं। जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा के साथ आवांछित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है।

ऐसी अवस्था में ईमानदार मेहनती एवं सच्चे सेवकों को कार्य कराने व करने में काफी कठिनाईयां आती हैं। जिसके परिणामस्वरूप आमजन को राहत दिलाने व क्षेत्र के विकास के जिस उद्देश्य से नगरपालिका पार्षदों का चुनाव करवाया जाता है वह व्यर्थ साबित होता दिखाई देता है। क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में इन चुने हुये पाषर्दों द्वारा ही अपने अध्यक्ष/चेयरमेन का चुनाव करना होता है जिसमें बाहुबली एवं धन्नासेठों द्वारा अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर अध्यक्ष के चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। जिसकी परिणित आम जनता को दु:ख भोगने के रूप में होती है।

इस प्रकार धन्नासेठों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर अपने पद का दुरूपयोग किया जाता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा आमजन के कार्य नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि इन पूंजीपतियों द्वारा गलत तरीके अपनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाकर अध्यक्ष गिराने की मुहिम चलाई जाती है जिसके कारण वर्तमान चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में भाजपा हनुमानगढ़ नगरपालिका पार्षद श्री दीपक बंसल द्वारा विगत 18 वर्षो से इस मांग हेतु कई आन्दोलन किये जाते रहे हैं।

अतः मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त बातों पर गौर फरमाकर कुछ अन्य राज्यों (उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश,

उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र) की तरह राजस्थान में भी नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव आम जनता से सीधे ही कराया जावे ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके तथा विकास कार्य में तेजी लाई जा सके।

भवदीय

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

बोली तहसील के कास्तकारों को फसल बीमा राशि दिलवाने बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौली के जिला-स.मा. में इस वर्ष 80/95 प्रतिशत फसल खराब है और सम्पूर्ण तहसील बौली अकाल घोषित है और सरकार ने माह फरवरी 2007 से अकाल रहात कार्य चालू कर रखा है। तहसील बौली के कास्तकार विगत वर्षों से फसल बीमा राशि नहीं मिली है। सरकार की गार्ड लाईन के अनुसार पूरी तहसील को एक खण्ड माना है तो इस वर्ष तहसील बौली में सम्पूर्ण 80 से 95 प्रतिशत खराबा मानकर राज्य सरकार ने अकाल घोषित किया है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जि.स.मा. की तहसील बौली के कास्तकारों को तुरन्त फसल बीमा राशि दिलाने की मैं मांग करता हूं।

हीरालाल मीणा

(बामनवास)

लगातार अकाल पड़ने पर कृषि ऋण का ब्याज माफ करने बाबत

महोदय जी,

राजस्थान में पिछले 8 वर्ष में लगातार अकाल पड़ रहा है। अकाल की मार के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। उसके सामने बच्चों का पालन-पोषण करना भी दुर्भर हो गया है। किसानों ने अपने कृषि कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर कृषि कार्य किया था। तथा किसानों ने कृषि उपकरण तथा ट्रैक्टर क्रय करने हेतु बैंकों से तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर क्रय किया था। अकाल के कारण वे लोग समय पर किस्तों का भुगतान नहीं कर सके जिससे उनकी जमीन की कुर्की होती है तथा नीलाम भी होती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यदि वास्तव में यह सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है। तो सरकार को उन किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करना चाहिए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अकाल के कारण कमजोर हो गयी है। वे लोग वास्तविक जो कर्ज लिया था उसका भुगतान करने में भी असमर्थ है। ब्याज की राशि चुकाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल का काम है।

अतः मेरा निवेदन है कि अकाल पीड़ित लोगों का कृषि कार्य हेतु कर्ज का ब्याज माफ करने की कृपा करें।

धन्यवाद

नन्दलाल पूनियां

(सादुलपुर)

बिछीवाड़ा पंचायत समिति जिला डूंगरपुर में तहसील खोलने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन इस प्रकार है कि पंचायत समिति बिछिवाड़ा डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी दूसरी पंचायत समिति है जिसके अन्तर्गत 48 ग्राम पंचायतें आती है पंचायत समिति बिछिवाड़ा भौगोलिक दृष्टि से पूरा पाहड़ी क्षेत्र है तथा वहां के लोगों को राज्य कार्यों के लिए जिला डूंगरपुर जाना पड़ता है। वह पुरी पंचायत समिति जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा आमजन को छोटे-छोटे कार्यो के लिए मुख्यालय पर आना पड़ता है। जिसकी दूरी पंचायत समिति के क्षेत्र से लगभग 50-60 किलोमीटर है। पंचायत समिति बिछिवाड़ा हाइवे से जुड़ा हुआ है। गरीब जनजाति लोगों को सड़क पार कर डूंगरपुर आने में काफी परेशानी होती है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वाहनों का अभाव है तथा विद्यार्थियों को जाति-प्रमाण आय प्रमाण-पत्र तथा तहसील से जुड़े सभी प्रकार के छोटे कार्यों के लिए डूंगरपुर तहसील आना पड़ता है। वर्तमान में डूंगरपुर जिले में चार यह तहसील हैं सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, आसपुर, डूंगरपुर सभी पंचायत समितियां स्तर पर तहसील हैं अतः पंचायत समिति बिछिवाड़ा भी तहसील होने के सारे मापदण्ड रखती है।

अत: माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि पंचायत समिति बिछिवाड़ा में नई तहसील खोलने का आदेश प्रदान करावे।

सुशील कटारा
(चौरासी)

जवाहर सागर पंचायत को वन विभाग से बाहर निकाल कर पंचायत समिति की जमीन घोषित करने बाबत

महोदय जी,

सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जवाहर सागर अभी तक वन विभाग में ही है। गौर करने वाली बात ये है कि इस ग्राम पंचायत में ही जवाहर सागर बांध बना हुआ है जिसका निर्माण सन 1967 में हुआ और यहां बिजली उत्पादन भी होता है। अफसोस इस बात का है कि इस बांध का आज तक लोकार्पण नहीं हुआ है, कारण केवल वन विभाग है।

इस ग्राम पंचायत में बिजली विभाग की और सिंचाई विभाग की पक्की कॉलोनी बनी हुयी है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल है। खेल के मैदान, बिजली कनेक्शन जैसी सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। मेरा निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार वन विभाग से पंचायत समिति की भूमि घोषित करे ताकि वहां नये भवन एवं अन्य विकास कार्य हो सकें।

ममता शर्मा
(बूंदी)

परबतसर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गच्छीपुरा को उप तहसील घोषित करवाने बाबत

महोदय,

मै राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र का राजस्व ग्राम ईटावा बामणियां गच्छीपुरा जो मकराना तहसील में स्थित है जो पूर्व में परबतसर तहसील के आधीन था तथा बाद में मकराना को अलग तहसील घोषित करने पर इसे मकराना तहसील के अधीन कर दिया गया। लेकिन यह मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अधीन आता है। इस राजस्व ग्राम को उप

तहसील घोषित करवाने के लिये तहसीलदार मकराना द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक/भू.अ./सा. कृषि1990/दिनांक 23 मार्च 2004 के प्रसंग में प्रस्ताव बनाकर भी भेजा जा चुका है। यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कृषि उपज मण्डी, पुलिस थाना, उच्च माध्यमिक विद्यालय, यूको बैंक, पोस्ट ऑफिस, जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के कार्यालय स्थित है। यहां पर स्थित बालिका माध्यमिक विद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इसी बजट सत्र में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी घोषित कर दिया है। यहां पर रेल्वे स्टेशन है जहां से जोधपुर, जयपुर और बीकानेर रेलमार्ग गुजरता है। जिला कलेक्टर नागौर द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में इस क्षेत्र को उप तहसील बना दिया जाता है तो इसका कुल क्षेत्रफल 39816.77 हैक्टेयर का आता है। इसमें वर्ष 2001 के आंकड़ो के अनुसार 5372 खाते, 1427 खसरे हैं। इस क्षेत्र से वर्ष 2001 में 147884.8 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार 60508 है। ग्राम गच्छीपुरा को उप तहसील बना दिया जाता है तो इसमें आने वाले 12 पटवार मण्डल, 13 ग्राम पंचायतों के 52 राजस्व ग्राम तथा अनेक ढाणियों के निवासियों को लाभ प्राप्त होता है।

इस क्षेत्र की उप खण्ड व तहसील मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जहां पर एक गरीब आदमी के लिये आना-जाना बहुत ही भारी पड़ता हैं।

ग्राम गच्छीपुरा को उप तहसील घोषित करने के लिये मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया को दिनांक 17.12.2004 व 15.11.2006 को लिखित में निवेदन किया गया था। जिन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग को भेजे गये थे। लेकिन अभी तक गच्छीपुरा उप तहसील घोषित नहीं जा सकी है।

अतः मै इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गच्छीपुरा को उप तहसील घोषित करवाकर मुझे व क्षेत्र की जनता को अनुग्रहित करवाने की कृपा करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

ग्राम सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र को छोटा करने बाबत

महोदय,

वर्तमान में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र काफी

लम्बा चौड़ा है। 4-4 ग्राम पंचायतों को एक-एक सहकारी समिति जो लगभग 20-20 कि.मी. की परिधी में फैला हुआ है ये किसानों की सुविधा के अनुरूप नहीं है। मा. अध्यक्ष महोदय पूर्व में कई सहकारी समितियों को नजदीकी सहकारी समिति में मर्ज कर दिया गया कितनी ही सहकारी समितियां अवसायन में आ गई और उन्हें भी नजदीकी सहकारी समिति में विलय कर दिया गया। इस तरह अधिकांश सहकारी समितियों का केन्द्रीयकरण हो गया। इस तरह सहकारी समितियों के कर्मचारियों की संख्या तो कम हुई लेकिन मा0.अध्यक्ष महोदय किसानों को आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधा समाप्त हो गई किसानों को खाद बीज या नगद राशि प्राप्त करने हेतु 10-10, 12-12 कि.मी. जाना पड़ता है। 4 ग्राम पंचायत की सहकारी होने से किसानों की संख्या भी काफी हो जाती है खाद बांटते-बांटते खत्म हो जाता है बीज भी बांटते-बांटते खत्म हो जाता है और शेष बचे हुये किसानों को दूसरा लाट आने तक इंतजार करना पड़ता है। और इस तरह किसानों को 10-12 कि.मी. चलकर बार-बार सहकारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

मा. अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र पिडावा में सामरिया समिति में चार ग्रा. पंचायतें ओसावा में तीन सांगरिया में तीन भूरखेडी में चार, नराणा में तीन धोनिया, दूबदिया में 2-2 पंचायतें और इन सभी सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र 15 से 20 कि.मी. के दायरे में है। मा. अध्यक्ष महोदय पूर्व में उक्त सभी पंचायतों में सहकारी समितियां मौजूद थी। मा0 अध्यक्ष महोदय किसानों को असुविधा आर्थिक नुकसान व समय की बर्बादी से बचाने के लिये पूर्ववत्त जिन-जिन पंचायतों में सहकारी समितियां मौजूद थी वहां पुनः सहकारी समितियां स्थापित किये जाने हेतु मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

धन्यवाद।

कन्हैया लाल पाटीदार

(पिड़ावा)

कालीसिल बांध की नहरों को पक्का कराने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालीसिल

बांध का निर्माण 40-45 पूर्व वर्ष करवाया गया था। इस बांध के कमाण्ड क्षेत्र में लगभग 60-70 गांवों को सम्मिलित किया जाकर हजारों बीघा जमीन को सिंचित करने की योजना तैयार की गई थी। इस बांध में पर्याप्त पानी की आवक भी है, किन्तु बांध निर्माण के समय से ही पक्की नहरों का निर्माण नहीं करवाया गया था। जिससे पानी का अपव्यय बहुत होता है तथा टेल के किसानों को सिंचाई की बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पाती है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों में किसानों की भूमि को सिंचित करने के लिए अन्य कोई सिंचाई का साधन भी नहीं है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के कालीसिल बांध की पक्की नहरों के निर्माण की व्यवस्था करावें, ताकि काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

सुखलाल मीणा
(सपोटरा)

खनिज विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.11.2006 को स्थगित करने बाबत

अध्यक्ष महोदया,

मैं आपके मार्फत खनिज मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.11.2005 में जो प्रावधान किये गये हैं वे प्रदेश की खनिज सम्पदाओं से जुडे लघु व मंझले उद्योगों व खान मालिकों तथा खान मजदूरों में जटिलता बढ़ाने वाले हैं एवं इस अधिसूचना में निर्धारित की गई प्रक्रिया निश्चित ही प्रदेश में इन्सपेक्टर राज को बढ़ावा देगी। इस अधिसूचना में कई ऐसे प्रावधान किये गये हैं कि जिससे खनिज सम्पदाओं का उपयोग करने वाले उद्यमियों को अपने उत्पाद विक्रय करने से पूर्व खनिज विभाग से नाना प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करनी होगी। इससे उत्पादित होने वाली सामग्री की अनावश्यक रूप से कीमतों को प्रभावित करेगी साथ ही लघु उद्यमी को खनिज विभाग के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। इस अधिसूचना की क्रियान्विती 01 अप्रैल, 2007 से होनी है। यानि 01 अप्रैल से खान मालिक को अपने उत्पादन को बेचने से पूर्व विक्रय की जाने वाली मात्रा व उपयोग की जानकारी खनिज विभाग को उपलब्ध करानी होगी कि उसका उत्पाद किस जगह प्रेषित किया जा रहा है एवं उसके पश्चात उत्पाद खरीदने वाले व्यवसायी अथवा लघु उद्यमी को इस खनिज उत्पाद से निर्मित वस्तु का विक्रय करने से

पूर्व खनिज विभाग से ट्रांजिट अनुमति इत्यादि प्राप्त करनी होगी। यानि मेरा सीधा मतलब यह है कि यह अधिसूचना मात्र जटिलताएं पैदा करने वाली ही हैं इससे खनिज विभाग को प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं होगा। इस अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों बाबत औद्योगिक संगठनों व खान व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा खान मंत्री व सरकार को अवगत करा चुके हैं।

अत: मेरा आपके मार्फत माननीय खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस अधिसूचना की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए इसके प्रावधानों का पुनर्निक्षण करावे तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर सबके हितों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रावधनों में व्यापक संशोधन करावें। ताकि उद्यमियों व खान मालिकों व मजदूरों को अनावश्यक जटिलताओं से बचाया जा सके।

धन्यवाद।

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

कोटा व अन्य प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु व मल जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के प्रति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की उदासीनता बाबत

महोदय,

कोटा व प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आर्थिक समृद्धि व विकास के कारण तथा बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण पर्यावरण के दूषित होने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। चार दशक पूर्व 1975 में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया था। मण्डल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण क्रियान्वयन सुनिश्च‍ित करना था। मण्डल अपने लक्ष्य से भटक गया है। यह कागजी संस्थान बन कर रह गया है। इसका एक मात्र कार्य इनके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों को घर बैठे निष्पादन करना रह गया है। निष्पादन चाहे खनन इकाइयों का हो या जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार प्रबन्धन का या फिर नगरीय ठोस अपशिष्ट का। आवेदन पत्रों के निष्पादन ने व्यापक भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इसी कारण शहरों में वायु व जल प्रदूषण फैलता जा रहा है। कोटा शहर की सीमा में लगे पत्थर के अनेक ब्रेकरों से हो रहे वायु प्रदूषण की गम्भीर समस्या है। लाखों लीटर गंदा जल मल नदी नालों के माध्यम से चम्बल नदी को प्रदूषित कर रहा है। विभाग मूक दर्शक बने

अव्यवस्था को देख रहा है। आवश्यकता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्यवाही करे।

भरत सिंह

(दीगोद)

पीपलखूंट में बडलीखेड़ा (घाटोल) की सिंचाई परियोजना का कार्य सर्वे अनुसार आरम्भ करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत परतीपुरा पं.स. पीपलखूँट में वडलीखेड। नाला पर सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2006 में तालाब का निर्माण करने का सर्वे हो चुका है।

पंचायत परतीपुरा क्षेत्र में वडलीखेड़ा नाला पर सिंचाई विभाग द्वारा तालाब निर्माण की परियोजना निर्माण होने पर :-

1. पानी का भराव क्षमता 53.00 एम.सी.एफ.टी (पानी भराव अनुमानित है)
2. सिंचाई क्षेत्र 203 हैक्टेयर भूमि पीयत होगा।
3. वडलीखेड़ा तालाब की लागत 162.00 लाख अनुमानित आंकी गयी है।

तालाब का निर्माण होने पर ग्राम परतीपुरा, खरवाडा, खडियावाणी, वडलीखेडा, पीपलदा, नायण, सालिया, माण्डवी, गोठडा यौगय 10 गांवो की 12966 बीघा जमीन पीयत होगा व 10 गांवो की 1992 की जनसंख्या के अनुसार आदिवासी ग्रामीणों की 5048 जनसंख्या लाभांवित होगी।

उपरोक्त ग्राम माहीडेम के बैकवाटर व वडलीखेड़ा नाला के पानी से वाटर पम्प लगाकर अपने खेतों में पानी पिलाकर खेती करने की कोशिश कर रहे हैं व वडलीखेड़ा तालाब का निर्माण होने पर 10 गांवो की पूरी जमीन 203 हैक्टर में पानी पिलाकर सूखा क्षेत्र में हरापन लाकर अपना जीवन जी सकेंगे।

आदर सहित।

नवनीत लाल नीनामा

(घाटोल)

मेड़ता में सार्वजनिक निर्माण द्वारा निर्मित विलेज पोर्शन की दयनीय स्थिति बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांवों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की विलेज पोर्शन की हालत अत्यन्त दयनीय है तथा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है जो काफी लम्बे समय से मरम्मत अथवा नवीनीकरण तथा सुदृढ़ीकरण से वंचित है। उदाहरण के तौर पर ग्राम भिटियां, बडायली, भंवाल, जसंवतावाद, लीलियां, फालकी, कुरडायों, भूरियालनी, बग्गड़, चूंदियां, रेष, खेडली, डाषरियानी, धंधवास आदि। इन सभी गांवों के विलेज पोर्शन की हालत अत्यन्त दयनीय है।

अतः मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इन समस्त ग्रामों की विलेज पोर्शन की दयनीय सड़कों को सी.सी. सडक में शीघ्र परिवर्तित करने की कृपा करावें ताकि समस्त गांवों के आम ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो सके।

धन्यवाद।

रामचन्द्र जारोड़ा

(नागौर)

पुष्कर क्षेत्र के कुछ गांवों को मगरा क्षेत्र में सम्मिलित करने बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कुछ गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने से विकास की गति बहुत ही मंद है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इन गांवों को अपना विकास करने व इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हेतु पर्याप्त बजट नहीं मिला तथा आज भी ग्रामवासी विकास की प्रतीक्षा में है। सरकार द्वारा भी इन गांवों की विशेष भौगोलिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिये जाने से क्षेत्र को विकास की विशेष योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा पुष्कर की 6 पंचायतों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं इन ग्राम पंचायतों को मगर विकास की परिधि में लेकर विकास का रास्ता खोले। इन गांवों में दूसरा विकास तो दूर पेयजल सड़क जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं का भी अभाव है आशा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इन गांवों को मगरा क्षेत्र में सम्मिलित करेंगे।

ग्राम पंचायत (पंचायत समिति पीसागंन)

करनोस – गांव- थारिया, रूपनगर, रतनगढ, शिवपुरा, धुवडिया, व दौलत पुरा और ढाणियां

भटसूरी – गांव- भटसूरी, बगतावर पुरा, जैतगढ़

पगरा – गांव – पगरा, रीछमालिया, मेवाडिया व केसरपुरा

नागेलाव – गावं- अलीपुरा व नागेलां बी

पंचायत समिति श्री नगर

ग्राम पंचायत – अजयसर

ग्राम पंचायत – हाथीखेडा

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत अजयसर व हाथीखेडा में तो वाटरशेड की भी कोई कार्य नहीं हुआ। आशा है सरकार अवश्य ही इन गांवों को मगरा क्षेत्र में सम्मिलित करेगी।

श्री गोपाल बाहेती

(पुष्कर)

जोधपुर शहर में विद्युत आपूर्ति सुधार के क्रम में

महोदया जी,

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर शहर में विद्युत आपूर्ती में सुधार की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जोधपुर शहर आबादी के हिसाब से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके अतिरिक्त यहां हेण्डीक्राफ्ट व स्टील पाटा उद्योग की अनेकों इकाइयां भी कार्यरत हैं जिनसे लगभग 1000 करोड़ रुपए सालाना का व्यापार होता है। राज्य सरकार को भी इन उद्योगो से काफी आमदनी होती है अतः आवश्यक है कि शहर वासियों एवं इन उद्योगों को मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति हो।

जोधपुर शहर की सप्लाई मुख्यतः बासनी स्थित 220 केवी के जीएसएस पर निर्भर है इस एक मात्र 220 केवी के जीएसएस में कोई भी गड़बड़ी होने पर पूरे शहर की सप्लाई में व्यवधान हो सकता है। अतः एक ओर 220 केवी जीएसएस की शहर में सख्त आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि सुरपुरा स्थित 400 केवी जीएसएस पर एक और 220 केवी का जीएसएस बना कर शहर की आपूर्ति की ग्रिड में जोड़ा जाये।

इसी प्रकार शहर में 132 केवी के केवल पांच जीएसएस हैं जबकि यहां की भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्युत मांग को देखते हुए कम से कम 132 केवी के चार और जीएसएस की आवश्यकता है। मेरी माननीय उर्जा मंत्रीजी मांग है

कि शहर में किले पर, लालसागर पर, पुराने बिजलीघर पर एवं बोरानाडा में चार जीएसएस का तुरंत निर्माण करवाया जाय। इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 33 व 11 केवी के सब स्टेशन की भी भारी मांग है परन्तु शहर की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण जगह की कमी रहती है। मेरा सुझाव है कि जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए शहर में 33 व 11 केवी के गैस इन्से ुलनेटेड सब स्टेशनों की स्थापना की जाय। इससे शहर बिजली के तारों के जाल से बच सकेगा एवं विद्युत आपूर्ती में भी भारी सुधार होगा। इसके साथ ही शहर में कीमती जगह की बचत हो सकेगी।

मेरे उपरोक्त प्रस्तावों के अमल में लाने से जहां एक और शहर को निर्बाध विद्युत आपूर्ती हो सकेगी वहीं विद्युत छीजत में उल्लेखनीय कमी आयेगी। इससे न केवल विद्युत कम्पनीयों को लाभ होगा बल्कि बहुमूल्य बिजली की भी बचत हो सकेगी।

सधन्यवाद।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

वाकल क्षेत्र पंचायत समिति कोटड़ा की पांच पंचायत गोगुन्दा में घोषणा के बावजूद नहीं मिलाये जाने बाबत

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि मुख्य मंत्री कोटडा ऐरिये में पधारने के दौरान पंचायत समिति कोटड़ा की वास, मादड़ा, समिजा, पडावली, कला, पडावली खुर्द को पंचायत समिति गोगुन्दा में मिलाये जाने की घोषणा की थी, परन्तु अभी तक गोगुन्दा में नहीं मिलाये जाने से इस ऐरिये के 52 गांव पांच पंचायत व पटवार मण्डल चार के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राजस्व विभाग का कार्य तो गोगुन्दा में किया जा रहा है तथा पंचायती राज विभाग का काम कोटडा में करने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी पार कर आने-जाने की समस्या बनी हुई है।

अत: इन पांच पंचायतों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुरूप मिलाते हुए लाभ के साथ पंचायत समिति गोगुन्दा में मिलाये जाने की कार्यवाही करावें।

मांगी लाल गरासिया

(गोगुन्दा)

श्री धर्मसिंह (भू-माफिया) के खिलाफ दर्ज मुकदमों में प्रभावी कार्यवाही किये जाने बाबत

महोदय,

राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भू-खण्ड काटने का कारोबार जोरशोर से चल रहा है, यद्यपि प्रशासन द्वारा नियमों में नये पट्टे जारी करने पर रोक लगी हुयी है लेकिन आज भी कृषि भूमि पर भूखण्ड काटने के सौदों पर रोक लगने के बावजूद भी भू-माफिया द्वारा पुरानी तारीखों में आवासीय भू-खण्ड काटे जाकर करवाये जा रहे हैं।

श्री धर्मसिंह (भू-माफिया) ने इन्दिरा गांधी नगर, बगराना आगरा रोड़ में एक कृषि भूमि का सौदा कर वहां प्लाट काटने का अवैध करोबार किया तथा भूखण्ड की कीमत के रूप में राशि वसूल कर बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति से पट्टे जारी करवाये।

मुकदमा नं. 420/06 एवं 421/06 पुलिस थाना विधायकपुरी में पूछताछ के दौरान श्री धर्मसिंह ने स्वीकार किया कि मैंने बगराना आगरा रोड़, इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना के तहत पट्टे काटे थे और बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति से कमीशन पर बैकडेट में पट्टे जारी करवाये थे। जबकि गृह निर्माण सहकारी समिति का इस प्रकार कमीशन लेकर पट्टे जारी करने का कारोबार करना नियम विरूद्ध है।

मुकदमा 240/06 एवं 241/06 पुलिस थाना कानोता में दर्ज हुआ है जिसमें स्पष्ट आरोप थे कि बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति ने एक ही प्लाट के वर्ष 1996 के पट्टे अलग-अलग नाम से चार दिन के अन्तराल में पट्टे देना दर्शाया गया है और वर्तमान में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बस्सी के यहां 145 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए पुलिस थाना कानोता ने अलग से विवाद प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार प्लाट नं. 49, 50, 51, 58, 59, एवं 60 (कुल 1013 वर्गगज का ब्लॉक) जो श्रीमती अनोखी देवी के नाम दिनांक 20.6.96 को आबंटित किया गया था को श्री धर्मसिंह (भू-माफिया) ने 100 रुपये के स्टाम्प पर 16.4.2005 को प्लाट नं. 49, 50, 51 को श्रीमती गोपाल देवी को बेचान कर दिनांक 25.6.96 को पट्टा जारी किया गया तथा प्लाट नं. 58, 59, 60 के पट्टे श्रीमती उर्मिला ताम्बी को दिनांक 26.6.96 का पट्टा जारी किया गया

है इस प्रकार मात्र चार दिन के अन्तराल में एक ही प्लाट के पट्टे दूसरों के नाम बनाकर समिति के रेकार्ड में भारी हेराफेरी की गयी है।

मैं इस संबंध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त प्रकरण की गहनता से जांच करवाकर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कराने की कृपा करें।

धर्मपाल चौधरी

(मण्डावर)